आजाद हिन्द फौज और
...न अफसरों का मुकदमा



आजाद हिन्द फौज

और

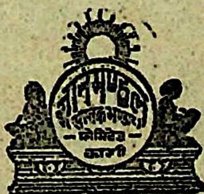
उसके तीन अफसरोंका मुकदमा

[सम्पूर्ण विवरण]

सम्पादक

परमेश्वरीलाल गु[illegible]

प्रकाशक



[मूल्य २)

दो शब्द

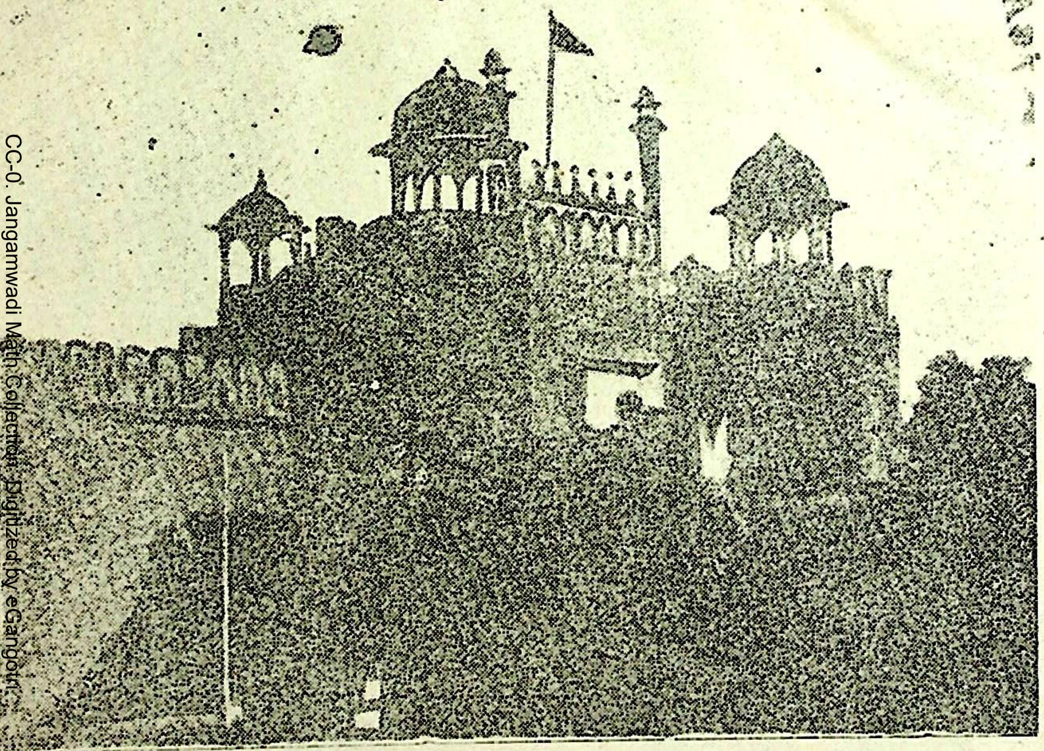
आजाद हिन्द फौज और उसके तीन अफसरों—कप्तान शाहनवाज खाँ, कप्तान प्रेमकृष्ण सहगल और लेफ्टिनेण्ट गुरुबख्शसिंह ढिल्लोंके मुकदमेके प्रति जनताकी विशेष उत्सुकता रही है। बात भी ऐसी ही थी। भारतके स्वातन्त्र्य-संग्रामके इतिहासमें यह एक अभूतपूर्व घटना है और इस मुकदमेका ऐतिहासिक महत्व है।

समाचार-पत्रोंमें इस मुकदमेका विवरण प्रकाशित होता रहा है पर अत्यन्त संक्षिप्त रूपमें। जो विवरण प्रकाशित भी हुआ है वह अलग अलग अङ्कोंमें और समयके काफी अन्तरके साथ। इस कारण आजाद हिन्द फौजके प्रति जनताकी उत्सुकताकी तृप्ति नहीं हो सकी है। उसीका अनुभवकर प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।

इसमें मुकदमेकी पूरी कारवाई दी गयी है। जहाँतक सबूत पक्षके गवाहोंकी गवाहीकी बात है हमने उनके बयान विस्तारसे दिये हैं। सफाई पक्षके गवाहोंकी गवहीमें एडवोकेट जनरलकी जिरहके वे अनावश्यक अंश जिनमें एककी बात बारबार दुहरायी गयी है, जान बूझकर हटा दिये हैं। सबूत और सफाई पक्षकी बहस और जज एडवोकेटका विश्लेषण कई सौ पृष्ठोंमें हैं। उनमें अधिकांशतः कानूनी बारीकियोंकी चर्चा है जिनमें जनताकी रुचि कम ही होती है, अतः हमने उसे सार रूपमें ही दिया है। फिर भी पुस्तक अपनेमें पूर्ण है।

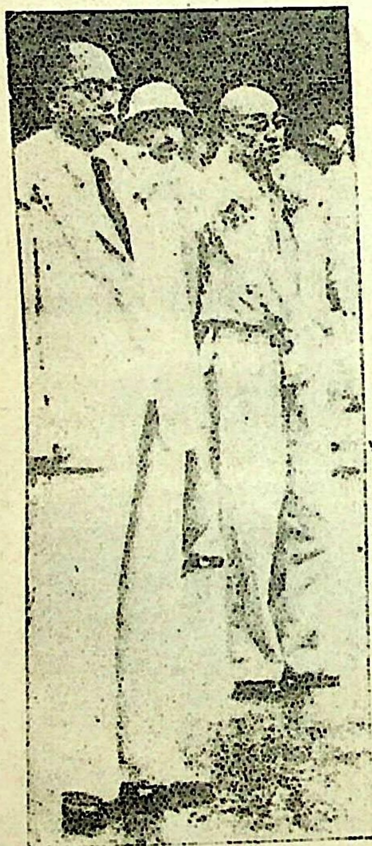
आशा है जनताकी जिज्ञासा-पूर्तिमें यह पुस्तक सहायक होगी।

—सम्पादक।

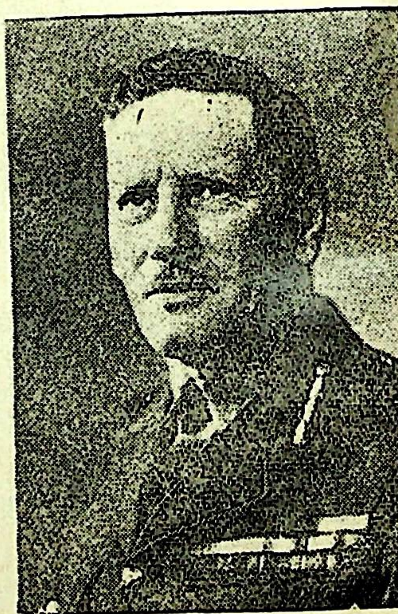


लाल किला

भारतके प्रधान सेनापति



नेताजी और रासबिहारी बसु



सर क्लाक अकिनलेक

आजाद हिन्द सेना

संक्षिप्त इतिहास

भारतके स्वतन्त्रता संग्रामके इतिहासमें 'आजाद हिन्द सेना' एक अभूतपूर्व अध्याय है। सन् १८५७ के प्रथम स्वातन्त्र्य संग्रामकी विफलताके बाद, हमारे अंग्रेज शासकोंने हमारे हथियार छीन लिए और हमें निरस्त्रकर पङ्गु बना दिया। ऐसी अवस्थामें हमारे युद्धकी प्रणाली एकदम बदल गयी। तलवारका काम हम अखबारों, प्रस्तावों, भाषणों और जुलूसोंसे लेने लगे। कभी कभी लोगोंने बमों और पिस्तौलोंका भी प्रयोग किया पर हमारे युद्धमें कलम और कागजका ही प्राधान्य रहा और हम सत्य और अहिंसाके बलसे लड़ते रहे। ऐसी अवस्थामें भारतसे बाहर रहकर भारतकी स्वतन्त्रताके लिए 'आजाद हिन्द सेना' के सैनिकोंने ब्रिटिश सेनाके विरुद्ध शस्त्र उठाया और यह दिखा दिया कि साधन प्राप्त होनेपर हम किस प्रकार वीरता पूर्वक लड़ सकते हैं और अपने देशकी अपने आप व्यवस्था कर सकते हैं।

जब युद्धके कारण सारा संसार अस्त व्यस्त हो रहा था आजाद हिन्द फौजके इन सैनिकोंने भारतके बाहर स्वतन्त्र भारतकी अस्थायी सरकारकी स्थापना की और तत्कालीन स्वतन्त्र देशोंकी अनेक सरकारोंने उसे स्वीकार किया। भारतकी इस अस्थायी सरकारने भारतको दासताके चङ्गुलसे मुक्त करनेके लिए अंग्रेजोंके विरुद्ध युद्ध किया। इसकी कहानी संक्षेपमें इस प्रकार है—

१९४२ की बात है—

जापानियोंने जब मलाया पर अधिकार नहीं किया था तभी, वहांके रहनेवाले

सात लाख भारतीयोंके प्रति अंग्रेजोंका जो व्यवहार था उससे वहाँके लोगोंमें घोर असन्तोष था। लोग उनसे ऊबसे गये थे। लोगोंका अंग्रेजोंपरसे विश्वास उठ गया था, अतः जब अंग्रेजोंकी हार मलायामें हुई तो जनता उनके साथ न थी। उन क्षेत्रोंमें लड़नेवाली भारतीय सेनामें भी सन्तोष न था। सेनामें गोरे और कालेका भेदभाव इतना भयावह था कि भारतीय सैनिकोंके मनमें यह भाव जमने लगा था कि अंग्रेज सरकारकी सारी सुविधायें केवल गोरी फौजके लिए हैं, काले लोग तो तोप और गोलोंके खूराक मात्र हैं। यह बात उन लोगोंको और भी सत्य जान पड़ी जब १५ फरवरी १९४२ को सिंगापुरके पतनके बाद ६०,००० भारतीय सैनिकोंको जापानियोंके हाथमें असहाय छोड़कर अंग्रेज फौजी अफसर वहांसे भाग गये।

इस असन्तोषका लाभ जापानियोंने उठाना चाहा और १७ फरवरीको सिंगापुरके जापानी सेनाके सेनापति मेजर फ्युजिवाराने कुछ प्रमुख भारतीयोंको, जिनमें अधिकांश कैद किए हुए फौजी अफसर थे, बुलाया और कहा कि "यद्यपि भारतीय जापानके शत्रुकी प्रजा हैं लेकिन जापान भारतीयोंको अपना शत्रु नहीं मानता क्योंकि वे दिलसे अंग्रेजोंके साथ नहीं हैं। अतः यदि भारतीय सैनिक तथा अन्य लोग शस्त्र धारण करके भारतसे अंग्रेजोंको निकाल बाहर करनेके लिए उठ खड़े हों तो जापान उनकी सहायता करेगा।" इसके साथही उन्होंने यह भी कहा—"भारतकी स्वतन्त्रताके युद्धका समय आ गया है। अंग्रेजी सत्ता उखड़ने जा रही है, इसलिए युद्धकी तैयारी आरम्भ कर देनी चाहिये।"

बात बड़ी लुभावनी थी। उन लोगोंके सामने दो प्रश्न आकर खड़े होगये। (१) वे लोग युद्ध समाप्त होने तक जापानियोंके कैद खानेमें सड़ते रहें या (२) स्वतन्त्र होकर भारतकी स्वतन्त्रताके नामपर जापानियोंके साथ मिलकर अंग्रेजोंका मुकाबला करें? जहाँतक जीवनमरणका प्रश्न था इनलोगोंकी दृष्टिमें इन दोनों बातोंमें विशेष अन्तर न था। अतः उन्होंने यह सोचा कि जापानियोंके कैदमें गुलामोंकी तरह सड़ गलकर मरनेकी अपेक्षा देशके नामपर लड़ते हुए मर जाना अधिक श्रेयस्कर है

पर साथ ही उनके सामने जापानियोंने कोरिया और चीनमें जो कुछ किया था, वह सब भी था; अतः वे यह न भूल सके कि भारतके लिए लड़ना है तो जापानियोंसे भी सतर्क रहना होगा। अस्तु—उनलोगोंने फ्युजीवाराको निश्चित वचन न देकर प्रस्ताव पर विचार करनेका आश्वासन ही देकर चले आये।

फ्युजीवाराने अपनी सद्भावना व्यक्त करनेके लिए समस्त युद्ध-बन्दियोंको तत्काल कप्तान मोहनसिंहके अधीन कर दिया। कप्तान मोहनसिंह, जापानियोंके हाथ कैद होनेवाली सेनाके एक अफसर थे और अपने सैनिकोंमें काफी लोकप्रिय भी थे। कप्तान मोहनसिंह उसी समयसे सेनाके संघटनमें लग गये और आगे चलकर 'आजाद हिन्द सेना'का संघटन हुआ जो इतनी लोकप्रिय हुई कि अक्तूबर १९४२ के अन्त तक ५६,००० भारतीय युद्ध बन्दियोंमेंसे ५०,००० उसमें सम्मिलित हो गये।

फ्युजिवाराके प्रस्ताव रखनेके १९ दिन बाद ९ और १० मार्च को, सिंगापुरमें मलायाके विभिन्न भागोंमें रहनेवाले भारतीयोंकी एक सभा हुई जिसमें फ्युजिवाराके प्रस्तावपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया। इसी बीच टोकियोसे श्री रासबिहारी बसुने सम्वाद भेजा कि वे दक्षिण-पूर्वी एशियाके निवासी समस्त भारतीयों-के प्रतिनिधियोंका एक सम्मेलन टोकियोंमें करना चाहते हैं। उस सम्मेलनमें निर्णय किया जायगा कि भारतकी स्वतन्त्रताका युद्ध किस तरह लड़ा जाय। अतएव, सिंगापुर सम्मेलनमें कोई निश्चित निर्णय नहीं हुआ और सारी बातें टोकियो सम्मे-लनके लिए छोड़ दी गईं।

टोकियोंमें २८ से ३० मार्च तक श्री रासबिहारी बसुके सभापतित्वमें सम्मेलन हुआ। इसमें जापान, मंचूरिया, बरमा, हांगकांग, बोर्नियो, जावा, मलाया और थाइलैंडके प्रतिनिधि आये थे। इस सम्मेलनमें निश्चय हुआ कि पूर्वी एशियामें रहनेवाले समस्त भारतीयोंके बीच भारतीय स्वतन्त्रताका आन्दोलन चलानेके लिए 'आजाद हिन्द संघ'की स्थापनाकी जाय जिसका उद्देश्य भारतवर्षके लिए ऐसी

स्वतन्त्रता प्राप्त करना हो जो सभी तरहके बन्धनों एवं बाहरी देशोंके हस्तक्षेपोंसे मुक्त हो।

इसी सम्मेलनमें बाजाप्ता तौर पर आजाद हिन्द सेनाके संघटनका प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ तथा यह निश्चय किया गया कि—"हिन्दुस्तान पर सैनिक आक्रमण करनेवाली सभी फौजी टुकड़ियोंका सञ्चालन भारतीय अफसरोंके हाथ रहे। जापानसे हवाई और समुद्री हमलोंके लिए उचित सहायता ली जाय किन्तु सारा काम आजाद हिन्द सेनाके सुपुर्द हो तथा जब भारत अङ्गरेजोंके हाथसे मुक्त हो जाय तब आजाद हिन्दका शासन विधान भारतीय जनताके प्रतिनिधि तैयार करें।"

इसके अतिरिक्त यह भी निश्चिय हुआ कि टोकियो सम्मेलनमें सभी देशोंके भारतीय प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हो सके, इसलिए जूनके महीनेमें एक दूसरा समेम्लन बैंकाकमें किया जाय।

बैंकाक महासम्मेलन १५ से २३ जून तक हुआ। इस सम्मेलनसे स्वीकृत किए गए प्रस्तावोंमेंसे कुछ ये थेः—

१—भारतके जो सैनिक जापानियोंके हाथमें कैद होगये हैं उन्हें आधार बनाकर आजाद हिन्द फौजका संघटन किया जाय तथा प्रवासी भारतीयोंमेंसे रङ्गरूट भर्ती करके इस सेनाका विस्तार किया जाय।

२—आजाद हिन्द संघका प्रधान कार्यालय सिंगापुरमें रहे तथा उसकी शाखायें बर्मा, मलाया, थाइलैंड, जावा, सुमात्रा, फिलीपाइन और जापानमें खोली जायें।

३—आजाद हिन्द संघ तथा उसकी समस्त शाखाओंका मुख्य काम आजाद हिन्द फौजके लिए धन, कपड़े और रङ्गरूट जमा करना होगा।

४—आजाद हिन्द संघका सम्बन्ध जापानी सरकारके साथ कार्यसमितिके माध्यमसे रहेगा।

५—आजाद हिन्द फौजके लिए लड़ाईके सभी जरूरी सामान जापान सर-

कार देगी तथा इन सामग्रियोंका उचित मूल्य आजाद हिन्द सरकारके कायम हो जानेपर रुपये देकर चुका दिया जायगा।

इस सम्मेलनमें आजाद हिन्द संघकी एक समिति भी बनायी गई जिसके अध्यक्ष श्री रासबिहारी वसु तथा सदस्य कप्तान मोहनसिंह, लेफ्टिनेण्ट कर्नल जिलानी तथा दो गैर फौजी सज्जन चुने गये।

इसी सम्मेलनमें आजाद हिन्द सेनाके सेनापतिका गौरवपूर्णपद कप्तान मोहन-सिंहको प्रदान किया गया।

बैंकाक सम्मेलनके समय आजाद हिन्द संघके सदस्योंकी संख्या ५९,०००तक हो गई थी। सङ्घका स्वरूप भी स्पष्ट हो गया था। बैंकाक सम्मेलनने अपने उद्देश्यों की घोषणामें जो कुछ कहा उससे साफ प्रकट होता है कि सङ्घ पूर्ण रूपसे राष्ट्रीय तथा प्रजातन्त्रात्मक था। सङ्घ इस बातसे भी सतर्क था कि कहीं ऐसा न हो इस आन्दोलनका फल भारतमें जापानियोंकी राज्य-स्थापना हो जाय।

सम्मेलनने आजाद हिन्द सङ्घका मोटो—"विश्वास एकता और बलिदान" बनाया और एकमतसे यह भी घोषित किया कि "भारत अविभाज्य है" तथा सङ्घकी रीति-नीति एवं कार्य-प्रणाली वही होगी जो अखिल भारतीय कांग्रेसकी रही है। भारतीय कांग्रेसका तिरङ्गा झण्डा आजाद हिन्द सङ्घका राजपताका माना गया और यह निश्चय हुआ कि भारतपर आक्रमण उस समय किया जायगा जिस समय भारतीय प्रजामें उत्तेजना तथा ब्रिटिश भारतीय सेनामें विद्रोहके लक्षण प्रकट होंगे। यह भी निश्चय हुआ कि अंगरेजोंके हाथसे मुक्त होते ही तुरत भारतकी आजादी को जापान स्वीकार करेगा।

लेकिन ज्यों ज्यों भारतीयोंके बीच आजादीका आन्दोलन जोर पकड़ने लगा, त्यों-त्यों जापानी अफसर घबड़ाने लगे। आरम्भमें उन्हें यह आशा थी कि आजाद हिन्द सेनाके नामपर भारतीय जापानियोंके कमाण्डमें लड़ने को तैयार हो जायँगे और भारतके स्वतन्त्र होनेसे पूर्व जापानी भारतकी हथिया सकेंगे। किन्तु बैंकाक

सम्मेलनमें निश्चय यह हुआ कि सामानकी मदद तो जापानसे ली जायगी किन्तु, लड़ाईका कमाण्ड आजाद हिन्द फौजके अफसरोंके हाथ रहेगा। इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान पर चढ़ाई तब की जायगी जब देश और सेनामें विद्रोहकी आग फैल जाय। आजाद हिन्द सङ्घ एक एक गोटी सोच सोच कर रख रहा था। बैंकाक सम्मेलनमें इस आशयका भी एक प्रस्ताव पास हुआ था कि आजाद हिन्द सङ्घके प्रस्तावों पर जापानी सरकार अपना स्पष्टमत प्रकट करे। लेकिन जापानकी ओरसे बराबर गोल-मटोल जवाब दिया जाता रहा जिससे यह शङ्का बढ़ती गयी कि जापान भारतको बीच धारामें डुबा दे तो कोई आश्चर्य नहीं।

आजाद हिन्द सङ्घके साथ सम्बन्ध रखनेके लिए जापानी सरकारने इवाकुरो किकान नामक विभाग कायम किया। सङ्घकी कार्यकारिणी समिति इसीके जरिए जापानी सरकारसे सम्बन्ध स्थापित करती थी। जब जापानियोंने देखा कि आजाद हिन्द सङ्घका संघटन जापानकी साम्राज्य-सम्बन्धी नीतियोंके विरुद्ध जा रहा है तब उन्होंने इवाकुरो किकानके द्वारा आजाद हिन्द सङ्घको बदनाम करना शुरू किया। वह सङ्घके आन्तरिक कामोंमें दखल देनेलगी तथा इस बातसे जब सङ्घवाले रुष्ट हुए तब सङ्घके नेताओंके खिलाफ तरह-तरहकी बातें उड़ाई जाने लगी।

नवम्बर १९४२ के आते आते आजाद हिन्द सङ्घमें कार्यकर्त्ताओं एवं जापानी अधिकारियोंके बीचका सङ्घर्ष बहुत बढ़ गया। जापानी चाहते थे कि आजाद हिन्द फौज जापानी कमाण्डके आधीन मोर्चे पर जाय लेकिन आजाद हिन्द सङ्घवाले इसे उचित नहीं समझते थे। उनके मतसे अभी आक्रमणका वक्त नहीं आया था और वक्त आने पर भी वे केवल अपने ही कमाण्डमें रह कर लड़ना चाहते थे। यद्यपि आजाद हिन्दके अफसर कमजोर और लाचार थे किन्तु वे किसी भी अवस्थामें अपने उद्देश्यसे विचलित होना नहीं चाहते थे।

नवम्बरमें ही जापानियोंने पेनाङ नगरके कुछ भारतीय लड़कोंको चुराकर कहीं भेज दिया। इस बातपर आजाद हिन्दके कार्यकर्त्ताओंमें बड़ी खलबली मची। चारों

और जोशको देखकर जापानियोंने बताया कि उन लड़कोंको गुप्तचर बनाकर भारत भेजा गया है ।

यह आजाद हिन्द संघ पर जापानियोंके अविश्वासका स्पष्ट प्रमाण था । इससे यह बात भी प्रत्यक्ष होती थी कि जापानी आजाद हिन्द फौज को भ्रममें रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं । इससे भारतियोंको बड़ा ही दुःख हुआ तथा उन्होंने जापानियोंके प्रति अश्रद्धा प्रकट करना आरम्भ कर दिया ।

इससे अवस्था सुधरी नहीं । बौखलाकर जापानी औद्धत्यका प्रदर्शन करने लगे । पेनाङ्गका इण्डियन इन्स्टीट्यूट बन्द कर दिया गया तथा उसके प्रधान सञ्चालक नजरबन्द कर लिये गये । जापानी कमाण्डरका हुक्म हुआ कि आजाद हिन्द फौजको बर्माके लिए कूच करना पड़ेगा । लेकिन अपनी मर्यादाको अक्षुण्ण रखते हुए सङ्घकी कार्यकारिणी समितिने इसका घोर विरोध किया । श्रीरासबिहारी बसु इस गड़बड़ीका हाल तोजोको सुनानेके लिए टोकियो जानेको तैयार हुये । पर बात इससे भी न बन सकी । आजाद हिन्द सेनाके प्रधान नायक कप्तान मोहनसिंहको सारी खुराफातोंकी जड़ मानकर जापानियोंने दिसम्बर १९४२ में गिरफ्तार कर लिया । गिरफ्तारीके समय कप्तान मोहनसिंहका अन्तिम आदेश यह था कि "देशके कल्याणके लिए आजाद हिन्द फौज तोड़ दो । इस छुरीको जापानी तुम्हारे ही गलेपर फेरना चाहते हैं ।" इसके बाद आजाद हिन्द फौज तोड़ दी गयी ।

यद्यपि जापानियोंकी बेइमानीके कारण कप्तान मोहनसिंहके आदेशसे आजाद हिन्द फौज विघटित कर दी गयी थी, लेकिन इस विघटनसे लोगोंको सन्तोष न था । आजाद हिन्द फौजकी चारों ओर ख्याति फैल गयी थी और प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि उसे कायम रखा जाय और आजाद हिन्द सेना के सङ्गठनका काम फिरसे आरम्भ किया गया ।

अप्रैल १९४३ में विभिन्न स्थानोंके प्रतिनिधियोंका सम्मेलन सिंगापुरमें हुआ । उसमें श्रीरासबिहारी बसुने यह घोषित किया कि श्रीसुभाषचन्द्र बसु उनका स्थान

ग्रहण करेंगे। फलतः २ जुलाईको श्रीसुभाषचन्द्र बसु टोकियोसे सिङ्गापुर आये और ४ जुलाईको वहाँ एक बड़ी सभा हुई जिसमें रासविहारी बसुने आजाद हिन्द सङ्घकी अध्यक्षतासे पदत्याग कर दिया और उनके स्थान पर सुभाषबाबू अध्यक्ष और आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति चुने गये। उसी दिन सुभाषबाबूने आजाद हिन्द फौजके नाम निम्नलिखित आदेश जारी किया :—

"भारतकी आजादीके लिए आजसे मैंने इस फौजका सर्वोच्च नेतृत्व ग्रहण कर लिया है और यह मेरे लिए अत्यन्त प्रसन्नता एवं गर्व की बात है। किसी भी भारतीय के लिए इससे बढ़कर और कोई सम्मान नहीं हो सकता कि वह भारतको स्वतन्त्र करनेवाली फौजका सेनापति हो। किन्तु मैं कार्य की महत्ता व उत्तरदायित्व को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। परमात्मासे प्रार्थना है कि वह हर हालतमें मुझे इस जिम्मेदारीको वहन करनेकी पूरी शक्ति दे। मैं अपनेको ३८ करोड़ भारतवासियोंका एक तुच्छ सेवक समझता हूँ। मैं भारतीयोंके हितोंको अपने हाथमें सुरक्षित रखते हुए अपने कर्तव्यको पूरा करूँगा। देशमें पूर्ण स्वतन्त्रता स्थापित करनेके लिए एक स्थायी सेनाका निर्माण करना है, जो भारतके प्रत्येक व्यक्तिकी स्वतन्त्रताकी गारण्टी करे और यह कार्य आजाद हिन्द फौजको ही करना है। अतः हम सबको आजाद हिन्द फौज का सदस्य बन जाना चाहिये। हमारा एकही नारा है और एक ही लक्ष्य है—वह है भारतकी आजादी और उनके लिए करो या मरो की भावना। मुझे अपने ध्येयमें पूर्ण विश्वास है। ३८ करोड़ जनताको, जो संसारकी आबादीका पाँचवा भाग है, अधिकार है कि वह आजाद हो और आज वे आजादीका मूल्य चुकानेके लिए तैयार हैं ; अब इस पृथ्वीपर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमारी आजादीके जन्मसिद्ध अधिकारको रोक सके।

साथियो, अफसरो व नागरिको ! आपकी निरन्तर अटूट भक्ति ही भारतको स्वतन्त्र करानेमें आजाद हिन्द फौजको अपना साधन बना सकेगी। हमारी विजय निश्चित है।"

इस आदेशकी अन्तिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :—

"दिल्ली चलो, और इस दृढ़ भावनाके साथ चलो कि हम वाइसराय-भवन पर तिरङ्गा झण्डा फहरा कर लाल किलेमें विजय की परेड करेंगे।"

इसके बाद आजाद हिन्द फौजके सङ्गठनका कार्य जोरोंसे आरम्भ हुआ और लोग फौजमें भरती होने लगे। मलायामें चार सैनिक स्कूल खोला गया और लगभग ७,००० व्यक्तियोंने सैनिक शिक्षा प्राप्त की। आजाद हिन्द फौजका सङ्गठन पूर्णतया सैनिक ढङ्गसे ऊपरसे नीचे तक व्यवस्थित थी। उसमें १,५०० अफसर और ५०,००० सैनिक थे।

आजाद हिन्द फौजमें (१) सदर दफ्तर (२) हिन्द फील्ड ग्रूप (३) शेरदिल गुरिल्ला दल (४) विशेष सेवा दल (५) गुप्तचर विभाग और (६) रीइन्फोर्समेण्ट विभाग था। पहला, दूसरा और तीसरा पैदल बटालियन, हवाई सेना बटालियन, विशाल तोपों का बटालियन, इञ्जीनियर कम्पनी नम्बर एक, सिगलन कम्पनी नम्बर एक, मेडिकल कम्पनी नम्बर एक और टी० पी० टी० नम्बर एक—इन सबोंको मिलाकर प्रथम हिन्द फील्डग्रूपका निर्माण हुआ था। गान्धी गुरिल्ला रेजिमेण्ट, आजाद गुरिल्ला रेजिमेण्ट और नेहरू गुरिल्ला रेजिमेण्टको मिलाकर शेरदिल गुरिल्ला ग्रूप बना था। १९४३ के नवम्बरमें एक दूसरा गुरिल्ला रेजिमेण्ट बना था जिसके कमाण्डर शाहनवाज खां नियुक्त हुए थे। गान्धी, नेहरू और आजाद—इन तीनों रेजिमेण्टोंको एकमें मिलाकर एक अलग डिविजन बना दिया गया। पीछे चल कर दो और डिविजन बनाये गये। एक डिविजनमें तो पुराने सिपाही थे और दूसरे डिविजनमें नागरिकोंकी भर्त्ती हुई थी। सुभाष बाबूने पदक देनेकी परिपाटी भी आरम्भ की थी जिसका नाम 'तमगाये शत्रुनाश" था। यह पदक उन सिपाहियोंको दिया जाता था जो युद्धमें दुश्मनोंके खिलाफ विशेष वीरता प्रदर्शित करते थे। आजाद हिन्द फौजके सैनिक, भारतीय फौजकी वर्दी पहनते थे। ऊपरसे केवल आजाद हिन्द फौजका बिल्ला लगालेते थे।

पुरुष सैनिकोंके अतिरिक्त स्त्रियोंने भी सैनिक कार्यमें भाग लिया और 'झाँसीकी रानी' सेनाके नामसे उनकी अलग सेना बनी। उनके लिए अक्तूबरके महीनेमें मलाया में और पीछे रंगूनमें शिक्षण केन्द्र खोला गया। इस सेनाकी महिला सैनिकोंको पूरी फौजी शिक्षा दी गयी। वे लड़ाईके प्रायः सभी हथियार चला सकती थीं। इन्होंने भी पुरुषोंकी भाँति ही युद्धमें भाग लिया।

२१ अक्तूबर १९४३ को सिंगापुरमें सुभाष बाबूने, जो वहाँ नेताजीके नामसे प्रख्यात हुये, आजाद हिन्द सरकारकी स्थापनाकी। आरम्भमें इस सरकार तथा फौजका सदर दफ्तर सिंगापुरमें था बादमें वह उठकर रंगून आगया। इस सरकारको जर्मनी, जापान, इटली, बर्मा, मलाया, फिलीपाइन्स, इण्डोनेशिया, हिन्दचीन, मंचूरियाँ, कोरिया आदि देशोंकी सरकारने वैध सरकारके रूपमें स्वीकार किया तथा परस्पर राजदूतोंका आदान प्रदान भी होने लगा।

आजाद हिन्द सरकारका सङ्गठन इस प्रकार किया गया था :—

श्री सुभाषचन्द्र बसु—अध्यक्ष, प्रधान मन्त्री, युद्ध मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री और आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति।

डाक्टर (कुमारी) लक्ष्मी स्वामीनाथम्—महिला विभागकी प्रधान।

श्री एस० ए० अय्यर—प्रकाशन एवं प्रचार विभाग।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल एस० सी० चटर्जी—अर्थ विभाग।

ले० कर्नल अजीज अहमद, ले० कर्नल एन० एस० भगत, कर्नल जे० के० भोंसले, ले० कर्नल गुलजारा सिंह, ले० कर्नल एम० जेड० कियानी, ले० कर्नल ए० डी० लोकनाथन, ले० कर्नल ईशान कादिर, ले० कर्नल शाह नवाज—फौजके प्रतिनिधि।

श्री आनन्द मोहन सहाय, श्री रासबिहारी बसु—प्रधान परामर्शदाता।

सर्वश्री करीमगनी, दीनानाथ दास, डी० एम० खाँ, सरदार ईशर सिंह—परामर्शदाता।

श्री ए० एन० सरकार—कानूनी परामर्शदाता।

आजाद हिन्द सरकारके सञ्चालनके लिए प्रवासी भारतीयोंकी दानकी रकमसे आजाद हिन्द बैङ्ककी स्थापना हुई जिसका मूलधन साढ़े आठ करोड़के लगभग बताया जाता है। इस बैङ्कको चलानेके लिए लोगोंने मुक्तहस्त होकर दान किया था। सुभाषबाबूकी अपीलपर धनकी वर्षा होने लगती थी।

आजाद हिन्द सरकारकी ओरसे 'जय हिन्द' और 'आजाद हिन्द' नामक दो साप्ताहिक पत्र भी निकलते थे। 'पूर्ण स्वराज्य' नामसे एक दैनिक पत्र भी निकलता था, ऐसा सुना गया है :

आजाद हिन्द सरकार आरम्भमें राज्यहीन सरकार थी पर शीघ्र ही अन्दमान और नीकोबार द्वीपका शासनभार उसने ग्रहण किया और उसकी सुचारु व्यवस्था की। इन दोनों द्वीपोंका नाम बदलकर 'शहीद' और 'स्वराज्य' रखा गया। जापानियोंद्वारा विजित कोहिमाके प्रदेशपर भी इस सरकारका शासन था।

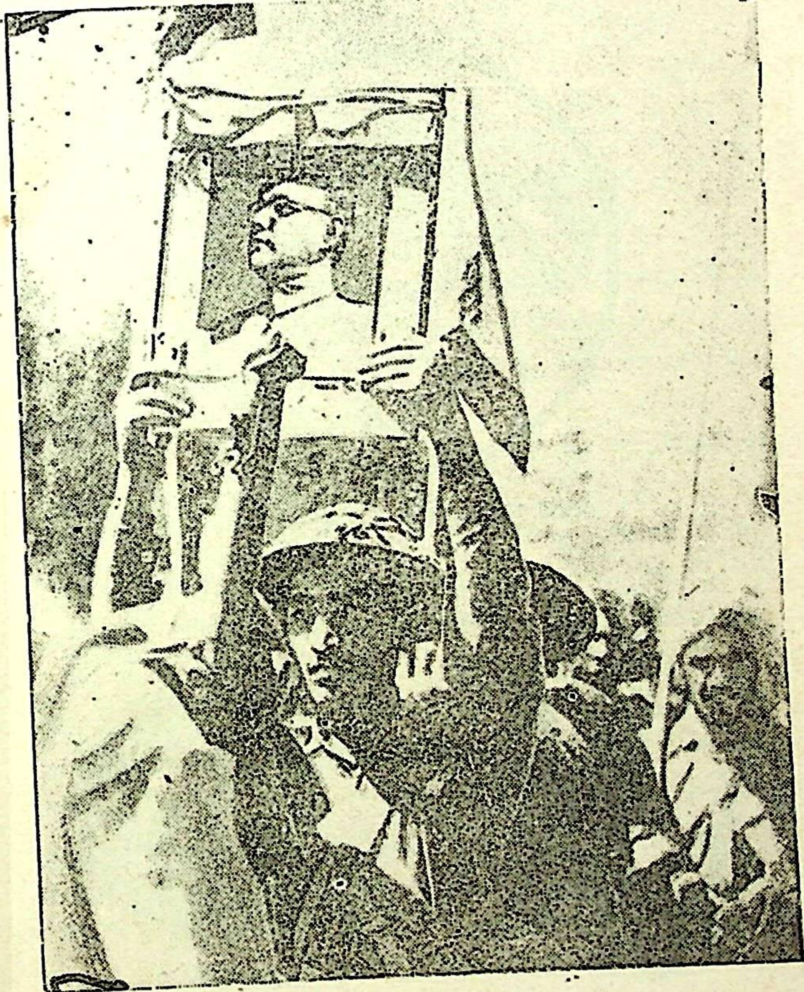
आजाद हिन्द सरकारने अपनी स्थापनाके तीन दिन बाद ही २४ अक्तूबर १९४३ को अमेरिका और इङ्गलैण्डके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी। शीघ्र ही आजाद हिन्द फौजने 'दिल्ली चलो' नाराके साथ भारतकी ओर कूच किया। योजना यह थी कि पहले आजाद हिन्द सरकार आसाम और बङ्गालपर अधिकार कर ले फिर वह धीरे धीरे भारतके अन्य भागोंपर अपना अधिकार जमाये। फलतः आजाद हिन्द फौजने ४ फरवरी १९४४ को आसामपर आक्रमण कर दिया। १८ मार्च १९४४ को आजाद हिन्द फौज भारत भूमि पर पहुँच गयी। गान्धी, नेहरू और आजाद तीनों रेजिमेण्टोंने इस आक्रमणमें भाग लिया। आजाद हिन्द फौज इम्फल तक पहुँच गयी थी परन्तु भयङ्कर वर्षा और सामानके अभावके कारण उसे पीछे लौटना पड़ा। इस प्रकार "दिल्ली चलो" का प्रयत्न असफल हो गया।

१४ वीं अंग्रेजी फौज आंधीके वेगसे बर्मामें घुसने लगी और भारतको आजाद करनेका एक महान प्रयास विफल हो गया। १९४५ के आरम्भमें जब अङ्गरेजोंने

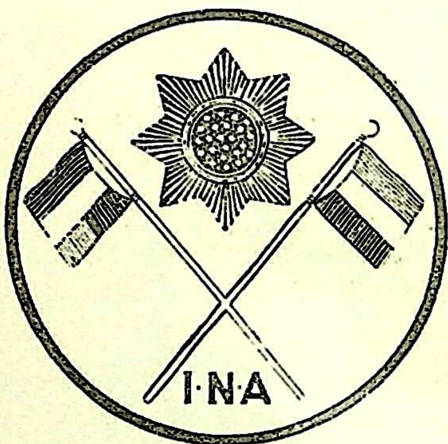
मिक्तिला दखल कर लिया तब जापानियोंने रंगून खाली करनेका निश्चय किया। जापानी सेनापतिने २३ अप्रैल १९४४ को रंगून छोड़ दिया और उसके ठीक एक दिन बाद २४ अप्रैलको श्रीसुभाषचन्द्र बसु रंगूनसे चले गये। आजाद हिन्द सरकारका सदर दफ्तर भी उठकर बङ्काक चला आया। लेकिन आजाद हिन्द फौजकी एक टुकड़ी हिन्दुस्तानियोंके जान मालकी रक्षा करनेके लिए वर्मामें ही ठहर गयी और रंगूनमें अंग्रेजोंके प्रवेशके समय तक यह फौज अपना काम पूरा करती रही। वर्माके अन्य जिलोंमें भी आजाद हिन्द सङ्घकी शाखाओंने सभी भारतीयोंकी पूरी तरह रक्षा की।

बरमाके अंग्रेजोंके हाथमें आ जानेके बाद आजाद हिन्द सेनाके अफसर और सैनिक कैद करके भारत लाये गये और देशके विभिन्न स्थानोंमें नजरबन्द रखे गये। काफी छानबीनके बाद भारतकी अंग्रेज सरकारने आजाद हिन्द सेनाके सैनिकोंको धीरे धीरे छोड़ने और उसके कुछ प्रमुख अफसरोंपर फौजी कानूनके अनुसार मुकदमा चलानेका निश्चय किया। आजकल सभी अफसरोंपर एक साथ मुकदमा न चलाकर अलग अलग समूहोंमें मुकदमा चलाया जा रहा है। फलतः पहला मुकदमा कप्तान शाहनवाज खाँ, कप्तान प्रेमकृष्ण सहगल और लेफ्टिनेण्ट गुरुबख्श सिंह ढिल्लोंके ऊपर चलाया गया जिसका विस्तृत विवरण इस पुस्तकमें दिया जा रहा है।

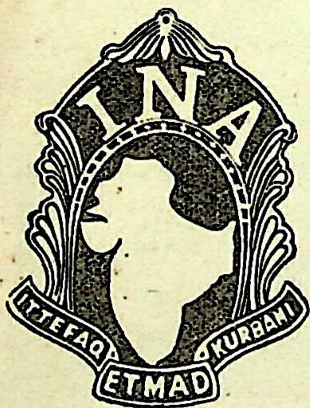
———



आजाद हिन्द फौजके सैनिक नेताजीके चित्रके साथ



प्रथम आजाद हिन्द फौजका बैज



द्वितीय आजाद हिन्द फौज का बैज



आजाद हिन्दकी स्थायी सरकारकी मुद्रा

फौजी अदालतकी कार्य-प्रणाली

आजाद हिन्द फौजके अफसरोंके विरुद्ध फौजी अदालतके सम्मुख चलनेवाले मुकदमेका कार्य-विवरण देनेसे पूर्व भारतीय सेना कानूनके अनुसार फौजी अदालतकी कार्य-प्रणालीका परिचय देदेना उचित जान पड़ता है ताकि पाठकोंको कारवाई समझनेमें आसानी हो। अस्तु--

(१) भारतके प्रधान सेनापतिद्वारा अधिकार प्राप्त कोई भी अफसर फौजी अदालतका संयोजन कर सकता है। (धारा ५८)।

(२) किसी भी फौजी अदालतमें कमसे कम पाँच अंग्रेज या भारतीय अफसर होंगे जिनका कमीशन पदपर कार्यकाल तीन वर्ष या उससे अधिक होगा।(धारा५७)

(३) कोई भी अफसर कतिपय अवस्थाओंमें अदालतमें बैठनेके अयोग्य ठहराया जा सकता है। यथा—यदि वह अदालतके सम्मुख विचारणीय मामलेकी जाँच करनेवाली अदालतका सदस्य रहा हो। (नियम २९)

(४) अदालतमें बैठनेवाले अफसरोंके सम्बन्धमें कोई भी अभियुक्त जानकारी प्राप्त कर सकता है और अदालतके शपथ लेनेसे पूर्व वह किसी भी अफसरके अदालतमें सम्मिलित किये जानेपर आपत्ति कर सकता है। किसी भी अफसरके अदालतमें सम्मिलित किये जानेपर आपत्ति व्यक्तिगत शत्रुता, मनोमालिन्य अथवा मुकदमेंके सम्बन्धमें धारणा बना लेने या राय प्रकट कर देनेके कारण की जा सकती है। इस प्रकारकी आपत्तियोंका निर्णय तथ्यके आधारपर किया जाता है पर फौजी अदालतकी सामान्य परम्परा यह है कि जब तक कि आपत्ति एकदम तथ्यहीन न हो,जिस अफसरके विरुद्ध आपत्ति की जाय वह स्वयं अलग हो जानेको

इच्छा प्रकट करे और उसे अलग हो जानेकी आज्ञा दे दी जाय। (नियम २१ (ख) तथा नियम ३४)

(५) आपत्तिके पश्चात् अदालतका निर्माण हो चुकनेपर अदालतका सबसे वयस्क सदस्य अध्यक्षका पद ग्रहण करते हैं और वह तथा अदालतके अन्य सदस्य और जज एडवोकेट शपथ ग्रहण करते हैं। (धारा ७७ तथा नियम ३५)

(६) जज एडवोकेटका काम मुकदमेंकी दौरानमें कानून और कार्यप्रणालीके सम्बन्धमें अदाल्तको सलाह देना और मुकदमेंके अन्तमें प्रमाणोंका निष्कर्ष रखना और मुकदमेंका कानूनी पहलू समझाना होता है। जज एडवोकेट अपने इस कार्यमें निष्पक्ष रहता है और उसकी स्थिति बहुत कुछ वही होती है जो जूरी द्वारा विचार किये जानेवाले मुकदमेंमें जजकी होती है, लेकिन दोनोंके बीच एक भारी अन्तर यह है कि जज एडवोकेटका कार्य केवल सलाहकारकी हैसियतमें होता है। वह कानूनके मसलेपर निर्णय नहीं केवल सलाह दे सकता है और अदालतके किसी निर्णयमें अपना मत नहीं देता। प्रमाणोंपर विचार करते हुए जज एडवोकेट यह स्पष्ट कर देता है कि तथ्यके प्रश्नोंपर अदालतको ही निर्णय करना है। (नियम ९१)

(७) सामान्यतया सबूत पक्षकी ओरसे मुकदमेंकी पैरवी संयोजक अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई सैनिक अफसर करता है और अभियुक्तके अनुरोध पर एक दूसरा सैनिक अफसर सफाईके पैरवीकारके रूपमें दे दिया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सबूत और सफाईके पैरवीकार कानूनके जानकार ही हों, किन्तु यदि सबूत पक्षका पैरवीकार अपने नागरिक जीवनमें वकील रहा हो तो साधारणतया अभियुक्त-को भी उसी योग्यताका पैरवीकार दिया जाता है। (नियम ३२,२२(ब) और ८१)

(८) सबूत और सफाई दोनों पक्षोंको वकील रखनेकी आज्ञा दी जाती है। (नियम ८२)

(९) फौजी अदालतके सम्मुख गवाहीके कायदे ठीक उसी रूपमें लागू होते हैं जिस रूपमें संसार भरके सिविल न्यायालयोंमें बरते जाते हैं। अभियुक्तको सबूत

पक्षके गवाहसे जिरह करने और सफाईके गवाह पेश करनेका अधिकार है। जबतक कि अभियोग प्रमाणित न हो जाय अभियुक्त निर्दोष माना जाता है और निर्णयका आधार मुकदमेंमें पेश किये गये प्रमाण ही होते हैं। (नियम ५०)।

(१०) भारतीय अदालतोंके अनुकरणपर भारतीय सेना कानूनके अनुसार बने फौजी अदालतके सम्मुख कोई अभियुक्त शपथ लेकर बयान नहीं दे सकता, इस कारण उससे जिरह नहीं की जा सकती, किन्तु वह अपनी सफाईमें लिखित या मौखिक बयान दे सकता है।

सबूत और सफाई पक्ष, दोनों ओरकी गवाहियोंके समाप्त होनेपर अदालत दोनों पक्षों अथवा उनके वकीलोंकी बहस सुनेगी। अगर अभियुक्तने तथ्यसम्बन्धी कोई गवाह पेश नहीं किया है तो वह अपनी बात पीछे कहेगा। अन्तमें जज एडवोकेट सारी कारवाईका निष्कर्ष उपस्थित करेगा। (नियम ४७)

(११) इसके बाद अदालत निष्कर्ष सम्बन्धी परामर्शके लिए उठ जायगी और निष्क ' लिख लिया जायेगा पर घोषित नहीं किया जायगा। भलेही निष्कर्ष किसी एक या सभी अभियोगोंके सम्बन्धमें निर्दोषिताका हो। इसके बाद अदालत फिर बैठेगी और यदि कोई भी निष्कर्ष दोषी बताता है तो, अदालत अभियुक्तके चाल-चलनके सम्बन्धमें गवाही लेगी। उस समय अभियुक्त अथवा उसका वकील अदालतसे सजाके कम देनेका अनुरोध कर सकता है।

सजाका निर्णय बन्द अदालतमें किया जाता है। (नियम ५३)

(१२) अदालतमें मतप्रकाश बोलकर किया जाता है। ऊन सदस्य पहले और वयस्क सदस्य सबसे बादमें अपना मत प्रकट करते हैं। (नियम ७३)

(१३) अदालतका निर्णय—निष्कर्ष और सजा दोनोंके सम्बन्धमें बहुमतके आधारपर होगा। सम मतकी अवस्थामें अभियुक्तको लाभ मिलेगा। किन्तु मृत्यु-दण्ड कमसे कम दो तिहाई सदस्योंके बहुमतके विना नहीं दिया जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि ७ सदस्योंकी अदालत है तो मृत्युदण्डकी आज्ञाके लिए

कमसे कम ५ सदस्योंके मतकी अपेक्षा होगी और इस सम्बन्धमें तीनका अल्प मत चारके बहुमत पर शासित होगा। (धारा ८१ और ८७)

(१४) अदालत अभियुक्तको सजा देनेके साथ साथ क्षमाके सिफारिशके प्रश्न-पर भी विचार कर सकती है और कारवाईमें क्षमाकी सिफारिश जितने मतोंसे अदालत द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत की गयी वह भी लिखी जा सकती है। (नियम ५५)

(१५) फौजी अदालतका निष्कर्ष और उसके द्वारा दी गई सजा उस समय तक जायज नहीं है जब तक वह स्वीकार न कर लिया जाय। संयोजक अफसरको इसके स्वीकार करनेका अधिकार दिया जा सकता है और वह स्वीकार करनेवाला अफसर बनाया जा सकता है, लेकिन स्वीकृति किसी बड़े अफसर, यहाँ तक कि प्रधान सेनापतिके लिए भी—सुरक्षित रखी जा सकती है। स्वीकृतिके बाद कार-वाई अभियुक्तको बता दी जाती है। यदि उसकी सजा हुई है तो उसे प्रार्थनापत्र भेजनेका अवसर दिया जाता है। (धारा ९४ और ९५ तथा नियम ५७)

(१६) यदि अभियुक्त कमीशनप्राप्त अफसर है तो प्रार्थनापत्र केन्द्रीय सरकार अर्थात् वाइसरायके पास भेजी जायगी, और उन्हें क्षमाप्रदान करने, सजा कम या रद करनेका वैध अधिकार है। (धारा ११७ अ, आज्ञापत्र १३०८।४४ तथा धारा ११२)

—



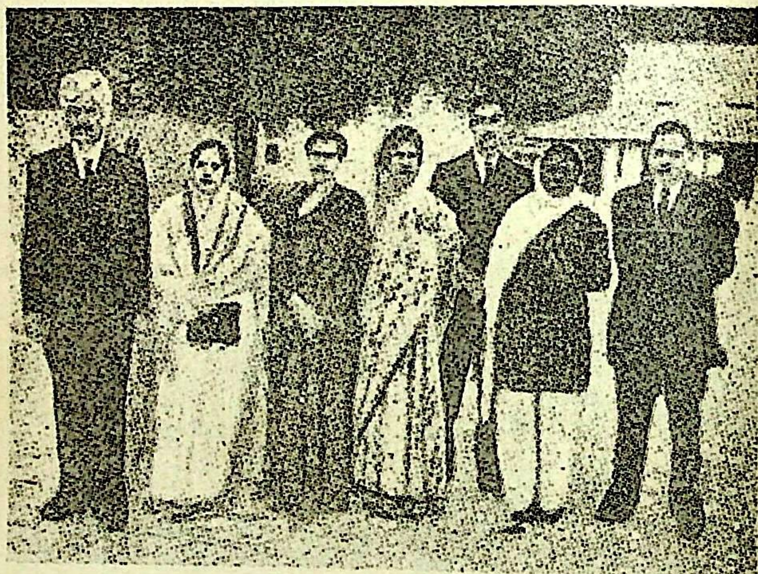
कप्तान शाहनवाज खाँ



कप्तान प्रेमकृष्ण सहगल



लेफ्टिनेण्ट गुरुबख्शसिंह ढिलों



लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंकी पत्नी और परिवार

अभियुक्त

कप्तान शाह नवाजखाँ

रावलपिंडीके एक सम्पन्न परिवारमें १४ जनवरी १९१४ को कप्तान शाह नवाजखाँका जन्म हुआ। आपका परिवार अपनी सैनिकवृत्ति और सम्राटकी सेवाके लिए प्रख्यात है। इस परिवारके ६० से अधिक व्यक्ति इस समय भी सेनामें हैं। परिवारकी परम्पराके अनुसार देहरादूनके सैनिक विद्यालयमें आपने शिक्षा ग्रहण की। सन् १९३६में आपको कमीशन मिला। सन् १९३७ में आप १४वीं पञ्जाब रेजिमेण्टके अफसर बनाये गये और युद्ध आरम्भ होनेपर मलाया भेजे गये। सन् १९४२में सिङ्गापुरके पतनके बाद आप जापानके युद्धबन्दी हुए। आजाद हिन्द फौजका सङ्गठन होनेपर उसमें सम्मिलित हुए और उसकी ओरसे आराकानके मोर्चे पर युद्ध किया। १७ मई १९४५ को आप सितपिनजिक्स नामक स्थानमें गिरफ्तार कर बन्दी बना लिये गये।

लेफ्टिनेण्ट गुरुबख्शसिंह ढिल्लो

लेफ्टिनेण्ट गुरुबख्शसिंह ढिल्लोंका जन्म १९१५में पञ्जाबके अलगों नामक स्थानपर एक सैनिक डाक्टरके घर हुआ है। आपकी शिक्षा दीक्षा अधिकांश रूपसे मोण्टगोमरीमें हुई। आपने अपने आप ही अपनी शिक्षाके साधन जुटाये और नौकरी करते हुए अँग्रेजी सीखी। आप दिनमें काम करते थे और रातमें अध्ययन। १९३५ में आप सेनामें भरती हुये और १९३७ में कमीशन प्राप्त किया। देहरादून सैनिक एकोडमीमें शिक्षा प्राप्त करनेके बाद १४वीं पञ्जाब रेजिमेण्टमें नियुक्त किये

गये। मलायामें थोड़े दिनों रहनेके बाद आप पूना वापस आये और वहाँका कोर्स पूराकर मलाया वापस गये। वहीं सिङ्गापुरके पतनके बाद बन्दी हुये पीछे आजाद हिन्द सेनामें सम्मिलित हो गये।

कप्तान प्रेमकृष्ण सहगल

कप्तान प्रेमकृष्ण सहगल लाहोर हाइकोर्टके जज श्री अच्छूरामके पुत्र हैं। आपकी अवस्था अभी केवल २८ वर्षकी है। आप कालेजके दिनोंमें प्रतिभाशाली विद्यार्थी समझे जाते थे। देहरादूनके सैनिक एकाडेमीमें शिक्षा पानेके बाद फरवरी १९४० में १०वीं बलूची रेजिमेण्टके साथ वर्माके युद्धमें भाग लिया। मलायाके पतनके पूर्व आपने कई लड़ाइयोंमें वीरताके साथ भाग लिया था।

—

अदालतका स्थान
दिल्लीका लाल किला

फौजी अदालतके सदस्य

१—मेजर जनरल ए० बी० ब्लैक्सलैण्ड—अध्यक्ष

२—श्री एन० जे० एच० ग्रुक, भारतीय सेना

३—लेफ्टिनेण्ट कर्नल सी० आर० स्काट, इण्डियन रेगुलर रिजर्व आव आफिसर्स

४—लेफ्टिनेण्ट कर्नल टी० आई० स्टेवेंसन, रायल गढ़वाल राइफल्स

५—लेफ्टिनेण्ट कर्नल नसीर लाल खां, राजपूत रेजिमेंट

६—मेजर बी० प्रीतमसिंह

७—मेजर बनवारीलाल, १५ पंजाब रेजिमेंट

जज एडवोकेट

कर्नल एफ० सी० ए० केरिन, डिप्टी जज एडवोकेट जनरल, सेन्ट्रल कमाण्ड

सबूतके वकील

सर नौशेरवां पी० इन्जीनियर, एडवोकेट जनरल आव इण्डिया

मिलीटरी प्रासीक्युटर

लेफ्टिनेण्ट कर्नल पी० वाल्श, ए० ए० जी०

सफाईके प्रधान वकील

श्रीभूलाभाई देसाई — श्री जवाहरलाल नेहरू

माननीय सर तेजबहादुर सप्रू — डाक्टर कैलासनाथ काटजू

रायबहादुर श्रीबद्रीदास — श्री आसिफअली

कुंवर सर दिलीपसिंह, भूतपूर्व जज लाहोर हाईकोर्ट

बख्शी सर टेकचन्द, भूतपूर्व जज लाहोर हाईकोर्ट

डाक्टर पी० के० सेन, भूतपूर्व जज पटना हाईकोर्ट

मुकदमेकी कारवाई

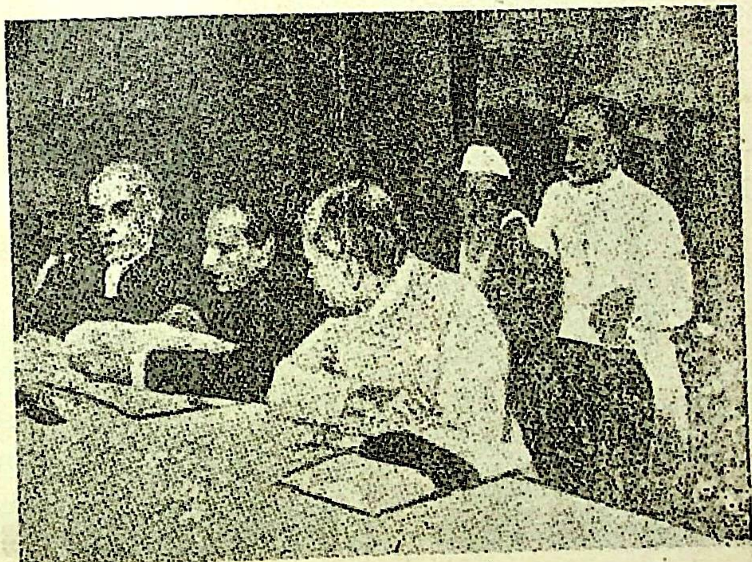
प्रथम दिन—५ नवम्बर सन् १९४५

फौजी अदालतके अध्यक्ष मेजर जनरल ए० बी० ब्लैक्सलैएड तथा अन्य सदस्योंने सवा दस बजे आसन ग्रहण किया। अदालतकी बायीं ओर सफाईके वकील—पहली पंक्तिमें क्रमसे कुंवर सर दिलीपसिंह, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, श्री भूलाभाई देसाई, श्री आसिफ अली और डाक्टर कैलाशनाथ काटजू तथा पिछली पंक्तिमें डाक्टर पी० के० सेन तथा अन्य वकील—बैठे। अदालतकी दाहिनी ओर सबूत पक्षके वकील सर नौशेरवां पी० इन्जीनियर और मिलीटरी प्रासीक्युटर लेफ्टिनेएट कर्नल पी० वाल्श थे।

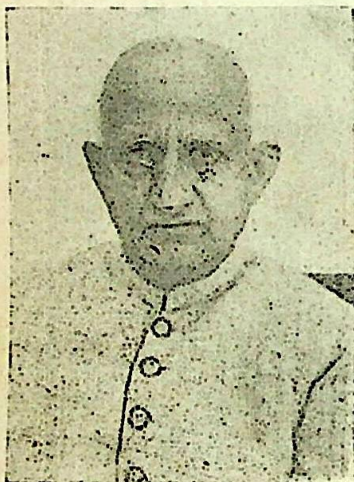
अदालतके बैठ जानेके बाद फोटोग्राफरोंको चित्र लेनेका अवसर दिया गया। उसके बाद जज एडवोकेट कर्नल एफ० सी० ए० केरिनने अदालतका आदेश घोषित किया कि अब तस्वीर लेना और सिगरेट पीना बन्द किया जाय।

इसके बाद अदालतके निर्माण सम्बन्धी आदेश पत्र पढ़ा गया और जज एडवोकेटने आज्ञा दी—"अभियुक्तोंको लाओ।"

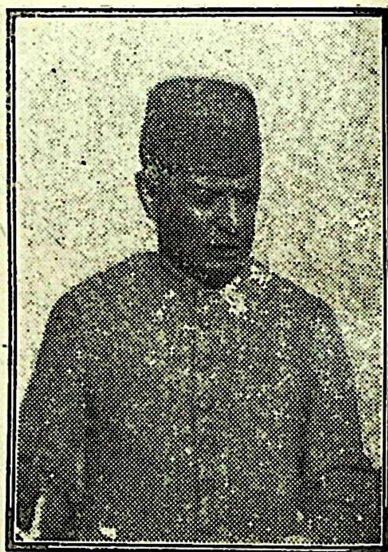
ज्यों ही कप्तान शाहनवाज, कप्तान प्रेमकृष्ण सहगल और लेफ्टिनेएट गुरुबख्शसिंह ढिल्लोंने प्रवेश किया अदालतमें एकदम शान्ति हो गयी। उन लोगोंने आते ही एक पंक्तिमें खड़े होकर अदालतको सलामी दी फिर अदालतके बैठनेवाले चबूतरेके नीचे 'सावधान' मुद्रामें खड़े होगये। वे लोग वर्दी पहने हुये थे पर उन पर पदका कोई चिन्ह न था। अपने साथ वे लोग एक थैला भी लाये थे जिसे उन्होंने अपने सामने रख लिया।



सफाई पक्षके वकील



श्री भूलाभाई देसाई



श्री आसफअली

इसके बाद उन लोगोंसे पूछा गया—"क्या आप लोगोंको अदालतके किसी सदस्य या कारवाई लिखनेवाले सरकारी रिपोर्टरोंके विरुद्ध कोई आपत्ति है ?"

तीनों अभियुक्तोंने कहा—"नहीं।" पश्चात अदालतके सदस्यों तथा रिपोटरोंने शपथ ग्रहण की।

तदनन्तर—

जज एडवोकेटने अभियुक्तोंके विरुद्ध लगाये गए अभियोगोंको पढ़कर सुनाया कि तीन अभियुक्तों पर भारतीय दण्ड विधानकी १२१वीं धाराके अंतर्गत सम्राटके विरुद्ध युद्ध करनेका अभियोग है। अभियोगपत्रमें बताया गया कि "सितम्बर १९४२ तथा २६ अप्रैल १९४५ के बीच अभियुक्तोंने सिंगापुर मलाया, रंगून, पोपा तथा क्याकपाडौंगके आस पास तथा बरमाके अन्य स्थानोंमें सम्राटके विरुद्ध युद्ध छेड़ा। इसके अतिरिक्त लेफ्टिनेण्ट गुरुबख्शसिंह ढिल्लोंपर बर्मामें पोपा पहाड़ीके निकट ६ मार्च १९४५ या उसके आसपास चार व्यक्तियों—हरीसिंह, दुलीचंद, दरे दरियावसिंह तथा धरमसिंहको मार डालनेका और कप्तान प्रेमकृष्ण सहगल पर उपर्युक्त व्यक्तियोंकी हत्याको प्रोत्साहित करनेका अभियोग है। कप्तान शाहनवाज खां पर २९ मार्च १९४५ को या उसके आसपास तोपची मोहम्मद हुसैनकी हत्या के लिए खाजिनशाह और आयासिंहको प्रोत्साहित करनेका अभियोग है।"

तीनों अभियुक्तोंने प्रत्येक अभियोगके प्रति अपनेको "निरपराधी" बताया। इसके बाद उन्हें अपने वकीलोंके पास आगे पीछे बैठनेकी आज्ञा दी गयी। बैठने से पहले उन्होंने पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा पैरवी समितिके अन्य सदस्योंको सलामी दी।

मुकदमा स्थगित करनेकी प्रार्थना

इसके बाद श्री भूलाभाई देसाईने इस आशयका एक प्रार्थनापत्र पेश किया कि मुकदमा तीन सप्ताहके लिए स्थगित कर दिया जाय। इस प्रार्थना पत्रमें

अभियुक्तोंकी ओरसे यह कहा गया कि "५ अक्तूबरसे पहले हमें मनोच्छित कानूनी सलाह नहीं मिल सकी। साथ ही कानूनी, मौखिक और कागजी सबूतोंके विशाल समूहके कारण, जिन पर कि सफाई निर्भर करता है, हमारे लिए पिछले महीने महत्वकी सामग्री तौलने, छांटने आँकने और प्रमाण रूपमें सुपस्थित करने योग्य बनाना सम्भव नहीं हो सका इस कारण हम लोगोंने अपने वकीलको जो आदेश दिये हैं वे अधूरे हैं। अधिकांश महत्वके गवाह जिनमें लेफ्टिनेण्ट जनरल पर्सीवल, लेफ्टिनेन्ट कर्नल हण्टर (इंगलैण्डमें), सर्व श्री गोहो और राघवन (मलायामें), जनरल आनसांग (बर्मामें) तथा कतिपय जापानी अफसर तथा सफाईके ११२ गवाहोंमें से ८० से अधिकसे अभी बातचीत करना बाकी है।

इसके अतिरिक्त सफाईके लिए आवश्यक अत्यन्त महत्वके कागजातकी, जिनमें मलाया युद्ध सम्बन्धी फील्डमार्शल वेवलकी रिपोर्ट भी है, खोज करना और देखना है। और संयोजक अधिकारी तथा हम लोगोंके वकीलोंके कोशिशके बावजूद भी मुकदमेंकी सुचारु पैरवीके लिए प्रारम्भिक कार्य पूरा करना बाकी है।

हम लोगोंको २४ अक्तूबरको संयोजक अधिकारीने एक नया अभियोग पत्र, जिसमें काफी परिवर्तन है, तथा सात नये गवाहोंकी गवाहीका सारांश उस समय दिया जब हम लोग और हमारे वकील सफाईके गवाहोंसे बातचीत करनेमें लगे थे इस कारण उसे देखनेका हमें मौका नहीं मिला है।

इस मुकदमेंके अभूतपूर्व रूप और उसमें निहित कानूनके जटिल प्रश्नोंको देखते हुए तैयारीके लिए पर्याप्त समयकी आवश्यकता है। इन कारणोंसे मुकदमा तीन सप्ताहके लिए स्थगित कर दिया जाय।"

सफाईके वकील श्रीभूलाभाईने प्रार्थनापत्र पर जोर देते हुए कहा—"थोड़ा समय मिल जानेपर सफाई पक्ष सबूत तैयार करने और उसके आवश्यक तथा अनावश्यक अंशोंको अलग करनेमें समर्थ हो सकेगा। उससे अदालतके सम

की काफी बचत होगी। तीन सप्ताहका जो समय माँगा गया है वह कमसे कम है और सफाई पक्षने उसे कमसे कम रखनेकी चेष्टाकी है।"

सबूत पक्षके वकील सर इन्जीनियरने कहा—"अदालत यदि मुकदमा स्थगित करना चाहे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सबूत पक्षका इरादा किसी भी प्रकार सफाई पक्षको तङ्ग करनेका नहीं है। किन्तु मैं यह अधिक उचित समझता हूँ कि मेरे प्रारम्भिक भाषण और सबूतपक्षके प्रधान गवाहकी गवाहीके बाद, जो इस मामलेपर प्रकाश डालनेवाले अधिकांश कागजात पेश करेगा, मुकदमा स्थगित किया जाय। साथही मैं सफाई पक्षके वकीलोंसे अनुरोध करूँगा कि क्या मुकदमा स्थगित रखनेकी अवधि घटाकर १०–१५ दिन नहीं की जा सकती?"

श्री भूलाभाई देसाईने कहा—'हमें मुकदमेंके स्थगित होनेसे पहले सबूत पक्षके वकीलद्वारा मुकदमेंका श्रीगणेश किये जाने तथा गवाहके बयान लिये जानेमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु सफाई पक्षको कमसे कम तीन सप्ताहकी मुहलतकी आवश्यकता अनिवार्य रूपसे है।"

जज एडवोकेट कर्नल केरिनने अदालतकी वैधानिक स्थिति बतलाते हुए कहा—"भारतीय फौजी कानूनके अनुसार अदालतको समय समय पर स्थगित होनेका निसंदिग्ध अधिकार है। किन्तु कानून यह भी कहता है कि एक बार अदालतका कार्य आरम्भ हो जाने और अभियुक्तोंके पेश किये जानेके बाद, अदालतको अपनी कारवाई नित्य जारी रखनी चाहिए। इस बातपर सम्भवतः इसलिए जोर दिया गया है कि फौजी अदालत नागरिक अदालतसे इस अर्थमें भिन्न है कि नागरिक अदालत बारहो महीने काम करती है, लेकिन सैनिक अफसरोंको जो फौजी अदालतका निर्माण करते हैं, फौजी अदालतके बाहर भी काम करना पड़ता है। इसी कारण फौजी अदालतके मुकदमोंमें मुकदमा स्थगित करनेकी बात पसन्द नहीं की जाती। उचित न्यायका भी यह तकाजा है कि न्याय शीघ्र हो।

दूसरी ओर इस मामलेमें सफाईपक्षका कहना है कि उन्होंने अभीतक अपने

सबूतोंकी अच्छी तरह छानवीन नहीं की है। इस सम्बन्धमें मुझे कहना यह है कि सफाईकी ओरसे कई वकील हैं। उनके सम्बन्धमें कमसे कम मैं यह तो कह सकता हूँ कि उन्हें सबूतोंकी छानवीनमें अधिकाधिक परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसी अवस्थामें मैं उचित समझता हूँ कि यह कहूँ कि कुछ न कुछ मुहलतकी आवश्यकता तो होगी ही पर अदालत कितने समय तक स्थगित रहे इसका निर्णय आपको ही (अदालत) करना है।

एडवोकेट जनरलने यह सुझाव रखा है कि मुकदमेंको एकदम स्थगित न कर अदालत उनके प्रारम्भिक वक्तव्यको सुन और पहले गवाहका बयान ले ले तब मुकदमेंको स्थगित करे। एडवोकेट जनरलने यह भी कहा है कि इससे सफाई पक्षको भी लाभ होगा।"

इस अवस्थामें ५ मिनटके लिए अदालत उठ गयी। जब ५ मिनटके बाद पुनः बैठी तो अध्यक्षने घोषित किया कि—"अदालत एडवोकेट जनरलके प्रारम्भिक वक्तव्य सुनने और सबूतके पहले गवाहकी गवाही लेनेके बाद मुकदमें स्थगित करनेपर सहमत है। किन्तु कितने दिनके लिए मुकदमा स्थगित होगा, यह अभी अदालतने निश्चय नहीं किया है।"

एडवोकेट जनरलका वक्तव्य

इसके बाद एडवोकेट जनरल सर नौशेरवाँ पी० इञ्जीनियरने अपना वक्तव्य आरम्भ किया—

"अभियुक्तोंने आजाद हिन्द फौज कही जानेवाली सेनाके अफसरकी हैसियतसे उसकी ओरसे लड़ते हुए सम्राट्के विरुद्ध युद्ध किया है। आजाद हिन्द फौजमें अधिकांशतः भारतीय सेनाके सैनिक और अफसर थे। इसमें (क) सदर दफ्तर (ख) हिन्दुस्तानी फील्डग्रूप (ग) शेरदिल गुरिल्लादल (घ) विशेष सेवादल (ङ) गुप्तचर दल और (च) रीइनफोर्समेण्ट दल था। पहले हिन्द फील्डग्रूपमें सदर

दफ्तर, पहला, दूसरा और तीसरा इन्फैंट्र बटालियन, आई० ए० एफ० सी० बटालियन, एक तोपची दस्ता, नम्बर १ इञ्जीनियर कम्पनी, नम्बर १ सिगनल कम्पनी, नम्बर १ मेडिकल कम्पनी और नम्बर १ टी० पी० टी० कम्पनी थी। शेरदिल गुरिल्ला दलमें गान्धी गुरिल्ला रेजिमेंट, आजाद गुरिल्ला रेजिमेंट और नेहरू रेजिमेंट था।

नवम्बर १९४३ में श्री सुभाषचन्द्र बसुके सिंगापुर आनेके वाद, एक और गुरिल्ला रेजिमेण्ट बनाया गया और शाहनवाज उसके सेनानायक बनाये गये। गांधी, नेहरू और आजाद—तीनों रेजिमेंट मिलाकर एक डिवीजन बना दिया गया। पीछेसे दो डिवीजन और बनाये गये। एकमें कुछ भारतीय युद्धवन्दी थे और दूसरेमें पूर्णतया नागरिक ही थे। इन नागरिकोंमें अधिकांशकी भरती मलायामें हिन्द आजाद सङ्घने की थी।

१५ फरवरी १९४२ को सिङ्गापुरने जापानियोंको आत्मसमर्पण कर दिया। १७ फरवरीको बहुतसे युद्धबन्दी सिङ्गापुरके फरेर पार्कमें ले जाये गये। वहाँ एकत्र होनेवाले युद्धबन्दियोंमें १।१४ पञ्जाव रेजिमेंट और ५।१४ पञ्जाब रेजिमेंट था। वे सब कप्तान एम० जेड कियानीके (जो पीछेसे आजाद हिन्द सेनाके जी० ओ० सी० बन गये) सेनानायकत्वमें काम करते थे। इन अफसरों और सैनिकोंके सामने मेजर फ्युजीवारा नामक जापानी अफसरने व्याख्यान दिया।

फ्युजीवाराको जापान सरकारने भारतीय सेनाको जापानियोंकी ओर मिलानेका कार्य सौंपा था। उनके साथ कुछ भारतीय अफसर भी थे। उनमें एक १।१४ पञ्जाब रेजिमेंटके कप्तान मोहनसिंह भी थे। उन्होंने कहा—"हम लोग आजाद हिन्द फौज बनाने और भारतकी आजादीके लिए लड़ने जा रहे हैं। तुम सब लोग उसमें शामिल हो जाओ।" १ सितम्बर १९४२को आजाद हिन्द फौज बाकायदा बन गई।

कप्तान शाह नवाजखाँ ने, जो उस समय नीसन युद्धवन्दी शिविरके सेनानायक थे, २–३ सौ अफसरोंके सामने जिनमें वाइसराय कमीशनके अफसर भी थे, कहा-

बयान दिया और कहा कि कप्तान मोहनसिंहके सदर दफ्तरमें एक कान्फ्रेन्स हु
थी जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ है कि "हम सब लोग, विभिन्न धर्मावलम्बी हों
हुए भी भारतीय हैं और हम सबको भारतकी आजादीके लिए लड़ना चाहिये।'
इसके बाद उन्होंने उपस्थित रहनेवाले अफसरोंको आदेश दिया कि वे अन्य यु
बन्दियोंको प्रस्ताव समझायें।

जून १९४२ में बङ्गाकमें एक सम्मेलन हुआ। उसमें बहुतसे प्रतिनि
सम्मिलित हुए जिनमें भारतीय सेनाके विभिन्न रेजिमेंटोंके प्रतिनिधि भी थे। सम्
लनके सभापति श्रीरासविहारी बसु थे।

इस सम्मेलनमें जो प्रस्ताव पास हुए उनमें एक यह भी था कि आजाद हि
फौज कायम की जाय जो भारतकी आजादीके लिए लड़े और आजाद हिन्द स
उसके लिए रंगरूट, पैसा, राशन और वर्दीका प्रबन्ध करे और जापान सर
अस्त्र शस्त्र दे।

सिङ्गापुरके युद्धबन्दी शिविरोंमें बिदादरी शिविर, सेलाटार शिविर और करा
शिविर थे। अधिकांश भारतीय युद्धबन्दी आजाद हिन्द फौजमें यातना
कड़ाईसे बचनेके लिए भर्ती हुए। कहा यह गया कि अगर वे लोग आजाद हि
फौजमें भर्ती न होंगे तो यह सख्ती जारी रहेगी।

जो लोग आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होनेसे इनकार करते थे वे लोग एक
शिविरोंमें भेज दिए जाते थे। उन्हें या तो एकदम खाना नहीं दिया जाता था
बहुत ही खराब खाना दिया जाता था। चिकित्साकी व्यवस्था तो एकदम नहीं
जाती थी। उन्हें जमीनपर सुलाकर पाँच फुट लम्बे और दो इञ्च मोटे डण्डे
पीटा जाता था। उनसे कड़ी मेहनत ली जाती थी। उन्हें बिना कपड़े और बिस्त
ऐसी जगह सोना पड़ता था जो दीमकोंसे भरा होता था। युद्धबन्दियोंको ये यातनायें
भारतीय दिया करते थे जो स्वयं युद्धबन्दी थे और आजाद हिन्द फौजमें भ
हो गये थे।

अगस्त १९४२ में ५।१४ पंजाब रेजिमेंटके जमादार फतहखां और सूबेदार सिंघाड़ासिंह, १४ सशस्त्र सिखोंके साथ करंजी शिविरमें गये। वहां लगभग २०० मुसलमान युद्धबन्दी थे। उन लोगोंने उनसे आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होनेको कहा लेकिन उन युद्धबन्दियोंने अपना शपथ तोड़नेसे इनकार किया। इसपर उनपर गोली चलायी गयी जिससे कुछ लोग मारे गये। सिंघाड़ासिंहके साथ जो सिख आये थे उनमेंसे भी एक मारा गया। उनके चले जाने पर तीन जापानी और तीन आजाद हिन्द सेनाके अफसर आये और युद्ध बन्दियोंको समझाया कि आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होनेकी आज्ञा जापान सरकारने दी है उसे तो मानना ही पड़ेगा। फ़िर भी मुसलमान सैनिकोंने भर्ती होनेसे इनकार किया। तब वे लोग एकान्त शिविरमें भेज दिये गये जहां उन्हें मारा पीटा तथा सताया गया और सख्तीके साथ काम कराया गया।

इसी तरहकी घटना सितम्बर १९४२ में बिदादरी शिविरमें भी हुई। गुरखा सिपाहियोंने जब आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होनेसे इनकार किया तो उनपर गोली चलाई और संगीनोंसे हमला किया गया। अस्पतालमें भी घायलोंसे आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होनेको कहा गया।

दिसम्बर १९४२ में मोहनसिंह और जापानियोंके बीच झड़प हो गयी और जापानियोंने मोहनसिंहको गिरफ्तार कर लिया। बहुतसे भारतीय युद्धबन्दियोंने जो आजाद हिन्द फौजमें भरती हो गये थे, अपना बैज उतार फेंका।

फ़िर भी सदर दफ्तरके कुछ अफसर अपना बैज लगाये रहे। कप्तान मोहनसिंह की गिरफ्तारीके बाद प्रबन्ध समितिके बहुत कोशिश करने पर भी आजाद हिन्द फौजके अधिकांश अफसर उस फौजमें रहनेको तैयार नहीं हुए।

१० फरवरी १९४३ को प्रबन्ध समितिने भारतीय सेना और वाइसराय कमीशन प्राप्त सभी अफसरोंको बुलाया और उनसे कुछ प्रश्न पूछे। उनमें एक प्रश्न यह भी था कि—आप आजाद हिन्द फौजमें काम करनेको तैयार हैं

था नहीं ?" जिन अफसरों नकारात्मक उत्तर दिया उन्हें १३ फरवरीको रासबि बसुके सामने उपस्थित होनेका आदेश दिया गया।

उनके सम्मुख पेश किये जानेसे पहले इन लोगोंको एक छपा हुआ पर्चा गया, जिसे आजाद हिन्द संघकी कार्यसमितिके अध्यक्षकी हैसियतसे रासबि बसुने प्रकाशित किया था। इस पर्चेमें अन्य बातोंके साथ साथ यह भी कहा गया कि—"जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेनके विरुद्ध भारतकी लड़ाई नाजुक स्थाको पहुंच गयी है। महात्मा गांधीने तीन सप्ताहका अनशन भारत छोड़नेके अंग्रेजों पर दबाव डालनेके लिए किया है। इस प्रकार समझौतेको अन्तिम अस्वीकार कर दिया है। हमारा कर्त्तव्य स्पष्ट है। आपमेंसे कुछ लोग यह जानने उत्सुक होंगे उन लोगोंका क्या होगा जो आजाद हिन्द फौजसे अलग कर जायेंगे।

इस अवस्थामें जो लोग आजाद हिन्द फौजको छोड़ना पसन्द करेंगे उन खेद है कि हमारा कोई अधिकार न होगा। मैं न तो जापानियोंके सम्बन्धमें कह सकता हूं और न यही बता सकता हूँ कि वे लोग जिसके बन्दी हैं पसन्द करेंगे, वे किस तरह और कहां उनका उपयोग करेंगे। जो अप अपने निश्चय पर फिरसे विचार नहीं करना चाहत, उन्हें अपनी सेनासे मैं अ करूं इसके पूर्व अपना कारण बतानेके लिए मेरे सामने आज साढ़े ग्यारह हाजिर होना होगा।"

जनवरी १९४३ के बाद आजाद हिन्द फौजके लिए फिर भर्ती शुरू हुई बहुतसे युद्धबन्दी उसमें सम्मिलित हुये और बहुतसे सम्मिलित होनेके लिए ब किये गये।

जनवरी-फरवरी १९४३ में कप्तान शाहनवाज पोर्ट डिक्सनमें थे। वहां उन्हें युद्धबन्दी अफसरोंके सम्मुख एक भाषण किया जिसमें उन्होंने बताया कि "कप्तान मोहनसिंहको आजाद हिन्द सेना तोड़कर एक नयी आजाद हिन्द फौज बनायी

रही है। कोई भी युद्ध बन्दी इस आजाद हिन्द फौजमें भर्ती हो सकता है।" शिविर में होनेवाले दुर्व्यवहारोंकी ओर संकेत करते हुए उन्होंने यह भी कहा "यदि आप लोग आजाद हिन्द फौजमें भर्ती हो जांय तो आप लोगोंके साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा और अच्छा खाना दिया जायेगा।" उन्होंने उनसे यह बात युद्ध-बन्दियोंको समझानेको कहा और यह भी कहा कि जो लोग भर्ती होना चाहें उनकी सूची कैम्प कमाण्डेण्टको सिंगापुर स्थित सदर दफ्तरको भेजनेके लिए दे दें। लेकिन किसी व्यक्तिने भर्ती होनेकी इच्छा प्रकट न की।

अप्रैल १९४३ में शाहनवाजने पोर्ट स्वीटेनहममें एक और व्याख्यान दिया। इस अवसरके लिए एकत्र सभी युद्ध बन्दियोंके सम्मुख भाषण किया और उनसे ब्रिटिश लोगोंके भारतसे निकाल बाहर करनेके निमित्त आगे आनेको कहा। उन्होंने यह भी कहा कि आजाद हिन्द फौजमें उनकी तनख्वाह केवल जेब खर्चकी भांति होगी किन्तु भारत जब आजाद हो जायेगा तो उन्हें उनकी पुरानी तनख्वाह मिलने लगेगी। इस अवसरपर भी कोई आगे नहीं आया।

इसी प्रकारके प्रयत्नमें लेफ्टिनेण्ट ढिल्लों भी लगे हुए थे। एक बार जबवे जीतराकी सभामें बोल रहे थे उस समय मेजर धर उनके साथ थे। मेजर धरने, जो पहले बोले—कहा कि "आजाद हिन्द फौजका संघटन भारतकी आजादीके लिए भारतमें लड़नेके लिए ही किया गया है। यदि जापानियोंने कोई बेइमानी की तो हमलोग जापानके विरुद्ध लड़ेंगे। एकबार हमलोग हिन्दुस्तान पहुँच जाँय फिर तो हम जापानके विरुद्ध भी हथियार उठायेंगे।"

टेपिङ्ग शिविरके बन्दियोंके सम्मुख व्याख्यान देते हुये लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंने कहा कि "सिंगापुर और जीतराके सभी भारतीय युद्धबन्दी आजाद हिन्द फौजमें भरती हो गये हैं। आजाद हिन्द फौज ब्रिटिश लोगोंको भारतसे बाहर निकालनेके लिए लड़ने जा रही है। अगर आजाद हिन्द फौज असफल हो होजाय तो भी कोई डरनेकी

बात नहीं है। सारा दोष सीनियर अफसरोंके ऊपर आयेगा दूसरे श्रेणीके लोगों
सजा नहीं मिलेगी।"

अभियुक्तोंने जो कुछ किया और कहा उसका प्रभाव तत्कालीन अवस्था
सामने रखकर देखना चाहिये। मलाया और सिङ्गापुरमें ब्रिटिश सेनाका पतन
गया था। बन्दी शिविरोंमें युद्धबन्दियोंके साथ ऊपर बताये हुये ढङ्गसे व्यवहा
किया जाता था। भारतीय सिपाहियोंको बिना किसी ननुचके अपने अफसरों
अनुसरण करना सिखाया गया था। अभियुक्त लोग आजाद हिन्द फौजके
भरती करने गये और अन्य बातोंके साथ साथ अच्छे व्यवहारका वचन दि
आजाद हिन्द फौजमें भरती न होनेका मतलब भूख और यातना था। ऐसी अवस्
में आश्चर्यकी बात नहीं जो भारतीय सेनाके बहुतसे सैनिक आजाद हिन्द फौ
भरती हो गये विशेषतः ऐसी अवस्थामें जब कि उनके सामने अपने सीनियर अ
सरोंके आजाद हिन्द फौजमें भरती हो जानेका उदाहरण मौजूद था।

गवाहियोंसे पता लगेगा कि अभियुक्तोंने आजाद हिन्द फौजके लिए आद
भरती किया, आजाद हिन्द फौजके संघटनमें भाग लिया और सम्राटकी सेन
विरुद्ध लड़नेका आदेश और निर्देश किया और वस्तुतः उनके विरुद्ध स्वयं भी लड़े
ऐसा करनेमें दूसरोंके साथ मिलकर एक निश्चित योजना कार्यान्वित की और यु
छेड़नेके सम्मिलित निश्चयको पूरा किया।

उन ब्रिटिश हथियारोंसे ट्रेनिङ्ग दी गयी और लड़ाई लड़ी गयी, जिन्हें जाप
नियोंने हथिया लिया था। इन सिपाहियों और अफसरोंने अपनी वर्दी भारती
सेनाकी ही वर्दी रखी और उसीका इस्तेमाल किया। उसके ऊपर उन्होंने आजा
हिन्द फौजका बैज लगा लिया। इनमेंसे कुछ बैज गवाहीके समय पेश किये जायेंगे।

१९४२ में किसी समय, लेफ्टिनेण्ट नागसे, जो आजाद हिन्द फौजमें शामि
हो गये थे, कथित आजाद हिन्द फौजका कानून तैयार करनेको कहा गया और उन्हों
तैयार भी किया। यह कानून अधिकांशतः भारतीय सेना कानूनके अनुकरण प

था। उसमें केवल एक महत्वपूर्ण अन्तर था और वह यह कि सजाके रूपमें बेतकी सजा रखी गयी थी जो पहले प्रति सप्ताह ६ या उससे कम दी थी लेकिन कुल मिलाकर २४ से अधिक नहीं दी जा सकती थी। बादमें जून १९४३ में सिपाहियों और राष्ट्रीय कमीशनके अफसरोंमें घोर अननुशासन होनेपर बेतकी सजा देनेका अधिकार सेनाके कमाण्डरों और सेनाके ब्यूरोके डाइरेक्टरोंको दे दिया गया।

१९४३ के जनवरीमें या उसके लगभग एक प्रबन्ध समिति बनी जिसका मुख्य सम्बन्ध युद्धबन्दियोंकी प्रबन्ध सम्बन्धी आवश्यकताकी पूर्तिसे था। इसी कमेटीने प्रचार सम्बन्धी व्याख्यान आरम्भ किया। १९४३ की मईके आसपास मिलिटरी ब्यूरोका डाइरेक्टरेट बना। सहगल सेनासचिव और शाहनवाज जनरल स्टाफके प्रधान थे।

२१ अक्तूबर १९४३ को सिङ्गापुरमें आजाद हिन्द सेनाके व्यक्तियों और नागरिकोंकी बृहद सभा हुई। सुभाषचन्द्र बसुने, जो वहाँ आये थे भाषण किया। उन्होंने स्वतन्त्र भारतके अस्थायी सरकारकी स्थापनाकी घोषणाकी, जो आजाद हिन्द फौज द्वारा विजित प्रदेशपर शासन करेगी। उन्होंने आजाद हिन्द सरकारके मन्त्रियोंके नामकी भी घोषणाकी। उनमें कप्तान शाहनवाज खाँका भी नाम था। ३० अक्तूबर १९४४ को अस्थायी सरकारकी एक युद्धसमिति बनानेका निश्चय हुआ। इस बातकी घोषणा करनेवाले विज्ञप्तिकी एक प्रति कप्तान सहगलके मार्फत लेफ्टिनेण्ट नागके पास प्रकाशनार्थ भेजी गयी।

मार्च १९४५ के आते आते आजाद हिन्द फौजके कितने ही अफसर और सैनिक सम्राटकी सेनामें जाने लगे। इसे रोकनेके लिए सुभाषचन्द बसुने इस आशयकी आज्ञा जारी की कि "भविष्यमें आजाद हिन्द फौजके प्रत्येक सदस्यको—अफसर, राष्ट्रीय कमीशन प्राप्त अफसर अथवा सिपाही— आजाद हिन्द फौजके किसी दूसरे सदस्यको चाहे वह किसी श्रेणीका क्यों न हो, भीरुता दिखानेपर गिरफ्तार करने तथा दगा करने पर गोली मार देनेका अधिकार होगा।"

इस मुकदमेका सबूत जबानी और कागजी दोनों तरहका होगा। समय स
पर बरमास्थित ब्रिटिश सेनाके हाथ बहुतसे कागजात लगे। ये कागजात अ
स्थानपर भेज दिये गये और वहाँसे वे दिल्ली स्थित सदर दफ्तरमें आये और स
पक्ष उन्हें पेश करनेमें समर्थ हो सका है। इन कागजोंपर अभियुक्तोंके हस्ताक्षर है

जिन कागजोंपर कप्तान शाह नवाजके हस्ताक्षर हैं उनमें एक पत्र है जि
उन्होंने अगस्त १९४३ में आजाद हिन्द फौजके डिवीजन नम्बर १ के स
दफ्तरको बर्मामें भारतीय सिपाहियोंके स्वागत एवं उनकी व्यवस्था करने
योजनाके सम्बन्धमें लिखा था। इस पत्रमें वर्ष अगस्त ८०३ लिखा है
जापानी वर्ष २६०३ को प्रकट करता है।

इस योजनामें बताया गया है कि 'जब भारत-बर्माकी सीमापर कार
आरम्भ हो जायेगी तो कुछ भारतीय सिपाही हमारी ओर चले आयेंगे और कु
युद्धके समय आत्मसमर्पणके लिए विवश किये जायेंगे। भाषा आदिकी कठिनाई
कारण अगले पाँतके जापानी सैनिकोंके लिए उनमें अन्तर करना और आदमियों
साथ चतुरतापूर्वक व्यवहार करना कठिन होगा। प्रचारका प्रभाव अच्छा पड़े इसलि
इन आदमियोंके साथ व्यवहारमें हमें सतर्क रहना होगा। उन आदमियोंको ह
तीन वर्गोंमें विभाजित करना चाहिये—वे लोग जो हमारे आन्दोलनसे परिचित ह
और हमारे साथ सम्मिलित होने आये हैं; वे लोग जो हमारे आन्दोलन
परिचित नहीं है पर हमारे साथ सम्मिलित होनेको तैयार हैं और वे लोग
आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित होनेको तैयार नहीं हैं। पहले दो वर्गोंके लोगों
संघटित करना और उन्हें शस्त्र आदिसे लैस करना होगा और तीसरे वर्गके लोगों
युद्धबन्दीके रूपमें जापान सरकारके हवाले कर देना चाहिये।'

५ सितम्बर १९४४ को आजाद हिन्द फौजका एक आज्ञापत्र जारी हुआ। व
युद्धसचिवकी हैसियतसे कप्तान सहगलके निर्देशसे प्रकाशित हुआ था। उसमें
आजाद हिन्द फौजके सदस्योंको आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारकी ओरसे दि

नेवाले सम्मानोंका उल्लेख है। उनमें एक पुरस्कार 'तमगा-ये-शत्रुनाश' भी था, आजाद हिन्द फौजके उन लोगोंको दिया जाता जो किसी ब्रिटिश या अमेरिकन फसर या किसी अन्य पदाधिकारीको मार डालने या जिन्दा पकड़कर लानेमें त्परता और विशेष वीरता प्रकट करते।

२ अप्रैल १९४५ को कप्तान शाहनवाजने मेजर कावावाराको यह सूचना भेजी टेलीफोनके तार काट डाले गये हैं और लेगीके मोर्चेपर शत्रुके टैङ्क, सशस्त्र-मोटर और लारीवाले सैनिकोंकी कारवाई जारी हो गयी है।

१० अप्रैल १९४५ को, शाहनवाजने आजाद हिन्द फौजके यूनिट नम्बर ०५,७४७ और ८०७ के नाम यह आज्ञा जारीकी कि रेजीमेंटोंको विस्तृत क्षेत्रमें ल जानेके कारण डिवीजनोंके सदर दफ्तरसे सम्बन्ध बनाये रखना आसान न गा इसलिए डिवीजनके कमाण्डरने प्रधान सेनापतिकी आज्ञासे सभी रेजिमेंटके मारण्डरोंको अनुशासन भङ्ग करने, द्रोह करने या भाग जाने अथवा अन्य भयङ्कर पराधोंके अपराधियोंको कोई भी सजा, जिसमें मृत्यु भी है, देनेका अधिकार दान किया है।

कप्तान शाह नवाजकी १९४४ और १९४५ की डायरी भी सबूत पक्षके हाथ गी है. ये डायरी कप्तान शाहनवाजकी हस्तलिपिमें हैं। १९४४ की डायरीसे पता गता है कि २७ जनवरी १९४४ को निप्पन (जापानी) सेनाके प्रधान सेनापतिसे तान शाहनवाज मिले और भारतकी ओर कूच करनेकी आज्ञा प्राप्त की। २ रवरी १९४४ को उत्तरी बरमाके प्रधान सेनापति जनरल मोरोगुमीसे मिले, जो हुत ही सहृदय थे और उन्होंने आजाद हिन्द फौजको पूरी सहायता देनेका चन दिया।

शाहनवाजकी डायरीमें ३० मार्चकी तारीखमें लिखा है कि—"बूबी केनेडी चोटीसे लौटकर वापस आया। उसकी रिपोर्ट दुःखद है। जापानी लोग आजाद न्द फौजके रेजिमेंट ... मैं आज इस मामलेमें

किमेवारीसे मिलने हाक जा रहा हूँ। समझमें नहीं आता, इन सब एकाङ्गी का नतीजा क्या होगा।

डायरीके ४ अप्रैल १९४४ के लेखसे पता लगता है कि शाहनवाज डिवीजनके कमाण्डरसे मिले थे जिसका काम वदल दिया गया था और इम्फलकी लड़ाईमें भाग लेने जारहा था। डायरीसे पता लगता है कि डि कमाण्डरने उन्हें इस युद्धमें अपना कार्य चुननेका मौका दिया और उन्होंने इ पर आक्रमण करना चुना।

७ जुलाई १९४४की डायरीमें लिखा है—"किमेवारी आज्ञा लेने दफ्तर गये। आदमियोंको कोई राशन नहीं मिला। ४ गढ़वाली भूखों मर मैंने और रामस्वरूपने हिकारी कीकनसे राशनके बारेमें कुछ करनेको कहा। वे इसकी परवाह करते नहीं जान पड़ते। मेरे आदमियोंको इस तरह भूखा मार के पीछे क्या मंशा है, समझमें नहीं आता।"

१४ जुलाई को लिखा है—'भूखके मारे आदमी मक्खियोंकी तरह म हैं और कुछ लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं फिर भी जापानी लोग कुछ भी यता नहीं दे रहे हैं।" ८ अगस्त को लिखा है—"यूवासे किमेवारीका उत्तर पारा लौट आया। उनकी ओरसे रूपये अथवा अन्य प्रकारकी सहायताका प्रवन्ध नहीं हुआ। उनका कहना है कि तेराँमें हमारे जो आदमी बीमार है आत्महत्या कर लेना चाहिये।"

१९४५ की डायरी भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। २१ फरवरीको लिखा है कि "मैं आज रातको मोर्चेपर जा रहा हूँ और आधीरातको पोपाकी ओर रवाना गया। नेताजी मुझे पहुँचाने आये थे।" नेताजीका मतलब सुभाष चन्द बसुसे २२ फरवरीको लिखा है—"मैं ५ वजे पडाङ्ग पहुँचा और इन्दो गाँवमें लेफ्टि ढिल्लों और हागिरसे मिला। एक वटालियनने आत्मसमर्पण कर दिया और दि वटालियन घेर लिये गये हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेण्ट ढिल्लों पोपा गये और सात

हमलोग रियाज और सहगलसे मिले ।" २३ फरवरी १९४५ को लिखा है—"मुझे 'साकू वूतल'की आज्ञा मिली कि शत्रुको इरावदीके उस पार खदेड़ दिया जाय। मैं रक्षा पाँतकी ओर गया और सब अफसरोंको समझाया और सहगल और ढिल्लों कारवाईकी आज्ञा दी ।" उसमें यह भी लिखा था कि 'मुझे रियाज, मदन, सरवर और देके भाग जानेकी खबर मिली। यह बहुत ही बुरी बात है ।"

१८-४-१९४५; "ब्रिटिश सेनाने तांगविंङ्गलीपर कब्जा कर लिया है । जापानी और आजाद हिन्द सेना प्रत्याक्रमण कर रही है ।"

१९-४-१९४५; "मागवेमें ब्रिटिश तोपों और कैरियरोंने मोर्चा तोड़ दिया है और कोई संघटित प्रतिरोध नहीं किया जा सकता ।"

४-५-१९४५ ; दिनमें एक झोपड़ेमें सोया । दिन भर पानी बरसता रहा । जापानियोंने हमें एक दम लड़खड़ाती हुई अवस्थामें छोड़ दिया है। खुद भागे जा रहे हैं और हमारी चिन्ता नहीं कर रहे हैं ।

५-५-१९४५ ; जापानियोंके लिए आजाद हिन्द सेनाका अब कोई उपयोग नहीं है और सभी सम्पर्क स्थापित करनेवाले अफसर प्रोम बुला लिये गये हैं और फौजका अनुशासन भङ्ग और नैतिक पतन हो गया है ।

१३-५-१९४५ ; ब्रिटिश सेना सम्बन्धी पूरा विवरण प्राप्त हुआ। ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग एक दम कट गये हैं । भागनेका कोई रास्ता नहीं है। १९ बजे गाँव छोड़कर एक जङ्गलकी ओर गया वहाँ सैनिकोंकी पूरी स्थिति समझायी और युद्धबन्दी हो जानेका निश्चय किया ।"

शाह नवाजकी डायरीमें अन्तिम लेखकी तारीख १७मई १९४५है—"१६।१७ मईकी आधी रातको सितपिंजले नामक गाँवमें घुसनेपर २।१ पंजाब रेजिमेंटने १५ गजकी दूरीसे बुरी तरह हमपर गोलियाँ बरसायीं। नागरिक पथ-प्रदर्शक मारा गया । मेरा वैद्य खो गया । सारी रात जङ्गलमें बितायी । ८ बजे [illegible] पर सारा

रास्ता बन्द पाया। १८ बजे २।१ पंजाब रेजिमेंटने पकड़ लिया और पेगूके जनल सदर दफ्तर और फिर जेल ले जाया गया।"

सहगल या केरके दस्तखती कागजात निम्नलिखित हैं—९ फरवरी १९४ सहगलने प्रत्येक दस्तेको आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति की हैसि सुभाषचन्द्र वसुकी दी हुई आज्ञा भेजी थी इसमें सभी दस्तोंके कमाण्डरोंसे कहा था कि फौजको अपने कमाण्डमें परेड कराकर अराकानके मोर्चेके बारेमें सभी विवरणसे परिचित करायें। इस विशेष आज्ञामें यह भी कहा गया कि 'चिरप्रतीक्षित दिल्लीकी यात्रा, आरम्भ हो गयी है। पूर्ण निश्चयके साथ लोगोंको यह यात्रा तब तक जारी रखनी चाहिये जब तक कि तिरंगा राष्ट्रीय जो अराकानकी पहाड़ीपर फहरा रहा है बाइसराय भवन पर न फहराने लगे आप लोग अपने विजयकी परेड दिल्लीके प्राचीन लालकिलेमें न करें। आप नारा 'दिल्ली चलो' बनायें।"

कप्तान सहगलकी डायरीमें एक जगह लिखा हुआ है कि "मेरा काम पहाड़ीकी रक्षा करना होगा।" १७ फरवरीको उन्होंने लिखा है कि " इरावदी नदीको ढिल्लोंवाले मोर्चेके पास पार कर लिया है। उनके रेजिमेंटका खातमा हो गया। कोई अनुशासन नहीं रह गया। नैतिक पतन भी हो है। २२ फरवरीको लिखा है—"अजीजके स्वस्थ होनेतक डिवीजनके लनका भार अस्थायी रूपसे शाहनवाजखाँ ने लिया है। १ मार्च १९४ लिखा है—"मोर्चेपर न जानेके अपराधमें मुझे एक अफसरको मृत्युद आज्ञा देनी पड़ी। विवशता है, मानव जीवनकी बरबादी है।" २ लिखा है—"ये अफसर अभी तक नहीं लौटे। निश्चित है वे लोग जा मिले हैं—दगाबाज सुअर। अब मैं एक दम निर्दय बन जाऊँगा। मैंने जारी कर दी है कि कोई भी सन्दिग्ध अवस्थामें पाया जाय तो उसे तत्काल मार दी जाय।" १४ मार्च १९४५ को लिखा है—"ढिल्लोंका समाचार

सके साथी वीरता प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने एक पहाड़ी पर तीन बार आक्रमण किया और उसपर अधिकार कर लिया। फलस्वरूप ३०० शत्रु मारे गये ; पर उनकी ओरके भी बहुत अधिक लोग मारे गये।" अन्तिम बार २८ मार्चको डायरी लिखी गयी जिसमें लिखा है—"वेलांगसे कतीन जानेवाली सड़क की रक्षाके लिए केवल एक कम्पनी रक्खूँगा और शेष बटालियनको ढिल्लोंकी सेनाके आनेतक पोपेवा क्षेत्रमें छोड़ दूँगा।"

कप्तान सहगलने २८ अप्रैल १९४५ को आत्मसमर्पण कर दिया।

जहाँ तक अभियुक्तोंका सम्बन्ध है, सम्राट्के विरुद्ध युद्ध करनेकी अन्तिम अवस्था क्याक, पडाङ्ग और पोपाक्षेत्रमें थी। तीनों अभियुक्त उस समय उस क्षेत्रमें थे और सम्राट्की सेनाके विरुद्ध लड़ रहे थे।

आगे एडोकेट जनरलने इन अभियुक्तों द्वाराकी गयी छोटी मोटी कारवाइयोंका उल्लेख किया। पश्चात हत्याके अभियोगके सम्बन्धमें कहा—"लेफ्टिनेण्ट ढिल्लों पर चार सिपाहियोंकी हत्याका और कप्तान सहगलपर उन हत्यायोंके लिये भड़कानेका अभियोग है। वे सब सिपाही आजाद हिन्द फौजके थे। उसके पहले वे भारतीय सेनाके सिपाही थे। सहगलने उन चारों सिपाहियोंको गोली मारनेका आदेश दिया और लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंने उन्हें ६ मार्च १९४५ को गोली मरवा दिया। इसे साबित करनेके लिए जबानी शहादत भी होगी कि ६ मार्च १९४५ को चार आदमी जिनके हाथ पीछे हो और बँधे थे, एक खाईमें लेकर बैठाये गये। लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंने कहा कि खाईमें बैठे हुये चारों आदमियोंने ब्रिटिश सेनामें भाग जानेकी कोशिशकी थी पर गश्त करनेवाले एक दलने उन्हें पकड़ लिया और ले आये। उन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया है। उसके बाद गोली मारनेके लिए तैयार होने वालोंको आगे आनेको कहा। तीन आदमी—लेफ्टिनेण्ट नायक हिदायतउल्ला, एस० जी० कालूराम और नायक शेरसिंह आगे आये। हिदायतउल्ला और कालूरामके पास राइफल और शेरसिंहके पास पिस्तौल थी। इसके बाद लेफ्टिनेण्ट

ढिल्लोंने खाईमें बैठे पहले आदमीको पुकारा और कहा कि यह आदमी अधिकारियोंसे सम्बन्ध स्थापित करते हुये पकड़ा गया है, इसलिए इसे गोल जा रही है।" उस आदमीने कहा—"मुझे कुछ कहना है।" लेफ्टि ढिल्लोंने कहा कि कोई बात नहीं सुनी जायेगी। इसके बाद गोली मारनेकी दी और उन लोगोंको गोली मार दी गयी। चारो आदमी जमीनपर गिर ग मरे नहीं। लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंने शेरसिंहको उन सबको पिस्तौलसे मारनेका दिया और शेरसिंहने उसका पालन किया।

इसी प्रकार एडवोकेट जनरलने शाहनवाज खाँके विरुद्ध खाजिनशाह आयाशाह द्वारा तोपची मुहम्मदहुसेनकी हत्या करानेका अभियोग ब अन्तमें कहा—

"यदि अभियुक्त भारतीय दण्ड विधानके किसी सामान्य या विशेष वाद या प्राविजोपर निर्भर करते हैं तो भारतीय साक्षी कानूनकी धारा १ अनुसार उन अपवादों अथवा प्राविजोके अन्तर्गत मामलेको रखनेवाली प तियोंको प्रमाणित करानेका भार अभियुक्तो पर होगा अन्यथा अदालत परिस्थितियोंके अभावको ही मानेगी। सबूत पक्षका तो यही कहना है कि ऐसी दलील कि उन्होंने जो कुछ किया वे कानून द्वारा करनेको बाध्य थे अ न्यायपूर्ण थी, उन्हें नहीं बचा सकती।

विद्रोहियोंके साथ किसी विद्रोह कार्यमें सम्मिलित होने या शत्रुके साथ शत्रुताके कार्यमें सहयोग करनेसे आदमी विश्वासघाती अथवा राजद्रोही हो राजद्रोहके कार्यसे न तो किसीको किसी प्रकारका अधिकार मिल जाता और वादके कार्योंके अपराधके उत्तरदायित्वसे बचा सकता है। भलेही वह कार्य आदेशपर किया गया हो। जहाँ आदेश राजद्रोहात्मक हो वहाँ उसका भी राजद्रोह है। अभियुक्तोंने जो कुछ किया उसका समर्थन कानूनकी यह कहकर नहीं कर सकते कि उन्होंने यह कार्य आजाद हिन्द

कानूनके अन्तर्गत किया। उस कानूनके अन्तर्गत दी जानेवाली आज्ञा इस अदालत अथवा निसन्देह भारतके किसी अन्य अदालत द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती। इस प्रकारके अधिकारकी कल्पना आरम्भसे ही गैरकानूनी है। इस कानूनके अन्दर बनायी गयी कोई अदालत या अधिकार, देशकी अदालतमें निहित विश्वासके विरुद्ध होगा। जिन लोगोंने उस काररवाईको किया या उसमें भाग लिया, वे स्वयं ही राज्यके विरुद्ध अपराधोंके अपराधी थे। आजाद हिन्द फौजके कानूनके अन्तर्गत अथवा उसके द्वारा स्थापित किसी अदालत अथवा अधिकारीकी आज्ञाका कोई आधार नहीं है। वे किसी भी व्यक्तिको जिसने ऐसी आज्ञा दी अथवा जिसने उसका पालन किया नहीं बचा सकते।"

पश्चात् अदालत लंचके लिए उठ गयी।

सबूत पक्षकी शहादत

लंचके बाद जब अदालत पुनः बैठी तो मिलिटरी प्रासीक्युटर लेफ्टिनेण्ट कर्नल पी० वाल्शने सबूतके रूपमें तीनों अफसरोंके भारतीय सेनामें भरती होनेसे सम्बद्ध कागजातको पेश किया। 'गजट आव इण्डिया' की वे प्रतियाँ, जिनमें अभियुक्तोंका कमीशन घोषित किया गया था और १९४१ और १९४५ की सेना-सूची, यह दिखानेके लिए कि वे लोग उन वर्षोंमें किस सेना सम्बद्ध थे, पेश किया।

पहले गवाह—लेफ्टिनेण्ट नाग

पश्चात् सबूतपक्षके पहले गवाह लेफ्टिनेण्ट डी० सी० नागका बयान हुआ। उन्होंने कहा—"मैं बङ्गालके जूनियर सिविल सर्विसमें अगस्त १९२० में भर्ती हुआ और १९३४-३५ में प्रथम श्रेणीका मैजिस्ट्रेट बनाया गया। फरवरी १९३८ में वायुसेनामें मुझे कमीशन मिला। जापानके साथ युद्ध आरम्भ होनेपर मैं

फरवरी १९४१ में एक्टिव सर्विसपर नियुक्तकर पेनाङ्ग भेज दिया गया। बाद ५ मार्च १९४१ को सिङ्गापुर पहुँचा। सिङ्गापुरके पतनसे पहले फरवरी १९ एक हवाई हमलेमें मैं घायल हो गया था और अस्पतालमें भरती किया बादमें मैं युद्धबन्दी बनाकर युद्धबन्दी शिविरमें भेज दिया गया। युद्धबन्दी शि ही मैंने सुना कि भारतको ब्रिटिश शासनसे मुक्त करनेके निमित्त लड़नेके 'आजाद हिन्द फौज' बनानेकी कोशिश की जा रही है और बनायी गई आजाद हिन्द फौजके कुछ अफसर शिविरमें व्याख्यान देने आए और बं उस आन्दोलनमें सम्मिलित होनेको कहा। मैं केवल अगस्त १९४२ व्याख्यानमें सम्मिलित हुआ। इससे पहले एक तो मैं बीमार था दूसरे मुझे आन्दोलनमें दिलचस्पी नहीं थी इस कारण मैं व्याख्यानोंमें सम्मिलित नहीं

मैं पहली वार अगस्त १९४२ में कप्तान शाह नवाजसे अपनी आँखकी कराकर चश्मा लेनेके सम्बन्धमें मिला। इसके बाद अगस्त १९४२ में एक दि मैं शिविरके दफ्तरके निकटसे जा रहा था, कप्तान मोहनसिंह जिनके साथ हिन्द फौजके कुछ और अफसर थे, मुझे बुलाया। इन अफसरोंमें कप्तान नवाजखाँ भी थे। जब मैंने उन लोगोंको बताया कि आई० ए० आर० में भरती होनेसे पूर्व मैं बङ्गालमें मजिस्ट्रेट था, तब मोहनसिंह ने कहा कि 'मुझे तु जरूरत है।' और मुझसे फिर मिलनेको कहा। उसके बाद दो दिन तक कप्तान मोहनसिंहसे मिलनेकी कोशिश की, किन्तु वे व्यस्त थे इस कारण मैं न मिल सका। बादमें मैं आजाद हिन्द फौजके कानूनी विभागमें नियुक्त कर गया। मुझे कप्तान माथुरके साथ आजाद हिन्द फौजका कानून बनानेकाकाम गया और मैंने उसे तैयार किया।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या मैं समझ लूँ कि आवश्यकता होनेपर आ हिन्द फौज कानून पेश किया जायेगा?

एडवोकेट जनरल—हमारे पास एक प्रति है।

श्री भूला भाई देसाई—पर उसे पेश तो करना पड़ेगा।

इस अवस्थामें एडवोकेट जनरलने आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति कप्तान मोहनसिंहके हस्ताक्षरसे १९४२ में जारी किये गये उन आज्ञाओंको पढ़कर सुनाया जिनमें तीनों अभियुक्तोंकी पदवृद्धिकी गयी थी। आपने आजाद हिन्द फौजके जनरल स्टाफके प्रधान कप्तान एम० जेड० कियानीकी वह आज्ञा भी पढ़कर सुनायी जिसमें सुदूरपूर्वके उन भारतीय युद्धवन्दी अफसरों और सैनिकोंकी आजाद हिन्द सेना बनानेका उल्लेख था, जिन्होंने आजाद हिन्द संघको अपनी सेवायें अर्पितकर दी थी। यह अगस्त १९४२ के पहले जारीकी गयी थी। इसमें आजाद हिन्द फौजके संघटनका विस्तृत उल्लेख है और अफसरोंकी ट्रेनिंग और आजाद हिन्द फौजके अधिकारियोंका जिक्र है। गवाहने इन कागजोंके हस्ताक्षरोंकी शिनाख्त की।

गवाह—आजाद हिन्द फौजमें हिन्दुस्तान फील्ड ग्रूफ, गुरिल्ला ग्रूप, स्पेशल सर्विस ग्रूप, गुप्तचर विभाग और रीइन्फोर्समेंट विभाग था।

एडवोकेट जनरल—क्या आप जानते हैं कि सितम्बर १९४२ में आजाद हिन्द फौजकी शक्ति कितनी थी?

गवाह—हाँ, लगभग १०,०००।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या गवाहको ठीक-ठीक सूचना है?

एडवोकेट जनरल—इसके सम्बन्धमें आपकी निजी जानकारी क्या है?

गवाह—सरकारी तौर पर तो नहीं जानता पर कम-अधिक यह सभी जानते हैं कि सितम्बर १९४२ के आरम्भमें उसकी शक्ति १०,००० थी।

एडवोकेट जनरल—यह आपकी अपनी जानकारी है या लोगोंने आपको बताया?

गवाह—मेरी अपनी जानकारी है।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं चाहता हूँ कि गवाह जो कुछ जानते हैं; कुछ उन्होंने सुना है, दोनोंको एकमें न मिलायें।

गवाह—आजाद हिन्द फौजकी आधी सेना सशस्त्र थी।

जज एडवोकेट—यह आप अपनेसे जानते है या किसीने आपसे क

गवाह—यह मैंने सुना था।

जज एडवोकेट—आपको वही कहना चाहिये, जो आप जानते हो, सुनी सुनाई बातें नहीं। यह आपने इसे गैरसरकारी तौरपर जाना होगा, कि आपकी कुछ निजी जानकारी भी तो होगी ?

गवाह—यह सभी जानते थे।

जज एडवोकेट—अपनी बातोंको वहीं तक सीमित रखिये जहाँतक आ जानते हों सुनी सुनाई बातें मत कहिये। भूतपूर्व मजिस्ट्रेटके नाते यह समझना चाहिये।

एडवोकेट जनरल—आजाद हिन्दके पास कौनसे हथियार थे ?

गवाह—राइफल, संगीन, पिस्तौल, थोड़ेसे आरमर्डकार और कैरियर।

एडवोकेट जनरल—क्या यह सब हथियार आजाद हिन्द फौजको ने दिये थे ?

गवाह—नहीं।

एडवोकेट जनरल—तब फिर आजाद हिन्द फौजके पास ये हथियार आये ?

गवाह—अंग्रेजी सेनाके हथियार थे।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं इसपर आपत्ति करता हूँ। पहले मैं यह चाहता हूँ कि गवाहको इसकी व्यक्तिगत जानकारी है या नहीं।

जज एडवोकेट—यह आपकी निजी जानकारी है ?

गवाह—हथियारको मैंने स्वयं देखा । वे सब ब्रिटिश हथियार थे ।

श्री भूलाभाई देसाई—मेरी आपत्ति कारवाईमें देर करनेके लिए नहीं वरन् मैं केवल वही बात कहलाना चाहता हूँ जिसकी उन्हें जानकारी है ।

एडवोकेट जनरल—आजाद हिन्द फौजकी वर्दी क्या थी ?

गवाह—उनकी वर्दी भारतीय सेनाकी वर्दी थी जिसपर आजाद हिन्द सेनाका बैज था ।

आजाद हिन्द सेना द्वारा समय समयपर पहने जानेवाले बैज पेश किये गये और सफाईके वकीलोंको दिखाये गये । जब एक अभियुक्तने अदालतको बैज वापस किया तो जज एडवोकेटने कहा—"अभियुक्तोंको अपनी जगहपर बैठा रहना चाहिये । अदालतको बैज वापस करना उनका काम नहीं है ।"

आगे गवाहने कहा—मैं थोड़े दिन बाद आजाद हिन्द फौजसे अलग होगया और मुझे फिरसे उसमें शामिल होनेको विवश किया गया और मैं आजाद हिन्द फौजका जज एडवोकेट जनरल बना दिया गया ।

इस अवस्थामें कई कागजात पेश किये गये जिनमें एकसे ज्ञात होता है कि आजाद हिन्द फौजका कमाण्ड सिंगापुरमें सुभाषचन्द्र बसुने अपने हाथमें ले लिया था ।

एडवोकेट जनरल—"क्या आपको याद है कि अगस्त १९४४ में एक कान्फ्रेंस सिंगापुरमें हुई थी ?"

गवाह—हाँ ।

एडवोकेट जनरल—जब कप्तान मोहनसिंह आजाद हिन्द फौजके सेनापति थे उस समय एक कार्यसमिति थी ।

गवाह—हाँ, उसमें अध्यक्ष रासबिहारी बसु, तीन नागरिक–श्री मेनन, श्री राघवन और श्री गुहा, तीन सैनिक–कप्तान मोहनसिंह, लेफ्टिनेण्ट कर्नल जिलानी और लेफ्टिनेण्ट भोंसले थे। दिसम्बर १९४२-४४ में कप्तान मोहनसिंह गिरफ्तारकर लिये गये।

जज एडवोकेट—यह आपकी निजी जानकारी है?

गवाह—हाँ, उसके बाद आजाद हिन्द फौज टूट गयी। कप्तान मोहनसिंहके आदेशानुसार आजाद हिन्द फौजके कागजात और बैज नष्टकर दिये गये। कप्तान मोहनसिंहकी गिरफ्तारीके बाद ही एक सप्ताह (या इसीके लगभग) के अन्दर एक प्रबन्ध-समिति बनायी गयी जिसमें लेफ्टिनेण्ट कर्नल भोंसले (अध्यक्ष), कैप्टेन जिलानी, कर्नल लोकनाथन् और मेजर प्रकाशचन्द्र थे। कमेटीने पहले आज्ञा जारी की जिसमें कहा गया कि वह अनुशासन कायम रखनेके लिए बनायी गयी है। इस आज्ञाके बाद ही व्याख्यानकी काररवाई आरम्भ हुई और सीनियर अफसरोंने विभिन्न शिवरोंके अफसरों और आदमियोंके बीच व्याख्यान दिया।

जज एडवोकेट—यह आपकी राय है।

गवाह—यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। पहली आज्ञामें कहा गया था कि उसका उद्देश्य अनुशासन कायम करना और सेनाकी व्यवस्था करना है। उसके बाद आजाद हिन्द फौजके आदमियोंकी राय जाननेके लिए कि वे लोग आजाद हिन्द फौजमें रहना चाहते हैं या नहीं; व्याख्यानोंका आयोजन किया गया। मैं स्वयं दो या तीन व्याख्यानोंमें शामिल हुआ। उनमेंसे एक रासबिहारी बसुका और दूसरा लेफ्टिनेण्ट कर्नल चटर्जीका था। ये व्याख्यान १९४३में हुये थे। इन व्याख्यानोंका आशय हम लोगोंसे आजाद हिन्द फौजको जारी रखनेका अनुरोध करना था, क्योंकि उसका उद्देश्य महान् है अर्थात् भारतके लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करना है और यह बताना था कि कप्तान मोहनसिंहकी गिरफ्तारीका सैनिक भी प्रभ

नहीं पड़ा है। दूसरी बात यह कही गयी कि यदि हम अपना अस्तित्व कायम नहीं रखते तो बहुत कठिनाई होगी क्योंकि जापानी लोग हमें पुनः बन्दीके रूपमें लेनेको तैयार नहीं है।" इसके बाद अफसरोंसे राय पूछी गयी कि उसके बारेमें उन लोगोंका क्या ख्याल है। अधिकांश अफसरों की राय थी कि आजाद हिन्द फौजको जारी न रखा जाय और उन्होंने खुलेआम व्याख्यानोंकी आलोचना भी की। इसके बारेमें रासबिहारी बसुसे साफ साफ कह भी दिया गया। दोनों व्याख्यानोंमें, जो मैंने सुने, सेनाद्वारा विद्रोही प्रदर्शन करनेका उल्लेख था। जनवरी या फरवरी १९४३ के आरम्भमें अफसरोंके सामने एक प्रश्नावली रखी गयी और उसका उत्तर देनेको कहा गया। प्रश्नोंका उद्देश्य यह जानना था कि वे लोग आजाद हिन्द फौजको जारी रखना चाहते हैं या नहीं। मैंने कहा कि मैं उसमें रहनेको तैयार नहीं हूँ। इसके बाद उन अफसरोंको जिन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया था रासबिहारी बसुने एक एक करके बुलाया। उनसे मिलनेके पूर्व १३ फरवरी १९४३ को आजाद हिन्द संघके कार्य समितिके अध्यक्ष रासबिहारी बसुकी ओरसे अफसरों और सैनिकोंको एक पर्चा दिया गया।

जज एडवोकेटने वह पर्चा पढ़कर सुनाया उसमें लिखा हुआ था—"मैंने आजाद हिन्द सेनाके अफसरों द्वारा दिए गए उत्तरको ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैंने देखा कि प्रायः सभी सदस्य मातृभूमिकी आजादीके लिए लड़ने और त्याग करनेको तैयार हैं, पर खेद है कि उनमें सब आजाद हिन्द फौजमें रहनेको तैयार नहीं हैं। ये अफसर निम्नलिखित श्रेणियोंमें आते हैं—वे, जो ब्रिटिशके खिलाफ काररवाई करनेमें भय खाते हैं; वे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें विश्वास नहीं रखते; वे जो औपनिवेशिक स्वराज्यमें विश्वास करते हैं और ब्रिटिश विजयको स्वीकार करते हैं और वे जो वर्तमान स्थितिमें आजाद हिन्द फौजमें रहना नहीं चाहते। ऐसी बातें यदि युद्धबन्दी कहें तो समझमें भी आती हैं। लेकिन आजाद हिन्द फौजके अफसरोंकी ओरसे आते देखकर, जैसा कि आशा है, उस उद्देश्यके प्रति शङ्का होने

लगती है, जिससे प्रेरित होकर इन अफसरोंने 'उस आन्दोलनमें भाग लिया जो भारतकी पूर्ण आजादीके लिए लड़नेके लिए चलाया गया है, न कि औपनिवेशिक स्वराज्य पानेके लिए। आखिर उपनिवेशकी हैसियत क्या है? वह उपनिवेश ब्रिटिशका ही तो होगा और इस रूपमें ब्रिटेनका कुत्ता ही रहेगा।

जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेनके विरुद्ध भारतकी लड़ाई नाजुक अवस्थामें पहुँच गयी है। महात्मा गान्धीने तीन सप्ताहका अनशन शुरू किया है ताकि वह ब्रिटिशपर भारत छोड़नेके लिए दबाव डाल सकें, इस प्रकार वे समझौतेको पूर्ण रूपसे नापसन्द करते हैं। हमारा कर्तव्य स्पष्ट है।

आपमेंसे कुछ लोग यह जानना चाहेंगे कि उन लोगोंका क्या होगा जो आजाद हिन्द फौजसे निकाल दिए जायेंगे। खेद है कि जो लोग इस समय आजाद हिन्द फौजको जान बूझकर छोड़ना चाहते हैं उनपर मेरा कोई वश नहीं है। जापानियोंकी बात भी मैं नहीं बता सकता और न यही कह सकता कि इन लोगोंको वह सरकार, जिसके ये लोग बन्दी होंगे, किस तरह और कहाँ उपयोग करेगी। जो अफसर अपने निश्चयमें परिवर्तन नहीं करना चाहते वे इसके पूर्व कि मैं उन्हें अपने आदमियोंसे अलग करूँ, मेरे सम्मुख ११॥ बजे अपना कारण बतानेके लिए हाजिर होंगे।"

जब मैं रासबिहारी बसुसे मिलने गया तो मुझे भी यह पर्चा दिया गया। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने देखा कि मेरा उत्तरपत्र उनके सामने रखा है। उन्होंने मुझसे पूछा—"क्या तुम अपने निश्चयपर दृढ़ हो?" मैंने कहा—मैं अपना निश्चय बदलने और तथा आजाद हिन्द फौजमें रहनेको तैयार नहीं हूँ।" तब मुझे दूसरे कमरेमें जानेको कहा गया। जब सब लोग उस कमरेमें आ गये तो मेजर ओगवा नामके जापानी अफसर हमें आचर्ड ग्रोव (सिंगापुर) स्थित दूसरे शिविरमें लेगये। वहाँसे हमलोग तीन चार दिन बाद एक दूसरे शिविर फोरआरूमें ले जाये गये। वहाँ मैं बीमार पड़ गया तो मुझे इलाजके लिए बिदादरीके अस्पतालमें भेज दिया गया। अस्पतालमें एक महीने रहा हूँगा कि अस्पतालके कमाण्डिङ्ग अफसरने

बताया कि जो मरीज आजाद हिन्द फौजमें रहनेंको तैयार नहीं है वे लोग सेलेटोर शिविरमें भेजे जायेंगे जहाँ चिकित्साका कोई प्रवन्ध नहीं है। मैं अभी भी बीमार था और मैं इलाजसे हाथ धोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अप्रैल १९४३ में फिर आजाद हिन्द फौजमें चला गया और मईके आरम्भमें आजाद हिन्द फौजके एड-वोकेट जनरलका भार ग्रहण किया।

जब मैं दुबारा भरती हुआ तो मैंने देखा कि उसका संघटन पहलेसे एकदम भिन्न है। उसका संचालन सैनिक व्यूरोद्वारा होने लगा है जिसमें एक डाइरेक्टर, एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ आफ जनरल स्टाफ, एक आरमी कमाण्डर, एक मिलिटरी सेक्रेटरी तथा अन्य अधिकारी हैं। शाहनवाजखाँ चीफ आफ जनरल स्टाफ और कप्तान सहगल मिलिटरी सेक्रेटरी थे। आजाद हिन्द फौजके दस्ते पूर्ववत् ही थे केवल नाम बदल दिये गये थे।

इसके बाद एवोकेट जनरलने नियुक्ति और तबादला सम्बन्धी बहुतसे काग-जात पेश किये जिनमें लेफ्टिनेण्ट कर्नल शाहनवाजखाँका नाम चीफ आफ जनरल स्टाफ, मेजर पी० के० सहगलका नाम मिलिटरी सेक्रेटरी और मेजर ढिल्लोंका नाम डिप्टी क्वाटरमास्टर जनरलके रूपमें दिया हुआ है। उन्होंने मिलिटरी व्यूरोके गजटकी प्रतियाँ भी पेश की। उनके अनुसार मेजर सहगलका तबादला २६ फरवरी १९४३ में मिलिटरी व्यूरोके डाइरेक्टरेटमें और उसी तारीखको लेफ्टिनेण्ट कर्नल शाहनवाजखाँका रीइनफोर्समेण्ट ग्रूपसे मिलिटरी व्यूरोके डाइरेक्टरेटके दफ्तरमें हुआ था। जनरल आफिसर कमांडिंगके एक दूसरी आज्ञाके अनुसार शाहनवाज खाँकी तरक्की सैनिक शिक्षण स्कूलके आफिसर कमांडिंगके रूपमें की गयी थी।

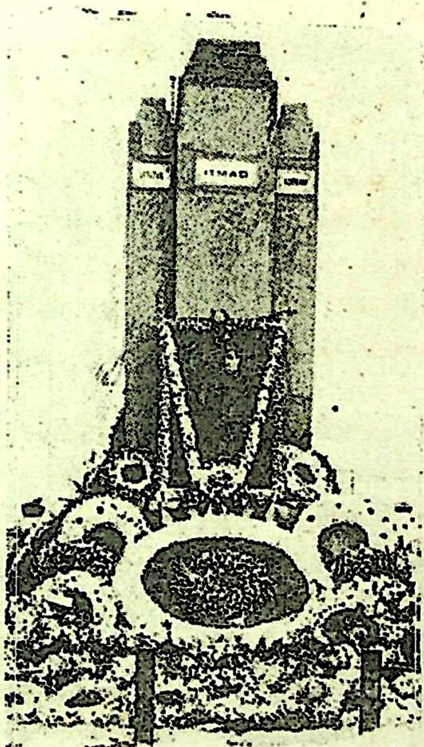
गवाह—सुभाषचन्द्र बसु जुलाई १९४३ में सिंगापुर आये। आनेके बाद उन्होंने आजाद हिन्द फौज और आजाद हिन्द संघका पूरा नियन्त्रण अपने हाथमें ले लिया। प्रधान सेनापतिका भार ग्रहण करनेके बाद उन्होंने आजाद हिन्द फौजके नाम एक आदेश देते हुए कहा —

"भारतकी आजादीके लिए आजसे मैंने इस फौजका सर्वोच्च नेतृत्व ग्रहण लिया है और यह मेरे लिए अत्यन्त प्रसन्नता एवं गर्वकी बात है। किसी भारतीयके लिए इससे बढ़कर और कोई सम्मान नहीं हो सकता कि वह भारत स्वतन्त्र करनेवाली फौजका सेनापति हो। किन्तु मैं कार्यकी महत्ता व उत्तरदायित्व अच्छी तरह समझ रहा हूँ। परमात्मासे प्रार्थना है कि वह हर हालतमें मुझे इस जिम्मेदारीको वहन करनेकी पूरी शक्ति दे। मैं अपनेको ३८ करोड़ भारतवासियोंका एक तुच्छ सेवक समझता हूँ। मैं भारतियोंके हितोंको अपने हाथमें सुरक्षित रखते हुए अपने कर्तव्यको पूरा करूँगा। देशमें पूर्ण स्वतन्त्रता स्थापित करनेके लिए एक स्थायी सेनाका निर्माण करना है, जो भारतके प्रत्येक व्यक्तिकी स्वतन्त्रताकी गारण्टी करेगी और यह कार्य आजाद हिन्द फौजको ही करना है। अतः हम सबको आजाद हिन्द फौजका सदस्य बन जाना चाहिए। हमारा एक ही नारा है और एक ही लक्ष्य है—वह है, भारतकी आजादी और उनके लिए करो या मरो की भावना। मुझे अपने ध्येयमें पूर्ण विश्वास है। ३८ करोड़ जनता को, जो संसारकी आबादीका पाँचवाँ भाग है, अधिकार है कि वह आजाद हो और आज वे आजादीका मूल्य चुकानेके लिए तैयार हैं; अब इस पृथ्वीपर कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो हमारी आजादीके जन्मसिद्ध अधिकारको रोक सके।

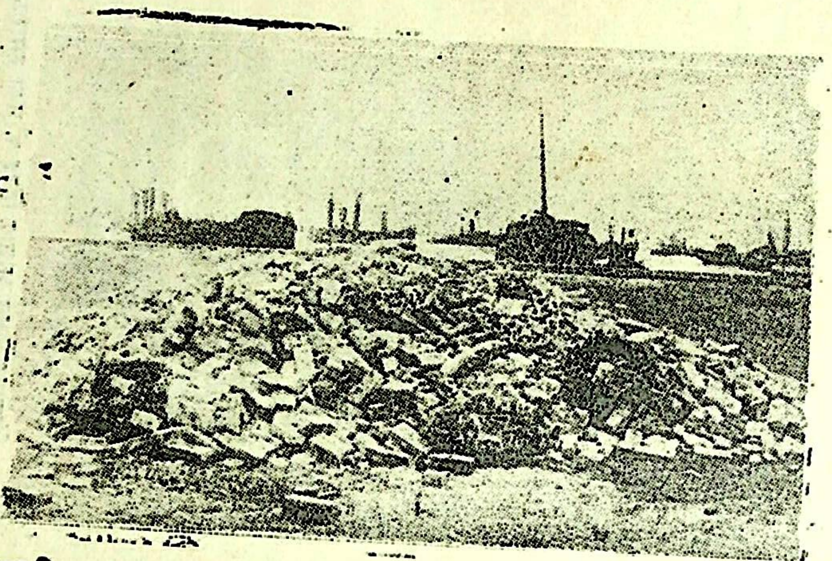
साथियो, अफसरो व नागरिको! आपकी निरन्तर अटूट भक्ति ही भारतको स्वतन्त्र करानेमें आजाद हिन्द फौजको अपना साधन बना सकेगी। हमारी विजय निश्चित है।"

इस आदेशकी अन्तिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—"दिल्ली चलो, और इस दृढ़ भावनाके साथ चलो कि हम वाइसराय-भवन पर तिरङ्गा झण्डा फहराकर लाल किलेमें परेड करेंगे।"

इसके बाद अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी।



सिंगापुर स्थित आजाद हिन्द फौजका स्मारक



सिंगापुर स्थित आजाद हिन्द फौजके स्मारकके अवशेष जिन्हें अंग्रेजोंने ध्वस्त कर दिया।

दूसरा दिन—६ नवम्बर १९४५

सबूत पक्ष द्वारा दाखिल किये गये सबूत

दूसरे दिन मुकदमा आरम्भ होनेपर अदालतने सबूतके रूपमें आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारके प्रधान और आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापतिकी हैसियतमें सुभाषचन्द्र बसुकी ओरसे जापानी एवं जापान-नियन्त्रित अन्य क्षेत्रोंके नेताओंके पास भेजे गये तार स्वीकार किये। इनमें निम्नलिखित तार हैं:—

(१) २१ जूलाई १९४४ को जापानके प्रधान मंत्री जनरल कोयसोको भेजा गया तार। इसमें सुभाषचन्द्र वसुने उन्हें पूर्व एशिया निवासी भारतीयोंकी ओरसे विजय प्राप्ति तक जापानके साथ कन्धासे कन्धा भिड़ाकर लड़नेके निश्चयका आश्वासन दिया है।

(२) स्वतन्त्र वरमाके जापान द्वारा नियुक्त सरकारके प्रधान डाक्टर बा मा को भेजा गया तार है। इसमें सुभाषचन्द्र वसुने 'भारतकी स्वतन्त्रताके निमित्त लड़ाईमें दी गयी और दी जानेवाली अमूल्य सहायताके लिये डाक्टर बा मा, स्वतन्त्र बर्माकी सरकार और जनताको हार्दिक बधाई दी है और लिखा है कि "हम आप आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भारतीयोंने दृढ़ता पूर्वक स्वतन्त्र वरमा और जापानके साथ कन्धेसे कन्धा भिड़ाकर, प्रत्येक अवस्थामें उस समय तक लड़नेका निश्चय किया है जबतक हम तीनोंके शत्रुका दलन न हो जाय और हमें विजय न मिल जाय।"

(३) जापानके परराष्ट्र मन्त्री शिगामित्सुको भेजा गया सुभाष बाबूका तार। इसमें उन्होंने उनके राजनीतिज्ञताकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि "हमारे ऊपर छाये हुए कठिन समयके होते हुये भी जबतक हम दोनोंको विजय न मिल जायगी तबतक हम जापानके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर लड़ते रहेंगे।"

(४) उक्त तारका शिगामित्सुका उत्तर । इसमें उन्होंने लिखा है—" इस महत्वपूर्ण अवसरपर आपके हार्दिक सहयोगका विश्वास दिलानेका स्वागत करता हूँ । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों समउद्देश्यमें सफल होंगे और आपके सुयोग्य नेतृत्वमें भारतको स्वतन्त्र करानेकी लड़ाईको विजय मिलेगी।"

(५) थाईलैण्डके प्रधान मन्त्री कोवित् अभयवांग्सेको भेजा गया सुभाष बाबूका तार । इसमें आपने लिखा था कि "मुझे आशा है कि थाइलैण्ड और स्वतन्त्र भारतके बीच जो सांस्कृतिक और राजनीतिक मेल हुआ है वह दिन प्रति दृढ़ होता जायेगा । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि थाइलैण्डकी सरकार और जनताके साथ भारतीय अपने समान शत्रुके विरुद्ध युद्धमें हार्दिक सहयोग करेंगे ।

(६) बर्माके परराष्ट्र मन्त्रीको सुभाष बाबूका तार—इसमें भी उपर्युक्त तारोंके समान ही सहयोगका विश्वास दिलाया गया है ।

एडवोकेट जनरलने सबूतके रूपमें कप्तान प्रेमकृष्ण सहगलकी डायरी, स्थितिकी रिपोर्ट, आजाद हिन्द फौज द्वारा युद्धबन्दी बनाये गये ब्रिटिश सैनिकोंकी रिपोर्ट, मोर्चेकी रिपोर्ट तथा १२ मार्च १९४५ को सुभाषचन्द्रकी ओरसे लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंको लिखा गया पत्र तथा उसका उत्तर दाखिल किया । ये दोनों पत्र इस प्रकार हैं:—

सदर दफ्तर आला कमान

आजाद हिन्द फौज

मेजर, जी० एस० ढिल्लों, रंगून, १२ मार्च, १९४५

जय हिन्द !

मैं आपकी रेजिमेण्ट द्वारा किये गये कार्योंको ध्यानपूर्वक पूरी लगनके साथ देख रहा हूँ और विपत्तिमें जिस साहसके साथ आपने कठिनाइयोंका

सामना किया है उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। वर्तमान विपत्तिमें मुझे आपपर पूरा भरोसा है।

इस ऐतिहासिक संघर्षमें हमारे साथ चाहे जो कुछ हो परन्तु पृथ्वीपर अब कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हिन्दुस्तानको और अधिक देर तक परतन्त्र रख सके। चाहे हम जीवित रहें और कार्य करें, चाहे हम लड़ते हुए मर जायँ, हमें प्रत्येक स्थितिमें यह पूर्ण निश्चय और विश्वास रखना है कि जिस उद्देश्यके लिए हम लड़ रहे हैं वह अवश्य सफल होगा। भारतकी आजादीके मार्गकी ओर यह ईश्वरीय संकेत है। हमें केवल अपना कर्तव्य पूरा करना है और भारतकी स्वाधीनताका मूल्य अदा करना है। मौजूदा लड़ाईमें, जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रताका पथप्रदर्शन कर रही है, हमारा हृदय आपके और आपके साथियोंके साथ है। आपके और आपके मातहत अफसरों तथा सैनिकोंके प्रति मेरी आन्तरिक शुभकामना है। ईश्वर आपको शक्ति दे और आपको विजयका सेहरा पहनाये।

जय हिन्द !

सुभाषचन्द्र वसु।

बरमा, २० मार्च, १९४४

श्रद्धेय नेताजी,

जय हिन्द !

आपका १२ मार्च, १९४४ का पत्र प्राप्त हुआ। शब्द नहीं, केवल आँसू ही मेरी हृदयगत भावनाओंको प्रकट कर सकते हैं।

आपने मेरे तथा मेरे साथियोंके प्रति जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नेताजी, मैं आपको अपने रेजिमेण्ट-की ओरसे विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे रास्तेमें चाहे जो कुछ आवे हम आपके आदेशानुसार लड़ाई जारी रखेंगे और भारतमाताकी आजादीके लिए

तब तक प्रयत्न करते रहेंगे जबतक इस रेजिमेण्टका एक भी सैं
जिन्दा रहेगा।

अपने सम्बन्धमें रंगूनमें कहे अपने अन्तिम शब्द; 'मैं आपकी
किसीके सामने नीची न होने दूँगा'—जबसे मैं आपके पाससे आया हूँ
विशेषकर जबसे मैं नयाऊँगूसे लौटा हूँ, मेरे कानोंमें लगातार गूँज रहे हैं।

मैं पूरा तरह महसूस करता हूँ कि उन परिस्थितियोंके बावजूद
सामने आयीं, मैं वह करनेमें असफल रहा जिसका मैंने वचन दिया था
मैं ही एकमात्र ऐसा रेजिमेण्टका कमाण्डर हूँ जिसके कारण आपको
आजाद हिन्द फौजको नीचा देखना पड़ा। मैं मुँह दिखानेके योग्य न
केवल मेरे कार्य ही इसका प्रतिकार करेंगे।

आपके पत्रने मेरे अन्दर नयी प्रेरणा भर दी है।

मैं और सब अफसर तथा सैनिक जो यहाँ उपस्थित हैं, हृदयसे आप
शुभकामनाएँ स्वीकार करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वरकी कृपा
आपके आशीर्वादसे सफलता हासिल करना कठिन काम न होगा।

हम आपके चिरायु और स्वास्थ्यके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप
'धर्मयुद्ध'में हमारा पथप्रदर्शन करते रहें।

जय हिन्द !

आपका आज्ञाकारी

जी० एस० ढिलों

[यह उत्तर एक युद्ध रिपोर्ट भेजनेके पश्चात् भेजा गया था, जिस
उन्होंने लेफ्टिनेण्ट ज्ञानसिंह और लेफ्टिनेण्ट मंगूरामको मृत्युके ब
पुरस्कार देने और सम्मानित करनेको कहा था और लिखा था कि उनकी बा
दुरी युद्धके इतिहासमें अद्वितीय है। जिस काररवाईके सम्बन्धमें मेजर ढिल
का संकेत इस पत्रमें है वह क्याँगके पास आजाद हिन्द फौजके एक गश्ती द

और ब्रिटिश गश्ती दस्तेके बीच होनेवाला संघर्ष है। सदर सड़क पर शत्रुके १५ टैङ्क, ११ सशस्त्रकार और १० टैंक बढ़ते हुए आये और एक खाईंकी ओर बढ़ने लगे जिनमें आजाद हिन्द फौजके सैनिक छिपे थे। वे 'इनकलाब जिन्दाबाद' 'चलो दिल्ली'का नारा लगाते हुए खाईंसे निकल पड़े और आमने-सामने घमासान लड़ाई हुई जिसमें आजाद हिन्द सेनाके ४० और शत्रुके ५० आदमी मरे। बुरी तरह घायल आजाद हिन्द सेनाके १० सैनिकोंको शत्रु पकड़कर ले गये।]

जो अन्य कागजात पेश किये गये उनमें (१) लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंकी एक और रिपोर्ट,जिसमें ब्रिटिश टैङ्कके एक दस्तेके साथ होनेवाले झड़पका वृत्तान्त है जिसमें आजाद हिन्द फौजके ४० सैनिक और अफसर मारे गये थे। (२) लेगीके मोरचेके सम्बन्धमें 'अत्यन्त गोपनीय' लिखा हुआ कप्तान सहगलकी विस्तृत रिपोर्ट। इस रिपोर्टपर विशेष नोट लिखते हुए सहगलने लिखा है कि "जो अफसर हमें छोड़कर चले गये हैं, उन्होंने बड़ीही इमानदारीसे काम किया था और वे लोग बड़े कामके समझे जाते थे। उनमेंसे किसीने कभी भी कायरता नहीं दिखायी थी। कुछ अफसरों और सैनिकोंके मनमें यह भाव जम रहा है कि अंग्रेज और अमेरिकन युद्धमें विजयी होने जा रहे हैं और उनसे लड़ाई लड़ना बेकार है।"

कप्तान सहगलकी जो डायरी पेश की गयी है उसमें १९ फरवरी १९४५ की तारीखमें लिखा है—ढिल्लों रेजिमेण्टकी हालतके सम्बन्धमें बहुतही हताश हैं। अनुशासन नहीं रह गया है। नैतिक पतन हो गया है। वे सब मेरे लिए भी बला हो गये हैं क्योंकि इधर-उधर घूमते हैं और मेरी इज्जत भी नष्ट करते हैं।

लेफ्टिनेण्ट नागकी गवाही

पश्चात् लेफ्टिनेण्ट नागकी गवाही आरम्भ हुई। उन्होंने कहा—

गवाह—मैंने कप्तान हबीबुर्रहमानके आदेशसे आजाद हिन्द फौज कानू
तैयार किया था। उसे तैयार करनेमें मैंने अधिकतर भारतीय सेना कानूनक
अनुसरण किया था। बादमें उक्त कानूनमें यह संशोधन किया गया कि अनु
शासन भंग करने तथा अन्य अपराधोंके लिए कोड़े लगानेकी सजा दी ज
सकती है। कप्तान हबीबुर्रहमानके आदेशसे मैंने आजाद हिन्द फौज कानूनके
सम्बन्धमें एक रिपोर्ट पेश की। आजाद हिन्द फौजके प्रधान कार्यालय रंगूनमें
एक सम्मेलन हुआ और उसके बाद उक्त आजाद हिन्द फौज कानूनमें कुछ
और संशोधन किये गये। रंगूनवाले सम्मेलनमें मेरे अतिरिक्त कप्तान सहगल
तथा अन्य अफसर उपस्थित थे।

एडवोकेटने ऐसे एक संशोधनकी ओर गवाहका ध्यान आकृष्ट करते हुए
कहा कि आप उक्त संशोधनका आशय बतायें।

श्री भूलाभाई देसाई—वह कागज उपस्थित किया जाना चाहिये।

गवाह—वह अप्राप्य है।

श्री भूलाभाई देसाई—यदि कागज अप्राप्य है तो यह बात शहादतमें
दर्ज नहीं हो सकती।

एडवोकेट जनरल—आवश्यकता होगी तो मैं यह बात प्रमाणित करनेके
लिए शहादत दूँगा कि उक्त कागज सबूत पक्षके हाथमें कभी आया ही
नहीं था।

श्री भूलाभाई देसाई—आपको अदालतको इस बातका पूरा सन्तोष दिलाना
होगा कि ऐसा कागज था और अब वह खो गया है। यह कहना ही पर्याप्त
नहीं है कि आपको वह कभी मिला ही नहीं था।

जज एडवोकेट—किसी कागजके सम्बन्धमें अप्रत्यक्ष सबूत पेश किया जा
सकता है बशर्तें कि वह खो गया, नष्ट हो गया या नहीं मिल रहा हो।
और निसन्देह इस मामलेमें, सबूत पक्षको उस कागजके सम्बन्धमें, लेफ्टिनेन्ट

नागको जबानी शहादत देनेकी इजाजत दिये जाने से पहले बाजाब्ते शहादत पेश करना चाहिये।

एडवोकेट जनरल—यह ऐसा कागज है जो यदि होगा तो वह कप्तान सहगलके पास होगा। हमें वह कागज कभी मिला ही नहीं। मैं इस बात का सबूत दे सकता हूँ कि उसके हमसे खोनेका प्रश्न ही नहीं है और यदि आवश्यक होगा तो मैं यह साबित कर दूँगा कि वह हमारे अधिकारमें आया ही नहीं। (गवाहसे) इस प्रकारका कोई कागज था जिसपर आजाद हिन्द फौज कानूनका संशोधन किया गया था?

गवाह—हाँ था। उसे मैंने खुद तैयार किया था, लेकिन उसका क्या हुआ मैं नहीं जानता।

एडवोकेट जज—सबूत पक्षको इस सम्बन्धकी जाब्तेकी गवाही बादमें देनी होगी और इस बातके साथ इस समय लेफ्टिनेण्ट नागकी शहादत ली जा सकती है।

नाग—इस ढंगका एक कागज अवश्य था। मैं नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। उसमें कोड़ेकी अधिकतम संख्या २४ से बढ़ाकर ५० कर दी गयी थी और वह प्रति सप्ताह ६ से अधिक नहीं लगायी जा सकती थी तथा मोर्चेके डिवीजनल, रेजिमेण्टल और बटालियन कमाण्डरोंको यह सजा देनेका अधिकार दिया गया था।

प्रश्न करनेपर गवाहने कहा—आजाद हिन्द फौजकी कुल शक्ति लगभग ४० हजार थी। यह बात मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं डिप्टी एडजुडेण्ट जनरलकी हैसियतसे सेना शक्तिका विवरण रखनेका उत्तरदायी था। २१ अक्तूबर १९४३ को सिंगापुरके कैथे भवनमें जो भारी सभा हुई थी उसमें मैं मौजूद था। उक्त सभामें लगभग

५००० आदमी उपस्थित थे जिनमें अधिकांश नागरिक और आज़ा हिन्द फौजके अफसर तथा कुछ जापानी अफसर थे। उक्त सभामें श्री सुभा चन्द्र वसुने स्वतन्त्र भारतकी अस्थायी सरकारकी स्थापना तथा उसके स स्योंके नामोंकी घोषणा की। उन्होंने नागरिकोंसे आजाद हिन्द फौजकी स यता करनेकी अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि "आजाद हिन्द फौ शीघ्र ही भारत-वर्मा सीमापर युद्ध करने जा रही है।" स्वतन्त्र भारत सरका मन्त्रिमण्डलके जिन सदस्योंके नामोंकी घोषणा वसुबाबूने की उनमें कप्ता शाहनवाज खांका भी नाम था।

फरवरी १९४४ में आजाद हिन्द फौजका सदर दफ्तर रंगूनमें था औ दूसरा सदर दफ्तर सिंगापुरमें था। मार्च १९४४ में मैं रंगून पहुँचा। उ समय आजाद हिन्द फौजमें गुरिल्ला रेजिमेंट १,२,३,४; बहादुर दल १,२ और गुप्तचर विभाग वर्मामें थे। मेरे रंगून पहुँचनेपर युद्ध-सचिव कप्ता सहगलने मुझसे मेम्यो जानेको कहा। १,२, और ३ गुरिल्ला रेजिमेण्ट मणि पुर और अराकान क्षेत्रोंमें फैली हुई थीं। चौथी रेजिमेण्ट माण्डलेमें थी। मेरे मेम्यो जानेपर लेफ्टिनेण्ट कर्नल चटर्जीने जो आजाद हिन्द द्वारा अधिकृ भूमिके मनोनीत गवर्नर थे, मुझसे कहा कि 'आप उन कायदे-कानूनोंको दे डालिये जो उक्त प्रदेशके लिए शासन मैंने तैयार किये हैं।' मैंने उन काय कानूनोंको देखा और वहाँसे कुछ सप्ताह बाद मैं रंगून लौट आया और व मुझे डिप्टी एडजुडेण्ट जेनरलका पद सौंपा गया। मईके तीसरे सप्ताहमें सुभाषचन्द्र वसु भी रंगून लौटे। सेनाके अनुशासन, नियुक्ति, तबादला त शासनके निरीक्षणका कार्य मेरे सुपुर्द था।

आगे गवाहने श्री सुभाषचन्द्र वसु द्वारा १४ अगस्त १९४४ को जा किये गये एक आदेशकी शिनाख्त की। उसमें लिखा था कि "मार्च १९४ के मध्यमें आजाद हिन्द फौजके दस्तेने जापानी दस्तोंके साथ भारत-वर्मा

सीमा पारकी और भारतीय भूमि पर उसकी स्वतन्त्रताका संग्राम आरम्भ हुआ।

ब्रिटिश अधिकारी एक शताब्दीसे अधिक कालसे भारतका निर्मम शोषण करके और अपनी लड़ाईके लिए विदेशी सैनिकोंको लाकर हमारे विरुद्ध एक शक्तिशाली शक्ति खड़ा करनेमें समर्थ हुए हैं। भारत-बर्मा सीमाको पार करनेके बाद हमारी सेना, अपने कार्यके औचित्यकी भावनासे प्रेरित होकर शत्रुकी, संख्यामें अधिक और अच्छी तरह सुसज्जित, किन्तु विभिन्न वर्गीय और असंघटित, सेनाओंसे भिड़ गयी और उन्हें प्रत्येक लड़ाईमें पराजित किया।

हमारी टुकड़ियोंने, अपने अच्छे ट्रेनिंग और अनुशासन तथा भारतकी स्वतन्त्रताके मार्गमें 'करो या मरो'के दृढ़ निश्चयके साथ, शत्रुके ऊपर, जिसका प्रत्येक पराजयके बाद नैतिक पतन होता गया, अपनी महत्ता शीघ्र ही कायमकर दी। कठिन अवस्थाओंमें युद्ध करते हुए हमारे अफसरों और सैनिकोंने इतनी हिम्मत और वीरता दिखायी है कि उनकी प्रशंसा प्रत्येककी जबान पर है। अपने रक्त और त्यागसे इन वीरोंने ऐसी परम्परा कायमकी है जिसे स्वतन्त्र भारतके भावी सैनिकोंको कायम रखना होगा। पूरी तैयारी हो चुकी थी और इम्फलपर अन्तिम आक्रमण करनेकी योजना बन गयी थी इसी बीच तूफानी वर्षाने हमारे काममें बाधा डाल दी और इम्फलपर आक्रमण करके कब्जा करना असम्भव होगया। इस कारण लाचार होकर, हमें आक्रमण स्थगित करना पड़ा। आक्रमण स्थगित करनेके बाद हमारी सेनाके लिए अधिकृत पाँतपर बने रहना असुविधाजनक जान पड़ा। अधिक रक्षात्मक मोर्चा लेनेके निमित्त सेनाको वापस बुला लेना हितकर जान पड़ा। इस निश्चयके अनुसार हमारी सेना अधिक अनुकूल रक्षात्मक मोर्चेपर वापस बुला ली गयी है। सन्नाटेके इस अवधिको हम अपनी तैयारी पूरा करनेमें लगायेंगे ताकि अनुकूल मौसम आते ही हम आक्रमण करनेकी स्थितिमें हो जायँ।

मोर्चेके कई क्षेत्रोंमें शत्रुको एक बार पीट लेनेके कारण अपने अन्तिम विजय और आक्रमणकारी अंग्रेजी और अमेरिकन फौजोंके विनाशमें हमारा विश्वास दस गुना बढ़ गया है। जैसे ही तैयारी पूरी हो जायेगी हम शत्रुके विरुद्ध शक्तिशाली मोर्चा कायम करेंगे। अफसरों और सैनिकोंकी उत्तमतर लड़नेकी योग्यता, निर्भीकता पूर्ण साहस और कर्तव्यके प्रति अचल निष्ठाके रहते हुए निश्चय ही विजय हमारी होगी।

जिन वीरोंने मातृभूमिकी स्वतन्त्रताके लिए अपने प्राण अर्पित किये उनकी आत्मा हमें प्रेरणा दे कि हम और अधिक त्याग और बलिदान करते हुये अपनी मातृभूमिको स्वतन्त्र करें।"

इसके बाद गवाहने कुछ और कागज-पत्र पेश किये जिनमें ७ जुलाई १९४४ को 'नेताजी दिवस' के अवसरपर श्री सुभाषचन्द्र वसु तथा बर्मी और अन्य सरकारोंके बीच आये गये तार थे। इनमें जापानके परराष्ट्र मंत्रीके नाम सुभाषचन्द्र वसुका एक तार है जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'हम लोग विजय प्राप्त न होनेतक जापानके साथ कन्धेसे कन्धा भिड़ाकर युद्ध करते रहेंगे।"

गवाहने एक घोषणा-पत्र पेश किया जिसमें घोषित किया गया था कि ब्रिटिश या अमेरिकन सैनिकोंको मारने अथवा जिन्दा पकड़ लानेमें जो विशेष साहस और व्यक्तिगत उत्साह दिखायेगा उसे 'तगमा-ए-शत्रु विनाश' दिया जायेगा। यह पदक 'भारतके भीतर अथवा बाहर रहनेवाले उस आदमीको भी दिया जायेगा जो सैनिकके अतिरिक्त ऐसे ब्रिटिश या अमेरिकनको जो खुले रूपमें भारतकी स्वतन्त्रताके मार्गका काँटा हो, मारकर या जिन्दा पकड़कर भारतकी स्वतन्त्रताकी लड़ाईको आगे बढ़ानेमें सहायक होगा।'

गवाहने एक और कागज पेश किया जिसके विषयमें कहा गया कि उसे सेना-सचिव कप्तान सहगलके आदेशपर लेफ्टिनेण्ट कर्नल अजीज अहमद खाँने

३० अक्तूबर १९४४ को प्रकाशित किया था। इसमें तीव्रतासे युद्ध चलानेके लिए अस्थायी सरकारकी युद्ध कौंसिलकी स्थापनाकी घोषणाकी गयी थी।

१३ मार्च १९४५ को सुभाषचन्द्र वसुने एक आदेश जारी किया था जिसमें आजाद हिन्द फौजमेंसे कायर और देशद्रोहियोंके अंकुरको निकाल बाहर करनेके लिए काररवाईका निर्देश था। उसमें कहा गया था कि जो लोग फौजमें न रहना चाहें वे १ सप्ताहके भीतर निकल जायं उसके बाद ऐसे लोगोंको मृत्युदण्ड दिया जायगा। अवधि बीत जानेपर प्रत्येक व्यक्तिको नये सिरेसे शपथ ग्रहण करनी होगी कि मातृभूमिकी स्वतन्त्रताके लिए अन्ततक वह वीरता और साहसके साथ लड़ेगा। अबसे आजाद हिन्द फौजके प्रत्येक व्यक्तिको, अपनेको आजाद हिन्द फौज और भारतीय राष्ट्रके सम्मान और प्रतिष्ठाका रक्षक समझना चाहिये।''

इस आदेशमें यह भी कहा गया कि जो लोग द्रोही एवं कायरोंके सम्बन्धमें सूचना देंगे अथवा ऐसे लोगोंको मोर्चेपर गिरफ्तार करेंगे अथवा गोलीसे मार डालेंगे उन्हें विशेष पुरस्कार दिया जायेगा। आजाद हिन्द फौजका प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी श्रेणीका हो, आजाद हिन्द फौजके किसी भी दूसरे व्यक्तिको, कायरता दिखाने या द्रोहात्मक व्यवहार करनेपर गिरफ्तार कर सकता है।

१३ मार्च १९४५ को ही सुभाषचन्द्र वसुने आजाद हिन्द फौजके सभी अफसरों एवं सैनिकोंके नाम एक विशेष आदेश निकाला जिसमें कायरता और द्रोहके विरुद्ध प्रचार करनेके लिए दिवस मनानेको कहा था। अन्य बातोंके साथ साथ नाटक खेलने और द्रोहियोंका पुतला जलाने और व्याख्यान देनेकी सलाह दी थी।

गवाहने और भी कई ऐसे कागजात पेश किये जिनपर कप्तान शाहनवाज के हस्ताक्षर कहे जाते हैं। इनमेंसे एक १३ मार्च १९४३ का है और उसपर

अत्यावश्यक लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि 'भविष्यमें स्पेशल सर्विस ग्रूप 'बहादुर दल'के नामसे पुकारा जायेगा।'' यह सूचना प्रकाशित करनेके लिए नहीं थी वरन् प्रत्येक व्यक्तिको इस प्रकार दी जानेके लिए थी कि हर एक उस परिवर्तनका महत्त्व समझ जाय। स्पेशल सर्विस ग्रूप अथवा बहादुर दलका कार्य जासूसी करना, सैबोटेजिंग करना और अप्रत्यक्ष रूपसे भूमिपर अधिकार करना था।

२७ मई २६०३ जापानी वर्ष (१९४२) की एक दूसरी आज्ञामें, जिस पर कप्तान शाहनवाज खांके हस्ताक्षर बताये जाते हैं, भारतीय युद्धबन्दियों से जो आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेको राजी हों उन्हें अपनेमें मिलाने और अन्य लोगोंको युद्धबन्दीके रूपमें जापानियोंको हवाले कर देनेकी व्यवस्था का उल्लेख है।

गवाहने और भी कागजात पेश किये जिनके सम्बन्धमें कहा जाता है कि उनपर कप्तान शाहनवाज खांके दस्तखत हैं। ये कागजात हत्याके अभियोग तथा आजाद हिन्द फौजके दस्तों द्वारा बर्मामें किये जानेवाले प्रबन्धसे सम्बन्ध रखते हैं। इनमें एकमें उन लुटेरे डाकुओंके विरुद्ध काररवाई करनेका आदेश है जो गाँवोंको लूट रहे थे और आजाद हिन्द फौज तथा जापानी सेनाके यातायातके साधनमें विघ्न पहुँचा रहे थे।

पश्चात् एडवोकेट जनरलने कप्तान शाहनवाज खाँकी डायरी कुछ उद्धरण पढ़कर सुनाये:—

१० फरवरी १९४४—और भी सेनायें बिना किसी दुर्घटनाके ट्रेनसे आ गयी। किमेवारी और रामस्वरूपके साथ जापानी सदर दफ्तरमें मेम्यो गया।

१२ फरवरी—एस० टी० कम्पनीके सम्मुख भाषण किया। वे सभी जोशमें थे। कइयोंने आगे जानेकी इच्छा प्रकट की। अराकानके मोर्चेसे आजाद हिन्द फौजके नाम नेताजीका बधाईका सन्देश मिला।

२० फरवरी—सुबह दौड़ लगायी। शत्रुके जहाज़ क्रियाशील हैं और फौज भी पास ही है।

२७ मार्च—सूचना मिली है कि टिड्डिमसे २०० सैनिक भाग गये हैं और आजकल कलङ्कुँआमें है। रामसिंह और सिकन्दरको उन्हें पकड़नेका आदेश दिया। मङ्गलसिंह और दो सैनिकोंका फैसला किया।........१९-३० बजे सूचना मिली है कि ब्रिटिश बमवर्षक और युद्धक, जिनकी कुल संख्या २८ है, आये और कलेवाके क्षेत्रमें कुछ पैराशूट उतारे हैं।

१३ मई—एम० एस० ३० पर पहुँचा और रात वहीं बितायी। एल० ई० टी० डिवीजनके कमाण्डरसे १६ बजे मिला; डिवीजनका कार्य बदल दिया गया वे इम्फलके युद्धमें भाग लेने जा रहे हैं। डिवीजनल कमाण्डर बहुत ही सज्जन था और उसने हममें आत्मविश्वास पैदा किया। उन्होंने मुझे अगले कारवाईमें अपना काम चुन लेनेका मौका दिया। निसन्देह मेरी इच्छा 'इम्फलपर आक्रमण' की है।

२५ फरवरी १९४५—प्रातःकाल नेताजी पधारे। १२ बजे उनसे मिलने गया और उन्हें पोपाकी स्थिति समझायी। उन्होंने काकपेडाङ्ग और पोपा जानेका निश्चय किया है। मैं इसके घोर विरुद्ध था क्योंकि वहाँ जाना खतरनाक है। २० बजे मेजर ताकेसी खबर लाये कि ब्रिटिश सेनाने पिनतिनपर कब्जाकर लिया है और तांगथाकी ओर बढ़ रहे हैं। मेकतीलाके पुलको ६०-बी० १२४'स ने बमसे उड़ा दिया।

१६ मार्च—खाँ मुहम्मदने सण्डी और प्याइन्ट ११८६ पर आक्रमण किया। उन्हें दो घण्टे तक डटकर युद्ध करना पड़ा। शत्रुके कमसे कम २०० आदमी हताहत हुये। लड़ाई ३ बजेसे ६ बजे तक होती रही। सैनिक 'नेताजीकी जय' कहते हुये शानके साथ लड़े। हमारी ओर एक मरा और १० घायल हुये।

२८ मार्च---सेनायें बाहर जा रही हैं। सदर दफ्तरका डिवीजन ... मैदानमें जा रहा है। २२ बजे अपने अपने जमाव क्षेत्रकी ओर जाते फौजोंको देखनेके लिए पोपाले आगे गया। लेगीमें ठहरा और सुना कि सहगल, इन्जुके और कुछ अन्य अफसर खो गये। आगे बढ़नेका ... किया। सहगल और अन्य खोये हुये अफसर वापस आगये।

३० मार्च--योग विचित्र रूपसे बचे।

२ अप्रैल--दिन दुःखद बातोंसे आरम्भ हुआ। ६ अफसर और ... रेजिमेंट छोड़कर भाग गयी। कप्तान मुहम्मद हुसेन और उनके एडजु... नम्बर ४ छोड़ दिया। शत्रुने लेगीमें हमारे मोर्चेपर गोलियाँ और गोले... साये। ६ घायल हुए।

गवाह—कप्तान सहगलने १६ जूनको आजाद हिन्द फौजके ... सेनापतिके सदर दफ्तरको एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें बर्माके सम्... स्थापनकी कठिनाइयोंका उल्लेख किया था। इसमें लिखा है कि—"उन लो... रंगून और माण्डलेके बीचमें साप्ताहिक हरकारोंकी व्यवस्थाकी है। ... मेम्यो स्थित सदर दफ्तरके लोग युद्ध मोर्चेतक डी० आर० एल० एस० ... व्यवस्था करनेकी कोशिश कर रहे हैं। मै हिकारी कीकनके साथ बेतार के... की व्यवस्थाके लिए भी बातचीत कर रहा हूँ। उनकी पहली आपत्ति यह ... कि हमारा साइफर कोड बहुत ही सुगम है। फिर हमने अपने कोडके ... परिवर्तित रूप पेश किये, जो उनके मानदण्डके अनुकूल सिद्ध हुये किन्तु वे ... जापानी सेनाके कोडके आधार पर ही हमारा कोड चाहते हैं। उसबा... पूराकर लेनेपर भी ट्रेनिंग पाये हुये व्यक्तियोंका सवाल रह जाता है। नि... हमें जापानी संवादवाहक दलका ही उपयोग समाचार भेजनेमें करना पड़ेगा..."

आजाद हिन्द फौज और जापानियोंके बीच मतभेदकी बातका सं... कप्तान प्रेमने आजाद हिन्द फौजके सदर दफ्तरको भेजे गये एक पत्रमें ...

है। इस पत्रमें शाहनवाजके यूसे भेजे गये एक रिपोर्टका उल्लेख है। पत्रमें लिखा हुआ है कि "आपकी रिपोर्टमें लिखित मामलेमें कल सायंकाल नेताजीने लेफ्टिनेण्ट जनरल एशोदासे बातचीत की। बातचीतके समय मैं भी मौजूद था। बातचीतके दौरानमें उन्होंने इधर उधर तार भेजनेकी बात तो कही लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि वे नाम मात्रको करेंगे या कर सकते हैं। जबसे जापानियों रक्षात्मक पांतमें जानेका निश्चय किया है, उनके रुखमें मुझे परिवर्तन जान पड़ता है जिसका कारण बता सकना कठिन है। हो सकता है कि मेरी अपेक्षा आप उसे अच्छी तरह बता सकें। फिर भी एक बात तो निश्चित है कि रंगूनमें हमें जापानी अधिकारियोंसे सहायताकी कम ही आशा करनी चाहिये।" सामानोंकी, ट्रान्स्पोर्ट, बाटलनेक और घायलोंके लिए अस्पतालकी व्यवस्थाके अभावकी बात भी इस पत्रमें लिखी हुई हैं।

सबूत पक्षने फटे हुए पन्नोंकी एक नोटबुक पेशकी और गवाहने बताया कि यह कप्तान सहगलका लिखा है।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं वह जानना चाहता हूँ कि इस कापीके शेष पन्ने भी सुरक्षित हैं अथवा खो गये।

एडवोकेट जनरल—हमें यह डायरी इसी रूपमें मिली है। बहुत खोजनेपर डायरीके शेष अंश नहीं मिल सके।

श्री भूलाभाई देसाई—पन्ने जान बूझकर चुन-चुनकर निकाले गये जान पड़ते हैं।

एडवोकेट जनरल (कुछ गर्म होकर)—ऐसा कहना अनुचित है। विशेषतः जब आपके पास इसका कोई आधार नहीं है।

एडवोकेट जज (श्री देसाईके तर्कको लक्ष्यकर)—इसपर आप बादमें बहस कर सकते हैं।

इसके बाद अदालत लंचके लिए उठ गयी और लंचके बाद गवाहने इस ऐसे आदेश-पत्र पेश किये जिनपर कप्तान सहगल और लेफ्टिनेण्ट ढिल्लों के हस्ताक्षर बताये जाते हैं।

इनमेंसे एक पत्रमें, जिसपर सैनिक मन्त्रीकी हैसियतसे कप्तान सहगलके हस्ताक्षर है, सुभाषचन्द्र वसुका ९ फरवरी १९४४ का वह आदेश है जिसमें उन्होंने अराकानके मोरचेपर आजाद हिन्द फौज सैनिकों द्वारा की गयी वीरताकी प्रशंसा की थी और अपना नारा—आजादी या मौत बनानेको कहा था। अन्तमें यह भी कहा था कि 'दिल्लीका मार्ग ही हमारी स्वाधीनताका मार्ग है। हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। इन्क़लाब जिन्दाबाद! आजाद हिन्द जिन्दाबाद!'

गवाहने पूछे जाने पर बताया कि मई १९४५ के आरम्भमें ब्रिटिश सैनिक रंगूनमें प्रविष्ट हुए उस समयतक आजाद हिन्द फौजके सदर दफ्तरके कागजात जला दिये गये थे। मेरा खयाल है कि अप्रैल १९४५ के अन्तमें यह काररवाई की गई।

मुकदमा स्थगित

लेफ्टिनेण्टकी गवाही समाप्त हो जानेपर अदालतने सफाई पक्षकी ओरसे माँगी गयी मुहलतके प्रश्न पर विचार किया।

जज एडवोकेट—अदालत यह जानना चाहती है कि सफाईके कितने गवाह इस समय प्राप्य हैं और आज तीसरे पहर तक कितने गवाहोंसे बातचीतकी जा चुकी है।

श्री भूलाभाई देसाई—पिछले दो दिनोंमें किसीसे भी बातचीत नहीं की जा सकी। जिनसे बातचीत की जा चुकी है उनकी संख्या ज्यों की त्यों है।

कर्नल वाल्श (मिलिटरी प्रासीक्युटर)—सफाई पक्षने १३[illegible] गवाह तलब किये थे जिनमेंसे अबतक ३८ से बातचीत कर चुके हैं और इस

समय १२ मौजूद हैं जिनसे बातचीत की जा सकती है। बाकी गवाहोंके लिए अधिकारियोंके पास अत्यावश्यक पत्र भेजे गये हैं। जैसे ही वे लोग यहाँ आ जायँगे सफाई पक्षको सूचना दे दी जायगी और बातचीतकी सुविधा कर दी जायगी। अधिकसे अधिक ७ दिनके भीतर गवाह यहाँ आ जायँगे। इनमें दस-ग्यारह जापानी गवाह बुलाये गये हैं। बाकी गवाहोंका पता लग गया है और उनके भारत भेजे जानेकी व्यवस्था की जा रही है। अगले दस-पन्द्रह दिनके भीतर ३०—४० गवाह बातचीतके लिए मिल सकेंगे।

आगे बहसके दौरानमें जज एडवोकेटने कहा—सफाई पक्षने मलायाके युद्धके सम्बन्धमें फील्ड मार्शल वेवलकी रिपोर्ट माँगी है। हम सभी इसी संसारके व्यक्ति हैं और हम सभी जानते हैं कि यदि किसी अप्रकाशित सरकारी कागजकी माँग की जाती है तो उसके सम्बन्धमें 'प्रिविलेज'की माँग की जा सकती है।

श्री भूलाभाई देसाई—तब तो 'भारतीय साक्षी कानून'के अनुसार इसका निर्णय करना होगा।

जज एडवोकेट—सबूत पक्षको अधिकार है कि वह किसी कागजके सम्बन्धमें 'प्रिविलेज'का हक बताये। यह कोर्ट मार्शलकी सामान्य व्यवस्था है। इसे तो आपको मानना ही होगा।

इसके बाद श्री आसफअलीने गवाहोंके बातचीतके सम्बन्धमें किये जानेवाले कार्योंको बताया और यह भी कहा कि यथासम्भव सबूत पक्षकी ओरसे भी इस कार्यमें सहायता मिल रही है।

इसके बाद कुछ मिनटके लिए अदालत उठ गई और पुनः बैठनेके बाद जज एडवोकेटने कहा—

'अदालतने मुझे यह घोषित करनेका आदेश दिया है कि वह बुधवार २१ नवम्बर तक स्थगित रहेगी और उस तारीखको १० बजे प्रातःकाल फिर

बैठेगी। इसके स्थगित करनेके साथ ही, अदालतकी इच्छा है कि मैं सफ पक्षके आप सब लोगोंको इस बातको भी बता दूँ कि वह आपसे गवाहों बातचीतमें अधिकाधिक श्रमकी उम्मीद करती है और यह भी आशा करती कि अदालतके पुनः आरम्भ होनेपर भी आपको अदालतकी कारवाई ज रहनेके साथ-साथ गवाहोंसे बातचीत करना सम्भव होगा।

पश्चात् अध्यक्ष मेजर जनरल ब्लैक्सलैण्डने अदालतके २१ नवम्बर त स्थगित किये जानेकी घोषणा की।

तीसरा दिन—२१ नवम्बर १९४५

आज अदालतमें बैठनेकी व्यवस्थामें कुछ परिवर्तन था। फौजी अदालत सब जज मंचके सामने बैठे हुए थे और इस शर्तकी पूर्ति कर रहे थे कि अभि युक्तोंको अदालतके सामने होना चाहिये। पैरवी पक्षके जूनियर वकीलोंमें भ को डेस्क दिये गये थे। आज लाहौर हाईकोर्टके भूतपूर्व प्रधान न्यायाधी बख्शी सर टेकचन्द पं० जवाहरलाल नेहरू तथा श्री भूलाभाई देसाईके बी में बैठे हुए थे। आज पहलेके शीघ्रलिपि लेखकों (शार्ट हैन्ड रिपोर्टरों) बदले केन्द्रीय असेम्बलीके दो कुशल शीघ्रलिपि लेखक रायसाहब राघवन त श्री आयर रखे गये थे।

लेफ्टिनेण्ट नागसे जिरह

श्री भूलाभाई देसाई द्वारा जिरह किये जानेपर लेफ्टिनेण्ट नागने कहा— सितम्बर १९४२ से दिसम्बर १९४२ तक मैं आजाद हिन्द फौजका सदस् था और फिर, इसके बाद मई १९४२ से अंततक रहा। इस अवधिके बी आजाद हिन्द फौजमें उथल पुथल रही और कुछ समय तक हर एकका सम्बन्ध

आजाद हिन्द फौजमें विच्छिन्न रहा। पहली आजाद हिन्द फौजके विघटनके उपरान्त ही मैं एक पृथक शिविरमें ले जाकर रख दिया गया था। १९४३ के फरवरी या मार्च मासमें मैंने सुना कि नयी आजाद हिन्द फौज संघटित होकर कार्य करने लगी है।

इतने समयके बीच मैंने दो पदोंपर कार्य किया। एक तो आजाद हिन्द फौजके जज एडेवोकेट जेनरलके पदपर और दूसरा 'डिप्टी एडजूटेण्ट जेनरल'के पदपर। जज एडवोकेट जेनरलकी हैसियतसे मैं आजाद हिन्द फौजके न्याय विभागका प्रधान था। मैंने सबसे पहले आजाद हिन्द फौज कानूनका मसविदा तैयार किया। तदुपरान्त मेरा कार्य सेनाके न्याय विभागकी देखभाल करना, सैनिक न्यायालयकी तथा अनुशासन-भङ्ग सम्बन्धी मुकदमोंकी कारवाईका निरीक्षण करना था। साधारणतः मैं आजाद हिन्द फौजका कानूनी सलाहकार था।

२१ अक्तूबर १९४३ को स्वतन्त्र भारतकी अस्थायी सरकारकी घोषणा की गयी। मैं उक्त सरकारका नहीं वरन् आजाद हिन्द फौजका कानूनी सलाहकार बनाया गया था। श्री सरकार नामक एक सज्जन, जो पहले बङ्गाल प्रान्तीय सर्विसमें रह चुके थे, उक्त सरकारके कानूनी सलाहकार बनाये गये थे। कानूनी मामलोंमें सलाह देनेके वे अधिकारी थे।

जापान युद्धके शुरू होनेपर मैं पेनांगमें था। जापान-युद्ध ८ दिसम्बर १९४१ के दिन शुरू हुआ था। हम लोग १५ दिसम्बरको पेनांगसे हटना शुरू हुए। २५ जनवरी १९४२ के दिन हम लोग सिंगापुर पहुँच गए। ११ फरवरी १९४२ के दिन सिंगापुर पर जो हवाई हमला हुआ उसमें मैं घायल हो गया। चिकित्साके लिए मैं नैसूनके शिविर अस्पताल ले जाया गया वहाँ मैं लगभग एक महीने रहा। वहाँसे निकलनेपर मुझे मालूम हुआ कि उस कैंपके कमाण्डर कप्तान शाहनवाज हैं।

श्री भूलाभाई देसाई—जब आप बीमार थे, तब क्या आपने उ
काम करते देखा था ?

गवाह—नहीं ।

श्री भूलाभाई देसाई—आजाद हिन्द फौजमें आपने स्वेच्छासे पद स्वी
किया था ?

गवाह—मैंने स्वेच्छासे जज एडवोकेटका पद स्वीकार किया था।
पहला काम आजाद हिन्द फौज कानून तैयार करना था ।

प्रश्न—मैं यह मान लूँ कि जबसे आपने काम करना शुरू किया, त
आपका इरादा रहा कि सभ्य-कानूनके अनुसार सेनाका संघटन किया ज
और फौज इसी ही कानूनके मातहत काम करे ?

गवाह—जी हाँ, मेरा इरादा था कि सभ्य कानूनके अनुसार
सेनाका संघटन किया जाय ।

श्री भूलाभाई देसाई—कानून बनानेका भी यही उद्देश्य था ?

गवाह—जी हाँ, मेरे अलग हो जानेके बाद भी आजाद हिन्द फौज
इसी कानूनपर अमल होता रहा। २१ अक्तूबर १९४३ को सिंगापुरमें
सभा हुई उसमें मैं उपस्थित था। उस सभामें आजाद हिन्दकी अस्था
सरकारके कायम होनेकी घोषणाकी गयी। मैं दर्शकके तौरपर उपस्थित था
इस सभामें आजाद हिन्द फौजके सैनिक, भारतीय नागरिक, कुछ जापा
अफसर तथा पूर्वी एशियाके देशों—मलाया, थाईलैण्ड, सुमात्रा, हिन्द-चीन औ
हांगकांगके भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुझे आजाद हिन्द संघके अस्तित्व
भी पता था। इस सम्बन्धमें मुझे उस समय ज्ञान हुआ था जब मैं सि
म्बर १९४२ में आजाद हिन्द फौजमें शामिल हुआ। इन देशोंमें २५ ला
भारतीय थे।

जज एडवोकेट—आपको यह कैसे पता चला ?

श्री भूलाभाई देसाई—वह ऐसा कहते है। मेरे मित्र उनसे बादमें फिर जिरह कर सकेंगे।

जज एडवोकेट—हम उन चीजोंको टालना चाहते है, जिनका आधार सिर्फ अफवाह है। जब उन्होंने यह कहा कि आजाद हिन्द फौजमें १०००० व्यक्ति थे, तो मैंने इसपर आपत्ति की थी। इसका कारण यह था कि यह अफवाह थी।

श्री भूलाभाई देसाई—जब आपने अपना काम शुरू किया था तो क्या यह जानना आपका फर्ज न था कि पूर्वी एशियामें कितने भारतीय आबाद हैं?

गवाह—नहीं। सुभाषचन्द्र बसुने जो भाषण किये उनसे मुझे यह ज्ञात हुआ कि पूर्वी एशियामें कितने भारतीय हैं। मैंने सुभाष बसुको यह कहते सुना कि पूर्वी एशियाके देशोंमें २५ लाख भारतीय बसे हुए हैं।

एडवोकेट जनरल—जब तक गवाह यह नहीं कहते कि उन्हें जाती तौरपर इसका ज्ञान था, तब तक मैं गवाहके उत्तरपर आपत्ति करता हूँ।

श्री भूलाभाई देसाई—जो लोग वहाँ थे वे किनके प्रतिनिधि थे?

जज एडवोकेट—इस बातको वे कैसे जान सकते हैं!

श्री भूलाभाई देसाई—मैंने सैकड़ों सभाओंमें भाग लिया है और मैं यह निश्चित रूपसे जानता हूँ कि सभा कैसी है। (गवाहसे) आपको जहाँ तक मालूम है क्या वे प्रतिनिधि उन देशोंके चुने हुए थे?

गवाह—वे उन देशोंसे प्रतिनिधि थे। मैं वहाँ सभाके प्रारम्भसे ही था।

श्री भूलाभाई देसाई—नेता सुभाषचन्द्र बसु थे?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—नेताजीका अर्थ आदरणीय नेता है?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने कहा है कि आप दर्शकमात्र थे। आपको याद है कि सभामें जो लोग शामिल थे उन्होंने अस्थायी सरकारके वफादारीकी शपथ ली ?

गवाह—केवल उन्हीं मन्त्रियोंने शपथ ली जिनकी नियुक्ति सुभाष वसुने घोषित की थी।

श्री भूलाभाई देसाई—जहाँ तक आप जानते हैं, प्रतिनिधियोंने किया ?

गवाह—उन्होंने कोई भाग न लिया। अस्थायी सरकारकी घोष उन्होंने हर्षसे स्वागत किया। करीब ५००० व्यक्ति शामिल हुए थे दर्शक भी थे। मैंने सुभाषचन्द्र वसुको घोषणा करते सुना।

श्री भूलाभाई देसाईने सुभाषचन्द्र वसुकी निम्नलिखित घोषणा कर सुनायी।

"सन् १७५७में अंग्रेजों द्वारा बंगालमें पहली बार हराये जानेके बाद तीय जनता लगातार एक शताब्दी तक कठोर और भयंकर लड़ाइयाँ ल रही। उन दिनोंका इतिहास अपूर्व वीरता और आत्मत्यागके उदाहर भरा पड़ा है। और उस इतिहासके पृष्ठोंमें बंगालके सिराजुद्दौला और मो लाल, दक्षिण भारतके हैदरअली, टीपू सुलतान, और वेलू तास्वे, महारा अप्पासाहब भोंसले, और पेशवा बाजीराव, अवधकी बेगमों, पंजाबके सर श्यामसिंह अटारीवाले और इनके अतिरिक्त, झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाई, तांि टोपी, डुमराँवके महाराज कुँवरसिंह और नानासाहब आदि योद्धाओंके अमिट स्वर्णाक्षरोंमें लिखे हुए हैं। हमारे लिये यह दुर्भाग्यकी बात है हमारे पूर्वजोंको यह अनुभूति पहले नहीं हुई कि अंग्रेजोंसे समस्त भारतवर्ष महान् संकट है और इसलिए उन्होंने उस शत्रुका संघटित रूपसे साम नहीं किया। अन्तमें जब भारतीय जनताको वास्तविक स्थितिका ज्ञान हु

वह मिलकर आगे बढ़ी और सन् १८५७ में बहादुरशाहके नेतृत्वमें भारतवासियोंने स्वतन्त्र जनताके रूपमें अपनी अन्तिम लड़ाई लड़ी। इस युद्धके प्रारम्भिक कालमें भारतीयोंको कई बड़ी भव्य सफलताएँ प्राप्त हुई। किन्तु दुर्भाग्य और दोषपूर्ण नेतृत्वके कारण उन्हें अन्तमें पूर्ण पराजय और दासता स्वीकार करना पड़ा। फिर भी झाँसीकी रानी, ताँतिया टोपी, कुँवरसिंह और नानासाहब जैसे योद्धा आज भी राष्ट्रीय गगनमें तारकोंकी भाँति देदीप्यमान हैं और हममें त्याग तथा वीरत्वके महन्तर कार्योंके लिए प्रेरणा भर रहे हैं।

सन् १८५७ के बाद अंग्रेजों द्वारा बलात् निःशस्त्र और पाशविक रूपसे शासित किये जानेके बाद कुछ दिनों तक भारतीय जनता दबी पड़ी रही किन्तु सन् १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके साथ ही साथ एक नयी जाग्रतिका प्रादुर्भाव हुआ। सन् १८८५ से लेकर पिछले विश्वव्यापी युद्धके अन्ततक भारतीय जनताने अपनी खोयी हुई स्वतन्त्रताको पुनः प्राप्त करनेकी चेष्टामें सभी युक्तियोंका प्रयोग किया, आन्दोलन चलाये, प्रचार किये, अंग्रेजी सामानोंका बहिष्कार किया, भय दिखलाये, तोड़ फोड़की और अन्तमें सशस्त्र क्रान्ति भी की। किन्तु कुछ समय तक ये सभी क्रियाएं निष्फल रहीं। अन्तमें सन् १९२० में जब भारतीय जनता विफलताकी भावनासे आक्रान्त होकर एक नयी दृष्टि ढूँढ़नेका प्रयास कर रही थी, महात्मा गांधी असहयोग और सविनय अवज्ञाके नये अस्त्र लेकर आगे आये।

उसके पश्चात् बीस वर्ष तक भारतवासी प्रबल देशभक्तिके साथ कार्य करते रहे। स्वतन्त्रताका सन्देश भारतवर्षके घर-घर तक पहुँचाया गया। स्वयं अनुभूति प्राप्त करके जनताने स्वतन्त्रताके लिए कष्ट उठाना, त्याग करना और मर मिटना सीखा। केन्द्रसे लेकर दूर-दूर तकके गांवों तक जनता राजनीतिक संघटनके एक सूत्रमें बाँध दी गयी। इस प्रकार भारतवासियोंने न केवल अपनी राजनीतिक चेतनाको पुनः प्राप्त किया, वरन् उनकी राजनीतिक

सत्ता भी एक बार फिरसे स्थापित हो गयी। अब वे एक स्वर होकर बोल
थे और संघटित आत्मबलके साथ अपने समान ध्येयको प्राप्त करनेका
कर सकते थे। सन् १९३७ से १९३९ तक, आठ प्रान्तोंके कांग्रेसी
मण्डलों द्वारा उन्होंने यह प्रमाणित किया कि वे स्वयं अपने कार्योंकी
करनेके लिए तैयार हैं और इसके लिए उनमें योग्यता भी है।

इस प्रकार, वर्तमान महायुद्धके आरम्भ होनेसे पहले भारतीय स्वातन्
अन्तिम लड़ाईके लिए अखाड़ा तैयार हो गया था। इस युद्धमें जर्मनीने
साथियोंकी सहायतासे यूरोपमें अपने शत्रुपर विनाशकारी प्रहार कि
इधर पूर्वी एशियामें जापानने अपने मित्रोंके साथ हमारे शत्रुपर भीषण
किये हैं। स्थितिके इस सुखद योगके कारण आज भारतवासियोंके
अपनी राष्ट्रीय मुक्तिको प्राप्त करनेका बड़ा ही अद्भुत अवसर है।

वर्तमान इतिहासमें पहली बार प्रवासी भारतीयोंमें भी राजनी
चेतना जाग्रत हुई है और वे एक सूत्रमें बंध गये हैं। न केवल वे अपने
निवासी बन्धुओंके साथ हृदयसे हृदय मिलाकर सोच और अनुभव कर
बल्कि उनके कदमसे कदम मिलाकर पथपर भी बढ़ रहे हैं। विशेषतः
एशियामें आज २५ लाखसे भी अधिक भारतीय एक शक्तिशाली व्यूहमें
ठित हैं और उनके सामने पूर्णतः सैनिक जीवनका ध्येय है। और
सामने खड़ा है आजाद हिन्द सेनाका वह संघटित समूह जिसके मुखसे
बर यही पुकार निकल रही है—"आगे दिल्लीकी ओर बढ़ो।"

ब्रिटिश राज्यने अपने पाखंडसे भारतीयोंकी अवस्था दयनीय बना दी
उसने उन्हें लूटखसोटकर उपवास और मृत्युकी गोदमें डाल दिया है,
इस प्रकार उसने भारतवासियों परसे अपने प्रति विश्वासकी भावनाको बिल
हटा दिया है। इतना ही नहीं, आज वह संकटजनक स्थितिमें है। इस दु
शासनके अन्तिम विनाशको ... करनेके लिए केवल एक चिनगारीकी आव

ता है। उस चिनगारीको सुलगानेका काम आजाद हिन्द फौजका है। इस नाको भारतकी नागरिक जनता और ब्रिटिश अधिकारमें कार्य करनेवाली रतीय सेनाओंके बहुतसे सैनिकोंसे भी उत्साहपूर्ण सहयोगका जो आश्वासन मिला है और साथ ही साथ उसे अपने अजेय विदेशी मित्रोंका जो सहारा है था, इन सबसे अधिक, उसे जिस निजी बलका आश्रय है उनसे उसे पूर्ण श्वास है कि वह अपना ऐतिहासिक कार्य पूराकर लेगी।

अब जब कि स्वतन्त्रताका उषाकाल निकट है, भारतवासियोंका कर्तव्य कि वे अपनी निजी अस्थायी सरकार बनावें और उसी सरकारके नेतृत्वमें अपना अन्तिम संग्राम आरम्भ करें। किन्तु सभी भारतीय नेताओंके कारागारमें रहनेके कारण देशके भीतर किसी ऐसी शासन संस्थाकी स्थापना करना और उसके निर्देशमें सशस्त्र युद्ध आरम्भ करना सम्भव नहीं है। इसलिए पूर्वी एशियाके आजाद हिन्द संघका कर्तव्य है कि वह आजाद भारतकी अस्थायी सरकारके निर्माणका कार्य अपने हाथमें ले और आजाद हिन्द फौजकी सहायतासे, जो संघ द्वारा स्थापित की गयी है, स्वतन्त्रताकी अन्तिम लड़ाई लड़नेका बीड़ा उठाये।

पूर्वी एशियाके आजाद हिन्द संघ द्वारा आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारके रूपमें संघटित होकर आज हम अपने ऊपर आये हुए उत्तरदायित्वको पूर्णरूपसे समझते हुए अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिए आगे बढ़ते है। मातृभूमिकी मुक्तिके इस युद्धमें हम परमपिता परमेश्वरके आशीर्वादकी याचना करते हैं। और अपने तथा अपने साथी सैनिकोंके जीवनको मातृभूमिके हित तथा उन्नतिके वेदीपर अर्पित करते हैं।

अस्थायी सरकार भारतसे अंग्रेजों तथा उनके मित्रोंको निकालनेके लिए उनके विरुद्ध संग्राम छेड़ेगी। इसके उपरान्त इसका कार्य होगा कि स्वतन्त्र भारतमें आम जनताके सहयोगसे स्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करे। अंगरेज

और उनके मित्रोंकी पराजय हो जानेके बाद स्थायी राष्ट्रीय सरकारके बन
अस्थायी सरकारही जनताके हितार्थ भारतमें शासन-प्रबन्ध करती रहेगी।

अस्थायी सरकार विश्वास करती है कि सभी भारतीय उसके सा
सभी को धार्मिक स्वतन्त्रता है, तथा समस्त जनताको समान अधिका
इस सरकारका उद्देश्य है कि राष्ट्रके सभी व्यक्ति पूर्ण सुखी रहें, देशके
शिशु सरकार द्वारा समान संरक्षण प्राप्त करें तथा समस्त भेद-भावों
अब तक विदेशी शासन द्वारा कूटनीतिसे फैलाये गये थे, समूल मिटा
जायँ।

हम भगवानका नाम लेकर, अपने पूर्वजोंके नाम पर जिन्होंने भा
एक राष्ट्रका रूप दिया है, और उन शहीदोंके नामपर जिन्होंने वीरत्व
बलिदानकी परम्पराको स्थापित किया है, देशवासियोंको आमन्त्रण देते
वे आज अपने देशकी स्वतन्त्रताके लिए इस झंडेके नीचे संघटित
हम उनका आह्वान करते हैं कि वे अंग्रेजी सत्ताके विरुद्ध इस अं
संग्रामके विजयमें विश्वास रखकर अपनी पूरी शक्ति लगा दें। हमारा यह
तबतक जारी रहेगा जबतक हम अपने शत्रुको देशसे बाहर न निकाल दें
इस तरह भारतको फिरसे आजाद कर दिखायें।

आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारकी ओरसे—

(१) सुभाषचन्द्र वसु (राष्ट्रके प्रधान, प्रधान मन्त्री, युद्ध और प
विभागोंके मन्त्री), (२) कप्तान कुमारी लक्ष्मी (महिला दल), (३)
ए० एय्यर (जनसूचना विभाग), (४) लेफ्टिनेण्ट कर्नल ए० सी०
(अर्थ विभाग), (५) लेफ्टनेण्ट कर्नल अजीज अहमद, (६) लेफ्टि
कर्नल एम० एस० भगत, (७) ले० कर्नल जे०के० भौंसले, (८) ले०
गुलजारा सिंह, (९) ले० कर्नल एम०जेड० कियानी, (१०) ले०कर्नल
डी० लोकनाथ, (११) ले० कर्नल अहसान कादिर, (१२) ले०कर्नल

वाज (सेनाके प्रतिनिधि), (१३) ए० एम० साहाय (सेक्रेटरी), (१४) रासबिहारी वसु (प्रधान सलाहकार), (१५) करीम ज्ञानी, (१६) देवनाथदास, (१७) डी० एम० खाँ, (१८) ए० मल्लापा, (१९) जे० थीवी, (२०) सरदार ईश्वरसिंह (सलाहकार), (२१) ए० एन० सरकार (न्याय सम्बन्धी सलाहकार)। प्यौंवन, २१ अक्तूबर १९४३।

गवाह—मुझे ज्ञात है कि वह घोषणा की गयी। लेकिन मुझे यह याद नहीं कि यह २१ अक्तूबर १९४३ को पढ़ी गयी थी। लेकिन उस दिन सुभाषचन्द्र वसुको अस्थायी सरकारकी घोषणा करते सुना था। मैंने इस घोषणा-पत्रको सुरक्षित रखी गयी रिपोर्टोंमें देखा था। श्री देसाईने जिस घोषणाकी प्रतिको पढ़ा है वह उसकी सही प्रति है। सभामें मन्त्रियोंके नाम घोषित किये गये थे।

श्री भूलाभाई देसाईने आजाद हिन्द सरकारके विभिन्न मन्त्रियोंके नाम पढ़कर सुनाये। (यह नाम ऊपर दिये जा चुके हैं—सम्पादक)

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आप सुभाषचन्द्र वसुके साथ बर्मा गये थे ?

गवाह—मैं सुभाषचन्द्र वसुके साथ बर्मा नहीं गया। सुभाषचन्द्र वसु १९४४ के प्रारम्भमें बर्मा चले गये थे। मैं अप्रैल १९४४ में उनसे मिला।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आपपर श्री सुभाष वसु विश्वास करते थे ?

गवाह—मेरा उनसे प्रत्यक्ष सम्पर्क न था।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आपके कहनेका यह अर्थ है कि आप जितने दिन अपने पदपर कार्य करते रहे आपने कभी उनसे भेंट या बातचीत नहीं की ?

गवाह—अपने कार्यालयमें मैंने उनसे केवल दो बार बातें कीं। ये अनुशासनात्मक मामलोंके सम्बन्धमें थीं।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं समझता हूँ कि उन दो अवसरों पर आपने सुभाष वसुके साथ केवल अनुशासनात्मक मामलों पर ही बातें कीं ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—अप्रैल १९४२में आप उसी मकानमें रहे जिसमें सुभाप वसु रहते थे ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने उनसे कब बातचीत की ?

गवाह—अप्रैल १९४४ के बाद किसी समय। एक बार मई १९४ बात करनेका मुझे स्मरण है।

प्रश्न—आप उनके साथ रहते थे, क्या उनके साथ भोजन भी करते

उत्तर—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या उस समय सारा कार्य पूर्णतः मौन ही होता था ?

गवाह—नहीं। पर मुझे उनसे बात करनेकी कोई आवश्यकता न थी

गवाहने आजाद हिन्द बैङ्कके बारेमें प्रश्न करनेपर कहा—अप्रैल १९ में रंगून पहुँचनेपर मुझे उक्त बैङ्कके विषयमें जानकारी प्राप्त हुई। मुझे चला कि पूर्वी एशियाके सभी भागोंमें स्थित भारतीयोंने अस्थायी सरका स्थापनाके लिए बहुत अधिक धन दानमें दिया है।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या दानकी रकम लगभग ८॥ करोड़ रुपये थी

गवाह—कितनी रकम थी, यह तो मुझे मालूम नहीं, किन्तु धन क ड़ोंमें था। जमा किये हुए अनाजकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी।

जज एडवोकेट—आप कैसे जानते हैं ?

गवाह—सुभाषचन्द्र बसु द्वारा समय-समय पर दिये गये भाषणोंसे ई विदित है कि कितना चन्दा दिया गया।

जज एडवोकेट—क्या आप केवल वही दुहरा रहे हैं जो कि आप सुना ?

गवाह—एक या दो अवसरों पर मैंने खुद चन्दा एकत्रित किया जाता देखा था। वसुकी घोषणाओंसे मुझे ज्ञात हुआ कि कितनी रकम प्राप्त हुई।

जज एडवोकेट—गवाह वही दुहराता है जो कि उसे बताया गया है। तथ्योंपर न जाकर कही-सुनी बातोंपर पहुँचनेमें बड़ा खतरा है।

श्री भूलाभाई देसाई—मुझे उन मामलोंके बारेमें आवश्यक प्रश्न पूछते हैं जिनके बारमें गवाहको प्रत्यक्षरूपसे विदित है। बर्मापर पुनः अधिकार हो जानेके बाद, जायज और नाजायज तौरपर सरकारने आजाद हिन्द बैंक तथा आजाद हिन्द फौजके कागजातों (रिकर्डों) तथा उसके बहुतसे कर्मचारियोंको पकड़ लिया। परिणामस्वरूप हमें उन्हीं बातोंकी जानकारी है जो कि छपे हुए दस्तावेजोंमें मौजूद हैं। अतएव मुझे गवाहसे अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।

जज एडवोकेट—लेकिन आप गवाहसे वह बात नहीं कहला सकते जो केवल सुनी सुनाई है।

श्री भूलाभाई देसाई—सेनाके सम्बन्धमें अस्थायी सरकारका क्या काम था?

गवाह—अन्य कार्योंके अतिरिक्त अस्थायी सरकारका काम सेना रखना भी था और उसके लिए काफी रूपयेकी आवश्यकता थी।

श्री भूलाभाई देसाई—बैङ्क आपके मकानसे कितनी दूरपर था?

गवाह—मैं बैङ्कसे सिर्फ तीस गजकी दूरीपर रहता था।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या सेना तथा आजाद हिन्द सरकारके लिए बैङ्कसे रुपया लिया जाता था?

गवाह—मुझे ज्ञात नहीं लेकिन मुझे यह मालूम हुआ है कि भारतीयोंने बड़ी-बड़ी रकमें चन्देमें दी।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या रकमें बैंकमें जमाकी जाती थीं ?

गवाह—मैं नहीं जानता।

श्री भूलाभाई देसाई—'डिप्टी एडजुटेण्ट जनरल' की हैसियतसे आजाद हिन्द फौजकी जिम्मेदारी आपपर थी। आप यह नहीं जानते थे कि उसका खर्च कैसे चलता है ?

गवाह—हाँ, लेकिन मैं केवल सेनाकी शक्ति (संख्या) की देखभाल करता था न कि उसके खर्च की।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आर्थिक रूपसे सेनाकी रक्षाकी जाती थी।

गवाह—आजाद हिन्द फौजके खर्चकी व्यवस्था अर्थ विभागका काम था लेकिन मैं यह जानता हूँ कि सेनाको नियमित रूपसे वेतन दिया जाता था।

गवाहने आगे बताया—हिसाब किताब रखनेवाले अधिकारी मेजर मूर्ति थे। मैं भी उसी कार्यालयमें काम करता था जिसमें मेजर मूर्ति थे। वे सरकारके अर्थमन्त्रीके आदेशानुसार कार्य करते थे। आरम्भमें १९४४ में सिंगापुरमें अस्थायी सरकारके अर्थमन्त्री लेफ्टिनेण्ट कर्नल चटर्जी थे। उनके बाद श्री राघवन हुये।

जब मैं मेम्योमें था तो लेफ्टिनेण्ट कर्नल एहसान कादिरसे मेरी भेंट हुई थी। वे आजाद हिन्द दलके साथ थे। इस दलका उद्देश्य उन क्षेत्रोंपर शासन करना था जिनपर समय-समयपर आजाद हिन्द फौजका कब्जा हो जाता था। इस दलमें नागरिक लोग थे, जिन्हें सिंगापुर और रंगूनमें नागरिक शासनकी शिक्षा मिली थी। लेफ्टिनेण्ट कर्नल चटर्जी आजाद हिन्द सरकार द्वारा अधिकृत प्रदेशोंके गवर्नर बनाये गये थे।

श्री सरकारने अधिकृत प्रदेशोंके शासनके निमित्त एक प्रस्तावित योजना तैयारकी थी। उसे लेफ्टिनेण्ट कर्नल चटर्जीने मुझे दिया था। मैंने उसपर पाँच सप्ताह तक विचार किया था।

श्री भूलाभाई देसाई—तब आपने फौजी कानूनका मसविदा बनाने तथा जज एडवोकेटके रूपमें अपने कर्तव्यका पालन करनेके अतिरिक्त और भी कुछ किया ?

गवाह—हाँ, मेरी इस सम्बन्धमें सलाह ली गयी कि इस योजनामें संशोधन हो सकता है या नहीं। मेरी दृष्टिमें वह एक अच्छी योजना थी।

मुझे इस बातका पता है कि सन् १९४३ के अन्तमें अण्डमान और निकोबारके द्वीप अस्थायी सरकारको दे दिये गये थे। लेफ्टिनेण्ट कर्नल लोकनाथन् उनके शासक बनाये गये थे, जिन्होंने लगभग ८ मासतक उनपर शासन किया। जब बीमारीके कारण लोकनाथन्को अण्डमान छोड़ना पड़ा तब उन्होंने अपने निजी सेक्रेटरी मेजर अलवीको वहाँका काम सुपुर्द किया।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या उन प्रदेशोंपर शासन उस योजनाके अनुसार होता था जिसे आपने अच्छा बताया था।

गवाह—मैं नहीं जानता।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आपको मालूम है कि बर्मामें जैबादी नामक प्रदेशपर आजाद हिन्द सरकारकी ओरसे शासन होता था ?

गवाह—नहीं।

गवाहने आगे बताया—आजाद हिन्द दलके लिए दो सौ व्यक्तियोंको ट्रेनिंग दी गयी थी। इस संस्थाके अधिकारियोंको उत्तीर्ण करनेके समारोहके समय मैं उपस्थित था।

अस्थायी सरकारकी ओरसे की जानेवाली नियुक्तियोंके सम्बन्धकी सूचना अस्थायी सरकार द्वारा प्रकाशित गजटमें रहती थी और सेनाकी नियुक्तिकी सूचना 'आजाद हिन्द फौज गजट'में प्रकाशित होती थी। आजाद हिन्द फौज और जापानी सेनाओंके बीच पारस्परिक सहयोग था। यह बात मैं जानता हूँ। दोनों सेनाएँ दो मित्र सेनाओंकी तरह कार्य करती थीं।

श्री भूलाभाई देसाई—विभिन्न क्षेत्रोंके सम्बन्धमें रणयोजना बनाने बाद आपसमें सलाह किया जाता था और एक मत होकर काम होता था।

गवाह—मैं आक्रमण सम्बन्धी कोई बात नहीं जानता।

गवाहने आगे बताया—मैं जापान सरकारके केवल एक या दो सम्पर्क अधिकारियों—मेजर जनरल यामामुतो तथा लेफ्टिनेण्ट कर्नल अगावा जानता हूँ। जापानी सम्पर्क संस्थाका नाम 'हिकारी किकन' था।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या कोई और भी 'किकन' था जिसका अर्थ समझता हूँ कि 'विभाग' है।

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कागजोंमें मैंने एक दूसरा नाम भी देखा है।

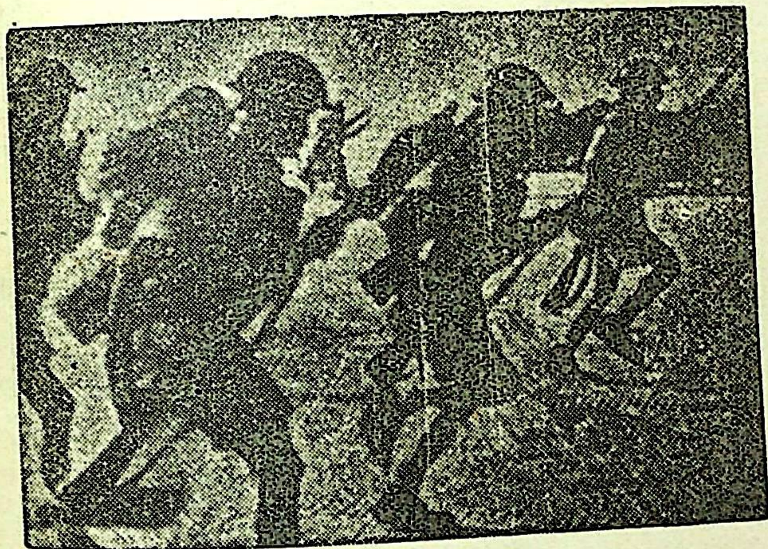
गवाहने आगे बताया—आजाद हिन्द सरकार बननेके बाद ब्रिटेन और अमेरिकाके विरुद्ध युद्धकी घोषणाकी गयी। जापानी सरकारने श्री हचीहारा आजाद हिन्द सरकारके पास राजदूतके रूपमें भेजा।

आजाद हिन्दकी इस अस्थायी सरकारको जर्मनी, जापान, इटली, थाईलैंड फिलिपाइन, कोरिया और मंचूरियाने तथा बर्माकी तत्कालीन सरकारने स्वीकार किया था। इतने नाम मुझे याद है।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आप जानते हैं कि आइरिश प्रजातन्त्र सरकारने भी उसे स्वीकृति दी थी?'

गवाह—नहीं।

मुझे मालूम है कि बर्मा सरकारके पास एक बर्मा रक्षक सेना थी। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि वह बर्माकी वर्तमान सेनामें मिला दी गयी। मैं बर्मा रक्षा सेनाके प्रधान अफसर आँगसानसे एक बार मिला हूँ।



आज़ाद हिन्द सैनिक युद्धके मैदानमें



नेताजी द्वारा आजाद हिन्द फौजका निरीक्षण

आजाद हिन्द फौजका उद्देश्य भारतकी मुक्तिके लिये ब्रिटेनसे लड़ना था। पूर्वी एशियामें स्थित भारतीयोंके जीवन, सम्मान और सम्पत्तिकी रक्षा करना भी अस्थायी सरकारका उद्देश्य था। जब रंगूनपर ब्रिटिश सेनाका कब्जा हो गया तब आजाद हिन्द फौजने अप्रैल १९४५ से २ मई १९४५ के बीच वर्मा-स्थित भारतीयोंकी रक्षामें सहायता की। जब जापानने बर्मा और मलायापर अधिकार किया तो वहाँ काफी अव्यवस्था थी। अस्थायी सरकारने इन देशोंमें भारतीयोंके रक्षाकी चेष्टा की, पर मैं यह नहीं जानता कि किस साधनसे किया। इस क्षेत्रमें आजाद हिन्द फौजने क्या काम किया मुझे नहीं मालूम।

१५ फरवरी १९४२ को सिङ्गापुरमें ब्रिटिशके पतनके पश्चात् भारतीय युद्ध बन्दियोंके लिए तीन या चार शिविर बने। ये नेसून, बिदादरी, सेलेटार और बुलारके शिविर थे। बादमें एक दूसरा शिविर करंजीमें तथा एक या दो जगहों पर और शिविर खोले गये।

प्रत्येक शिविरके अस्पतालमें ५००से ७०० तक मरीजोंके लिये स्थान था। मार्च १९४३ में मेरी चिकित्सा बिदादरीके अस्पतालमें हो रही थी।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने कहा है कि आप दूसरी आजाद हिन्द सेनामें इस भयसे रहनेको राजी हुए कि आप बिदादरी अस्पतालसे हटाकर सेलेटार भेज दिये जाएँगे। अब आप कहते हैं कि सेलेटारमें भी अस्पताल था।

गवाह—मुझे बताया गया कि मैं सेलेटार शिविरमें भेजा जा रहा हूँ जहाँ कि अस्पताल नहीं है।

श्री भूलाभाई देसाई—सेलाटारमें एकही अस्पताल था जिसमें कि युद्ध-बन्दी भी भर्ती किये जा सकते थे?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—तो यह कहना एकदम गलत है कि आप टार शिविरमें भेजे जा रहे थे जहाँ चिकित्साका कोई व्यवस्था नहीं है ?

गवाह—नहीं। हम लोग मरीज थे फिर भी अस्पताल नहीं भेजे रहे थे।

श्री भूलाभाई देसाई—तो आपका यह मतलब है कि वे ही मरीज आजाद हिन्द फौजमें रहनेको तैयार नहीं थे, सेलाटार शिविरमें भेजे जा थे, जहाँ किसी चिकित्साकी व्यवस्था नहीं थी ?

गवाह—यही तो मैंने कहा।

श्री भूलाभाई देसाई—इससे आपका तात्पर्य क्या है ? वहाँ अस्पताल था जो प्रत्येक युद्धबन्दीके लिए खुला हुआ था।

गवाह—साधारणतः मरीज अस्पताल ही भेजे जाते थे पर मुझसे कहा ग कि हम लोग अस्पताल नहीं भेजे जा रहे हैं।

श्री भूलाभाई देसाई—तो आपका यह कहना है कि आप खास तौर अस्पताल न भेजे जानेके लिए चुने गये थे ?

गवाह—नहीं। यह बात हर एकपर लागू थी। विदादरीमें प्रत्येक मरीज कहा गया कि, यदि आजाद हिन्द फौजमें रहना स्वीकार नहीं करते तो अस्पता न भेजकर सेलेटार शिविर भेज दिये जाओगे।

विदादरीके अस्पतालमें मेरे साथ वाइसराय कमीशनके कुछ अफसर पर उनके नाम न तो मुझे याद हैं और न विवरणसे उन्हें पहचान सकता हूँ।

जज एडवोकेट—विदादरीके अस्पतालको छोड़नेके बाद क्या आ स्वेच्छासे आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित हुए थे ?

गवाह—नहीं।

जज एडवोकेट—शामिल होनेके बाद क्या आप इसमें स्वेच्छासे रहे ?

गवाह—जी हाँ।

आगे गवाहने बताया—पहली आजाद हिन्द फौज दिसम्बर १९४२ में विघटित हो गयी थी। उसके सेनापति कप्तान मोहनसिंह को जापानियोंने उसी महीने गिरफ्तार कर लिया था।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या कारण था ?

गवाह—मैं कारण नहीं जानता। उनका जापानी अधिकारियोंसे मत-भेद हो गया था।

श्री भूलाभाई देसाई—किस तरहका मतभेद ?

गवाह—वे उनपर विश्वास नहीं करते थे।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या यही एकमात्र कारण था ?

गवाह—मुझे इतना ही मालूम है कि उनसे मतभेद था, किन्तु किस बातपर, यह नहीं मालूम।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या मोहनसिंहकी गिरफ्तारीके अलावा और भी कोई कारण था जिससे पहली आजाद हिन्द सेना विघटित की गयी।

गवाह—श्रीमोहनसिंहकी गिरफ्तारी ही एकमात्र कारण था।

श्री भूलाभाई देसाईने गवाहके पहले बयानका सारांश बतलाते हुए कहा कि—आपने कहा था कि कप्तान मोहनसिंहने युद्धबन्दियोंकी एक सभामें कहा था कि 'अगर आवश्यकता होगी तो ब्रिटिशके अलावा हम जापानियोंसे भी लड़ेंगे ?'

गवाह—मैंने वस्तुतः उस समय कहा था कि 'कप्तान मोहनसिंहने कहा कि जो कोई मार्गमें बाधक होगा हम उससे लड़ेंगे।'

श्रीभूलाभाई देसाई—इससे उनका मतलब किससे था ?

गवाह—जापानियों तथा हर एकसे।

गवाहको उसके दस्तखती बयानका सारांश दिखाकर श्रीभूलाभाई देसाईने पूछा—क्या दस्तखत करनेसे पहले वह सारांश आपको पढ़कर सुना दिया गया था। यदि हाँ, तो आपने उस समय उसे क्यों नहीं ठीक किया ?

गवाह—बयानके उस अंशके सही होनेका ख्याल उस समय नहीं था; अब मुझे सही उत्तर याद आ रहा है और वह यह है कि कप्तान मोहनसिंह 'जापानी' शब्दका प्रयोग नहीं किया था पर उनका मतलब जापानियोंसे था।

गवाहने आगे बताया—हमलोगोंको एक बन्द लिफाफेमें आदेश दिया था कि यदि कप्तान मोहनसिंह गिरफ्तार हो जाँय तो आजाद हिन्द फौज ते दी जाय और सारे कागजात नष्ट कर दिये जाँय। कप्तान मोहनसिंहने उस आदेश पत्रमें और कुछ नहीं लिखा था।

श्री भूलाभाई देसाई—१९४२ में क्या लोगोंमें यह भाव नहीं थे आजाद हिन्द फौज, यदि जापान या जापानीसेनाके आधीन हो रही हो उसे कायम न रखा जाय ?

गवाह—यह भावना सभीके मनमें तभीसे नहीं आरम्भसे ही थी लोगोंके भीतर प्रधान भावना भारतीयोंके लिए भारतको आजाद करना था।

श्री भूलाभाई देसाई—दूसरी आजाद हिन्द सेनाके संघटनके बाद लोगोंमें वही भावना थी ?

गवाह—हाँ, दूसरी आजाद हिन्द फौजके संघटनके बादसे जुलाई १९ में बसुके आनेतक वही भावना थी।

श्री भूलाभाई देसाई—और उसके बाद ?

गवाह—उसके बाद तो हर एक सोचने लगा कि उन्हें एक ऐसा ने मिल गया है तो उचित मार्गपर उन्हें ले जा सकता है।

श्री भूलाभाई देसाई—मतलब यह कि वे लोग हर एकसे बिना जापा नियोंके आधीन हुए लड़ेंगे ?

गवाहने स्वीकृतिसूचक संकेत किया। आगे गवाहने बताया कि आजाद हिन्द फौजको कुल शिक्षा जापानी अफसरों द्वारा नहीं वरन् भारतीय अफसरों द्वारा दी जाती थी।

श्री भूलाभाई देसाई---आजाद हिन्द फौजका चिन्ह क्या था ?

गवाह---भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका चिन्ह अर्थात् सफेद हरा और केसरिया रंग। उसका बैज जापानियोंसे भिन्न था। इसके बाद गवाहने बाजूपरके एक बैजकी शिनाख्त की, जिसमें दो झण्डे आड़े थे और बीचमें चाकलेट रंगका तारा था, और कहा कि 'आजाद हिन्द फौज द्वारा एक समय पहना जाता था।

श्री भूलाभाई देसाई---क्या यह सही है कि बाजूपरके इस बैजको आजाद हिन्द फौजके लोग इस कारण नापसन्द करते थे कि उससे जापानके प्रभातकालीन सूर्यका धोखा हो सकता है।

गवाह---हाँ। दूसरे आजाद हिन्द फौजमें उसका उपयोग बन्द कर दिया गया।

श्री भूलाभाई देसाई---आपने बताया है कि अन्दमान और नीकोबारका प्रबन्ध उस योजनाके अनुसार नहीं होता था जिसे लेफ्टिनेण्ट कर्नल चटर्जीने आपको दिया था। क्या आपने शासन व्यवस्थाको विस्तृतरूपसे स्वयम् देखा ?

गवाह---मैंने यह कहा था कि हमारी योजनाके अनुसार व्यवस्था नहीं होती थी क्योंकि अन्दमान नीकोबार तथा रंगूनके बीच सम्बन्ध स्थापित करनेका कोई साधन न था।

श्री भूलाभाई देसाई---क्या आप जानते हैं कि शासन किस ढङ्गसे होता था ?

गवाह---मेरी अपनी जानकारी नहीं है।

श्री भूलाभाई देसाई---२१ अक्तूबर १९४३ को आजाद हिन्द सरकारकी घोषणा की गयी। क्या आपको मालूम है कि सरकारके प्रधानकी हैसियतसे सुभाषचन्द्र बसुने घोषणा की थी कि आजाद हिन्द फौजका प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है वह चाहे रहे या चला जाये।

गवाह—हाँ, मैंने बसुको २१ अक्तूबरके बाद ही एक सभामें यह कहते सुना था कि जो कोई आजाद हिन्द फौजको छोड़ना चाहता है, वह खुशीसे जा सकता है।

श्री भूलाभाई देसाई—उस सभामें कौन-कौन लोग थे।

गवाह—आजाद हिन्द फौजके कर्मचारी।

आगे गवाहने बताया कि "मैंने मलायामें 'जय हिन्द' या 'आजाद हिन्द' नामक एक साप्ताहिक पत्र देखा था जो आजाद हिन्द सरकारकी ओरसे प्रकाशित होता था। मुझे नहीं मालूम कि आजाद हिन्द सरकारकी ओरसे 'पूर्ण स्वराज्य' नामक कोई दैनिक पत्र निकलता था।

गवाहने आगे बताया—आजाद हिन्द सेनाके अफसरोंको लगभग निम्नलिखित दरसे वेतन मिलता था—लेफ्टिनेण्ट ८०), कप्तान १२५), मेजर १८०) (मलायामें) तथा २२०) से २३५) (बर्मामें) लेफ्टिनेण्ट कर्नल ३३०), कर्नल ४००)।

श्री भूलाभाई देसाई—जापानियोंके प्रवेशसे पूर्व बहुतसे भारतीय बर्मा छोड़कर चले आये थे। उनकी गैर हाजिरीमें आजाद हिन्द फौज और आजाद हिन्द सरकार उनकी सम्पत्तिकी देख रेख करती रही?

गवाह—मुझे यह नहीं मालूम।

श्री भूलाभाई देसाई—मई १९४५ में रंगूनपर ब्रिटिश सेनाका कब्जा हो जानेके बाद क्या वहाँ शान्ति-स्थापनार्थ आजाद हिन्द फौजसे सहायताके सम्बन्धमें कोई पत्रव्यवहार हुआ था?

उत्तर—नहीं।

आगे गवाहने बताया—"आजकल मैं सदर दफ्तरसे सम्बद्ध हूँ। मेरे पास कोई खास काम नहीं है, महज गवाहके रूपमें रखा गया हूँ और जाँचके सम्बन्धमें अफसर लोग मुझसे पूछ ताछ करते रहते हैं।

श्री भूलाभाई देसाई---क्या आप इस तथा आजाद हिन्द फौज सम्बन्धी मामलेमें गवाहके रूपमें रखे गये हैं ?

गवाह---हाँ ।

श्री भूलाभाई देसाई---रंगूनपर पुनः अधिकार करनेके पश्चात् अंग्रेजोंद्वारा की गयी कुछ हत्यायोंके सम्बन्धमें आपने सुना है ?

गवाह---नहीं ।

श्री भूलाभाई देसाई---पुनः अधिकार देनेके पश्चात् ही आजाद हिन्द फौजसे शान्ति स्थापन रखनेमें सहायता करनेके उद्देश्यसे लिखे गये पत्रसे आपका कोई सम्बन्ध था ।

गवाह---नहीं ।

श्रीभूलाभाई देसाई---क्या आपको मालूम है कि 'सेवक-ए-हिन्द' नामक पदक रंगूनमें श्री हबीबको इसलिए दिया गया था कि उन्होंने आजाद हिन्द फौजको एक करोड़ रुपया दिया था ।

गवाहे---जब पदक दिया गया तो मैं मौजूद था। लेकिन श्री हबीबने कितना रुपया दिया था यह नहीं मालूम पर वह बहुत बड़ी रकम--कई लाख रुपयोंकी थी ।

श्री भूलाभाई देसाईने गवाहसे जिरह समाप्त की। एडवोकेट जनरलने गवाहसे उन परिस्थितियोंको बतानेको कहा जिनमें वे आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित हुए थे ।

गवाह---अस्पतालके कमाण्डिंग अफसरने बताया कि उन मरीजोंको, जो आजाद हिन्द फौजमें नहीं रहना चाहते, सेलेटार शिविरमें भेजनेका आदेश आया है। पूछनेपर मुझे बताया गया कि सेलेटारमें चिकित्साका कोई प्रबन्ध नहीं है। तब मैंने कहा---अच्छा मैं आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित हूँगा। उसके बाद आजाद हिन्द फौजमें बना रहा ।

एडवोकेट जनरल---आपने कहा कि अन्दमान और नीकोबार अस्थाई सरकारको दे दिये गए। किसने दिए ? जापानने ?

श्री भूलाभाई देसाईने इस प्रश्नपर आपत्ति की---"एडवोकेट जनरल मो जिरहके बाद गवाहसे जिरह नहीं कर सकते। वे किसी जवाबकी स्पष्टीकरण करा सकते हैं।

अदालतने श्री भूलाभाई देसाईकी यह आपत्ति स्वीकार नहीं की।

गवाह---नीकोबार और अन्दमानको जापान सरकारने दिया।

लेफ्टिनेण्ट कर्नल लोकनाथन जब सिङ्गापुरसे अन्दमान जा रहे थे तो वे अपने साथ दो अफसर और ४--५ क्लर्क ले गए। उस समय अन्दमान और नीकोबारमें आजाद हिन्द फौजकी कोई टुकड़ी नहीं थी।

श्री भूलाभाई देसाई---जब आप अन्दमानमें नहीं थे तो आपको इसकी जानकारी कैसे हुई।

गवाह---अगर अन्दमानमें कोई आजाद हिन्द फौजकी टुकड़ी होती तो डिप्टी एडजुडेण्ट जनरलकी हैसियतसे मुझे मालूम होता। मैं जानता हूं कि वहाँ नहीं थी।

एडवोकेट जनरल---अपने जिरहमें बताया है कि जापानी और आजाद हिंद सेना दो मित्रोंकी भाँति काम कर रही थी। इससे आपका क्या मतलब है ?

गवाह---जब मैंने 'मित्र' कहा तो उससे मेरा मतलब यह था कि वे लोग समान साझीदार की तरह काम कर रहे थे।

एडवोकेट जनरल---क्या आपको व्यक्तिगत जानकारी है कि आजाद हिन्द फौज स्वेच्छासे काम कर रही थी या किसी अन्यके आदेश से ?

गवाह---मैंने कुछ सरकारी कागजात देखे थे जिनमें......

श्री भूलाभाई देसाई---जब तक कि वे कागजात पेश न हों लेफ्टिनेण्ट भाग यह बात नहीं कह सकते।

अदालतने श्री भूलाभाई देसाई की आपत्ति मान ली।

एडवोकेट जनरल—आप किन कागजातकी बात कह रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि वे मौजूद हैं?

गवाह—नहीं, मुझे मालूम किं वे हैं या नहीं।

अध्यक्ष मेजर जनरल ब्लेक्सलैण्डके प्रश्नका उत्तर देते हुये गवाहने बताया—अंग्रेजोंके बर्मापर अधिकार करनेसे पूर्व आजादहिन्द फौजके लोग बर्मामें बर्मियोंके विरुद्ध भारतीयोंकी रक्षा कर रहे थे। मैंने अभियुक्तोंको आजाद हिन्द फौजके बैज सितम्बर १९४२ से लगाते देखा था। जनवरी १९४४से फरवरी १९४३ के बीचके कालको छोड़कर क्योंकि वह संकटावस्था थी। मैंने अभियुक्तोंको सबसे बड़े पदके निम्नलिखित बैज लगाये देखा था—

कप्तान शाहनवाज—कर्नल

कप्तान सहगल—लेफ्टिनेण्ट कर्नल

लेफ्टिनेण्ट ढिल्लों—मेजर

मैंने इनके तथा अन्य अफसरोंके हस्ताक्षर भी देखे थे। गान्धी रेजिमेण्टकी संख्या जहाँ घट गयी थी, वहाँ नेहरू रेजिमेण्टकी संख्या पूरी थी। कप्तान सहगल दिसम्बर १९४३ या जनवरी १९४४ में उस समय रंगून आये थे जब आजाद हिन्द फौजका मुख्य केन्द्र रंगून चला गया था। तीनों अभियुक्त २१ अक्तूबर १९४३ की सभामें मौजूद थे, पर उन्होंने सभाकी कार्यवाहीमें सक्रिय भाग नहीं लिया।

दूसरे गवाहके गवाहीका औचित्य

इसके बाद लेफ्टिनेण्ट नागकी गवाही समाप्त हुई और सबूत पक्षने कप्तान धारगलकरको यह साबित करनेके लिए गवाहके रूपमें पेश करना चाहा कि युद्ध बन्दियोंको आजाद हिन्द फौजमें भरती करनेके लिए कष्ट और यातनायें दी गयीं।

श्री भूलाभाई देसाईने इस पर आपत्ति की और कहा कि यह गवा असंगत है।

जज एडवोकेटने कहा कि अभियुक्तोंपर सम्राटके विरुद्ध युद्ध करनेका अभियोग है उसका एक अंश यह भी है कि अभियुक्तोंने आजाद हिन्द फौज लिए भर्ती की, इसलिए सबूत पक्षको इस आशयकी गवाही दिलाने अधिकार है कि यह भर्ता किन अवस्थाओंमें की गयी और भर्तीके समय कि अवसर पर अभियुक्त मौजूद थे या नहीं। अभियुक्तोंने अपने भाषणमें यु बन्दियोंके कष्टोंकी चर्चा करते हुए उन्हें आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होने लिए कहा।

एडवोकेट जनरलने विस्तृत बहसमें कहा कि 'सम्राटके विरुद्ध युद्ध करने सम्बन्धमें सभी गवाहोंको पेश करनेका मुझे अधिकार है। उसका कुछ अं गवाहों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा जो यह बतायेंगे कि अभियुक्तोंने सख्ती धमकीसे काम लिया और उन्हें मालूम है कि जो आजाद हिन्द फौजमें भर्ती नहीं हुये उनके साथ सख्ती की गयी।

श्री भूलाभाई देसाईने कहा—अब तक कोई प्रमाण ऐसा पेश नहीं कि गया जिससे पता लगे कि अभियुक्तोंने अत्याचार किया। केवल इस बात ज्ञानसे ही कि किसीने कहीं अत्याचार किया, अपराध प्रमाणित नहीं होता। अब जो गवाह सबूत पेश करना चाहता है वह उन सम्मानित व्यक्तियोंके प्रति दुर्भावना फैलानेके उद्देश्यसे ही है, जिनके सम्बन्धमें सबूतके बातोंसे ही पता लगता है कि उन्होंने अत्याचारमें कोई भाग नहीं लिया।

पश्चात इस प्रश्नपर विचार करनेके लिए अदालत कुछ देरके लिए उ गयी और पुनः बैठनेपर जज एडवोकेटने घोषित किया कि अदालतने निश्चय किया है कि मलाया और बरमामें भारतीय युद्ध बन्दियोंपर जो अत्याचार और सख्ती की गयी है, उनके सम्बन्धमें प्रमाण स्वीकार किये जायँ।

पश्चात् अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी।

२२ नवम्बर १६४५

दूसरे गवाह—कप्तान धारगलकर

कप्तान धारगलकर—१६३१ में जब मैंने अपनी शिक्षा समाप्त कर ली तो मैं पूनास्थित एक ब्रिटिश रेजिमेण्टमें नियुक्त किया गया। पश्चात मेरी नियुक्ति भारतीय सेनाके ३रे घुड़सवार रेजिमेण्टमें हुई, तबसे उस रेजिमेण्टमें काम कर रहा हूँ। मैंने मलायाके युद्धमें भाग लिया था। १६ फरवरी १६४२ को जब अंग्रेजोंने जापानियोंको आत्मसमर्पण कर दिया उस समय मैं सिंगापुरमें था। मेरा दस्ता युद्धबन्दी बना लिया गया और १८ फरवरीको नैसूनके शिविरमें भेज दिया गया। नैसून जानेसे पूर्व मुझे आजाद हिन्द सेनाके सम्बन्धमें कुछ भी मालूम न था। मालूम होनेपर भी मैंने आजाद हिन्द फौजसे कभी कोई सम्बन्ध नहीं रखा।

एडवोकेट जनरल—क्या आपने उसके निर्माण या विरोधमें किसी प्रकारका भाग लिया था?

गवाह—मैंने अपनी रेजिमेण्ट तथा उन लोगोंको जिन्होंने मुझसे सलाह ली, आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित होनेसे रोका।

नेसून शिविरमें मैं तीन दिन तक कठोर निगरानीमें रखा गया। मैंने लेफ्टिनेण्ट कर्नल ग्यालसे इसका कारण जाननेकी चेष्टा की। पर मुझे कोई बात बतायी नहीं गयी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैंने कोई अनुशासन विरुद्ध कार्य नहीं किया है।

श्री भूलाभाई देसाई—नेसून शिविरमें आपको दूसरे अफसरोंसे भिन्न खाना दिया जाता था?

गवाह—मैं नहीं जानता कि दूसरे क्या खाते थे। मैं अकेला था।

श्री भूलाभाई देसाई—गिरफ्तारीके अतिरिक्त आपको खाने या किसी
बातकी शिकायत तो न थी ?

गवाह—नहीं।

तीन दिनके बाद मैं अपनी टुकड़ीके साथ बिदादरी शिविरमें भेज दिया
वहाँ मैं २१ मार्च १९४३ तक रहा। बीचमें १० दिनके लिए वुल्लर शिवि
चला गया था। वुल्लर शिविरमें ७ से १० हजार तक आदमी थे। बिदा
शिविरमें दुर्व्यवहार होनेकी कोई शिकायत नहीं थी।

२१ मार्च को मैं और १००० अन्य व्यक्ति जनरल मोहन सिंहकी आज
मशक्कत करनेके लिए थाइलैण्ड भेजे गये। उस समय तक आजाद हिन्द
बनानेकी तैयारी हो चुकी थी। आजाद हिन्द फौजसे मेरा मतलब भार
स्वयंसेवकोंसे है।

श्री भूलाभाई देसाई—इस शब्दका वही तात्पर्य है न, जो वे लोग थे ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—तो इसका मतलब यह हुआ कि उन लोगोंने आज
हिन्द फौजमें भरती होनेके निमित्त अपनेको वालिटियर किया था ?

गवाह—उस समय वे लोग वालिण्टियर कहे जाते थे। उन्होंने वालिण्टि
किया था या नहीं, मैं नहीं जानता।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने अभी कहा कि वालिण्टियर शब्दसे वही
व्यक्त होता है जो वे लोग थे। अब आप अपने जवाबसे हटना चाहते हैं ?

गवाह—वे लोग भारतीय वालिण्टियर कहे जाते थे।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या इस शब्दसे यह भाव व्यक्त होता है कि उनलोगों
वालण्टियर किया था ?

जज एडवोकेट—अदालतका कहना है कि गवाहने इस प्रश्नका उत्त
दे दिया है।

गवाह—मेजर फूजीवाराने भारतीय युद्ध बन्दियोंको कप्तान मोहन सिंहके हवाले कर दिया था और उनसे कप्तान मोहन सिंहकी आज्ञा पालन करनेको कहा गया था। कप्तान मोहन सिंहने मुझसे थाइलैण्ड जानेको कहा। यह वालिण्टियर और गैर वालिण्टियरोंको अलग करनेके लिए किया गया था। हमलोग १ अप्रैल को थाइलैण्डके युद्धबन्दी शिविरमें पहुंचे। मैं उस शिविरका कमाण्डर था और एक जापानी सेकेण्ड लेफ्टिनेण्ट सम्पर्क अफसर था। इनके अतिरिक्त वहाँ ८ ब्रिटिश कमीशन अफसर भी थे। वाइसराय कमीशन प्राप्त कितने अफसर थे, उनकी संख्या ठीक नहीं बता सकता। थाइलैण्डमें अलग शिविर था और व्यवहार बहुत अच्छा था।

२१ अप्रैलको मैं तथा अन्य ५ भारतीय अफसर केम्पिकाई लेजाये गये जो मेरी समझमें जापानियोंके गेस्टपो (खुफिया विभाग) का सदर दफ्तर था।

एडवोकेट जनरल—अगर आपको अपनी बातका निश्चय नहीं है तो जापानके गेस्टपोके सदर दफ्तरका उल्लेख मत कीजिये। अच्छा नजरबन्दी शिबिरको क्या कहा जाता था ?

गवाह—इसे केनपिडाई कहते थे।

श्री भूलाभाई देसाई—यदि मेरे मित्र हमारा मनोरंजन करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह गवाही बिल्कुल वृथा है।

गवाह—हमलोग रातको लारीमें लेजाये गये जो सफेद चादरसे ढकी थी।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं सबूत पक्षके प्रश्नोंपर आपत्ति करता हूँ क्योंकि कप्तान धारगलकरने जो कुछ कहा है एकदम व्यर्थ है और अभियुक्तोंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

एडवोकेट जनरल—मैं अनावश्यक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ।

जज एडवोकेट—अपनी भूमिकाको संक्षिप्त कीजिये।

एडवोकेट जनरल—आप कबतक नजरबन्दी शिबिरमें रहे ?

गवाह—८८ दिनों तक।

एडवोकेट जनरल—वहाँ आपके साथ किस तरहका व्यवहार किया गया।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या इसका अभियुक्तोंसे कुछ सम्बन्ध है? यदि शिकायत है तो वह जापानियोंके विरुद्ध है।

एडवोकेट जनरल प्रश्न न पूछनेपर राजी हो गये।

गवाहने आगे बतलाया—मैं १८ जूलाई १९४२ को शिविरसे रिहा कर॰ पुर लाया गया। मैं २२ जूलाईको सिंगापुर पहुँचा। मैं और मेरे साथी मोहनसिंहके बँगले ले जाये गये वहाँसे वुल्लर शिविर भेज दिये गये। उस शि॰ कमाण्डर कप्तान प्रकाशचन्द थे। उस शिविरमें आजाद हिन्द फौजके कुछ॰ रिटयर और कुछ युद्ध बन्दी थे।

एडवोकेट जनरल—क्या आपके साथ आजाद हिन्द फौजमें भरती हों॰ निमित्त कोई प्रयत्न किया गया?

श्री भूलाभाई देसाई—मैं इस प्रश्नपर आपत्ति करता हूँ। बहुत बर्दाश्त॰ चुका। क्या अभियुक्त उस शिविरमें थे?

गवाह—नहीं, मेरी जानकारीमें तो नहीं थे।

जज एडवोकेट—(एडवोकेट जनरलसे) अच्छा होगा कि आप भूमि॰ भागको छोटा करें।

गवाह—वुल्लर शिविरमें हमलोग अलग रखे गये थे। कोई हमसे बातें॰ कर सकता था। हमें एक अरदली मिला था।

८ अगस्तको मैं बिदादरीके निकट एक एकान्त शिविरको भेज दिया गया॰ उसका सञ्चालन आजाद हिन्द फौज द्वारा होता था। वहाँकी अवस्था बहुत ख॰ थी और हमलोगोंके साथ अफसरोंका सा व्यवहार नहीं होता था। हमलोगों॰ अन्य कैदियोंके साथ ही खाना लेनेके लिए खड़ा होना पड़ता था। खानेमें चा॰ और कभी कभी दाल और शाक भी मिलता था। पहले तो मुझे एक झोपड़ेमें र॰

गया जिसमें दीमक भरे हुये थे। बादमें मैं हटाकर ५०० गजकी दूरी पर एक खेमेमें रखा गया। तीन चार दिन तक तो मेरे और साथी अफसरोंके सिवा वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद बहावलपुर इन्फैण्ट्रीका बहुत बड़ा भाग आगया। घेरेके चारोंओर काँटेदार तार लगे थे। इस घेरेसे बाकी शिविर ४०० गजकी दूरी पर थे। १५० गजकी दूरी पर खेमेंमें भी लोग रहते थे। मुझे वहाँ जानेकी इजाजत नहीं थी और वस्तुतः मैं वहाँ गया ही नहीं। मैं नहीं जानता कि वे लोग कौन थे?

एडवोकेट जनरल—वहाँ क्या कोई दुर्व्यवहार होता था?

श्री भूलाभाई देसाई—मैं इस प्रश्नपर आपत्ति करता हूँ। यह सर्वथा असङ्गत प्रश्न है। इससे बढ़कर वाहियात सबूत पचका प्रश्न और क्या हो सकता है।

प्रश्न पूछा नहीं गया।

आगे गवाहने बताला—शिविरके कमाण्डर सिङ्गारा सिंह और दूसरे कमाण्डर फतह खाँ थे। वहाँ बहुतसे तारके घेरे और बाड़े थे जिनमें भारतीय सैनिक बरसात और गर्मीमें रखे जाते थे। अनेक अवसरोंपर मैंने फतेह खाँको भारतीय सिपाहियों को पीटते देखा, पहरेदार और सन्तरी अधिकांशतः सिख थे। हमें इन सन्तरियों को सलाम करना पड़ता था। अगर हमलोग टोपी पहने नहीं होते तो हमें झुकना पड़ता।

एडवोकेट जनरल—जिन लोगोंको आपने पिटते देखा वे लोग कौन थे?

गवाह—अधिकांश भारतीय सैनिक थे। मैं किसीका नाम नहीं जानता।

एडवोकेट जनरल—'अधिकांश' से आपका क्या तात्पर्य है?

गवाह—वाइसराय कमीशन प्राप्त अफसर भी रहे होंगे। मैं निश्चित कुछ नहीं कह सकता।

श्री भूलाभाई देसाई—जो कुछ वहाँ हो रहा था उससे आपका कोई सम्बन्ध था?

गवाह—मेरा सम्बन्ध इतना ही था कि मुझे उन आदमियोंके सम्बन्धमें चिन्ता थी जिनका कि मैं सीनियर अफसर था। मैं उन लोगोंका अफसर था जो १५० गजपर रहते थे। शिविर तीन चार सौ गज तक फैला हुआ था।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने अपने घेरेसे दूसरे खेमेंमें होनेवाली पिटाई देखी ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने अपने घेरेसे कुछ लोगोंको पिटते देखा। यही आप जानते हैं न ?

गवाह—हाँ, शिविरमें उसकी कोई चर्चा नहीं हुई।

एडवोकेट जनरल—शिविरमें मशक्कत भी ली जाती थी ?

गवाह—हाँ, आदमियोंको लगाया।.................

श्री आसफअलीकी आपत्ति

इस जगह श्री आसफअलीने उठकर कहा—जिन व्यक्तियोंका नाम गवाहने लिया है उनपर शीघ्रही मुकदमा चलनेवाला है। क्या उनका फैसला दी अदालत आप और दूसरी अदालत करेंगी। इस अदालतमें वे इन प्रश्नोंका जवाब नहीं दे सकते। यह अत्यन्त अनुचित कारवाई है।

एडवोकेट जनरल—इस मुकदमेमें दी गयी किसी भी शहादतका उनके विरुद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता और न किया जायगा।

श्री आसफअली—गवाहने जो कुछ कहा है उसकी न तो परीक्षा हुई है और न वह प्रमाणित किया गया है। वह महज किसीका ऐसा वक्तव्य है जिसकी उस समय तक परीक्षा नहीं की जा सकती जबतक कि वे लोग, जिनका नाम लिया गया है, यहाँ न हों। अगर आप इन अभियोगोंका सामना करनेके लिए उन्हें बुलाते हैं तब तो बात समझमें आती है। किन्तु गवाहको मनमानी कहने देना और अन्य मुकदमोंपर विवाद करना मेरी दृष्टिमें घोर अनुचित है।

श्री भूलाभाई देसाई—जिन दो व्यक्तियोंके विरुद्ध गवाहने कुछ कारवाई करनेका आरोप किया है, उनकी ओरसे मुझे कोई आदेश नहीं मिला है, इसलिए, वैधताके प्रश्नसे भिन्न, अदालतको यों भी ऐसे अभियोग लगाने न देना चाहिये। जो कुछ मैं जानता हूँ, उसके अनुसार यह पूर्णतया असङ्गत है।

एडवोकेट जनरल—यदि बिना नामके शहादत दी जा सके तो अभियुक्तके अतिरिक्त और बहुतसे नाम लेनेका इरादा मेरा नहीं है। तथ्य यह है कि शिविरमें जो कुछ किया गया वह इस मामलेमें सङ्गत है।

जज एडवोकेटने आपत्तियोंको समझाया पश्चात् अदालत उसपर विचार करनेके लिए उठ गयी। कुछ मिनट बाद एकत्र होनेपर निर्णय किया कि—गवाही ग्राह्य और युद्ध करनेके अभियोगसे उसका सङ्गत है किन्तु किसी अन्य कानूनी काररवाई को विषाक्त न करनेकी दृष्टिसे उन लोगोंका नाम ग्राह्य नहीं किया जायगा जो लोग गिरफतार किये गये हैं और जिनपर भविष्यमें मुकदमा चलाया जा सकता है।

गवाहने अपना बयान पुनः आरम्भ किया—बिदादरीके निकटके एकान्त शिविरकी अवस्था बहुत ही खराब थी। युद्धबन्दियोंको प्रतिदिन ८ १० घण्टे काम करना पड़ता था यदि कामके समय वे लोग थकावटका अनुभव कर आराम करना चाहते तो पहरेदार उन्हें डण्डोंसे पीटकर पुनः कामपर लगा देते। मुझसे कभी कोई काम नहीं लिया गया। मेरे शरीरमें न जाने कैसा दर्द होने लगा था। मैं अस्पताल दवा लाने गया तो कहा गया कि नहीं मिलेगा। पञ्जाब रेजिमेण्टके ६ आदमियोंको जानता हूँ जिन्हें २ या ३ दिनतक खुले मैदानमें रहनेको बाध्य किया गया। ऐसा क्यों किया गया मैं नहीं जानता पर बादमें कुछ वाइसराय कमीशनके अफसरोंने बताया।

श्री भूलाभाई देसाईने—इस कथनपर आपत्तिकी जिसे अदालतने स्वीकार कर लिया।

गवाहने आगे कहा—तीन सितम्बरको नजरवन्दी शिविरसे हटाकर मैं अफसर शिविरमें लेजाया गया। वह एक छोटासा घेरा था, आरम्भमें वहाँ ४० अफसर बादमें वायसराय कमीशनके और अफसर आगये और हमलोगोंकी संख्या ... होगयी। वहाँ मैं २ अक्तूबर तक रहा। वहाँका रहनसहन नजरवन्दी शिविर अपेक्षा कुछ अच्छा था। वहाँ नित्य ४ ५ घण्टा काम करना पड़ता था। हमें कपड़े और वर्तन खुद धोने पड़ते थे।

जब मैं वहाँ गया, उस समय तक आजाद हिन्द सेना बन गयी थी। शिविरमें जब मैं था तो अक्सर आजाद हिन्द फौजके कुछ अफसर आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित होने निमित्त प्रचार करने आते थे।

एडवोकेट जनरल—अभियुक्तोंमेंसे कोई वहाँ आया था?

गवाह—मुझे याद है कि कप्तान शाहनवाज तथा कप्तान सहगल वहाँ आये। मैं इन दोनों अफसरोंको पहचानता हूँ।

जज एडवोकेट (कड़ाईके साथ)—अभियुक्त कहो अफसर नहीं।

गवाह—इनमेंसे किसीने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। हम सब १६ आदमी ... कमरेमें थे। हमलोगोंमें अकसर बहस हुआ करती थी। क्या बहस हुआ करती ... उसके शब्द तो नहीं बता सकता पर बातचीत आजाद हिन्द फौजके अतिरिक्त फासिस्टवाद, प्रजातन्त्र आदि और बहुतसी विषयोंपर हुआ करती थी। मुझसे किसी अभियुक्तसे बातचीत नहीं हुई। कप्तान शाहनवाज दूसरे अफसरोंसे बातकर रहे थे मैंने उनकी बात सुनी। उनकी बातचीतका आशय यही था कि इस प्रकार अपनी जिन्दगी बरवाद करनेकी अपेक्षा आप लोग आजाद हिन्द फौजमें क्यों नहीं सम्मिलित हो जाते। लोगोंने और क्या कहा मुझे याद नहीं।

इस शिविरका सञ्चालन आजाद हिन्द फौजके कप्तान मोहन सिंह करते थे। २३ अक्तूबर १९४२ को इस शिविरसे बुल्लर शिविर लेजाया गया। इस शिविरमें मैंने बन्दियोंको पेड़से बाँधकर पीटे जाते और अकसर उनके साथ दुर्व्यवहार होते

देखा। यह शिविर आजाद हिन्द फौजके एक व्यक्तिके कमाण्डमें था। जब मैं वहाँ था तो मैंने सुना कि आजाद हिन्द फौजमें सङ्कट उत्पन्न होगया है। आजाद हिन्द फौज तोड़ दी गयी और जापानियोंने मुझे तथा अन्य युद्धबन्दियोंको लेकर सेरंगून रोडपर स्थिर शिविरमें भेज दिया। मैं वहाँ २८ दिसम्बरको गया और ७ जनवरी १९४३ तक रहा। फिर उस तारीखको करंजी शिविरके अस्पतालमें चला गया। करंजी शिविरका प्रबन्ध आजाद हिन्द फौजके अफसर करते थे। कर्नल भोंसले मुझे देखा करते थे। वहीं कप्तान शाहनवाजसे भी मेरी भेंट हुई थी।

श्री भूलाभाई देसाई—सिवा उस अवसरके जब बहस हुई आप कभी अभियुक्तों से नहीं मिले ?

जज एडवोकेट—गवाह बता चुका है कि बहस एक बारसे अधिक हुआ। इसलिए श्री देसाईका प्रश्न भ्रमात्मक है क्योंकि वह केवल अवसरकी बात कह रहे हैं।

श्री भूलाभाई देसाई—खेद की बात है कि अदालत कहे कि मेरे प्रश्न भ्रमात्मक हैं। यह तो गवाहको कहना चाहिये कि मेरा कोई प्रश्न भ्रमात्मक है। इस प्रश्नका उत्तर गवाहको देना चाहिये। (गवाहसे)—आपने अभियुक्तोंको कितनी बार देखा ?

गवाह—कई बार।

श्री भूलाभाई देसाई—कितनी बार ?

गवाह—यही कोई १०-१५ बार।

श्री भूलाभाई देसाई—कितनी बार आपने इनसे या इनमेंसे किसीसे बातचीत की ?

गवाह—मैंने कप्तान शाहनवाजसे दो बार बातचीत की। कप्तान सहगल या ढिल्लोंसे बातचीत की हो ऐसा याद नहीं आता। हाँ, कप्तान सहगलसे कर्नल भोंसलेके मकानपर बातचीत हुई थी। शिविरमें जो बहस हुई थी उसमें मुझे याद है कि कप्तान

शाहनवाज और कप्तान सहगल दो बार मौजूद थे । मैं शिविरके दूसरे भागमें र
था । शिविरमें वालण्टियर और गैर-वालिंटियर दोनों रहते थे। बिदादरीका
शिविर आजाद हिन्द फौजका था । मुझे तथा अन्य लोगोंको वहाँ कप्तान मोह
सिंह लेगये थे । बातचीतके समय मैं और दूसरे १६ अफसर कमरेमें थे । मु
बहसमें शामिल होनेको नहीं कहा गया । मैंने बातचीत सुनी । इस बातची
शब्द मुझे ठीक ठीक याद नहीं है लेकिन उनका तात्पर्य याद है । आजाद हि
फौजके सिवा और बहुत सी बातें हुआ करती थीं । लोगोंने मुझसे भी कहा
अभियुक्तोंमेंसे किसीने कुछ नहीं कहा । कप्तान शाहनवाज दूसरे अफसरोंसे
करते थे । उनकी बातचीतका तात्पर्य यही थी कि आजाद हिन्द फौजमें क्यों
भरती हो जाते ? ।

श्री भूलाभाई देसाई—उस समय शाहनवाज खाँने क्या कहा ?

गवाह—देर तक आजाद हिन्द फौजके सम्बन्धमें बातचीत होती र
क्या कहा मुझे कुछ याद नहीं है ।

श्री भूलाभाई देसाई—उन्होंने जो कहा उसका कुछ भी अंश याद है ?

गवाह—उन्होंने क्या कहा ठीक ठीक याद नहीं है ।

श्री भूलाभाई देसाई – कप्तान सहगलने क्या कहा ?

गवाह—वह भी मुझे ठीक ठीक याद नहीं है ।

श्री भूलाभाई देसाई—तो आपने अपने बयानमें जो कुछ कहा वह बिना
कि किसने क्या कहा, अपनी धारणा बताया ?

गवाह—हाँ ।

आगे पूछने पर गवाहने कहा—मैं पेनाङ्गसे २८ नवम्बर १९४१ को सिंगा
गया ।

श्री भूलाभाई देसाई—पेनाङ्गसे सिंगापुर तक भगदड़ मची हुई थी ?

गवाह—(झिझककर) आप भगदड़ कह सकते हैं ।

श्री भूलाभाई देसाई—कहूँगा ।

जज एडवोकेटके प्रश्न करनेपर गवाहने कहा—जब शाहनवाज कमरेमें आये तो अफसरोंमेंसे बहुतसे उनके मित्र थे । सामान्य बातचीत होती रही । उन्होंने कोई व्याख्यान नहीं दिया ।

जज एडवोकेट—आपने उन्हें यह कहते सुना—'आपको आजाद हिन्द फौजमें भर्ती हो जाना चाहिये ।'

गवाह—निश्चय नहीं कह सकता कि शाहनवाजने अफसरोंको आजाद हिन्द फौजमें भरती हो जानेकी सलाह दी । सहगलने कुछ बात कही थीं पर उन्होंने खास तौर पर क्या कहा था नहीं बता सकता ।

जज एडवोकेट—नजरबन्दी शिविरमें कोई पीटा गया था ?

गवाह—मेरी जानकारीमें तो नहीं ।

× × × ×

इसके बाद सूबेदार मेजर बाबूरामकी गवाही आरम्भ हुई । गवाह काफी अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए एक दुभाषिया बुलाया गया ।

अदालतने अभियुक्तोंसे पूछा—"सूबेदार मेजर करतारसिंहको दुभाषिया बनाने पर आपको आपत्ति तो नहीं है ?"

कप्तान शाहनवाज और कप्तान सहगल—हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

लेफ्टिनेण्ट ढिल्लों—इस समय तो कोई आपत्ति नहीं है पर यदि दुभाषिया अयोग्य साबित हुआ तो आपत्ति हो सकती है ।

जज एडवोकेट—अदालत निर्णय करेगी कि दुभाषिया अयोग्य हैं या योग्य ।

एक या दो प्रश्न पूछे जानेके बाद अदालतने निश्चय किया कि दुभाषिया अयोग्य है । लंचका समय हो गया था अतः अदालत उठ गयी । लंचके बाद अदालतके जजोंमेंसे ही मेजर बनवारीलालको दुभाषियाका काम दिया गया ।

जज एडवोकेटने अभियुक्तोंसे पूछा—आपको मेजर वनवारीलालको दुभाषि होनेमें आपत्ति तो नहीं है।

अभियुक्तोंने कहा—नहीं।

तीसरे गवाह—सूबेदार मेजर बाबूराम

मैंने मलाया युद्धमें भाग लिया। सैनिकोंके हताहत हो जानेके कार बटालियनके सैनिकोंकी संख्या काफी कम हो गयी थी। जब यह बटालि सिंगापुरके अड्डे पर पहुँची तो उसे ५ (१४) पंजाब रेजिमेंटमें मिला दि गया। ५ फरवरीको जब मेरी बटालियन अल्ताफ बागमें थी, हमें हुक् मिला कि सिंगापुरने शत्रुको आत्मसमर्पण कर दिया है बटालियनके तमा हथियार एक जगह जमाकर दिए जायं। १६ फरवरीको हथियार जमाकर दिये ग और जापानी लोग उन्हें ले गये और तमाम भारतीय फौज बिदादरी शिविर भे दी गयी। उसी दिन हमें फरर पार्कमें एकत्र होनेका आदेश दिया गया। ज हमारी बटालियन जो कप्तान एम० जेड० कियानीके सेनानायकत्वमें थी, फरर पा पहुँची, उस समय तक वहाँ बहुतसे युद्धबन्दी आ गये थे और बहुतसे आ र थे। ३ बजे करीब ५०००० युद्धबन्दी वहाँ जमा हो गये। उस पार्कके ए भवनकी पहली मंजिलके छज्जेपर कुछ अफसर बैठे हुए थे। उनमें ब्रिटिश अ सर लेफ्टिनेएट कर्नल हएट, कुछ जापानी व भारतीय अफसर भी थे। भारती अफसरोंने हिन्दुस्तानी फौजकी वर्दियां पहन रखी थी। उनके कुर्त्तोंपर सफे बिल्ले थे, जिनपर अंग्रेजीका 'एफ' अक्षर था। कर्नल हंटने माईक्रोफोन पर तमा युद्धबन्दियोंको सावधान रूपमें खड़े हो जानेका हुक्म दिया। पश्चात् उन्होंने घोषि किया कि ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधिकी हैसियतसे मैं आप सब लोगोंको युद्धबन्दियों के रूपमें जापान सरकारके हवाले करता हूँ। आप लोगोंको अब जापान सरकारके हुक्मोंका पालन उसी तरह करना चाहिये, जिस तरह कि आप ब्रिटिश सरकारके

हुक्म माना करते थे अन्यथा आप लोगोंको सजा मिलेगी। इसके बाद लेफ्टिनेण्ट कर्नल हण्टने मेजर फूजीवाराको कुछ कागज दिया और हट गये।

इसके बाद मेजर फूजीवारा माईक्रोफोन पर आये। उन्होंने जापानी भाषा में एक भाषण दिया। उसका अनुवाद अंग्रेजी व हिन्दुस्तानीमें कर दिया गया। अपने भाषणमें उन्होंने कहा—

"जापान सरकारके प्रतिनिधिकी हैसियतसे मैंने आप लोगोंको अपने अधिकार में लिया है। मेरी सरकार आप लोगोंको युद्धबन्दी स्वीकार करनेको तैयार नहीं। जहां तक जापानियोंका सम्बन्ध है आप लोग आजाद हैं। जापानके पास अन्नकी कमी है, इसलिए युद्धबन्दियोंको मशक्कत करनी होगी। मैं आप लोगोंको कप्तान मोहनसिंहके हवाले करूँगा और वे ही आपके सुप्रीम कमांडर होंगे। उन्हींकी आज्ञा आपको माननी होगी।

उसके बाद कप्तान मोहनसिंहने कहा—अंग्रेजोंने हमें जापानियोंके हवालेकर दिया है। जापानी लोग हमें युद्धबन्दी माननेको तैयार नहीं। जापानियोंके पास राशन भी कम है। हम लोग एक आजाद हिन्द फौजका निर्माण कर रहे हैं जो भारतको आजाद करनेके लिए लड़ेगा। मैं युद्धबन्दियोंसे पूछता हूँ कि क्या वे आजाद हिन्द फौजमें शामिल होनेको तैयार हैं ?

यह सुनकर सबने अपने हाथ उठा दिये और पगड़ियाँ उछालने और प्रसन्नता प्रकट करने लगे। उन्होंने नारे लगाने शुरू किए। कप्तान मोहनसिंहने उन्हें शान्त रहनेका आदेश दिया और कहा—"आपलोगोंको खुशी मनातेसे देख मुझे भी खुशी होती है; मगर शोर मचानेसे ही आजादी न मिलेगी।"

कप्तान मोहनसिंहने कहा—अंग्रेजोंका आरोप है कि भारतीय फौजोंने मलायामें जोरदार लड़ाई नहीं की। लेकिन आप जानते हैं कि किस तरहके हथियार भारतीय फौजोंके पास थे ? हमारे पास कितने टैंक व वायुयान थे ? हमने कौनसा मोर्चा बिना आज्ञाके छोड़ा है ?"

इसके बाद मोहनसिंहने जापानियोंके साथ कुछ हँसी मजाक करते हुये अप
भाषण समाप्त कर दिया।

मैं अपने बटालियनके साथ रातको पार्कमें ही रहा। १८ फरवरीके सुबह ह
लोग नेसून शिविरको गये। दो तीन दिन बाद कप्तान मोहनसिंह और कप्त
मुहम्मद एकरामके साथ मेजर फूजीवारा शिविरमें आये।

फरवरीके अन्त या मार्चके आरम्भमें लेफ्टिनेएट ढिल्लोंने वाइसराय कमीश
प्राप्त तथा अन्य अफसरों, मेरी बटालियनके सैनिकों तथा उस मकानमें रहनेवा
लोगोंके सम्मुख व्याख्यान दिया।(गवाहने अदालतमें लेफ्टिनेएट ढिल्लोंको पहिचान
लेफ्टिनेएट ढिल्लोंने कहा—आजाद हिन्द फौजका आन्दोलन बहुत अच्छा है
और प्रत्येक व्यक्तिको इसमें शामिल होना चाहिये। लेफ्टिनेएट ढिल्लों मेरी रेजि
मेएटमें सिगनल-अफसर थे।

कप्तान शाहनवाज नैसून शिविरका सञ्चालन कर रहे थे। मार्चमें उन्होंने अ
अफसरों और सैनिकोंको एकत्र किया और बताया कि बिदादरी शिविरके अफसरों
प्रस्ताव पास किया है। मुझे उनमेंसे सिर्फ दो ही प्रस्ताव याद हैं। एकमें क
गया था कि हम सब भारतीय हैं और दूसरेमें कहा गया था कि हमें अपने देशक
आजाद करनेके लिए लड़ना चाहिये। कप्तान शाहनवाजने हमसे कहा कि हम इ
प्रस्तावोंको अन्य लोगोंको बता दें।

अप्रैलमें कप्तान शाह नवाजने एक और भाषण किया। उसमें उन्होंने कहा कि
"आजाद हिन्द फौजका आन्दोलन अच्छा है। मैं उसमें स्वेच्छासे शामिल
हुआ हूँ और मैं किसी भी आदमीको आजाद हिन्द फौजमें शामिल होनेक
हुक्म नहीं देता। जो स्वेच्छासे भरती होना चाहें हों।" उन्होंने उपस्थित
लोगोंसे अन्य सैनिकोंसे यह बात कहनेको कहा और यह भी कहा कि ज
लोग आजाद हिन्द फौजमें शामिल होना चाहे और जो न चाहे उनकी सू
कल शाम तक शिविरके दफ्तरमें पहुँच जानी चाहिये। कप्तान शाहनवाजने आ

साफ कह दिया था कि किसी भी युद्धबन्दी पर आजाद हिन्द फौजमें शामिल होने अथवा न होनेके लिए दबाव न डाला जाय। अगले दिन शामको सूची कैम्पमें चली गयी।

जब सिंगापुरके जलसेना केन्द्रमें मेरी बटालियनका पुनस्सङ्गठन हुआ उस समय कप्तान शाहनवाज दूसरी कम्पनीके सेनानायक थे।

मैं बङ्काकमें होनेवाले सम्मेलनमें सम्मिलित हुआ था। कप्तान एम० जेड० कियानीने मुझे शिविरके दफ्तरमें बुलाया और कहा कि 'आपको सम्मेलनमें जाना चाहिये।' जब मैंने कहा कि मुझे अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं आती। तब कप्तान कियानीने कहा—'आपको जानना होगा।"

सम्मेलनसे पहले और सम्मेलनके पहले दिन प्रतिनिधियोंको कोई हिदायत नहीं दी गयी थी। दूसरे दिन अधिवेशन आरम्भ होनेसे पहले कप्तान मोहनसिंहने हमें आदेश दिया कि फौजी प्रतिनिधियोंको अनुशासन कायम रहना चाहिये। सम्मेलनमें आपत्ति नहीं करना चाहिये। यदि किसीको आपत्ति हो तो पहलेसे ही सूचना दे दे और मेरे साथ विचार-विमर्ष कर ले।

एडवोकेट जनरल—सम्मेलनमें कौन कौनसे प्रस्ताव स्वीकृत हुए?

गवाह—कुछ प्रस्ताव स्वीकृत हुए लेकिन उन सबकी मुझे याद नहीं। (आगे चलकर गवाहने अपनी स्मृतिशक्तिका चमत्कार दिखाना शुरू किया।) लेकिन ये प्रस्ताव स्वीकार हुए—

युद्धबन्दियों और सुदूरपूर्वमें रहनेवाले भारतीयोंकी आजाद हिन्द फौज बनायी जाय; आजाद हिन्द सङ्घ स्थापितकी जाय जिसकी शाखाएँ सिङ्गापुर, मलाया बर्मा, थाईलैण्ड, जावा, सुमात्रा, फिलिपाइन्स व जापानमें हो।

तीसरे प्रस्तावमें कहा गया था कि आजाद हिन्द सङ्घकी ये शाखायें आजाद हिन्द फौजके लिए धन कपड़ा और रंगरूट संग्रह करेंगी।

अगले प्रस्तावमें कहा गया था कि आजाद हिन्द फौज कप्तान मोहनसिंहके सेनापतित्वमें खड़ीकी जायगी। आजाद हिन्द फौज व जापान सरकारके बीच सम्पर्क स्थापित करनेके लिए एक कार्यसमिति बनायी जायगी। रासविहारी बसुको कार्य समितिका अध्यक्ष बनाया गया। इसमें दो नागरिक और दो फौजी सदस्य—१।१४ पञ्जाब रेजिमेण्टके कप्तान मोहनसिंह और १ बहावलपुर इनफेंटरीके लेफ्टिनेण्ट कर्नल जिलानी—थे।

एक और प्रस्तावमें कहा गया था कि जापान सरकार आजाद हिन्द फौजको हथियार देगा और उनकी कीमत भावी भारतकी सरकार नक़द देगी।

बंकाक सम्मेलनके बाद मैं शिविरमें लौट आया। उस समय मेरी बटालियन वहाँ थी। उसके लगभग २५० व्यक्तियोंने आजाद हिन्द फौजमें शामिल होनेसे इनकार कर दिया था। उनमें अधिकांश पंजाबी मुसलमान, पठान और कुछ डोंगरे थे। वे लोग नागरिक हवाई अड्डेके शिविरको भेज दिये गये।

मेरे बंकाकसे वापस लौटनेपर वालंटियरोंकी एक दूसरी सूची तैयारकी गयी और लोगोंने हस्ताक्षर किये। उन लोगोंमें मैं भी था। ४० आदमी भरती होनेके तैयार नहीं हुये। वे लोग भी नागरिक हवाई अड्डेके शिविरको भेज दिये गये। वे लोग नागरिक हवाई अड्डेपर मशक्कत करनेके लिए भेजे गये।

सितम्बर १९४२ में जब आजाद हिन्द फौजका निर्माण हो गया तब मैं फौजकी प्रथम पैदल पल्टनमें तैनात किया गया। दो-तीन दिनके बाद उन्होंने कवायद करना आरम्भ कर दिया। कुछ दिन बाद ही हमें मशीनगनें, पिस्तौल और बन्दूकें दी गयीं। ये हथियार भारतीय सेनाके थे और सिङ्गापुरमें आत्मसमर्पण करनेके समय जापानियोंके हवाले किये गये थे। मेरी पलटन भारतीय सेनाकी खाकी वर्दीमें रहती थी। उनके ऊपर आजाद हिन्द फौजके चिन्ह लगे रहते थे जिनपर कांग्रेसका तिरङ्गा झण्डा और आई० एन० ए० (आ० हि० फौ०) के अक्षर होते थे।

मैं कप्तान सहगलको जानता हूँ। जब आजाद हिन्द फौज बना तब वे विदादरीमें हिन्द फील्डग्रूपके एडजुटेएट थे। वह आजाद हिन्द फौजके विघटनके समय तक एडजुटेएट थे। नवम्बर १९४२ के आरम्भमें आजाद हिन्द फौजका एक अगला दस्ता बर्मा भेजा गया था।

आजाद हिन्द फौज कप्तान मोहनसिंहकी आज्ञासे भङ्ग की गयी क्योंकि यह अनुभव हुआ कि जिस उद्देश्यके लिए यह फौज सङ्घटित की गयी थी वह उन परिस्थितियोंमें पूरा नहीं हो सकता। आजाद हिन्द फौजको भङ्ग करनेके बाद उसके राशन और अनुशासन सम्बन्धी मामलोंकी देखभाल रखनेके लिए एक प्रबन्ध-समिति बनायी गयी। कुछ समय तक कमेटीने राशनका प्रबन्ध और अनुशासनकी देख रेख की। फिर दूसरी आजाद हिन्द फौजके निर्माणके लिए व्याख्यान आरम्भ हुए। मैंने तीन व्याख्यान सुने। दो रासबिहारी बसुके और तीसरा उक्त समितिके एक अफसरका। इन भाषणोंका आशय यह था कि हमें आजाद हिन्द फौजमें बराबर बने रहना चाहिये।

मैंने तथा लगभग २०० अन्य अफसरोंने आजाद हिन्द फौज छोड़ दिया। जो लोग आजाद हिन्द फौजसे अलग हो गये वे न्यूगिनी या सालमन द्वीप भेज दिये गये। मैं जोहर बारूकी पुलिस लाइनमें भेजा गया। वहाँ लगभग १००अफसर थे। हम लोग वहाँ लगभग एक महीने तक रहे। कप्तान अब्दुल रशीदखाँ, लेफ्टिनेएट कर्नल भोंसले, कप्तान शाहनवाजखाँ और लेफ्टिनेएट ढिल्लों हम लोगोंके पास आये। वे लोग आजाद हिन्द फौजका बैज लगाये हुए थे।

लेफ्टिनेएट ढिल्लोंने हमसे आजाद हिन्द फौजमें दुबारा शामिल होनेकी अपील की परन्तु हमने सुननेसे इनकार कर दिया तो वे वहाँसे चले गये। बादमें ३० या ४० अफसरोंने आजाद हिन्द फौजमें दुबारा शामिल होनेका निश्चय किया। वे लोग वहाँसे हटा दिये गये। बाकी लोग सेलेटार शिविरमें ले जाये गये, वहाँ आजाद हिन्द फौजसे अलग होनेवाले लोग एकत्र किये गये थे। मैं तथा अन्य लोग ५ मई

१९४३ को जहाजद्वारा न्यूगिनी भेज दिये गये । वहाँ कुछ दिन बाद आप शिविरसे मैं भाग निकला।

दो प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा—लेफ्टिनेएट ढिल्लों आजाद हिन्द फौजका बिल्ला लगाये हुए थे। उन्होंने सैनिकोंके सम्मुख व्याख्यान दिया। फिर अफसरोंके मेसमें आये और उनसे बातें करना चाहा। उस समय मैं भी मौजूद था। युद्ध बन्दियोंने कहा कि यदि आप आजाद हिन्द फौजके सम्बन्धमें बातें करना चाहते हैं तो हमें माफ कीजिये। वह वहांसे चले आये।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा—सिङ्गापुरके पतनके पहले मैं कप्तान शाह नवाजकी बटालियनमें था। जब वे पलटनें जिनका सञ्चालन ब्रिटिश अफसरोंके हाथोंमें था, मैदान छोड़ चुकी थीं तब भी हमारी कम्पनीने लड़ाई जारी रखी।

श्री भूलाभाई देसाई—जब कप्तान शाह नवाजको आत्मसमर्पणके बारेमें बताया गया तब उसकी भावनाएँ क्या थीं ?

अदालतने इस प्रश्नपर आपत्ति की।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने कप्तान शाह नवाजसे कोई बातचीतकी थी ?

गवाह—स्मरण नहीं है।

श्री भूलाभाई देसाई—नैसून शिविरका संचालक कौन था ?

गवाह—कप्तान शाह नवाज।

आगे पूछे जानेपर गवाहने कहा—उस शिविरमें वालंटियर और गैर वालंटियर दोनों साथ रहते थे। उन दोनोंके बीच व्यवहारमें कोई भेद भाव नहीं था। सब लोग साथ ही रहते थे और एक सा खाते थे। शिविरमें लगभग २००० की जगह थी पर ७–८ हजार आदमी रहते थे।

श्री भूलाभाई देसाई—जब आप वहाँ गये तो पानी, सफाई, रोशनी आदि का प्रबन्ध था ?

गवाह—इसका कोई प्रबन्ध नहीं था।

श्री भूलाभाई देसाई—पानी, रोशनी, सफाईका प्रबन्ध कप्तान शाह नवाजने किया और पीछे शिविरमें बिजली लगा दी गयी ?

गवाह—हाँ। शाह नवाजके शिविरका संचालन लेनेसे पहले कैम्पकी अवस्था खराब थी। धीरे-धीरे अवस्था ठीक हो गयी। पानीकी व्यवस्था पम्पिंगवेल लगाकर और नाला खोदकर किया गया। अस्पतालकी हालत भी सुधरी और वालिंटियर और गैरवालिंटियरोंकी चिकित्साके सम्बन्ध कोई भेद भाव न था।

श्री भूलाभाई देसाई—शाह नवाजने अस्पतालके लिए कुछ चन्दा दिया ?

गवाह—शाह नवाज तथा दूसरे अफसरोंने अस्पतालके लिए चन्दा दिया और नैसून शिविरमें लगभग २५०० डालर जमा हुआ था। मैंने भी ५ डालर दिया था। यह रकम अस्पतालमें वालिंटियर और गैरवालिंटियरके भेद भावके बिना मरीजोंपर खर्च किया गया।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने वालिंटियर या गैरवालिंटियरोंसे कप्तान शाह-नवाजको बातें करते सुना ?

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाईने बंकाक सम्मेलनके प्रस्ताव पढ़कर सुनाये और गवाहने स्वीकार किया कि वे बंकाक सम्मेलनमें स्वीकार किये गये थे।

श्री भूलाभाई देसाई—किसकी आज्ञासे आप न्युगिनी भेजे गये थे ?

गवाह—जापानियोंकी आज्ञासे।

जज एडवोकेट—आप लेफ्टिनेण्ट कर्नल हण्टको जानते हैं ?

गवाह—मैं एक हण्टको जानता हूँ जो जनरल पर्सीवलके स्टाफ अफिसर थे। उन्हें मैंने फरर पार्ककी सभामें देखा था। वे कोई बिल्ला लगाये हुए नहीं थे।

जज एडवोकेट—उस सभामें लेफ्टिनेएट कर्नल ह्वाएटने क्या कहा ?

गवाह—जो कह चुका हूँ उसके अलावा कुछ नहीं कहा ।

जज एडवोकेट—जब आप बङ्काक सम्मेलनमें गये, तो वहाँ आपने अभियुक्तों मेंसे किसीको देखा ?

गवाह—मैंने उन्हें नहीं देखा ।

जज एडवोकेट—आपको विश्वास है कि वे लोग वहाँ नहीं थे ?

गवाह—मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ । उनमेंसे किसीको मैंने वहां नहीं देखा ।

जज एडवोकेट—आप जून १९४२ में पहले आजाद हिन्द फौजमें क्यों भरती हुए ?

गवाह—उस समयकी अवस्था देखकर मैं भरती हुआ । मैं भारतकी आजादी और स्वतन्त्र भारतके निमित्त भरती हुआ ।

एडवोकेट जनरल—जब आप स्वेच्छासे जून १९४२ में भरती हुए थे तो फिर पीछेसे क्यों नहीं भरती हुए ?

गवाह—जब जापानियोंने आजाद हिन्द फौजसे भारतपर आक्रमणमें पञ्चमांगीका काम लेना चाहा तो कप्तान मोहनसिंह और जापानियोंमें मतभेद हो गया। फलतः पहला आजाद हिन्द फौज विघटित कर दिया गया । दूसरे आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेसे इसलिए इनकार किया कि जापानी लोग फिर अपने स्वार्थ साधनके लिए उसका उपयोग करेंगे ।

पश्चात् अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी ।

---

२३ नवम्बर १९४५

चौथे गवाह—जमादार इल्ताफ रजाक

मैं १९२२ में भारतीय फौजमें भरती हुआ था। १ जनवरी १९४१ को, जब मैं मलायामें क्वालालपुरमें था, मैं जमादार बना दिया गया। १९४२ में मैं बङ्गाल सफरमैन्नाकी ४३वीं फील्ड पार्क कम्पनीमें था और जापानियोंसे लड़ा। सिंगापुरमें मुझे युद्धबन्दी बना लिया गया और मलायाके विभिन्न शिविरोंमें रखा गया। एक बरस तक मैं पोर्टडिक्सनके शिविरमें था। मैं कप्तान शाहनवाजको पहचानता हूँ। वे जनवरी या फरवरी १९४३ में पोर्ट डिक्सनके शिविरमें आये थे और सब भारतीय युद्धबन्दी अफसरोंको इकट्ठा कर उनके सामने भाषण किया। उनमें मैं भी था। उस समय वे आजाद हिन्द फौजका लेफ्टिनेण्ट कर्नलका बिल्ला लगाये हुए थे। उन्होंने हम लोगोंसे कहा कि कप्तान मोहनसिंहकी अधीनतामें जो आजाद हिन्द फौज बनी थी वह तोड़ दी गयी है और अब दूसरी सेना बनायी जायगी। जो कोई भारतकी स्वतन्त्रता लेनेके लिए स्वेच्छासे सैनिक बनना चाहता है उसे अपने कैम्प कमांडेण्टकी मार्फत सिंगापुरमें आजाद हिन्द फौजके सदर मुकामको अपना नाम भेज देना चाहिये।

कप्तान शाह नवाज खाँने यह भी कहा कि शिविरके बहुतसे बन्दी मलेरिया से पीड़ित हैं। उन्हें घास-फूससे छायी हुई छतोंके नीचे फर्शपर सोना पड़ता है, राशन, कपड़े और उनकी चिकित्साका उचित इन्तजाम भी नहीं है। युद्ध-बन्दियोंकी यह अवस्था बनी रहेगी, किन्तु यदि आप आजाद हिन्द फौजमें शामिल हो जाएँगे तो ये सब तकलीफ दूर हो जाएँगी।

एडवोकेट जनरल—क्या उस समय कोई आदमी भर्ती हुआ?

गवाह—उस समय कोई आदमी आजाद हिन्द फौजमें भर्ती नहीं हुए मैं १७ नवम्बर १९४२ को स्वेच्छासे आजाद हिन्द फौजमें शामिल हु क्योंकि शिविरकी हालत दिन प्रति-दिन अधिक खराब होती जा रही थी जापानियोंने बताया कि चवार शिविरके बीमार बन्दी हमारे शिविरमें भेज जायँगे। वहाँ डाक्टरी इलाजकी कोई सुविधा नहीं थी। इस कारण मैं आ में भरती हो गया।

एक जाट रेजिमेण्टके ३६०. सैनिक भी, जो उसी शिविरमें थे, आ हिन्द फौजमें भरती हुए। पोर्ट डिक्सनसे हम लोग सिंगापुर भेज दिये ग मैं ५ नवम्बर गुरिल्ला रेजिमेण्टमें तानात किया गया। उसकी ट्रेनिंग विदाद हो रही थी। बादमें हमारी रेजिमेण्टको मलायामें पतोह नामक स्थानपर भे गया और अगस्त १९४४ तक वह वहीं रही। इसके बाद हमें चम्पो ले आ गया और अन्तमें जनवरी १९४५ में रंगूनके समीप मिंगलडन नामक स्थान भेज दिया गया। हमारी रेजिमेण्टके कमाडिंग अफसर लेफ्टिनेण्ट-कर्नल पी० के० सहगल थे। वह आजाद हिन्द फौज के लेफ्टिनेण्ट-कर्नलका बैज लगाते थे मैं लेफ्टिनेण्ट था। लेफ्टिनेण्ट कर्नल पी० के० सहगलने मिंगलडनमें अपने अधीन सब अफसरोंको बुलाया। मैं भी उस समय उपस्थित था। उन्होंने कहा कि हमारी ब्रिगेड कूच करेगी और रेजिमेण्ट पोपा पहाड़ी जाने वाली है। हमारे सैनिकोंमें पूर्ण अनुशासन रहना चाहिये। ब्रिगेडमें उस समय ३ पलटनें थीं, जिनमें लगभग ६५० आदमी थे। प्रत्येक पलटनमें ५ टुकड़ियाँ थीं और अधिकांश आदमियोंके पास '२' चिन्ह वाली बन्दूकें थीं और उनके पास ३ इञ्चका मार्टर भी था। इस रेजीमेण्टका पहला नाम ५वीं गुरिल्ला रेजीमेण्ट था और बादमें इसका नाम द्वितीय पैदल रेजीमेण्ट रख दिया गया। रेजिमेंटके पोपा जानेसे पहले सुभाषचन्द्र बसुने उसका निरीक्षण किया। कप्तान सहगल उनके साथ थे। सलामीकी जगह पर तिरङ्गा झण्डा फहरा रहा था।

सुभाष बसुने रेजीमेंटके सम्मुख भाषण किया और इस बातपर जोर दिया कि आजाद हिन्द फौज गत वर्षकी तरह ही अच्छा कार्य करेगी। पिछले साल कुछ लोग आजाद हिन्द फौजको छोड़कर चले गये। यह बात इसबार नहीं होनी चाहिये। जो अपनेको मोर्चेपर जानेके योग्य नहीं समझते वे रुक सकते हैं।

जनवरीके तीसरे सप्ताहमें बटालियन सिंगलाइनसे रवाना हुई। मैं नं० १ बटालियन की नं० १ कम्पनीके चार व्यक्तियोंको ब्रिगेडियर सदर मुकामसे ऐडवांस गार्डके रूपमें ओमले गया। हम २ फरवरीको पोपा पहुँच गये। कप्तान सहगल १५ फरवरी १९४५ को पोपा पहाड़ी पहुँचे। कप्तान सहगलने मुझसे पूछा कि लेफ्टनेण्ट ढिल्लों कहाँ हैं। मैं लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंको पहचनता था। मैं उन्हें पोपा पहाड़ीमें लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंके पास ले गया। ढिल्लों वहाँ एक दिन पहले पहुँचे थे। वे उस समय एक झोपड़ीमें ठहरे थे और वहाँ कोई नहीं था।

नेहरू रेजीमेण्टके, जिसको कि नं० ४ छापामार (गुरिल्ला) रेजिमेण्ट भी कहाँ जाता था, ३०० आदमी स्वेच्छासे टुकड़ियोंमें पोपा आये। मेजर ढिल्लों उनके कमाण्डर थे।

एडवोकेट जनरल—इन आदमियोंकी हालत कैसी थी।

गवाह—उनकी हालत बहुत बुरी थी। कुछके पास बिस्तर नहीं थे तो तो कुछके पास बन्दूक और हथियार नहीं थे।

२५ फरवरी १९४५ को कप्तान पी० के० सहगल ने दूसरी पैदल सेना (इनफेन्ट्री रेजीमेण्ट) के अफसरों तथा रेजीमेण्टके सदर मुकामके स्टाफ अफसरोंको बुलाया और कहा—नं० ४ छापामार फौजको इस हालतमें देखकर शर्म आती है। रेजिमेण्टोंकी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए जिस किसी पर सेनासे भागनेका सन्देह होगा उसे रेजीमेण्टके सदर मुकाममें भेज दिया जायगा।

१ मार्च १९४५ को लेफ्टिनेण्ट कर्नल सहगलने नं० २ डिवीजन
अफसरोंको बुलाया। उसमें अन्य अफसरोंके अतिरिक्त मेजर ढिल्लों
लेफ्टिनेण्ट कर्नल सहगलने बताया कि नं० २ डिवीजनके सदरदफ्तर
अफसर जो नं० १ बटालियनमें रात्रि-निरीक्षणके लिए गये थे, अपनी
दलियोंके साथ भाग गये। मैंने इन भगोड़ोंको पकड़नेके लिए गश्ती टुकड़ी
भेजा है। कप्तान सहगलने अपने अधीन सब अफसरों और सैनिकोंको प्रति
कार दिया कि भविष्यमें जो कोई फौजसे भागता हुआ दिखायी दे चाहे
कोई कोई भी हो, उसे गोली मार दी जाय।

१० मार्च १९४५ को करीब ७० या ७२ जापानी, टैंकनाशक सुरंगें
साथ आये। मैंने इनके प्रयोगके बारेमें कप्तान सहगलसे पूछा। उन्होंने
इनके प्रयोगके बारेमें जापानियोंसे पूछा जाय। उनसे पूछनेके बाद मैंने
बटालियनके एक सफरमैनाके हवलदारको बताया और उसे १६ टैंक विध्वंसी
सुरङ्ग दिये। २० मार्च को कप्तान सहगलने अफसरोंको फिर बुलाया और
“या तो हम आक्रमण करेंगे या मित्र फौजें हमपर हमला करेंगी। यदि
हमारे ऊपर हमला किया और यदि वह एक बटालियनके मोर्चेपर अन्दर
गया तो दूसरी दो बटालियनें डटी रहेंगी।

इसका कारण यह है कि यदि हम पोपाको छोड़ देंगे तो १५-२० मील
पानी नहीं मिलेगा।” इसके बाद उन्होंने नं० २ बटालियनके सञ्चालक
बनतासिंहको क्याकपडाङ्ग जानेका आदेश दिया। कप्तान सहगल भी नं० २
लियनके साथ गये। इसके बाद मैं नं० २ रेजिमेण्टसे ४ साथियोंके साथ
निकला और न्यांगूके क्षेत्रमें ब्रिटिश सेनासे आ मिला। पोपासे वहाँ पहुँ
हमें ३०-३५ मील चलना पड़ा। पोपके सबसे निकट १५-२० मीलकी
पर पिनबिन क्षेत्रमें ब्रिटिश सेना थी। उस समय कप्तान शाहनवाज
जनरल कमाण्डर थे।

आगे गवाहने उस डिविजनके टुकड़ियोंका विवरण दिया और कहा—जब दुर दफ्तरके पाँच अफसर फौज छोड़कर भाग गये तो कप्तान सहगलने लग-भग एक सप्ताह तक कमाण्डरका काम किया।

मैं मेजर ढिल्लोंसे सिंगापुरमें नवम्बर १९४३में मिला था। उस समय वे रिल्ला रेजिमेंटके दूसरे कमाण्डर थे और रेजिमेंटकी शिक्षा और अनुशासनके प्रति उत्तरदायी थे। एक भाग छोटे अफसरोंकी थी और दूसरे सैनिकों की। मेजर ढिल्लों उस रेजिमेंटसे जून १९४४ में अलग हुये उसके बाद मैंने उन्हें और ५ मार्च १९४५ को पोपा पहाड़ी पर देखा जब वह अपने ब्रिगेडके लिए आदमी एकत्र कर रहे थे। ५ मार्चको वह चले गये। कहाँ गये यह मैं नहीं जानता।

श्री भूलाभाई देसाई—पोर्ट डिक्सन आनेके पहले आप किसके कब्जे में थे?

गवाह—जापानियोंके।

श्री भूलाभाई देसाई—शिविरकी बुरी अवस्थाका जो जिक्र किया है, वह जापानियोंके कारण था?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—किस कामके लिए शाहनवाज खां शिविरमें आये थे?

गवाह—वालिण्टियर जमा करने।

श्री भूलाभाई देसाई—आपको अच्छी तरह याद है कि उन्होंने आजाद हिन्द फौजमें शामिल होनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता दी थी।

गवाह—हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने आजाद हिन्द फौजमें भरती होना या न होना लोगोंकी मरजीपर छोड़ दिया था।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या यह सही है कि कप्तान शाहनवाजने य
कहा था कि "मुझे सच्चे आदमी चाहिये जो भारतकी आजादीके लिए जापानि
लड़ सकें।

गवाह—मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने 'सच्चे आदमियों' की
कही थी। पर जापानियोंका नाम लिया था या नहीं, याद नहीं है। वह
कट्टर आदमी चाहते थे जो अपनी जान भारतकी स्वतन्त्रताके लिए दे सकें।

श्री भूलाभाई देसाई—उसके बाद आपने शाहनवाजखाँको कब देखा?

गवाह—उसके बाद फिर मैंने शाहनवाजखाँको नहीं देखा।

प्रश्न—इस भाषणके आठ महीने बाद आपने आजाद हिन्द फौजमें
होनेका निश्चय किया?

उत्तर—हाँ, शिविरमें अधिकांशने यही निश्चय किया कि वे इस शि
रहनेकी अपेक्षा भारतकी स्वतन्त्रताके लिए मर मिटना कहीं अच्छा है। भा
कप्तान शाहनवाज खाँने हमसे कहा कि प्रथम आजाद हिन्द फौज कर्नल मो
सिंह द्वारा भङ्ग कर दी गयी है। मुझे याद नहीं कि उस अवसरपर उ
और क्या कहा।

गवाहने आगे चलकर बताया—पोर्ट डिक्सनमें कप्तान करमचन्द
परिचय हुआ था। पोर्ट डिक्सनके शिविरके संचालक कप्तान रघुराजने
हिन्द फौजके वालण्टियरोंमें अपना नाम नहीं दिया था। कप्तान सह
१ मार्च १९४५ को पोपामें जो सभा की थी उसके बादके दो सप्ताहोंमें
आदमी भागे और कुछ लोग गिरफ्तार कर लिये गये। लेकिन जाँचके
कप्तान बेदीके सिवा और सब छोड़ दिये गये। मुझे याद है कि कप्तान
१ या २ मार्च १९४५ को कप्तान सहगलद्वारा गिरफ्तार किये गये थे।
यह पता नहीं कि कप्तान सहगलने कबसे डिवीजनल कमाण्डरके रूपमें
करना प्रारम्भ किया।

श्री भूलाभाई देसाई—आप कहते हैं कि कप्तान सहगलने एक सप्ताहसे अधिक कमाण्डरका काम नहीं किया। यह बात सही है, इसके जाँचका आपके पास कोई साधन है?

गवाह—मुझे निश्चित रूपसे तो यह ज्ञात नहीं कि कप्तान सहगलने डिवीजनकी कमान कब सँभाली। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने एक सप्ताहसे अधिक डिवीजनकी कमान नहीं सँभाली। उसके बाद कप्तान शाहनवाजखां लौट आये।

श्री भूलाभाई देसाई—आपको मालूम है कि शाहनवाजखाँ २३ फरवरीको चले गये। उसके बाद वे फिर १२ मार्चको लौटकर आये।

गवाह—मैं नहीं बता सकता। मुझे ठीक तारीख याद नहीं कि कब शाहनवाज गये और कब फिर वापस आये।

अदालत—मिंगलाडनमें बसुके उस भाषणके बाद क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग मोर्चेपर नहीं जाना चाहते तो वह रुक सकते हैं? क्या कोई रुका?

गवाह—बसुने रेजिमेण्टका निरीक्षण किया और पूछा कि कोई रुकना चाहता है? लेकिन कोई रुका नहीं।

पाँचवें गवाह—नायक सन्तोखसिंह

मैं मई १९२६ में फौजमें भरती हुआ। जापानके साथ लड़ाई आरम्भ होनेपर मैं मलायामें नायक था। ३१ जनवरी १९४२ को जापानियोंने मुझे जोहोर बारूके निकट युद्धबन्दी बना लिया। युद्धबन्दी बनाकर मैं कौलालम्पुर तथा अन्य स्थानोंमें ले जाया गया। सितम्बर १९४२ में मैं आजाद हिन्द फौजमें भरती हुआ और हिन्द फील्ड फोर्स ग्रुपके नम्बर १ सिगनल कम्पनीमें नियुक्त किया गया। सहगल, जो कि मेजर थे, इस सेनाके एडजुटेण्ट थे। जनवरी

१९४३ में एक दिन उन्होंने न०१ सिगनल कम्पनीको बुलाया। उस
खिलाड़ीके पोशाकमें थे। उन्होंने हम लोगोंसे कहा—नयी आजाद हि
बननेवाली है। यह भारतकी राष्ट्रीय सेना होगा। उसमें प्रत्येक भारतीय
होना चाहिये। आप लोग भी आजाद हिन्द सेनामें भरती हो जायँ।
सलाह है। मैं किसी को भरती होनेके लिए बाध्य नहीं करता। इस
वे चले गये।

मैं उस समय आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं हुआ। उसके
सेलेटार शिविर भेज दिया गया और वहाँसे जापानी लोग न्यूगिनी ले
सेलेटार शिविर गैरवालंटियरोंका शिविर था। उसमें वे लोग रहते
पहली आजाद हिन्द फौजसे अलग हो गये थे। अप्रैल १९४३में वहाँ
शाहनवाज खाँ आये। शिविरके सभी आदमी एकत्र किये गये और
शाहनवाजने व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि—"प्रत्येक भारतीयका
है कि भारतकी आजादीके लिए आजाद हिन्द फौजमें भरती हो।
गोविन्दसिंहने सिख धर्मकी स्थापना की तो केवल ५ आदमियोंने साथ
मैं गुरुगोविन्दके साथी उन ५ आदमियोंकी तरह बहादुर आदमी चाहता
आपलोगोंको निसंकोच भरती होना चाहिये और भारतके राष्ट्रीय झण्डेके
खड़ा होना चाहिये।"

उस समय कोई भरती नहीं हुआ। कई दिन बाद कुछ लोग
हिन्द फौजमें भरती हुए।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करने पर गवाहने बताया—सेलेटार शि
दो भाग थे। भाग एकमें मैं था और भाग दोमें अस्पताल था। अगर
भाग एकमें बीमार होता तो वह भाग दोके अस्पतालमें भरती
जाता। दोनों भागोंके खानेमें कोई अन्तर था ऐसी बात मुझे नहीं
जिस शिबिरमें रहता था वह बहुत अच्छा था। दूसरे शिविरोंकी

नहीं जानता। हमारा शिविर एकान्त शिविर कहा जाता था। खाना बहुत अच्छा था। वहाँका व्यवहार भी बहुत अच्छा था।

छठे गवाह—लैंस-नायक गंगाराम

मैं १९३३ में भारतीय सेनामें भरती हुआ और सिलम नदीकी लड़ाईमें जापानियोंके विरुद्ध लड़ा। सिंगापुरके पतनके बाद फरवरी १९४२में मैं टांगमें युद्धबन्दी बनाया गया। मैं पोह ले जाया गया वहाँसे पोर्ट स्टेनमके युद्धबन्दी शिविरमें भेज दिया गया। अप्रैल या मई १९४३के आरम्भमें प्तान शाहनवाज खाँ शिविरमें आये और व्याख्यान दिया। मैं उस व्याख्यानमें मौजूद था। उन्होंने कहा—हम सब भारतीय हैं। हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियोंका है और हमें भारतीय स्वतन्त्रताके लिए लड़ना चाहिये, और अंग्रेजोंको निकाल बाहर करना चाहिये।

बहुत जल्द ही आपको मौका मिलेगा और आप लोग सिंगापुरसे मोर्चे पर भेजे जायेंगे। अभी आपको जो पैसा मिलेगा उसे आप जेब खर्च समझें। जब भारत आजाद हो जायगा तो आपको आपकी तनखाह मिलेगी। अच्छा राशन और कपड़ा आपको दिया जायगा। जो लोग भरती होना चाहते हों वह अपना नाम शिविरके संचालकको दे दें वे उसे सिंगापुर भेज देंगे।"

लेकिन कोई भरती नहीं हुआ।

श्री देसाई द्वारा जिरह किये जानेपर गवाहने कहा, मैं एक गुरखा रेजीमेंटमें था जो कप्तान चोपड़ाकी कमानमें थी। मुझे पता नहीं कि कप्तान चोपड़ा आजाद हिन्द फौजमें शामिल हुए थे या नहीं।

सातवें गवाह—सूबेदार असलनूर खाँ

मैं भारतीय सेनामें १९१३ में भरती हुआ था। मैं अपनी सेनाके साथ

मलाया गया और सिंगापुरके पतनके समय मैं वहाँ था। मैं १९४२ बन्दी बनाया गया और नेसूनके शिविरमें भेजा गया। मैं लेफ्टिनेण्ट जानता हूं। [अदालतमें गवाहने लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोको पहचाना फरवरी या मार्च १९४२ में उन्होंने युद्धबन्दियोंके सम्मुख व्याख्यान जिसमें कहा कि 'जापानियोंके धर्मके नेता बुद्ध भारतमें जन्मे थे। जापा धर्म संसारमें सबसे प्राचीन और अच्छा है। चूंकि उनके नेता भा थे इसलिए हमें उनके साथ सहयोग करना चाहिये।' उसके बाद ले ढिल्लोंसे फिर भेंट नहीं हुई।

मैं अप्रैल १९४२ में आजाद हिन्द फौजमें भरती हुआ। मैं सहगलको जानता हूं। मलायामें उनसे परिचय हुआ था। पहली बा अगस्त १९४२ में बिदादरी शिविरमें भेंट हुई थी। वहाँ वे एक युनिटके क थे। उन्होंने मुझसे अपनी युनिटके दो आदमियोंको ले आनेको का उन्होंने उन आदमियोंके सम्बन्धमें बातचीत की। कप्तान सहगलने बता कर्नल जिलानीको उन आदमियोंकी आवश्यकता है। वे लोग गुप्तचर सीखनेके लिए पेनांग भेजे जायेंगे। ट्रेनिंग असफल रही और दल शि वापस भेज दया गया। उस दलमें मैं भी था। वापस आनेपर हम लो शिविरमें रखे गये। कुछ दिन बाद कप्तान सहगलने मुझे बुलाया। उस वे आजाद हिन्द फौजके मेजर थे और सेना-सचिवके पदपर काम कर रहे मैं कप्तान सहगलसे दो तीन वार मिला। पहली वार उन्होंने कर्नल जि के दलके सम्बन्धमें बातचीत की और दूसरी बार जब सुभाषचन्द्र वसु टो से लौटे तो कप्तान सहगलने मुझे उनसे मिलनेके लिए बुलाया। मैंने सु चन्द्र बसुसे कर्नल जिलानीके दलके सम्बन्धमें बातचीत की और उसके प्रकार तथा अन्य प्रश्नोंपर विचार विमर्ष हुआ और तय पाया कि उसमें कौन रहे। सुभाष वसुने कहा विस्तृत बातें कप्तान सहगलसे तय करली

मैं तथा कुछ और लोग जिल्लानीके दलसे अलग हो गये। हमें पेनांगमें गुप्तचर का काम और सेबाटेज करनेका तरीका सिखाया गया।

२७ फरवरी १९४४ को जापानियोंने १२ आदमियोंको जिनमें मैं भी था एक पनडुब्बीमें भारत भेजा। ७ दिन बाद हमने भारतमें उतरनेकी कोशिश की पर असफल रहे। हम लोग मार्चके अन्तमें उतरे। पश्चात् मैं ब्रिटिश अधिकारियोंके सामने हाजिर हो गया।

श्री भूलाभाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा—लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंने भारतको ब्रिटिशसे स्वतन्त्र करानेके निमित्त जापानसे मिलनेको कहा था।

आठवें गवाह—हवलदार सूबा सिंह

मैं १५ जनवरी १९३२ को भारतीय सेनामें भरती हुआ। मैं जापानके विरुद्ध लड़नेके लिए मलाया भेजा गया। सिंगापुरके पतनके समय मैं वहाँ था। मैं बन्दी कर लिया गया और इटोहके शिविरमें रखा गया। एक बार लेफ्टिनेण्ट ढिल्लों वहाँ गये। वे खाकी वर्दीमें थे और आजाद हिन्द फौजका मेजरका बैज लगाये हुये थे। उनके साथ मेजर धर थे। मेजर धर किस पद पर थे मैं नहीं जानता पर उन्होंने व्याख्यान दिया। कहा—"बहुतसे लोग आजाद हिन्द फौजमें भरती हुये हैं। वह केवल भारतकी आजादीके लिए लड़ेगी। अगर जापानी लोग उसका विरोध करेंगे तो वह उनके विरुद्ध भी लड़ेगी। भारतकी आजादीके लिए लड़नेका यह सुनहला मौका है। ऐसा मौका फिर नहीं आयेगा।"

उनके बाद मेजर ढिल्लों बोले। उन्होंने कहा—"मेजर धरने जो कुछ कहा है उसके सम्बन्धमें सन्देह नहीं करना चाहिये। आजाद हिन्द फौज भारतकी आजादीके लिए लड़ेगी और उसमें जापानी लोग मदद देंगे।"

एक महीने बाद मैं आजाद हिन्द फौजमें भरती हो गया।

एडवोकेट जनरल—आप आजाद हिन्द फौजमें क्यों भरती हुए?

गवाह—युद्धबन्दीके हैसियतसे मुझे रहनेको अच्छी जगह और खाना नहीं मिलता था। इसके अलावा और बहुतसे लोग भरती हो मैं भी हो गया। मैं लेफ्टिनेण्टकी हैसियतसे एक रेजिमेण्टमें नियुक्त बादमें मैं कब-आफिसर बना दिया गया। उसके बाद नम्बर १ कम्पनीके बटालियनमें नियुक्त हुआ।

फरवरी १९४४ के अन्तमें आजाद हिन्द फौज बर्मा आयी। पहले यूनिट रंगून गयी फिर माण्डले और उसके बाद मिनांग। मेजर महबू रेजिमेण्टके कमांडर थे। नवम्बर १९४४ के अन्तमें मेजर ढिल्लोंने चार्ज लि कमाण्ड लेनेके एक सप्ताह बाद मैं मेजर ढिल्लोंसे मिला। मैं अन्य अफ भी मिला। उसके बाद मैं मैम्यो चला आया। हम लोग इरावदीके दूसरे रक्षात्मक पांतमें रखे गये। हमारे दाहिनी ओर मित्र सैनिक जोरोंसे बरसा रहे थे। उसके बाद लेफ्टिनेण्ट हरीराम आये और सफेद झण्डा दि और उन लोगोंने आत्मसमर्पण कर दिया। जिन ८४ आदमियोंने आत्मस किया उनमें वह भी थे।

जिरहमें गवाहने कहा—जब तक मैं वहाँ था, कप्तान रवन नहीं थे।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या कप्तान रवनवाज आपके कमाण्डर नहीं थे

गवाह—हाँ, उस समय कप्तान रवनवाज कमाण्डर थे।

श्री भूलाभाई देसाई—आप भारतकी आजादीके लिए लड़नेके लि आप आजाद हिन्द फौजमें भरती हुये?

गवाह—मैं बहुत तकलीफमें था। तकलीफसे बचनेके लिए ही मैं आ हिन्द फौजमें भरती हुआ।

श्री भूलाभाई देसाई—तकलीफमें रहे हों या न रहे हों, आप किस लिये लड़ने जा रहे थे।

गवाह—हम कभी लड़े ही नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—जब आप आजाद हिन्द फौजमें भरती हुए आपने यह अनुभव किया कि आजाद हिन्द फौज भारतकी आजादीके लिए हरएकसे लड़ेगी चाहे जापानी ही क्यों न हो ?

गवाह—हाँ।

नवें गवाह— सिपाही काकासिंह

मैं फरवरी १९४० में भारतीय फौजमें भरती हुआ। अपनी टुकड़ीके साथ जापानियोंसे लड़नेके लिए मैं मलाया गया और सिंगापुरके पतनके समय मैं वहाँ था। मैं युद्धबन्दी बना लिया गया और विभिन्न युद्धबन्दी शिविरोंमें रखा गया। काफी दिनोंके बाद मैं आजाद हिन्द फौजमें भर्ती हुआ। मैं थिपिनिगके शिविरमें बन्दी था और मैं लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंको जानता हूँ। वे मार्च १९४३ में वहाँ आये थे और उन युद्धबन्दियोंके सम्मुख व्याख्यान दिया था जो आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं हुये थे। उन्होंने कहा था कि "अगर आप लोग आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं होंगे तो आपको कष्ट उठाना होगा। हम लोग अंग्रेज लोगोंको भारतसे निकाल बाहर करेंगे। आप लोगोंको डरना नहीं चाहिये क्योंकि जो कुछ होगा वह बड़े अफसरोंका ही होगा इसलिए आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेमें डरना नहीं चाहिये।" मैं सिंगापुरमें आजाद हिन्द फौजमें भरती हुआ।

जिरह करनेपर गवाहने बताया कि—थिपिनिग शिविर जापानियोंके हाथमें था। लेफ्टिनेन्ट ढिल्लोंने हम लोगोंसे कहा था कि आजाद हिन्द फौज भारतकी आजादीके लिए बनायी जा रही है। ढिल्लोंने यह भी कहा कि अगर आप

आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं होते तो आपको जापानी कमाण्डके
रहना होगा। लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंने जो यह कहा कि 'अगर आप लोग
हिन्द फौजमें भरती नहीं होगे तो कष्ट उठायेंगे, उसमें 'कष्ट' क्या होते
नहीं मालूम।

× × × ×

जब सबूत पक्षने दसवें गवाह जमादार मुहम्मद नवाब खाँको बुला
श्री भूलाभाई देसाईने अदालतका ध्यान इस बातकी ओर दिलाया कि
प्रारम्भिक बयानसे जान पड़ता है कि उनकी गवाही पहली आजाद
सेनाके सम्बन्धमें है और अभियुक्तोंका सम्बन्ध दूसरी आजाद हिन्द
बननेसे पूर्व दी गयी यातनाओंसे नहीं है।

अदालत इस प्रश्नपर विचार करनेके लिए उठ गयी और पुनः बै
अदालतने घोषित किया कि अदालतने इस प्रश्नपर विचार कर निश्चय कि
कि मई १९४२ के बादके अत्याचारों और कठिनाइयोंके सम्बन्धमें गवा
जाय।

पश्चात् अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी।

---

२४ नवम्बर १९४५

दसवें गवाह—जमादार महम्मद नवाज

मैंने मलायाके युद्धमें भाग लिया और सिंगापुरके पतनके पश्चात् युद्ध
बना लिया गया। ७ जून १९४२को कौलालम्पुरके युद्धशिविरसे अपने
५२ अन्य सैनिकोंके साथ सिंगापुर लाया गया। मुझसे जो लोग आजाद
फौजमें भरती होना चाहते हैं और जो नहीं चाहते उनकी सूची बनानेको

गया। मेरी बटालियनके चार आदमियोंने कौलालम्पुरमें आजाद हिन्द फौजमें भरती होना स्वीकार किया था और वे भी उनमें थे जो सिंगापुर लाये गये थे। जिन लोगोंने भरती होना स्वीकार नहीं किया वे लोग सिङ्गापुरसे विभिन्न शिविरोंको भेजे गये। अन्तमें हमलोग ब्रूलर शिविरमें आये। १३ सितम्बरको वाइसराय कमीशन प्राप्त अफसर, जो बुल्लर शिविरमें थे, और एक हवलदार क्लर्क एक नजरबन्दी शिविरको भेज दिये गये। दूसरे गुरखा राइफल्सके सूबेदार हरीसिंह भी उनमें थे

जब हम लोग नजरबन्दी शिविरमें पहुँचे तो हम सब खड़े कराये गये और कुछ सूबेदारोंने हमारी तलाशी ली और हमारे जो चीजें थीं, यथा—कागज, घड़ी, कलम, सीटी आदि—ले लिया। उसके बाद हमलोग एक खेमेमें ले जाये गये जो कांटेदार तारोंसे घिरा हुआ था और सशस्त्र सन्त्री उसपर पहरा दे रहे थे। मुझसे कहा गया कि यहाँ आप लोगोंको बहुत तकलीफ होगी। आप लोग पढ़े लिखे हैं आपको समझना चाहिये और आजाद हिन्द फौजमें भरती हो जाना चाहिये। मुझसे यह भी कहा गया कि "आपके खिलाफ प्रधान सदर दफ्तरमें कप्तान मोहनसिंहके पास बहुत सी शिकायतें पहुँची हैं। जब आप कौलालम्पुर और सिङ्गापुरमें थे तो आपने मुसलमानोंको आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेसे रोका था। इसलिए आप आजाद हिन्द फौजमें भरती हो जाँय अन्यथा आपकी जानको खतरा है।" मैंने उन लोगोंसे कहा कि—'जानकी मुझे परवाह नहीं है।' तब उन्होंने कहा कि 'आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेसे इनकार करनेका मजा कल मिलेगा।"

दूसरे दिन नजरबन्दी शिविरके कुल २००–२५० बन्दी खड़े किये गये। इसके बाद तीन वाइसराय कमीशनप्राप्त अफसर अलग खड़े किये गये। जैसेही हमलोगोंने 'डबलमार्च' करना शुरू किया, वे सिपाही हमें लाठियोंसे पीटने लगे। मार्चके

अफसर भये और उन्होंने डबलमार्च करनेका आदेश दिया।

पश्चात् हमें बोरा, बाँस और टिन दिया गया और बोरेमें गोबर भरका
सौ गजकी दूरीपर जमा करनेका आदेश दिया गया। जो तीन सिपाही
साथ थे रास्तेमें कई जगह रुके। जब किसी कैदीने उनसे आगे बढ़नेकी
की तो वह पीटा गया। अगर किसीने मारसे बचनेके लिए जल्दीसे सि
आगे निकल जानेकी कोशिश की तो वह रोककर पीटा गया। रास्तेमें दो
सन्त्री थे। उन्हें हमें सलाम करना पड़ता था। जब गोबर साफ हो गय
एक अफसरने सिपाहियोंसे पीटना बन्द करनेको कहा और कैदियोंसे
राख और मिट्टी मिलानेका आदेश दिया। सूबेदार मेजर हरीसिंहको यह
करते मैंने देखा।

सभी लोग जो लोग शिविरमें थे यह घटना देख रहे थे। जो लोग
रहे थे वे आजाद हिन्द फौजका बैज लगाये हुए थे।

नित्य शामको हाजिरी हुआ करती थी। पहले दिन हाजिरीके वक्त
गया कि अगर किसीने बीमारीकी रिपोर्टकी और डाक्टरने बताया कि
नहीं है तो उसे १२ बेंत लगेंगे।

एक दिन एक आदमीको बाहर आनेका आदेश दिया गया और उसे
बेंत लगानेका हुक्म हुआ क्योंकि उसने बीमारीकी रिपोर्ट की थी और डाक्
कहा था कि वह बीमार नहीं है। उसे अपने घुटनेपर हाथ रखनेको कहा गया
६ बेंत लगानेके बाद वह बेहोश हो गया और सजा रोक दी गयी।

एक दिन जब हम मशक्कत कर रहे थे हमने एक आदमीको चिल्लाते हुए
जब हमने उस ओर देखा तो मालूम हुआ कि खाकी वर्दीवाले एक आद
का हाथ एक डण्डेसे और पैर खूँटेसे बँधा है और उसे दो सिपाही पीट रहे
जब वह और जोरसे चिल्लाने लगा तब द्वार खड़े एक अफसरने सिपाहियों
जोरसे कहा—'रुको, तुम लोग ठीकसे पीटना नहीं जानते।' उसके बाद
अफसरने वहाँ पहुँचकर उस आदमीका मुँह बाँध देनेको कहा। फिर

लेकर दो बार पीटा और कहा—'इस तरह मारा जाता है।' जो सन्तरी हम लोगोंके ऊपर था, वह हमें, जब हम उधर देखने लगे, तो हटा ले गया। सन्तरीके हाथमें लाठी थी जब हम लोग काम करनेमें सुस्ती करते तो वह पीटता था।

प्रतिदिन हाजिरीके समय हमसे कहा जाता—"तुम लोग मूर्ख हो जो आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं हो जाते। जापानियोंने वादा किया है कि भारतको जीतकर भारतीयको दे देंगे।" हम लोग इस शिविरमें ६ दिन रहे पर कोई आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेको राजी नहीं हुआ। उस शिविरसे हम लोग एक दूसरे शिविरमें लेजाये गये जहाँ कितने ही वाइसराय कमीशन, इण्डियन कमीशन और किंग कमीशनके अफसर थे। वहाँ आजाद हिन्द फौजके बहुतसे अफसर आते थे पर केवल दोने ही अक्सर व्याख्यान दिया। मैं कभी आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं हुआ।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा—१३ सितम्बरको हम लोग नजरबन्दी शिविरमें ले जाये गये। वह अलग था। और उसमें कई विभाग थे। वहांसे बुल्लर शिविर लगभग ८ मील था। वहाँ २५० बन्दी थे बाकी अधिकारी लोग थे। ये अधिकारी आजाद हिन्द फौजके थे। उनके और कैदियोंके सिवा वहाँ और कोई नहीं था। कैदियोंसे मेरा मतलब उन लोगोंसे है जो वालंटियर नहीं थे। ये लोग युद्धबन्दी थे जो आजाद हिन्द फौजमें कभी भरती नहीं हुये और जिन्होंने दूसरे लोगोंको भरती होनेसे रोका। २५० आदमियोंमें मैं १०-१२ को जानता हूँ। दूसरोंको नहीं जानता। जिनको मैं जानता हूँ उनके नाम यह हैं—लेफ्टिनेण्ट पुरुषोत्तमदास, सूबेदार अहमद खाँ (१), सूबेदार अहमद खाँ (२), जमादार सरवर खाँ, जमादार फकीर मुहम्मद, जमादार गुलाम मुहम्मद, जमादार मुहम्मद शरीफ, जमादार अल्लाहबख्श, जमादार शेरमुहम्मद, सूबेदार मीर मुहम्मद, सूबेदार

मेजर हरीसिंह, हवलदार मुहम्मद खाँ (१), हवलदार मुहम्मद खाँ (
और हवलदार चमनशाह ।

श्री भूलाभाई देसाई—दूसरे लोगोंको बिलकुल नहीं जानते ?

गवाह—'नो' ।

[दर्शक हँस पड़े क्योंकि गवाह उर्दूमें बयान दे रहा था इस प्रश्नके ज
'नो' कह उठा । अध्यक्ष मेजर जनरल ब्लैक्सलैण्डने खामोश होनेका
दिया और कहा—यह अदालत है संगीतालय नहीं । यदि अदालतका स
नहीं किया जाता तो कठोर कारवाई करनी पड़ेगी ।]

श्री भूलाभाई देसाई—इस सवालका जवाब सोच समझकर दो।
सितम्बर को ५।२ पंजाब रेजिमेंटके सुबेदार अहमद खाँ चोरीके अभि
पकड़े गये थे ?

गवाह—वह नजरबन्दी शिविरको ले जाये गये । किस अभियोग
नहीं जानता ।

श्री भूलाभाई देसाई— नजरबन्दी शिविरमें वही लोग रखे जाते
चोरी या अनुशासन भंग करनेके अपराधी होते थे ? यही बात है या नहीं

गवाह—नहीं वे लोग किसी अपराध या अनुशासन भंग करनेके अप
नहीं थे ।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं यह प्रश्न स्पष्ट आदेशके अनुसार कर र
क्योंकि सफाई पक्षको आशा है कि वह साबित कर सकेगा कि वे लोग
गये अपराधोंके अपराधी थे । (गवाहसे) सूबेदार अहमद खाँ आ
दोस्त थे ?"

गवाह—वे मेरे बटालियनमें थे ।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं पूछता हूँ वे दोस्त थे या नहीं ?

गवाह—दोस्त से आपका क्या मतलब है ?

श्री भूलाभाई देसाई—बटालियनमें होनेके सिवा आपकी निजी तौरपर उनमें ज्यादा दिलचस्पी थी या नहीं।

गवाह—सूबेदार अहमद खाँसे मेरी कोई खास दोस्ती नहीं थी।

श्री भूलाभाई देसाई—आप कप्तान इरशादको जानते हैं ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—कप्तान इरशादके बीच बचाव करनेके कारण सूबेदार अहमद खाँ छोड़े और माफ किये गये ?

गवाह—जब नजरबन्दी शिविरके सब लोग छोड़े गये तभी सूबेदार अहमद खाँ भी छोड़े गये। जब मैं नजरबन्दी शिविरमें गया तो वहाँ मौजूद थे। उसके बाद वह बीमार पड़े और अस्पतालमें भेजे गये जो नजरबन्दी शिविरके पास ही था।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या वे वहाँ किसी अपराधके कारण रखे गये थे।

गवाह—मुझे नहीं मालूम।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने कभी पूछा कि वे वहाँ कैसे आये ?

गवाह—नहीं, वह दूसरे खेमेमें थे और उनसे मिलनेकी इजाजत नहीं थी। खेमोंके बीचमें काँटेदार तार थे और एक खेमेके आदमी दूसरे खेमेके आदमीसे मिल नहीं सकते थे।

श्री भूलाभाई देसाई—सूबेदार अहमद खाँके साथ खेमेमें कितने आदमी थे ?

गवाह—मुझे नहीं मालूम क्योंकि उस खेमेमें मैं कभी गया ही नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—आपका कहनेका मतलब यह है कि बीचमें काँटेदार होनेके कारण सूबेदार अहमद खाँका खेमा दिखाई नहीं पड़ता था ?

गवाह—मेरे और सूबेदार अहमद खाँके खेमेके बीच खेमोंकी एक दूसरी

कतार थी। जब हम लोग मशक्कत करते होते या हाजिरी पर जाते तो लगता कि हम लोग कितने हैं।

अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा—बन्दी शिविरमें एक ब जिसमें तरकारी बोयी जाती थी और कैदी उसमें काम करते थे। मु मालूम कि गोबरका क्या होता था। मैं तो यही समझता हूँ कि बतौर सजा उसे ढोना पड़ता था। पहले दिन सिर्फ तीन घण्टे तक हमें गोबर ढो था। बाकी दिन हम लोग जमीन खोदकर बगीचेके लिए क्यारियाँ रहे। बीज किसने बोया यह मुझे नहीं मालूम।

[इसपर फिर दर्शक हँस पड़ी। अदालतके अध्यक्षने दर्शकोंको चे दी—याद रखिये यह अत्यन्त गम्भीर मुकदमा है। फिर हँसी होना मैं नहीं करता।]

ग्यारहवें गवाह—हवलदार मुहम्मद सरवर

मैं अगस्त १९३९ में मलाया गया। लड़ाई शुरू होनेके समय मैं वहाँ फरवरी १९४२ में मैं सिंगापुरमें था। सिंगापुरका पतन होनेपर मैं यु बना लिया गया। मैं सेलेटार कैम्पमें ले जाया गया। बादमें मैं बिदाद उसके बाद करंजी शिविरमें लेजाया गया। वहाँ कितने ही पंजाबी मुस थे। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ कितने बन्दी थे।

एक दिन दो वाइसराय कमीशन प्राप्त अफसर सिख पहरेदारोंके साथ आये और लाइनमें खड़ा होनेका आदेश दिया। बन्दियोंमें मौलवी भी थे। जमादारने कहा कि 'आप सब आजाद हिन्द फौजमें हो जायँ। जो लोग आजाद हिन्द फौजमें शामिल होना चाहते हैं, तरफ हो जायँ।' एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार सूबेदार दार अपने पिस्तौल निकालकर हमपर गोली चलाने लगे। उन्होंने

भी गोली चलानेका हुक्म दिया। उन लोगोंने भी गोली चलाना आरम्भ कर दिया। हममेंसे दो, लैंस-नायक मुहम्मद आजम और जमादार अल्लादित्ता मारे गए। नायक मुहम्मद हनीफने उन्हें मरते देख 'नारा-ए-तकबीर' कहा और सबने 'अल्ला-हो-अकबर' का नारा लगाया। तब हमने रक्षकोंपर हमला कर दिया। फिर भी वे गोली चलाते रहे। हममेंसे कई जख्मी हो गये। हममेंसे एकने एक रक्षकके सिरपर बेलचा मारा। वह गिर पड़ा। उसकी खोपड़ी खिल गयी। १५ मिनट तक दूसरे रक्षकोंने गोली चलाना जारी रखा। जब गोली खतम होगयी तो वे घायलोंको अपनी लारियोंमें उठा ले गये।

इसके बाद आजाद हिन्द फौजके अफसरोंके साथ कुछ जापानी अफसर आये। उनमें कपूरथला रेजिमेण्टके एक कर्नल भी थे। वे दुभाषियेका काम कर रहे थे। जापानी अफसरोंने कहा कि यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो गोली मार दिया जायगा। यदि तुम आजाद हिन्द फौजके एक अफसरको मारोगे तो तुम्हारे १०० आदमी मार दिये जायँगे।

इसके बाद हवलदारोंको तो लारी पर बैठाकर ले गये और बाकी लोग पैदल बिदादरी कैम्प में लाये गये। लारीके रवाना होनेसे पहले कैदियोंके हवालदार इनचार्जने उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो आजाद हिन्द फौजमें शामिल मत होना। शिविरमें हवलदार व गार्ड लोग भी थे। हमारे साथ बुरा व्यवहार किया गया। हमें शिविरमें बेंतोंसे मारा गया। कुछ हवलदारों को इस बुरी तरहसे पीटा गया कि वे हिल-डुल भी न सकते थे। मैं भी बुरी तरह जख्मी और अचेत हो गया। मुझे अस्पताल ले जाया गया।

अच्छा हो आनेके बाद मैं करंजी शिविर में गया। मैं आजाद हिन्द फौजमें शामिल हो गया। मेरे मनमें यह था कि मौका मिलते ही मैं अंग्रेजोंके साथ जा मिलूँगा।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा—मैं अस्पताल... था वह बहुत बड़ा अस्पताल था। उसमें सब तरहके लोग रहते थे। ... में मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। अच्छा होनेपर मैं करंजी ... भेजा गया। वहाँ मैंने एक व्याख्यान सुना। व्याख्यान सुननेके बाद मैं आ... हिन्द फौजमें सम्मिलित होगया। तकलीफसे बचनेके लिए ही मैं आजाद ... फौजमें शामिल हुआ।

श्री भूलाभाई देसाई—आपको मालूम था कि आजाद हिन्द फौज ... कामके लिए बनी है?

गवाह—आजाद हिन्द फौजमें शामिल होनेके बाद मुझे ज्ञात हुआ ... आजाद हिन्द फौजवाले भारतको स्वाधीन करना चाहते हैं।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आप आशा करते थे कि आपको ल... लिए जाना पड़ेगा?

गवाह—इस सम्बन्धमें मुझे कोई भ्रम नहीं था। मैं अच्छी ... जानता था कि मुझे लड़ना पड़ेगा। मैं यह भी जानता था कि यह ज... मरणका प्रश्न है। लेकिन मैंने सोचा कि इस तकलीफसे तो मरना अच्छा ... मुझे तनिक भी विश्वास नहीं था? वे लोग भारतको आजाद करा सकें ... लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मैं मोर्चे पर पहुँच गया तो मैं ... ओर जा सकूँगा।

आगे प्रश्न करनेपर गवाहने कहा—शिविरके एक हिस्सेमें ३०० ब... उनमें मैं भी था। हम लोगोंके अलावा और भी लोग थे। हमारे टु... कमाण्डर लेफ्टिनेण्ट पुरुषोत्तमदास थे। वह जापानी बन्दीशिविर ... अक्सर बन्दियोंको टुकड़ियोंमें बाँट दिया जाता था और मशक्कत ... पड़ता था।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या गार्ड लोग तुम्हारे टुकड़ीके नेताको गिरफ्तार करनेके लिए भेजे गये थे ?

गवाह—मुझे नहीं मालूम ।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या यह सही है कि लेफ्टिनेण्ट पुरुषोत्तमदासने आपसे उन लोगोंका मुकाबला करनेको कहा ?

गवाह—गलत है ।

श्री भूलाभाई देसाई—तुम लोगों और गार्डोंके बीच सङ्घर्ष हुआ ?

गवाह—हाँ, जब गार्डोंने गोली चलायी तो मेरी टुकड़ीके आदमियोंसे लड़ाई हुई ।

श्री भूलाभाई देसाई—वहाँ कुल कितने गार्ड थे ?

गवाह—१४ ।

श्री भूलाभाई देसाई—उनमेंसे कोई मारा गया ?

गवाह—एक, कपूथला रेजिमेण्टके सरदार सिंह ।

श्री भूलाभाई देसाई—आपमेंसे कितने मरे और घायल हुये ?

गवाह—दो मरे और तीन घायल हुये ।

श्री भूलाभाई देसाई—विना किसी उत्तेजनाके ही आप लोगोंपर गोली चलायी गयी ?

गवाह—हमने आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होनेसे इनकार किया इसीलिए वे लोग गोली चलाने लगे ।

श्री भूलाभाई देसाई—गोली चलानेके पहले गार्डों और आपके आदमियोंके बीच कोई बातचीत हुई ?

गवाह—नहीं ।

श्री भूलाभाई देसाई—आये और तत्काल गोली चलाने लगे ?

गवाह—हम लोगोंको लाइनमें खड़ा होनेको कहा गया फिर उन्होंने आज़ाद हिन्द फौजमें भरती होनेको कहा । जब हम लोगोंने इनकार किया तो वे गोली चलाने लगे । मैं नहीं जानता कि गार्ड लोग किसीको गिरफ्तार करनेकी कोशिश कर रहे थे ।

एडवोकेट जनरलके पूछने पर गवाहने कहा—हमारी टुकड़ीके पास कोई हथियार नहीं था । गार्ड लोग राईफलसे गोली चलाते और पीछे हटते जाते थे। जमादार और सूबेदार पिस्तौल चला रहे थे। इस कारण सिवा उस गार्डके जो मारा गया, हम लोग किसीके निकट न जा सके । १५ मिनट तक गोली चली । जब गोली खतम होगयी तो वे लोग लारीमें बैठकर चले गये। मुझे और मेरे आदमियोंको उनका सामना करनेका मौका नहीं मिला, सिवा एकके जिसे हमने मारडाला ।

पश्चात् अदालत सोमवार तकके लिए उठ गयी ।

---

२६ नवम्बर १९४५

बारहवें गवाह—जमादार मुहम्मद हयात

मैं १।१४ बहावलपुर इन्फेन्टरीमें जमादार हूँ । मैंने मलायाके युद्धमें भाग लिया था । सिङ्गापुर-पतनके बाद युद्धबन्दी बना लिया गया । अफसर और सैनिक अलग अलग किये गये और अलग अलग बाड़ोंमें रखे गये। शिविरमें पहुँचनेके दूसरे दिन हमसे आज़ाद हिन्द फौजमें भरती होनेके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करनेको कहा गया । हमारे इनकार करनेपर एक सूबेदार, एक हवलदार, एक मेहतर और ८ सिपाही हमारे शिविरमें आये । और हमसे

१२ आदमियोंको अलग ले गए। उनमें मैं भी था। अफसर और सिपाहियोंके पास ५ फुट लम्बी और २ इञ्च मोटी लाठी थी। उन्होंने लाठियोंसे हम बारहो आदमियोंको पीटना शुरू किया। भङ्गीने मुझे पीटा।

मैं २० या २५ डण्डे खाकर बेहोश हो गया और जब होशमें आया तो देखा कि ग्यारहो आदमी उसी जगह पड़े हैं जहाँ हम सब पीटे गये थे। तत्काल हमसे मशक्कत करनेको कहा गया। हमें बोरेमें मिट्टी भरने और डबल मार्चकर ३०० गजकी दूरीपर ले जानेका हुक्म दिया गया। जब हममेंसे कोई डबल मार्च न कर सकता या जमीनपर गिर जाता तो सन्तरी लोग उसे पीटते थे। यह सजा तमाम दिन दी जाती थी। केवल दोपहरको खानेकी छुट्टी मिलती थी। उस समय शिविरमें ६० या ७० आदमी थे। मैंने अपने सिवा दूसरे कई आदमियोंको भी पिटते हुए देखा।

रातको भी हमें सोने न दिया जाता। अपने घेरेमें कैदियोंको पहरा देना पड़ता था और बाहरके पहरेदारोंको हर पाँच मिनट पीछे उत्तर देना पड़ता था। यदि वे उत्तर न दे सकते या बहुत जोरसे या बहुत धीरे बोलते तो हम लोग पीटे जाते थे। इस तरह हमसे रातमें ड्यूटी करायी जाती थी। इसके अलावा हमें आजाद हिन्द फौजके हर आदमीको, यहाँ तक कि मेहतरको भी सलाम करना पड़ता था। यदि वे इसमें लापरवाही करते थे तो पीटे जाते थे।

एक दिन मैंने एक सन्तरीको पाससे जाते देखा। उसने मुझे बुलाया और मुझे बन्दूकके कुन्देसे पीटा।

हमें जो थोड़ा सा चावल दिया जाता था, उसमें कंकड़ियाँ होती थीं और नियत समयके अतिरिक्त पीनेको पानी भी काफी नहीं मिलता था। जब हमने देखा कि चावलमें कंकड़ी मिलती है तो हमने शिविरके संचालकसे शिकायत की। उन्होंने कहा—तुम्हें इसी तरहका खाना मिलेगा। मैंने कहा—मैं यह सब बात तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे गोली मार दो। उसने

कहा—मैं तुम्हें गोली नहीं मारूँगा, लेकिन तुम आजाद हिन्द फौजमें भ
हो जाओ। अगर भरती न होगे तो मरते दम तक तुम्हारे साथ यही व्य
किया जायेगा।

हममेंसे अगर कोई बीमार होता और आजाद हिन्द फौजके डाक्
कहता तो वह हमेशा 'अ' अथवा 'ब' लिख देता। कभी 'स' नहीं लि
था। जिनके नामके सामने 'अ' या 'ब' लिख देता वे बुलाये जाते और
१२ बेतकी सजा मिलती।

कहा जाता था कि बीमारीका बहाना करनेवाले लोगोंको दण्ड दि
जा रहा है।

शिविरमें १७ दिन रहनेके बाद मैं और मेरे १२ साथी सेलेटार शिवि
भेज दिये गये। वहाँ आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेके निमित्त व्याख्यान दि
गये और भरती होनेकी सलाह दी गयी किन्तु हम सबने इन्कार कर दि
मैंने अपना प्रचार जारी रखा। इस पर ११ या १२ दिन बाद मैं फिर
शिविरमें लौटा दिया गया।

इस बार भी मेरे साथ वही १२ आदमी थे। इस बार हम लोग शिवि
२१ दिन तक रखे गये। नित्य व्याख्यान दिया जाता और आजाद हिन्द फौ
भरती होनेको कहा जाता। फौजके संचालकने कहा कि अगर तुम लोग आ
हिन्द फौजमें भरती नहीं होते तो पहलेका तरहकी व्यवहार किया जायेगा। ह
आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेसे इनकार किया। तब हमें पहलेवाली सजा
दी गयी। हमलोग बीमार पड़ गये पर चिकित्साकी कोई व्यवस्था नहीं
गयी। दवा यही की गयी कि हमें बेंत लगाये गये।

एक दिन मुझे प्यास लगी और मैंने पानी माँगा। इसके जवाबमें
और मेरे साथियोंको ११-११ बेंत लगाये गये। जब हमें पीट रहे थे तो
अल्लाह-अकबरके नारे लगा रहे थे। इसके जवाबमें कहा गया अगर खुदा

तो वह इस घेरेके बाहर रहता होगा। यहाँ तो शिविरके अधिकारियोंका राज्य है।

वहाँसे हम फिर सेलेटार शिविर ले जाये गये। जहाँ आजाद हिन्द फौजके स्वयंसेवक, 'ड' नामवाले विभागमें और गैरवालिंटियर 'ड-१' विभाग में रखे जाते थे। 'ड' विभागमें पहुँचनेके बाद मैं अस्पताल भेज दिया गया। वहाँ मैं ७-८ दिन रहा। अस्पतालमें भी वालंटियर और गैरवालंटियर अलग अलग रखे जाते थे। प्रधान सदर दफ्तरसे कुछ खाना आता था पर वह सिर्फ वालंटियरोंको दिया जाता था।

सेलेटार शिविरसे २५०० या ३००० बन्दी बुल्लर शिविर भेजे गये। यहाँ भी हमने आजाद हिन्दमें भरती होनेसे इनकार किया। व्याख्यान दिया गया। जब फिर हमने इनकार किया तो मैं और मेरे पुराने साथी फिर पुराने शिविर को भेज दिये गये। वहाँ इस बार भी हमारे साथ पहलेकी ही भाँति व्यवहार किया गया। इस बार शिविरमें और लोगोंको पिटते हुए देखा। एक रातको ९ बजे जब मैं ड्यूटी पर था, मैंने दो सिखोंको पास ही पीटे जाते देखा। एक सूबेदार और ६ दूसरे आदमी उन्हें पीट रहे थे और वे उन्हें १ बजे तक पीटते रहे। उसके बाद उन्होंने उनको अस्पतालमें भेज दिया और भङ्गीसे कह दिया कि यदि ये लोग मर जायँ तो उन्हें खबर कर दे। उनकी हालत उस समय बहुत खराब थी। जो कुछ उन्होंने कहा वह मैंने सुन लिया था, क्योंकि अस्पताल तम्बूसे १० गजकी दूरीपर ही था। दूसरे दिन जब मैंने उन्हें देखा वे जमीनकी ओर मुँह किये पड़े थे और उनके पैरोंमें बेडियाँ पड़ी थीं। इस बार हम २४ दिन शिविरमें रहे। फिर सेलेटारके 'द-१' शिविरमें ले जाये गये और पुरानी जगहमें रखे गये। यहाँ हमसे हवाई अड्डे बनाने और खाइयाँ खोदनेका काम लिया गया। हम यहाँ दिसम्बर १९४२ तक रहे। उसके बाद शिविरके सब आदमी आदम रोड शिविरमें ले जाये गये। वहाँसे

सास्बोंग हवाई अड्डेपर काम करनेके लिए भेज दिये गये। अन्तमें मई १९४३ में हम न्यूगिनी भेज दिये गये। हमारी संख्या २४०० थी। अप्रैल १९४४ में मुझे अमेरिकन मिल गये। मैं आजाद हिन्द फौजमें कभी शामिल नहीं हुआ।"

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा—जब जापानसे लड़ाई छिड़ी तब मैं मलायामें लपकियामें था। यह बात कहना गलत है कि मेरी आधी पलटन मैदानसे भाग गयी थी। वह दो टुकड़ेमें बाँट दी गयी थी। एक क्वालालम्पुरको और दूसरी मालम्बायमें कर्नल टीटेलकी अध्यक्षतामें सौंप दी गयी थी।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या यह सत्य है कि जब १५ फरवरी १९४२ को सिंगापुरका पतन हुआ तो आपने या आपके बटालियनके किसी अन्य व्यक्तिने कर्नल टायरेलपर भवाजाकशीकी थी कि, अब आप भी निरस्त्र होगये।

गवाह—नहीं, हमने यह कभी नहीं कहा।

आत्म समर्पणके बाद हम नेसून शिविरमें गये। उसके सञ्चालक कप्तान श्री एन० जेड० ज्ञानी थे। उनके बाद कर्नल शाहनवाज आये कर्नल शाहनवाजने शिविरमें जो व्याख्यान दिया था उसे मैंने सुना। मैं शिविरवाले व्याख्यानमें नहीं था। उन्होंने मस्जिदमें जो व्याख्यान दिया उसमें मैं मौजूद था। उन्होंने बिरादरीके प्रस्ताव नहीं बताये। उन्होंने कहा कि सिख और हिन्दू आजाद हिन्द फौजमें स्वयंसेवक हो गये हैं, मुसलमानोंको भी उसमें भर्ती हो जाना चाहिये। यह भी कहा था कि तुम्हें इसलिए भर्ती होना चाहिये कि जब हिन्दू और सिख हिन्दुस्तानमें जायेंगे तो वे हिन्दुस्तानमें तुम्हारे घरोंमें तुम्हें तकलीफ देंगे। उन्होंने हमें जबर्दस्ती करनेकी धमकी नहीं दी लेकिन यह कहा कि आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होना तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें सच्चे आदमी ही चाहिये। हमें दया हुआ आदमी नहीं चाहिये। उसके बाद सब मुसलमानोंने दुआ खैर पढ़ा और दुआ की कि सब मुसलमानोंको

खता माफ हो। दुआ खैरमें हमने यह भी निश्चय किया कि हम आजाद हिन्द फौजमें भरती न होंगे। हमारा मतलब यह था कि जो लोग वहाँ मौजूद थे, उनमेंसे किसीको भी आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेका अधिकार नहीं है।

श्री भूलाभाई देसाई—मेजर अजीज अहमदको सन्देह हुआ था कि आपकी टुकड़ीके कुछ सिपाहियोंने नागरिकोंकी सात गायें चुरा लीं और उन्हें मारकर खा गये हैं?

गवाह—इससे इनकार करता हूँ कि गायें चुराई गयीं। यह झूठ है और गाय खायी गयीं यह भी झूठ है।

इसपर श्रीभूलाभाई देसाईने गवाहका प्रारम्भिक बयान दिखाया जिसमें उन्होंने कहा था—मेजर अजीज अहमदने हमसे कहा कि तुम लोग नजरबन्दी शिविरको इसलिए भेजे जा रहे हो कि तुमने एक गाय मारी है।

कई प्रश्नके बाद गवाहने कहा—मैं स्वीकार करता हूँ कि अपने प्रारम्भिक गवाहीमें मैंने कहा था कि मेजर अजीज अहमदने हमें बताया था कि तुम लोग नजरबन्दी शिविरमें इसलिए भेजे जा रहे हो कि तुमने एक गाय चुरायी है। वही बात अब भी कह रहा हूँ।

श्री भूलाभाई देसाई—तफतीश हुई थी, चमड़े और हड्डियाँ मिली थीं?

गवाह—कोई तफतीश नहीं हुई थी और न चमड़ा मिला था।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या यह बात सही है कि आपने वस्तुतः आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होनेकी इच्छा प्रकट की थी, लेकिन अविश्वसनीय होनेके कारण भरती नहीं किये गये?

गवाह—नहीं, मैंने आजाद हिन्द फौजमें कभी भरती होनेकी इच्छा प्रकट नहीं की।

श्रीभूलाभाई देसाई—दो गवाहोंने अदालतमें कहा है कि ....

एडवोकेट जनरल—दूसरे गवाहोंने क्या कहा, इससे गवाहका सम्बन्ध नहीं है। उससे यही पूछा जाना चाहिये कि उसे क्या मालूम है।

जज एडवोकेट—सफाई पक्ष यह पूछ सकता है कि पहले दो गवाहोंने जो बयान दिया है वह सही है या नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—दो गवाहोंने कहा है कि नैसून शिविरमें, कप्तान शाह नवाजखाँ सञ्चालक थे। वहाँ वालिण्टियरों और गैरवालिण्टियरोंके साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। यह बात सही है या गलत ?

गवाह—मैं नैसून शिविरमें अप्रैल १९४२ तक था और जब मैं वहाँ था, वहाँ वालिण्टियरोंको मिलनेवाले राशनमें कोई अन्तर नहीं था। मैं वहाँ २—३ महीने रहा। जूलाई १९४२ में बिदादरी शिविरमें भी वालिण्टियरों और गैरवालिण्टियरोंके साथ कोई भेदभाव नहीं था। जूलाईके महीने तक युद्ध-बन्दियोंमेंसे बहुतसे बन्दी वालिण्टियर बन गये।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने कहा है कि आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेके लिए आपपर बार बार दबाव डाला गया। क्या आप अपनेको विशेष योग्यतापूर्ण सिपाही समझते हैं।

गवाह—मैं अब अफ़सर हूँ।

प्रश्न पुनः दुहराया गया और कहा गया कि 'सिपाही' से यहाँ तात्पर्य विस्तृत अर्थोंमें है। तब गवाहने कहा—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आपको मालूम है कि बहुतसे मुसलमान वालिण्टियर बने ?

गवाह—जहाँ तक मुझे मालूम है थोड़ेसे मुसलमान आजाद हिन्द फौजमें भरती हुए। मैं सभी मुसलमानोंके बारेमें नहीं जानता। मैं यही जानता हूँ कि थोड़ेसे यानी मेरी बटालियनके एक या दो मुसलमान भर्ती हुए।

श्री भूलाभाई देसाईने सात अफसरोंके नाम पढ़कर सुनाये और पूछा—आप इन्हें जानते हैं ?

गवाह—हाँ ।

श्री भूलाभाई देसाई—ये लोग भरती हुए ?

गवाह—नज़रबन्दी शिविरमें रखे जानेके बाद ये लोग भरती हुए ।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या इनमेंसे कोई नजरबन्दी शिविरमें था ?

गवाह—हाँ, कप्तान मिर्जा मेरे साथ नजरबन्दी शिविरमें थे ! वे इसलिए नजरबन्दी शिविरमें भेजे गये कि उन्होंने आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेसे इनकार किया और अपनी टुकड़ीको भरती होने नहीं दिया था ।

श्री भूलाभाई देसाई—कोई और भी अफसर नजरबन्दी शिविरको भेजा गया था ?

गवाह—मुझे नहीं मालूम ।

कुछ अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा—मुझे और मेरे १२ साथियोंको गाय चुराने और खानेके अभियोगमें ३-३ मासकी सजा नहीं हुई थी । जो लोग उस शिविरमें थे वे सब गैरवालिण्टियर थे । मुझे नहीं मालूम कि मैं कप्तान मलिककी मध्यस्थताके कारण छोड़ा गया ।

गवाहको उसका प्रारम्भिक बयान दिखाया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कप्तान मलिकके प्रयत्नसे रिहा किया गया । क्या यह सही है ?

गवाह—मैंने यह बयान नहीं दिया । यह गलत अर्थ लगाया गया जान पड़ता है । मुझे मालूम है कि कप्तान मलिक आजाद हिन्द फौजमें शामिल हो गये थे ।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं यह कहूँ कि आप आजाद हिन्द फौज विरोधी

दलके इतने बड़े नेता थे फिर भी आपसे बिना पूछे कप्तान मलिकने
ओरसे बीच बिचाव किया ?

गवाह—मैं नहीं जानता कि उन्होंने मेरी बावत कुछ कहा। अगर
कुछ कहा होगा तो शिविर सञ्चालकसे कहा होगा।

मैं दिसम्बर १९४२ से मई १९४२ तक समावाके हवाई अड्डेपर मजदूर
काम करता था। उस शिविरका सञ्चालक एक जापानी था।

एडवोकेट जनरलके जिरह करनेपर गवाहने कहा—मेरे या किसी
व्यक्तिके विरुद्ध गाय चुराने या मारनेका अभियोग नहीं लगाया गया।
प्रकारके अभियोगके सम्बन्धमें कोई सफाई नहीं मांगी गयी। कई बार
आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेको कहा गया।

अदालतके प्रश्न करनेपर गवाहने कहा—जब मैं नजरबन्दी शिविर
तो मुझे नित्य ६–७ घण्टे सन्तरीकी ड्यूटी देनी पड़ती थी। दूसरे कैदी
मेरे साथ थे, वे मेरी ड्यूटीके बाद काम करते थे। आजाद हिन्द फौज
सन्तरी जो बाहर रहता था, पहरेकी बदलीका हुक्म दिया करता था।
बाज बाज कैदीको दोहरी ड्यूटी देनी पड़ती थी। जो कैदी पहरेपर नहीं
थे वे सो सकते थे। पहली बार मैं १७ दिन तक नजरबन्दी शिविरमें रहा
बराबर रातकी ड्यूटी देता रहा। दूसरी बार २१ दिन तक नजरबन्दी शिविर
रहा। इस बार भी रातमें सन्तरीका काम करता था। अस्पतालमें केला
फलोंको छोड़कर बाकी खाना वालिण्टियरों और गैरवालिण्टियरोंको एकसा दि
जाता था। अस्पतालमें बीमार होनेके कारण मैंने कुछ नहीं खाया।

अदालत—कुछ नहीं खाया ?

गवाह—जब भूख लगती थी तो थोड़ा चावल खा लेता था।

अदालत—गैरवालिण्टियरोंको क्या खाना मिलता था ?

गवाह—केवल चावल।

अदालत—तुमने बताया कि मशक्कतमें जब मिट्टी ढोते थे तो हर दो गज-पर एक सन्तरी रहता था ?

गवाह—बहुतसे सन्तरी रहते थे। हो सकता है दो या ढाई गजपर रहते हों। मैं ठीक नहीं जानता ?

अदालत—नित्य दिनमें तुमसे मशक्कत ली जाती थी और रातमें पहरेका काम ?

गवाह—हाँ।

अदालत—जब तक तुम नजरबन्दी शिविरमें रहे यही क्रम रहा ?

गवाह—हाँ।

जज एडवोकेटके पूछनेपर गवाहने कहा—कप्तान शाहनवाजने मसजिदमें भाषण किया था और लेफ्टिनेण्ट ढिल्लों मार्च १९४३में किसी समय एकबार बोले थे। कप्तान शाहनवाजने कहा कि मुसलमानोंको अवश्य भरती होना चाहिये क्योंकि हिन्दू और सिख पहले ही भरती हो चुके हैं। लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंने कहा कि जापानियोंके साथ मिलकर भारतको आजाद करना चाहिये।

तेरहवें गवाह—हवलदार ललितबहादुर

मैं १ नवम्बर सन् १९३८ को भारतीय सेनामें सम्मिलित हुआ। सिङ्गापुर के पतनके बाद एक मास तक हमारी टुकड़ी बिदादरी शिविरमें थी और उसके बाद २॥ मास तक बुल्लर शिविरमें रही। जब हम बुल्लर शिविरमें थे तब हम को एक नाटक देखनेके लिए बुलाया गया और वहाँ व्याख्यान दिये गये। इन व्याख्यानोंमें हम लोगोंको बताया गया कि हमें ब्रिटिश सेनासे लड़ना है

और आजाद हिन्द फौज बनाना है। हमें यह भी बताया गया कि यह व्याख्यान सूचना मात्र है। बादमें ब्रिटिश सेनासे लड़ना होगा।

बुल्लर शिविरसे हमलोग नागरिक हवाई अड्डे पर ले जाये गये और वहाँसे विदादरी शिविर नम्बर २ में भेजे गये। वहाँ अक्सर हमसे कहा जाता था कि तुम लोग आजाद हिन्द फौजमें भरती हो जाओ नहीं तो नतीजा बुरा होगा। जब तक मैं उस शिविरमें था तब तक मैंने अपनी टुकड़ीके किसी आदमीको आजाद हिन्द फौजमें भरती होते नहीं देखा। हमारी टुकड़ीके लगभग अफसर नजरबन्दी शिविरमें ले जाये गये और हम लोगोंसे जो वहाँ रह गये कहा गया कि यदि हम आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं होंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। इन व्याख्यानोंके बाद श्रोताओंने कोई उत्तर नहीं दिया। पश्चात् मेरी युनिटके कुछ और लोग नजरबन्दी शिविरको ले जाये गये।

२४ सितम्बर सन् १९४२ में जब मैं तथा मेरी टुकड़ीके अन्य सदस्य विदादरी शिविर नं० ४ में थे तब हम लोगोंको उसके निकटके खुले मैदानमें इकट्ठा होनेके लिए कहा गया। वहाँ पहले आजाद हिन्द फौजके एक अफसरने अपने भाषणमें कहा कि हम लोगोंने आप लोगोंको आजाद हिन्द फौजके बारेमें पहले ही बता दिया था। जो बात हम लोगोंने कही उसे आप लोगोंने स्वीकार नहीं किया। अतः अब मैं आपलोगोंको इसका परिणाम बताना चाहता हूं। मैंने देखा कि बायीं ओर १४ सशस्त्र आदमी खड़े थे। अफसरने २।९ गुरखा राइफल्सके मेहतरों, भिश्तियों, मोचियों तथा अन्य काम करनेवालोंको आगे आनेको कहा और उनसे पूछा कि तुम लोग आज़ाद हिन्द फौजमें भरती होते हो या नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे जो कुछ हो हम लोग आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित नहीं हो सकते। इसपर आजाद हिन्द फौजके अफसरने २-३ सिपाहियोंको उन नौकरोंको लाठीसे मारनेकी आज्ञा दी। दस मिनट तक नौकर सब पीटे गये होंगे कि हममेंसे एकने इसका विरोध किया

तब उन्होंने हममेंसे ६-७ सिपाहियोंको निकल आनेकी आज्ञा दी और कहा कि "ये लोग ही नेता हैं जो २।९ गुरखा राइफलको आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेसे रोकते हैं।" उसके बाद उस अफसरके हुक्मपर दो आदमी उन सिपाहियोंको पीटने लगे। १०-१२ मिनट तक मार खानेके बाद एक सिपाही गिर पड़ा। तब हमारी टुकड़ी बिगड़ गयी और मारपीटका विरोध करने लगी। लोगोंने कहा—इस तरह आप भले ही मारें पर हम आजाद हिन्द फौजमें भरती न होंगे।

इसपर आजाद हिन्द फौजके एक अफसरने पूछा—किसके हुक्मसे तुम लोग उठ पड़े हो।

हम लोगोंने कहा—हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। जब देखा कि हम लोग अधिक शोर कर रहे हैं तो आजाद हिन्दके एक अफसरने बायीं ओर खड़े सिपाहियोंको हमपर गोली चलानेकी आज्ञा दी। उन्होंने आकाशमें १० या १५ गोलियाँ चलायीं और हमारी तरफ कोई गोली नहीं आयी। इसपर आजाद हिन्द फौजके एक दूसरे अफसरने उनसे कहा—क्या ये गोरखे तुम्हारे बाप हैं जो तुम उनपर गोली नहीं चला रहे हो।

यह सुनकर हमारा खून खौलने लगा और हम आगे बढ़े। आजाद हिन्द फौजवालोंने हमपर गोलियाँ चलायीं। एक या दो आदमी गिर पड़े। हम लोग निरस्त्र थे। हमारे पास सरपर फेल्ट हैट और पैरमें लकड़ीकी चप्पल थी। हमने उन गार्डोंपर चप्पल फेंके। तब मैंने आगे बढ़कर अपने साथियोंसे कहा—आगे मत जाओ, उनके पास हथियार है, हमें मार डालेंगे।

जैसे ही मैं आगे बढ़ा मैंने देखा कि आजाद हिन्द फौजका एक अफसर मुझपर पिस्तौल तान रहा है। मैं पीछे हटूँ हटूँ कि उसने गोली दाग दी जो मेरे बायें घुटनेमें लगी। जब मैं गिरा गोली चल रही थी। कुल ९

व्यक्ति घायल हो गये। ८ बन्दूक की गोलियोंसे और १ लाठी प्रहारसे। घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया।

वहाँ आजाद हिन्द फौजके कई अफसर कई बार अस्पतालमें आये और मुझसे कहा कि आजाद हिन्द फौजमें भरती हो जाओ। भरती होने पर ही मुझे अच्छी औषधि दी जायगी और मेरे पैरसे गोली निकाली जायगी। तो भी मैंने भरती होना स्वीकार नहीं किया। लगभग ५ मास तक अस्पताल में ही रहा। जब मैं अच्छा हो गया तब मैं बुकीनियाकी सड़कके शिविरमें भेज दिया गया जहाँ मेरे युनिटके अन्य सैनिक थे। मैं उसी शिविरमें अन्त तक रहा और ब्रिटिश सैनिक वहाँ पहुँचे और मैं उनके साथ हो गया।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने बताया मैं आत्मसमर्पणके समय फरर पार्कवाली सभामें उपस्थित था।

श्री भूलाभाई देसाई—आपको यह स्मरण है कि जब जापानी अफसरने आप लोगोंको कप्तान मोहनसिंहके हाथ सौंपा तो उसने आप लोगोंसे कहा कि आप लोग कप्तान मोहनसिंहकी आज्ञानुसार कार्य करें?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या बुलर शिविरमें व्याख्यान होते थे?

गवाह—मैंने एक या दो व्याख्यान सुने जो एक भारतीय अफसरने दिये थे और एक गुरखा अफसरने उनका अनुवाद किया था।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या तुम जमादार पूरनसिंह खवासको जानते हो?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या तुमने उनका व्याख्यान सुना?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—उन्होंने क्या कहा?

गवाह—उन्होंने हम लोगोंको बताया कि ब्रिटिश भाग गये और हम लोगोंको यहाँ छोड़ गये। हम लोग जापानियोंके कब्जेमें आ गये हैं और अब हम लोगोंको जापानियोंकी आज्ञा माननी पड़ेगी और सशक्त करना पड़ेगा।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या उन्होंने कहा कि भारत हमारा देश है और हमारे जो भाई भारतमें हैं उनके साथ मिलकर हमें देशके लिए लड़ना चाहिये।

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आपको आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होना चाहिये?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—भारतको स्वतन्त्र करनेके लिए आजाद हिन्द फौज बनायी जा रही है?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—और उन्होंने यह भी कहा कि इसीलिए हम आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होना चाहिये?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—सुनने वालोंने उनकी बात मानी?

गवाह—एक या दो आदमियोंने कहा कि हमें आजाद हिन्द फौजके बारेमें कुछ नहीं मालूम है अतः हम उसमें भर्ती नहीं होंगे।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने समझा कि आजाद हिन्द फौज किसलिए बनायी जा रही है?

गवाह—उस समय हमें यह नहीं मालूम था कि आजाद हिन्द फौज क्या है।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने अभी कहा है कि आप लोगोंको बताया गया था कि आजाद हिन्द फौज भारतको आजाद करनेके लिए बनायी जा रही है। आपने उसे समझा ?

गवाह—मैंने यह सुना था। पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह बात मैं पहले पहल सुन रहा था।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आपसे कप्तान मोहनसिंहकी आज्ञा माननेको कहा गया था ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या तुम्हें यह मालूम था कि कप्तान मोहनसिंह आजाद हिन्द फौज संघटित करने वाले हैं ?

गवाह—मैंने यह बादमें सुना था कि कप्तान मोहनसिंह आजाद हिन्द फौज संघटित करने वाले हैं। बुलर शिविरके अन्तिम व्याख्यानमें मैंने सुना कि कप्तान मोहनसिंह आजाद हिन्द फौज संघटित कर रहे हैं।

श्री भूलाभाई देसाई—सूबेदार पारसराम, जमादार सेथू कानका, जमादार तेगबहादुर, जमादार तिलबहादुर अधिकारी और हवलदार मोहनबहादुरको जानते हो ?

गवाह—मैं इन सब लोगोंको जानता हूँ। ये लोग हमारे युनिटमें बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।

यह पूछे जानेपर कि क्या ये सब लोग व्याख्यान दिया करते थे, गवाहने बताया कि मुझे केवल जमादार तिलबहादुरके व्याख्यानका स्मरण है जो उन्होंने बिदादरीके शिविर नं० २ में दिया था। मैं भी उस व्याख्यानमें उपस्थित था। जमादार तिलबहादुर अधिकारीने हम लोगोंको वही बात बतायी जो जमादार पूरनसिंहने बतायी थी। उस व्याख्यानमें लगभग ६०-७० व्यक्ति उपस्थित थे। मैं राइफलमैन रामसिंहको भी

जानता हूँ। वे भी व्याख्यान दिया करते थे। उन्होंने भी हम लोगोंको आजाद हिन्द फौजके सम्बन्धमें पूरी पूरी बातें बतायी। यही तीसरा अन्तिम व्याख्यान था। जमादार पूरनसिंह और जमादार तिलबहादुर अधिकारी अपने अपने शिविरमें रहते थे।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या तुम यह जानते हो कि आजाद हिन्द फौजके १५००० सैनिक ट्रेनिंग ले रहे थे और २५ हजार सदस्य प्रतीक्षा करने वालों की सूचीमें थे?

गवाह—मुझे ठीक ठीक संख्याका पता नहीं है। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि आजाद हिन्द फौजमें बहुत अधिक सैनिक थे।

श्री भूलाभाई देसाई—जिस ड्रामाके बुल्लर शिविरमें खेले जानेकी बात तुमने कही है, उसे किसने खेला था?

गवाह—मनोविनोदके रूपमें सेनाकी ओरसे उसका आयोजन हुआ था।

श्री भूलाभाई देसाई—उस नाटकमें भारतकी किसी पुरानी वीरताको दिखाया गया था?

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—रामायण और महाभारतको जानते हो?

गवाह—मैं रामायणकी कुछ कहानियाँ जानता हूँ। महाभारतको नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—नाटकमें रामायणकी कोई ऐसी कथा दिखायी गयी थी जिसके नायकने भारतपर शासन और उसकी रक्षा की थी?

गवाह—नहीं।

पश्चात अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी।

———

२७ नवम्बर १९४५

कल हवलदार बख्तिबहादुरकी जिरह समाप्त नहीं हुई थी, अतः अदा... बैठनेके बाद पुनः जिरह आरम्भ हुई।

गवाहने श्री भूलाभाई देसाईके प्रश्न करनेपर कहा—जापानियोंके लिए म... क्कत करनेके प्रश्नपर झगड़ा था। जो लोग आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं... थे उनसे मशक्कत ली जाती थी। हमारे कुछ नेताओंने हमें सलाह दी कि... तुम लोग मशक्कतसे इनकार मत करो फिर भी कुछ लोगोंने मशक्कत करने... इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम लोग जापानके लिए मशक्कत करेंगे लेकिन... आजाद हिन्द फौजसे हमारा कोई वास्ता नहीं है।

श्री भूलाभाई देसाई—गार्ड इस कारण भेजे गये थे कि आपमेंसे कुछ लोगों... मशक्कत करनेसे इनकार किया था ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या गार्ड नेताओंको पकड़ने आये थे ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आप लोग कुल कितने थे ?

गवाह—गार्डोंसे कुछ झगड़ा हुआ ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—गार्डोंने ऐसा करनेसे मना किया और हवाई फा... किया।

गवाह—हाँ ?

श्री भूलाभाई देसाई—पहले उन्होंने हवाई फायर किया। जब आप लोग नहीं... माने तो आपपर गोलियाँ चलायीं ?

गवाह—हाँ, गोलीसे २-३ आदमी घायल हुए।

श्री भूलाभाई देसाई—आप लोगोंने गार्डोंका विरोध किया ?

गवाह—हाँ।

एडवोकेट जनरल—जब जाउँ आगे तो वस्तुतः क्या हुआ ?

श्री भूलाभाई देसाई—मैं इसपर आपत्ति करता हूँ। फिरसे बयान नहीं लिया जा रहा है।

मेजर जनरल ब्लैक्सलैण्ड (अध्यक्ष)—उन्होंने जवाब नहीं दिया है। सबूत पक्षके सामने सही तस्वीर आनी चाहिये।

जज एडवोकेट—क्या जिरहसे यह सवाल नहीं उठता ?

श्री भूलाभाई देसाई—जिस बातका स्पष्टीकरण न हो तो वह फिरसे बयान लेना कहा जायेगा।

अदालतने आपत्ति स्वीकार नहीं किया।

प्रश्नका उत्तर देते हुये गवाहने कहा—गार्डों और युद्धबन्दियोंमें इस बातपर झगड़ा हुआ कि युद्धबन्दियोंको व्याख्यानमें गार्डोंका आना अच्छा नहीं लगा।

एडवोकेट जनरल—झगड़ेका असली कारण क्या था ?

अदालतने प्रश्न पूछनेकी इजाजत नहीं दी।

अदालतः—आपने अदालतके सामने यह कहा है कि जब आप अस्पतालमें थे, तो आपसे कहा गया था कि यदि आप आजाद हिन्द फौजमें शामिल होजायें तो आपकी टांगमेंसे गोली निकाल दी जायगी। तो क्या गोली निकाल दी गयी ?

गवाह—करीब १॥ महीने बाद मेरी टाँगसे गोली निकाली गयी।

अदालतः—जब गोली निकाली गयी, तब आप कहाँ थे ?

गवाह—मैं उस समय बिदादरी अस्पतालमें था।

चौदहवें गवाह—राईफलमैन रविलाल

मैं १२ अक्तूबर १९३८ को भारतीय सेनामें भर्ती हुआ था। मैं अपनी टुकड़ीके साथ मलाया भेजा गया। २० अगस्त १९४१ को दिनमें सिङ्गापुरमें युद्ध-

बन्दी बना लिया गया। पहिले मुझे जिस स्थानपर लेजाया गया था, उसका नाम मुझे इस समय याद नहीं। बादमें मुझे सारम्बान सड़क और वहाँसे बुल्लार कैम्प ले जाया गया था। मैं करीब २॥ महीने तक वहां रहा। वहाँसे मुझे एक नार्थ हवाई अड्डे ले जाया गया। वहां मैं १॥ महीने तक रहा। अन्तमें मुझे बिदादरी के बी–२ शिविरमें ले जाया गया। वहां मैं करीब १ महीने तक रहा। बुल्लार शिविरमें मुझे आजाद हिन्द फौजके बारेमें बताया गया। हमसे कहा गया कि जापानियोंकी सहायतासे हमें भारतको आजाद करना चाहिये।

जब मैं बिदादरी कैम्पमें आया तो वहाँ कई भाषण सुननेका मौका मिला। उनमें कहा जाता था कि जो लोग आजाद हिन्द फौजमें शामिल न होंगे उन्हें भारतको आजाद करनेका मौका फिर न मिलेगा। उन्हें बादमें खतरेका सामना करना होगा। आजाद हिन्द फौजके अफसरोंने स्वयं मुझसे फौजमें शामिल होनेका आग्रह किया। मुझसे कहा गया कि यदि मैं फौजमें शामिल न हुआ तो मुझे नजरबन्दी शिविरमें भेज दिया जायगा। लेकिन मैं आजाद हिन्द फौजमें शामिल होनेको तैयार न हुआ।

बुल्लार शिविरमें मेरे पहुँचनेके बाद मेरी युनिटके कुछ वाइसराय कमीशन प्राप्त अफसरों एवं अन्य अफसरोंको हमसे अलग कर दिया गया। बादमें जब मैं नजरबन्दी शिविर पहुँचा तो मैंने उन सबको वहाँ पाया। उनके चले जानेके बाद बिदादरी शिविरमें मेरे और मेरी यूनिटके सामने आजाद हिन्द फौजके सम्बन्धमें भाषण किये गये। हमसे कहा गया कि यदि हम लोग आजाद हिन्द फौजमें शामिल न हुए तो हमें भी नजरबन्द शिविरमें ले जाया जायगा।

२४ सितम्बर १९४३ की एक घटना मुझे याद है। ७ बजे शामकी बात है बिदादरीमें आजाद हिन्द फौजका एक अफसर भाषण कर रहा था। सारी बटालियन जमा थी। एक-दो आदमी खाना खा रहे थे इसलिए वे आ न सके थे। वे पकड़ कर

लाये गये । आजाद हिन्द फौजके अफसरने उन दोनोंसे कहा कि यह खाना खानेका समय नहीं है । उन्हें पीटनेका हुक्म दिया गया और वे पीटे गये ।

मेरे एक ओर गार्ड लोगोंका दल खड़ा था । १५-२० आदमियोंके पास हथियार थे ६-७ ने लाठियाँ ले रखी थी । आनाद हिन्द फौजके एक अफसरने मेरी टुकड़ीके नौकरों एवं मेहतरोंसे कहा कि तुम लोग भारतीय हो इसलिए देशके हितके लिए तुम लोगोंको आना चाहिये । नौकरोंने कहा—हमने बहुत दिनोंसे गुरखा रेजिमेण्टमें काम किया है अगर गुरखा रेजिमेण्ट आजाद हिन्द फौजमें शामिल हो जाय तो हम भी हो जायेंगे । यह जवाब सुनकर अफसरने आजाद हिन्द फौजके दो आदमियोंको नौकरोंको पीटनेका हुक्म दिया । मार खाकर दो आदमी जमीन पर गिर पड़े । इसके बाद उस अफसरने कहा—जो लोग अंग्रेजोंके प्रति वफादार हैं उनको मैं इसका मजा चखाऊँगा । इसके बाद अफसरने कुछ नाम पढ़कर सुनाये और उनसे पक्तिमें खड़े होनेको कहा । इसके बाद अफसरने उन सबको पीटनेका हुक्म दिया । ३-४ आदमियोंको पीटनेके बाद पाँचवें आदमीको इस बुरी तरह पीटा गया कि वह जमीनपर गिर पड़ा । इसपर भी अफसरने मारना बन्द नहीं कराया, बरन् गिरे आदमीको ठोकरें लगायी ।

यह बात हमारी बटालियनको बहुत बुरी लगी और लोगोंकी आँखोंमें आँसू भर गये । वे लोग उबल पड़े और विरोध प्रकट करते हुए कहा—यदि हमें आप मारना चाहते हैं तो सारी युनिटको मार डालिये, पर हम लोग कभी आजाद हिन्द फौजमें भरती न होंगे ।

इसपर अफसरने कहा कि, किसने कहनेसे उबल पड़े हो ?' और उन्होंने गोली चलानेका हुक्म दिया । पहले गार्डोंने हवाई फायर किया । इसपर अफसरने कहा—क्या गुरखे तुम्हारे बाप हैं जो हवामें फायर कर रहे हो । उनपर गोली चलाओ ।" इसपर उन्होंने गुरखोंपर गोली चलायी । गुरखोंके पास बन्दूक लाठी कुछ भी नहीं था और उन्हें जिन्दा रहनेकी आशा नहीं रह गयी थी । फलतः वे लोग गार्डों

की ओर दौड़ पड़े और लकड़ीकी चप्पलें दे मारीं। आध घण्टे तक गोली चलती रही। इसमें ८ गुरखोंको चोट आयी। गोली रातको चली थी, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कौन कौन जख्मी हुये। गोलीकाण्डके बाद उन सबको घेरकर नजरबन्दी शिविरमें ले जाया गया। हमें रात भर एक ऐसे स्थानपर रखा गया जिसके चारों ओर कटीले तारोंकी बाड़ लगी हुई थी और ऊपर छत न थी। हमें रात भर खड़े रहना पड़ा। हमारे पास कपड़े भी नहीं थे। अगले दिन हमें बिदादरी शिविर वापस जानेका हुक्म हुआ। १४ आदमियोंको रोक लिया गया। उनपर आजाद हिन्द फौजके खिलाफ प्रचार करने और बटालियनको आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होनेसे रोकनेका अभियोग बताया गया।

बिदादरी शिविरमें पहली बार हमारी बटालियन आजाद हिन्द फौजके लिए मशक्कत करती थी और दूसरे लोग खाँई खोदते थे। मैंने मशक्कत करनेसे कभी इनकार नहीं किया और जहाँतक मुझे मालूम है कि किसी दूसरे आदमीने भी आपत्ति नहीं की थी। इस बार भी हमें पहलेकी तरह ही मशक्कत करना पड़ा। बिदादरीमें एक मास रहनेके बाद हम फिर नजरबन्दी शिविर भेजे गये।

हमारे पहुँचनेके अगले दिन ही पिटाई व मशक्कत जारी हो गयी। यह ५ दिन तक रहा। पहिले दो दिनों तक खानेका प्रबन्ध न था। तीसरे दिन हमें खाना दिया गया। हमने अफसरसे कहा कि हमारा शिविरसे बार-बार अदला-बदली क्यों की जाती है। जब तक फैसला नहीं हो जाता कि हम कहाँ रखे जायँगे तब तक हम खाना न खायँगे। इसलिये हमने ५ दिन तक खाना नहीं खाया। ५ दिनके बाद हम लोग फिर बिदादारीके कैम्पमें वापस भेज दिये गये। बिदादरीमें पहुँचनेके अगले दिन मैं सेलेटारके अस्पताल नम्बर ४ में दाखिल हो गया। वहाँ मैं १ महीने तक रहा। वहाँ मुझे दवा दी गयी और मैं स्वस्थ हो गया। बादमें मैं बिदादरीकी बटालियनमें फिर शामिल हो गया। मैं वहाँ ५-६ दिन तक रहा। बादमें मैं रिवरवेली कैम्पमें आया। ३-४ दिनके बाद जापानी लोग हमें जत्थोंमें बाहर

खोदनेको ले गये। यहाँ ३-४ दिन तक रहनेके बाद अंग्रेजी सेना पहुँच गयी और उन्होंने हमारी जान बचायी।

श्री आसफअलीके जिरह करने पर गवाहने कहा—अगस्त १९४१ से लेकर सिंगापुरके पतन तक मेरी टुकड़ीको मलायामें शिक्षा दी जाती रही।

श्री आसफअली—किस चीजकी शिक्षा दी गयी? जङ्गल युद्धकी अथवा पीछे हटनेकी अथवा दोनोंकी? (हँसी)

गवाह—हमें आक्रामक लड़ाईकी शिक्षा दी गयी।

इसके बाद श्री आसफअलीने उसके बादकी कारवाइयों और बटालियनके एलोर स्टार वापिस लौटने तथा वापिस लौटनेके समय दिये जानेवाले राशनके सम्बन्धमें कई प्रश्न पूछने चाहे।

एडवोकेट जनरल—ये प्रश्न असङ्गत हैं।

श्री आसफअली—आप जो सवाल पूछ रहे थे उनमें भी मैं संगत नहीं देखता।

एडवोकेट जनरल—यह आपका दुर्भाग्य है।

श्री आसफअली—दुर्भाग्य मेरा हो या आपका? मैं तो समूची घटनाके इतिहासकी छानबीन कर रहा हूँ। सम्राटके खिलाफ युद्ध छेड़ने और ज्यादतियोंके सम्बन्धमें काफी चर्चा की गयी है। लेकिन मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि उन दिनों वस्तुतः हो क्या रहा था। सर नौशेरवाँकी दुर्भाग्यकी बातें एकदम अनुत्तेजनापूर्ण हैं फिर भी मैं इन्हें बर्दाश्त न कर सकूँगा।

जज एडवोकेट—अदालत आपसे जो चीजें बर्दाश्त करनेको कहेगी, उन्हें आपको बर्दाश्त करना ही होगा। सारी कारवाई शान्तिपूर्ण वातावरणमें होनी चाहिये।

श्री आसफअली—मैंने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं कही कि मुझे 'दुर्भाग्य' शब्द सुनना पड़े। मेरा ही दुर्भाग्य क्यों होना चाहिये, उनका क्यों नहीं।

एडवोकेट जनरल—यदि अदालत श्री आसफअलीको प्रश्न करनेकी इ
देना चाहती है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री आसफअलीने पुनः प्रश्न किया। गवाहने कहा—एलोर स्टार वापस ले
हुए राशनका प्रबन्ध कहीं पूर्ण और कहीं अपूर्ण था। वापस लौटते हुए क
लम्पुरमें गोरी पलटनें हमारे साथ आ मिलीं। वापस लौटते समय टैंकोंसे हु
सहायता नहीं की गयी। हमारी सहायताके लिए वायुयान भी नहीं भेजे गये थे
हाँ पांचीफिचलमें करीब ४० वायुयान ऊपर उड़ते हुए दिखायी दिये।"

रिवरवैली शिविरमें बटालियनके कुछ आदमियोंने कमांडिंग अफसर और सू
दार मेजरके सामने बयान दिये। मैंने भी दो बयान दिये और उन्हें दर्ज कर लि
गया। वापस लौटते समय भोजन तथा दूसरी सुविधाओंके सम्बन्धमें गोरी पलटनों
साथ पक्षपात नहीं किया जाता था।

श्री आसफअली—आपके कथनका अभिप्राय यह है कि आप लोगोंको
ठीक वही राशन दिया जाता था, जो गोरी पलटनोंको?

गवाह—जब हम लोग पीछे हट रहे थे, तब हमारा राशन वही था जो गो
पलटनोंका था; फिर चाहे हम उसे खाते या न खाते।

अदालत द्वारा पूछे जानेपर श्री आसफअलीने कहा कि मैं यह दिखानेकी
कोशिश करना चाहता हूँ कि गवाह सबूतपक्षको खुश करनेके लिये यह सब बयान
दे रहा है। गवाहका कहना है कि हिन्दुस्तानी व गोरी पलटनोंको एक जैसा राशन
दिया जाता था जबकि इस भेदभावके सम्बन्धमें कई किताबें लिखी जा चुकी हैं।

श्री आसफअली—क्या अन्य सुविधाएँ भी एक जैसी थीं?

गवाह—जी हाँ।

आगे गवाहने कहा कि सिंगापुरमें मेरी बटालियनको रक्षा कार्यके लिए नियुक्त
किया गया था।

श्री आसफअली—क्या आप लोगोंको यह हुक्म दिया गया था कि आप लोग आस्ट्रेलियाकी फौजोंके लिए खाना ले जाइये ?

गवाह—जी हाँ। मैं केवल एक बार खाना ले गया था।

प्रश्न—क्या आस्ट्रेलिया व ब्रिटेनकी फौजें हिन्दुस्तानी फौजोंके लिए खाना ले जाती थीं ?

उत्तर—मैं नहीं जानता।

आगे गवाहने कहा—बिरादरी शिविरमें युद्धबन्दियोंमें ही आपसमें भरती होने न होनेके प्रश्नपर बहस हुआ करती थी।

श्री आसफअली—जो लोग राजभक्त थे वे इस बातसे नाराज थे कि उनसे आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेकी बात कही जाती है ?

गवाह—हाँ, जो लोग राजभक्त थे वह आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेकी बातचीतसे नाराज होते थे। जब उन लोगोंने, जो आजाद हिन्द फौजमें भरती हो चुके थे, दूसरोंसे भरती कहा तो वे लोग बहुत नाराज हुए। आजाद हिन्द फौजके अफसर जब भी उसके सम्बन्धमें व्याख्यान देने आये तो हमने उनसे चले जानेके लिए नहीं कहा। लेकिन अपने मनमें उनके आने और आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेकी बातको बुरा मानते थे।

आगे गवाहने कहा—बिदादरी शिविरमें हमारे सेक्शनमें लगभग ६०० आदमी थे। उनसे मशक्कत कराया जाता था और वे करनेको तैयार भी थे। मुझे मशक्कत पसन्द थी। मैंने किसीको शिविरमें मशक्कतके खिलाफ असन्तोष प्रकट करते नहीं सुना।

श्री आसफअली—क्या बालितबहादुर तुम्हारे साथ थे ?

गवाह—घायल न होनेतक वह हमारे साथ शिविरमें थे।

श्री आसफअली—बालितबहादुरने अदालतमें कहा है कि मशक्कतके बारेमें झगड़ा था ?

गवाह—मुझे उसका कुछ पता नहीं। मुझे मशक्कतके बारेमें किसी भागो पता नहीं है। मेरी वालितबहादुरसे मशक्कतके बारेमें कोई बातचीत नहीं हुई।

आगे गवाहने कहा—झगड़ेके समय १५–२० गार्ड रहे होंगे। कुछके पा राइफलें थीं और कुछके पास लाठियाँ।

श्री आसफअली—क्या यह सही है कि कुछ गार्ड भाग गये।

गवाह—जब हमने हमने हमला किया तो जिन गार्डोंके पास लाठियाँ थी, वे भाग गये।

श्री आसफअली—तुम लोगोंमेंसे कितनोंने गार्डोंपर हमला किया।

गवाह—हमलोग लगभग ५००-६०० थे। उनमें ३-३॥ सौ के पा लकड़ीकी चप्पलें थीं।

एडवोकेट जनरलके पूछनेपर गवाहने कहा—अपने बयानमें मैंने जिन दो बयानोंका उल्लेख किया है वह तीन अभियुक्त अफसरोंके विरुद्ध मुकदमेके सम्बन्धमें ली गयी थीं।

अदालतके पूछनेपर गवाहने कहा कि—वे दोनों बयान इस मुकदमेके सम्बन्ध में लिये गये थे।

पन्द्रवें गवाह—सूबेदार रामस्वरूप

सिंगापुरके पतनसे एकदिन पहले बच निकलनेके लिए मैंने अपनी टुकड़ी छोड़ दी और नागरिक कपड़े पहनकर नागरिकोंमें मिल गया। मैं इस तरह सिंगापुरमें १२ अप्रैल १९४२ तक रहा। उस दिन मेरी टुकड़ीके एक क्लर्कने जो अचानक कमरेमें आ गया था, मुझे पहचान लिया। मैं बीमार था, इसलिए साथी क्लर्कने मुझे सेलेटार शिबिरमें जानेकी सलाह दी, क्योंकि उस समय हमारी टुकड़ी वहाँ थी। सेलेटारमें मैं ड–१ शिविरमें रखा गया जो गैरवालंटियरोंके लिए था। वहाँ रहनेवालोंको आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेके निमित्त कुछ व्याख्यान दिये गये, पर

मैं भरती नहीं हुआ। जूलाई १९४१ में मैं और ५ अन्य एक नजरबन्दी शिविरको ले जाये गये। मुझे बताया गया कि आजाद हिन्द फौज विरोधी प्रचार करनेके कारण वहाँ भेजा गया है। शिविरके एक या दो अफसरोंने एक आदमीको बुलाकर पञ्जाबीमें कहा—मेहमान लोग आ गये हैं, उनका स्वागत करो।' इसपर मैं पीटा गया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं शिविरके एक खुले घेरेमें ले जाया गया और रातभर वहीं पड़ा। दूसरे दिन मुझे अपनी कम्पनीके १५-२० आदमियोंके साथ मशक्कत करनेको कहा गया। सन्तरी लोग मशक्कतकी देख-रेख करते थे और जल्दी और फुर्तीसे काम करनेको कहते थे।

शामको मैं शिविरमें थका हुआ आया। आध घण्टे बाद कैम्पके एक या दो अफसरोंने पूछा—'कैसा मिजाज है?' मैंने कहा—तकलीफ हुई है पर अभी भी तकलीफ भुगतनेको तैयार हूँ पर आजाद हिन्द फौजमें भरती न हूँगा।

इसपर सवाल करनेवाले अफसरने गालियाँ दी; मेरे हाथ बाँध दिये, मुँह पर एक घूँसा मारा। फिर ठोकर लगायी और डण्डेसे इतना पीटा कि मैं बेहोश हो गया। होश आनेपर अफसरने पूछा—'भरती होगे या नहीं।' इस बार मैं आजाद हिन्द फौजमें भरती हो गया, सोचा भरती हो जाना ही अच्छा है।

जिस आदमीने पीटा, उसके पास किसी ओहदेका बैज नहीं था पर लोगोंको भरती करनेको मजबूर करनेका काम करता था।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा—मैं कप्तान एस० एन० मलिकके आधीन था। मैंने उनके आदेशसे भारतमें प्रवेश किया। भारतकी सीमापर पहुँचकर मैं घर चला आया और २०-३० दिनके बाद अपने फीरोजपुर स्थित डिपोमें उपस्थित हुआ।

श्री भूलाभाई देसाई—किस लिये आप भारत भेजे गये थे?

गवाह—देशकी सैनिक स्थिति देखनेके लिए।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आप आजाद हिन्द सेनाके गुप्तचर थे?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आप आजाद हिन्द फौजके विश्वसनीय आदमी थे।

गवाह—उन्होंने मेरा विश्वास किया।

श्री भूलाभाई देसाई—यह उनकी भूल थी। है न?

गवाहने कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री भूलाभाई देसाई—आपको यह काम इसलिए दिया गया कि वे लोग आप पर विश्वास करते थे?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—पर आप कभी वफादार रहना नहीं चाहते थे।

गवाह—अगर आपका आजाद हिन्द फौजके प्रति वफादारीसे मतलब है तो मेरा उत्तर है नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—लेकिन क्या आप सबसे पहले भरती होनेवाले लोगोंमें नहीं हैं?

गवाह—हूँ।

श्री भूलाभाई देसाई—और आपको आन्दोलनमें पूरा विश्वास था?

गवाह—नहीं। मुझसे भरती होनेको कहा गया और मैं भरती हो गया।

श्री भूलाभाई देसाई—आपकी शिक्षा योग्यता क्या है?

गवाह—मैं मैट्रिक्युलेट हूँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आजाद हिन्द फौजका उद्देश्य क्या था? क्या भारतको आजाद करना नहीं था।"

गवाह—था।

श्री भूलाभाई देसाई—और आपने उसे स्वीकार किया?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—तो आप आजाद हिन्द फौजमें स्वेच्छासे भरती होनेवाले आदमी थे ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—और जब आप भरती हुए, तो आपको आन्दोलनमें विश्वास था ?

[गवाहने जब तत्काल उत्तर नहीं दिया तो श्री भूलाभाईने कहा—विशेष सोचनेकी बात नहीं है, कहिये।]

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने अभी अदालतके सामने कहा है कि आपने, अपनी टुकड़ीके समर्पण करनेसे एकदिन पहले ही नागरिक कपड़े पहन लिये थे। आपने ऐसा किस उद्देश्यसे किया ?

गवाह—बच निकलनेके निमित्त। मैंने यह अपनी टुकड़ीके सञ्चालक वेनानकी सलाहसे टुकड़ी छोड़ा। उन्होंने मुझे और मेरे एक अन्य साथीको नागरिक कपड़ेमें जानेकी इजाजत दे दी। यह उन्होंने मेरे कहनेपर किया। यह उनकी मेरे प्रति इनायत थी। यह समझ लिया गया था कि हमें आत्मसमर्पण करना ही होगा। जब मैं निकला तो मेरा उद्देश्य स्वदेश भाग आनेका था मगर ऐसा करनेका मौका नहीं मिला। मेरी टुकड़ीके एक क्लर्कने अपनी टुकड़ीमें वापस चलनेको कहा। मेजर वेननने, जो उस समय भी टुकड़ीके सञ्चालक थे, मेरे आत्मसमर्पणको स्वीकार कर लिया। मेजर वेनन अंग्रेज नहीं सिंहली थे। जब मैं आजाद था तो मेरे पास जो पैसे थे उससे खाता पीता था।

अप्रैलके महीनेमें आजाद हिन्द फौज बनानेका आन्दोलन काफी आगे बढ़ गया था। जब मैं भरती हुआ, उस समयतक काफी लोग भरती हो गये हैं, यह बात मुझे नहीं मालूम थी। लेकिन लोग भरती हो रहे थे यह बात सेलेटार शिविरमें मालूम हुई थी।

श्री भूलाभाई देसाई—आपको आन्दोलनमें विश्वास था ?

गवाह—उस समय आन्दोलनमें मुझे विश्वास न था।

श्री भूलाभाई देसाई—पर बादमें आप उसपर विश्वास करने लगे और भ[illegible] हो गये। यह स्वेच्छाकी बात थी ?

गवाह—मैंने सोचा कि भरती होना एक अच्छी बात है।

श्री भूलाभाई देसाई—तो मैं यह कहूँ कि आप स्वेच्छासे भरती हुए, आ[illegible] कोई शिकायत नहीं और अपनी जान बचानेके लिए ही यह कहानी गढ़ी, आप[illegible] में फिर दाखिल होना चाहते थे ?

गवाह—नहीं। मैंने कहानी गढ़ी नहीं है।

श्री भूलाभाई देसाई—जब आप अपने गुप्तचरके कामपर आये तो आपकी [illegible] इच्छा थी ?

गवाह—मेरा उद्देश्य आजाद हिन्द फौजके लिए सूचना प्राप्त करना था, [illegible] छोड़ना नहीं।

अदालतके पूछनेपर गवाहने कहा कि नजरबन्दी शिविरमें मैं जिस क[illegible] रखा गया था वह पांच गज लम्बा और तीन गज चौड़ा था। उसमें मैं अकेले [illegible] पर २–३ आदमी रह सकते थे। नजरबन्दी शिविर बिरादरी शिविरसे ६ फ[illegible] की दूरी पर था।

सोलहवें गवाह—लैंसनायक महेन्दरसिंह

मैं सितम्बर १९४२ में सेलेटार शिविरमें आजाद हिन्द फौजमें भरती हु[illegible] और गुप्तचर विभागमें नियुक्त किया गया। उस विभागका कार्य गुप्त रूपसे भा[illegible] घुसना और सैबोटाजिंग करना था। दिसम्बरमें आजाद हिन्द फौज भंग कर दी [illegible] और कमाण्डरने एक व्याख्यानमें कहा कि हमारे नेता मोहनसिंह गिरफ्तार हो [illegible] हैं और आजाद हिन्द फौज विघटित कर दी गयी है। अब आपकी इच्छापर है [illegible] दूसरी आजाद हिन्द फौजमें भरती हों या न हों। नैसून शिविरमें मेरे [illegible]

आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेके विरुद्ध थे क्योंकि हमारे नेता गिरफ्तार कर लिये गये थे। पीछे मुझे और अन्य २ व्यक्तियोंको एक वायसराय कमीशन प्राप्त अफसर नजरबन्दी शिविरमें ले गये और वहाँ आजाद हिन्द फौज विरोधी प्रचार करनेके कारण मैं पीटा गया। मुझे ६ डण्डे लगे जिससे मेरा पीठ फट गया और खून निकल आया। कई दिनके बाद काँटेसे घिरे बाड़ेमें मुझे तथा अन्य लोगोंसे मशक्कत करायी गयी। जो खाना हमें दिया जाता था उसमें चूना और धूल मिला रहता था। मैं बहुत कमजोर हो गया। तब मैंने सन्तरीसे पूछा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। सन्तरीने कहा कि आजाद हिन्द फौजके खिलाफ प्रचार मत करो और उसमें भरती हो जाओ। फलतः मैं आजाद हिन्द सेनामें भरती हो गया और और मार्च १९४४ में मैं मोर्चेपर गया और वहाँ पासकी पहाड़ीसे राशन लानेको भेजा गया। वहाँ एक ब्रिटिश रेजिमेंट मिल गयी और मैंने उनको आत्मसमर्पण कर दिया।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा—जिस कप्तानने बंकाक प्रस्तावको समझाया था उसने भारतको आजाद करनेके उद्देश्यसे आजाद हिन्द फौज बनाये जानेका कोई बात नहीं कही।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने आजाद हिन्द फौजका क्या उद्देश्य समझा था?

गवाह—मैं समझता था कि आजाद हिन्द फौज भारतको स्वतन्त्र करनेके लिए है। इसी उद्देश्यसे मैं पहले आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित भी हुआ था।

श्री भूलाभाई देसाई—यही प्रधान उद्देश्य था?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आप भारतको आजाद करनेमें विश्वास करते थे?

गवाह—हमारे नेता मोहनसिंहने विश्वास दिलाया था कि भारत आजाद हो जायेगा, इसलिए मैं फौजमें भरती हुआ।

आगे एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा—कप्तान ताज मुहम्मद खान-जादाने एक व्याख्यानमें यह स्पष्ट कर दिया था कि आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होना मर्जीपर है चाहे भरती हों या न हों।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने कप्तान ताज मुहम्मद खानजादासे शिकायत की कि आपको मर्जीके खिलाफ आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेको मजबूर किया जा रहा है ?

गवाह—मैंने शिकायत नहीं की।

मार्च १९४३ के अन्तमें मैंने दूसरे आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेका निश्चय किया। भरती होनेके तीन चार दिन बाद मैं अगले दस्तेके साथ ... पहाट गया। वहाँ मैं ट्रांसपोर्टके साथ फिटरकी हैसियतसे गया।

आगे गवाहने कहा—मैंने पहले और दूसरे आजाद हिन्द फौजके उद्देश्यको स्वीकार किया। मैं तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था इसलिए मैं आजाद हिन्द फौजमें भरती हुआ। मैं भागनेके उद्देश्यसे शामिल हुआ था।

श्री भूलाभाई देसाई—आपका कप्तान मोहन सिंहमें विश्वास था ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—और उनका उद्देश्य भारतकी आजादीके लिए लड़ना था ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—और आपने उसे स्वीकार किया।

गवाह—हाँ।

मैं आजाद हिन्द फौजके उद्देश्यपर तीन महीने तक सोच विचार करता रहा। उसके बाद मैं उसे समझने लगा फिर भी मैंने उसपर विश्वास इसलिए नहीं किया कि हमारे नेता मोहनसिंह गिरफ्तार कर लिये गये थे।

श्री भूलाभाई देसाई—जब अपने रंगून छोड़ा उस समय आपसे यह साफ साफ नहीं कह दिया गया था कि चाहें तो मोर्चेपर जायँ या पीछे रहें।

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं यह कहूँ कि आप पहले आजाद हिन्द फौजके सदस्य स्वेच्छा थे। स्वेच्छासे ही आप दूसरे आजाद हिन्द फौजमें भरती हुये और मारपीटकी बात झूठ है?

गवाह—मैं पहले आजाद हिन्द फौजमें स्वेच्छासे भरती हुआ था। दूसरे आजाद हिन्द फौजमें स्वेच्छासे मैं भरती नहीं हुआ और अपने पीटे जानेकी सत्य बात कर रहा हूँ।

पश्चात अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी।

---

२८ नवम्बर १९४५

सत्तरहवें गवाह—सिपाही दिलासाखाँ

मैं ५।१४ पञ्जाब रेजिमेराटका सिपाही हूँ। सितम्बर १९४२ में मैं आजाद हिन्द फौजमें शामिल हुआ और आजाद ब्रिगेडमें नियुक्त किया गया। बादमें मैं बसु ब्रिगेडमें बदल दिया गया। कप्तान शाहनवाज खाँ उसके कमांडेराट थे।

कप्तान शाहनवाज खाँने ब्रिगेडके समक्ष एक भाषण किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 'बसु ब्रिगेड, जिसमें कि चुने हुए आदमी हैं, सर्वप्रथम मोर्चेपर जायेगी।' उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि "रण-क्षेत्रमें बहुत तकलीफें होंगी। यदि कोई मौत या मुसीबतसे डरता हो तो उसे पहले ही अलग हो जाना चाहिये। हमें आजादीकी लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाईके लिए साहसी व्यक्तियोंकी

आवश्यकता है न कि बुजदिलोंकी। जब हम अपने मित्र जापानियोंके साथ मिलकर लड़ें तो यह न होना चाहिये कि हमको युद्धमें दोयम दर्जेके सैनिक समझा जाय और इस तरह हमारा राष्ट्र अपमानित हो। जब हम भारत पहुँचेंगे तो हम स्त्री पुरुषोंसे मिलेंगे। हम सयानी औरतोंको माताएँ तथा अपनी उम्रसे कम उम्रकी लड़कियोंको बहिनें तथा पुत्रियाँ मानेंगे। यदि कोई इन आदेशोंका पालन नहीं करेगा तो वह गोलीसे उड़ा दिया जायगा। जब भारत स्वतन्त्र हो जायगा तब समय यदि जापानी, जो कि इस समय हमें सहायता दे रहे हैं, हमें दवानेका प्रयत्न करेंगे तो हम उनसे लड़ेंगे। अब भी अगर जापानी आपको एक तमाचा मारे तो आप तीन मार दें, क्योंकि हमारी सरकार जापानी सरकारके समान ही है। हम किसी भी रूपमें जापानियोंके अधीन नहीं हैं।

भारत पहुँचनेपर यदि आपको ज्ञात हो कि कोई जापानी हमारी महिलाओंसे बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसे पहले मौखिक चेतावनी देवें वह तब भी न माने तो आपको उसे गोली मार देनेकी आजादी है।

भारतकी स्वतन्त्रता तथा उसकी खुशहालीके लिये लड़ाई लड़ी जा रही है न कि जापानियोंके लाभके लिए।"

२४ जनवरी १९४४ को सारी ब्रिगेड रंगूनमें एकत्रकी गयी। ७ फरवरीको वह फालम हाका चली गयी। जिस बटालियनमें मैं था, वह सड़कसे मोर्चे तक जो लगभग ५-६ मीलकी दूरीपर थी, राशन ले जाती थी। बादमें हमारी बटालियनने गश्ती कार्य किया। एकबार १०० सैनिक ब्रेनगन, मशीनगन, राइफल और पिस्तौल आदिसे सशस्त्र होकर गश्तके लिये गये थे। हमें यह आज्ञा दी गयी थी कि हम पासके ब्रिटिश भारतीय सेनासे सम्पर्क स्थापित करें और उसके सैनिकोंको प्रचारद्वारा आजाद हिन्द फौजमें ले आयें। यदि ब्रिटिश भारतीय सेना हम पर गोली चलाये तो हम भी गोली चला दें। रात भर चलकर हमारी गश्ती टुकड़ी एक पहाड़ीके

समीप पहुँची। वहाँ एक गाँव था और वहाँ हमने चिनलेवीजका एक दल देखा। आजाद हिन्द फौजका यह दस्ता कायदेमें नहीं था। उन लेवियोंमेंसे एकसे पूछा कि तुम लोग कौन हो। चिनोंने जवाबमें कुछ कहा जिसे हम समझ न सके। फलतः गाँवमें गये और वहाँ जब हमारे सेनानायकने पूछा तो ज्ञात हुआ कि ये चिन लोग ब्रिटिश फौजके साथी हैं। हमने तुरन्त मोर्चे सँभाले और उनमेंसे २४ को पकड़ लिया तथा उनके शस्त्र इकट्ठा किये। आजाद हिन्द फौजकी गश्ती टुकड़ी का ब्रिटिश भारतीय फौजसे सम्पर्क नहीं हुआ। मैं ३१ मार्चको बचकर निकल गया और ब्रिटिश सेनामें शामिल हो गया।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करने पर गवाहने कहा—वह पहली आजाद हिन्द फौजमें, जब वह सितम्बर १९४२ में बनी थी, तब शामिल हुआ था।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या यह कहना सही होगा कि आजाद हिन्द फौजमें १५००० सैनिक फौजी शिक्षा पाते थे और २०००० सैनिक इनसे अलावा थे।

गवाह—चार दस्ते शिक्षा पाते थे, किन्तु उनमें कितने आदमी थे, यह मैं ठीक ठीक नहीं जानता। मैंने सुना था कि इनके अलावा भी स्वयंसेवक थे लेकिन उनके बारेमें मुझे कुछ भी मालूम नहीं है।

गवाहने आगे कहा—जब पहली आजाद हिन्द सेना दिसम्बर १९४२ में भङ्ग कर दी गयी तो मैं दूसरी आजाद हिन्द फौजमें शामिल हो गया। जब हमारे दस्तेके सामने श्री सुभाषचन्द्र बसुने, जिन्हें आमतौरपर सभी 'नेताजी' कहते थे, रंगूनसे जानेसे पहले भाषण किया तो मैं वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा था—

"आप लोग हिन्दुस्तानको स्वतन्त्र करनेवाले आजादीके सिपाही हैं। आपको मोर्चे पर कठिनाइयाँ सहनी होंगी। यदि आप चाहें तो पीछे भी रह सकते हैं।"

श्री सुभाषचन्द्र बसुने यह भी कहा—"हम हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताके लिए लड़ रहे हैं, हमारे पास काफी रुपया और दूसरे साधन नहीं है। हम जो कुछ हो

सकता है वह आपको दे रहे हैं। चूँकि हम गरीब हैं, इसलिए हम आपको इ
अच्छा खाना भी नहीं दे सकते जो आपको इस समय मिल रहा है। आपको रा
कम रह जानेपर भी काम चलाना होगा।"

गवाहने आगे कहा—जब हमारी टुकड़ी फालम हाकासे रवाना हुई और जि
बन्दियोंको गिरफ्तार किया तो उन्होंने बन्दियोंकी बन्दूकोंमेंसे बोल्ट निकाल लि
और बेकार राइफलें वापिस देकर उन्हें सड़कके सहारे बिठा दिया। हमारे दस्ते
ने चिनोंके कपड़े या जूते नहीं उतारे और न कोई दूसरी चीज ली। चिन बन्दियों
आमतौर पर अच्छा व्यवहार किया गया।

एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा—हमारे गश्ती दस्तेके कपड़े औ
दूसरे सामान अच्छी हालतमें थे। जिस गाँवमें चिन पकड़े गये वहाँ दस्ता लगभ
१५ मिनिट तक रहा था।

१८वें गवाह—हवलदार नवाबखाँ

मैं दिसम्बर १२३७ में भारतीय सेनामें भर्ती हुआ था। अप्रैल १९४१ में मैं
अपनी बटालियनके साथ मलाया गया था। सिंगापुरके पतनके समय मैं वहीं था।
अक्तूबर १९४३ में मैं आजाद हिन्द फौजमें शामिल हुआ। मुझे गुरिल्
रेजिमेण्ट नम्बर १ की सुभाष ब्रिगेडमें रखा गया। मुझे गुप्तचरोंका हवलदार
बनाकर टायपिंग भेजा गया। मेरी ब्रिगेडके कमाण्डर कप्तान शाहनवाज थे।
जनवरी १९४४ के दिनमें टायपिंगसे रंगून चला गया। १२ फरवरी को मुझे
'गूनसे मोर्चेपर भेज दिया गया।

मई १९४४ में कप्तान शाह नवाजने लेफ्टिनेण्ट अब्दुर रहमानको इलाके
स्थित जापानी डिविजनल सदर दफ्तर जानेको कहा और यह भी कहा कि वा
ब्रिग्रेड, जिसमें मैं था, [illegible] आयेगी और उसपर छ महीनेतक २००० आदमियों
राशन भेजनेकी जिम्मेदारी होगी।

'परवानों'की एक कम्पनी और दूसरी गढ़वालियोंकी कम्पनी अंग्रेजी फौजपर १५ मईको हमला करेगी और यथासम्भव उनसे राशन छीनकर अपने फालम-कलेम्योंकी सड़कवाले पहले मोर्चेपर वापस चली जायेगी।

१५ मईको मुझे कप्तान शाह नवाजके पास फोनसे सन्देश भेजनेको कहा गया। उसमें कहा गया था कि एक स्थानपर कब्जा हो चुका है। अफसरों व सैनिकोंका हौसला पहिलेके समान ही बढ़ा हुआ है। हमारी फौजका कोई आदमी हताहत नहीं हुआ। शत्रुके ३–४ आदमी हताहत हुए हैं। कुछ कम्बल, दियासलाईयाँ और सिगरेट हमारे हाथ लगी हैं। सारी चीजें बादमें मैं खुद कहूँगा।" ७–८ दिन तक वहाँ रहनेके बाद मैं भागकर अंग्रेजोंमें मिल गया।

श्री भूलाभाई देसाई द्वारा जिरह किये जानेपर गवाहने कहा कि जब मैं अक्तूबर १९४३ में आजाद हिन्द फौजमें शामिल हुआ तो मुझे मालूम था कि आजाद हिन्द सरकार स्थापित होनेकी घोषणा की जा चुकी है। १५ फरवरी १९४२ के दिन जिन लोगोंने आत्मसमर्पण किया, उनमें मैं भी था। १७ फरवरीको फररपार्कमें जो सभा हुई, उसमें भी शामिल था। उस सभामें मेजर फूजीवाराने युद्धबन्दियोंसे कहा था कि यदि वे भारतको आजाद करानेके लिए आजाद हिन्द फौजमें शामिल होना चाहते हैं, तो शामिल हो सकते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि श्री सुभाष बसु आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति थे।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने जो कुछ कहा है, उससे मैं यह मान लूँ कि आप उचित ढंगसे संघटित सेना (आजाद हिन्द फौज) के सदस्य थे ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—उसकी एकमात्र आकांक्षा और उद्देश्य भारतकी स्वाधीनताके लिए लड़ना था ?

गवाह—आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेसे पूर्व ही मुझे उसकी एकमात्र

आकांक्षाका पता था कि वह भारतकी आजादीके लिए संसारके किसी भी सेनासे लड़ेगी पर मेरा विचार लड़नेका नहीं वरन् भाग निकलनेका था।

श्री भूलाभाई देसाई—'संसरकी किसी भी से' जापानका भी तात्पर्य था?

गवाह—हाँ।

आगे गवाहने बताया कि हाका फालमका मोर्चा भारतके निकटम मोर्चोंमेंसे था। वह भारतकी सीमासे ३५ मीलपर था।

श्री भूलाभाई देसाई—जहाँतक आदेशका सम्बन्ध है आप लोग आदेश भारतीय अफसरोंसे लेते थे या जापानियोंसे?

गवाह—केवल अपने भारतीय अफसरोंसे।

श्री भूलाभाई देसाई—आजाद हिन्द फौजमें जिस क्षेत्रमें आप थे वहाँ कमान में या किसी अन्य पदपर कोई जापानी नहीं था?

गवाह—नहीं।

लेफ्टिनेण्ट अब्दुल रहमानको राशन विभागका अध्यक्ष बनाया गया था और मैं उनका सहकारी था, हमें राशन ४८ मील ढोकर ले जाना पड़ता था। हमारे राशनमें चावल, नमक, तेल और थोड़ सी चीनी होती थी। आजाद हिन्द फौजको मोर्चेपर बड़ी दिक्कतोंके साथ लड़ना पड़ा। फौजमें शामिल होनेके बाद मैंने अपना फर्ज निहायत वफादारीके साथ अदा किया। कप्तान शाह नवाज खाँके अधीन लड़नेवाले आदमी इम्फलकी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने सुभाषचन्द्र बसुको सिंगापुरमें देखा था। उन्होंने मोर्चेपर जानेवाले आदमियोंके सम्मुख भाषण किया था उसमें मैं था। उन्होंने अपने भाषणमें कहा था—

"आजाद फौज भारतको आजाद करानेके लिए लड़ रही है। यही उसका चरम उद्देश्य है। वह फौज जापानके फायदेके लिए नहीं लड़ रही है। वह भारतको आजाद करानेके लिए साथीके तौरपर जापानसे सहायता ले रही है। हमारे साधन कम हैं। इसलिए आजाद हिन्द फौजमें शामिल होते हुए यह किसीको धोखा न

होना चाहिये कि उसे और अधिक अच्छा साधन मिलेगा। जो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता उसे हमारे पीछे नहीं आना चाहिये।"

गवाहने कहा कि मेरी गुरिल्ला रेजिमेण्टमेंसे एक भी व्यक्ति पीछे नहीं हटा। बादमें पूछा गया कि कौन कौन मोर्चेपर नहीं जाना चाहता। मैं नहीं कह सकता कि उस समय कितने लोगोंने अपने नाम वापिस लिये। अंग्रेजोंके साथ मिल जानेके बाद मैं अपने घर चला गया।

अदालत—आपने अपने बयानमें बताया है कि ापका राशन कम हो गया राशन कितना मिलता था ?

गवाह—राशनकी कोई मात्रा निश्चित न थी। हाँ हमें राशनमें चावल काफी मिल जाता था। करीब १०-११ औंस चावल मिला करता था। राशनकी पूर्ति किसी और चीजसे नहीं की जाती थी।

श्री देसाई—जब आपको राशन न मिलता था तो क्या आप जङ्गलमें जाकर केले व दूसरे फल जमा करने लग जाते थे ?

गवाह—वस्तुत :जब हम लोगोंको राशन नहीं मिलता था तों हम जंगलमें जाया करते थे और जो कुछ मिलता था बटोर लाते थे।

उन्नीसवें गवाह—सिपाही हनुमानप्रसाद

मैं १९ अप्रैल १९४१ को भारतीय सेनामें शामिल हुआ था। मैं अपनी टुकड़ीके साथ मलाया गया। सिंगापुरके पतनके समय मैं वहीं पर था। १३ अप्रैल १९४३के दिनमें आजाद हिन्द फौजमें शामिल हुआ था। मुझे नेहरू रेजिमेंटके बटालियनमें नरसिंग अरदलीके रूपमें तैनात किया गया। अक्तूबर या नवम्बर १९४४ में मेरी ब्रिगेड बर्मामें मलंगयानको गयी। उसके कमाण्डर मेजर ढिल्लों थे। फरवरीमें

वह ब्रिगेड मिरमीसे म्यांगू चली गयी। हमसे कहा गया कि युद्ध होने जा रहा है लोग हताहत होंगे इसलिए एक अस्पताल तैयार किया जाय। लेकिन कोई मरीज नहीं आया। १४ फरवरीको हमें हुक्म मिला कि म्यांगूसे पोपा चले जायँ। हम वहाँ २-३ दिन रहे और बादमें चनपाडांग चले गये। वहाँ हमने एक अस्पताल खोल दिया। अस्पतालके टूटनेके बाद मुझे नेहरू रेजिमेंटके सदरमुकामपर भेज दिया गया जो पोपासे ३० मीलपर था। वहाँपर १६ मार्चको मैंने तोपकी आवाज सुनी। आध घण्टे बाद दो टैंकोंके साथ भारतीय सेनाके ४० गुरखोंने हमपर हमला कर दिया। हमने पीछे हटना शुरू किया। कमाण्डरने हमसे कहा कि डटे रहो, पीछे न हटो। वापस लौटकर गोली चलाओ। हमारा कमाण्डर मारा गया और हमने आत्मसमर्पण कर दिया। हम कुल ९० आदमी थे। उनमेंसे ४७ को गुरखोंने पकड़ लिया जिनमें घायल भी थे। शेषका क्या हुआ यह मैं नहीं जानता।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि जब मैं आजाद हिन्द फौजमें शामिल हुआ तो उस समय मैं नैसूनके ए-१ शिविरमें था। शिविरके तीन भाग थे। एक हिस्सेमें अस्पताल भी था। मैं उसी में रहता था। वहाँ कुछ गैरसैनिक सेवक भी थे। अस्पतालमें नैसून शिविरके स्वयंसेवकोंकी चिकित्सा होती थी। और भी जो उसमें आता था उसकी अच्छी तरह सेवा की जाती थी। मेरी ब्रिगेड पीछे बर्मा चली गयी। सुभाष बसु जब वहाँ गये मैं वहाँ नहीं था। मैंने ढिल्लों अथवा किसी और को अपनी रेजिमेण्टमें भाषण करते नहीं सुना। लेकिन लेफ्टिनेण्ट ढिल्लों मेरे कैम्पमें अक्सर आया जाया करते थे।

श्री भूलाभाई देसाई—आजाद हिन्द फौजमें जो शामिल हो जाते थे उन्हें उसमें रहने अथवा उसे छोड़ देनेमें स्वाधीनता थी?

गवाह—मैं नहीं जानता।

एडवोकेट जनरल—आपसे पूछा गया है कि आप लोग आजाद हिन्द फौजमें

रहने अथवा उसे छोड़नेमें स्वाधीन थे? आपने कुछ कहा है। क्या आप उसे दोहरायेंगे?

श्री भूलाभाई देसाई—वे पहिलेसे ही कह चुके हैं कि वे नहीं जानते। यह पुनः जिरह करनेका समय नहीं।

अदालतने प्रश्न पूछनेकी इजाजत दे दी।

एडवोकेट जनरल—क्या आप आजाद हिन्द फौजमें रहने अथवा उसे छोड़ देनेके लिए स्वतन्त्र थे?

गवाह—मैं नहीं जानता।

वीसवें गवाह—तोपची भालसिंह

मैं आजाद हिन्द फौजमें ११ फरवरी १९४४ को भरती हुआ और ५ नम्बर-की बैटरीमें नियुक्त किया गया। जनवरी १९४५ में १५ गुरिल्ला रेजिमेण्टमें बदल दिया गया। हमारे बटालियन कमाण्डर खानिजशाह थे। ५वीं गुरिल्ला रेजिमेण्टका नाम बादमें बदलकर नम्बर २ इन्फेन्ट्री रेजिमेण्ट कर दिया गया। यह रेजिमेण्ट पोपाकी पहाड़ी (वर्मा) पर २४ फरवरी १९४५ को पहुँची। ३ मार्च को नायक अब्दुल्लाखाँके अधीन १५-१६ आदमियोंके साथ गश्तपर निकला। गश्तका उद्देश्य शत्रुके मोर्चेका पता लगाना और पासके गांवसे गुड़ लाना था।

गश्ती दस्तेके साथ ब्रेनगन, राइफल और ४ किरचें थीं। ८ बजे रातको हम लोग गश्तमें निकले थे और रास्तेमें एक गाँवमें दूसरे दिन ३ बजे रुके। गाँवमें गुड़ खरीदनेके बाद हम लोग दूसरी जगह चले। यहाँ दस्ते को दो टुकड़ोंमें बाँट दिया गया। एक अब्दुल्लाखाँके नेतृत्वमें और दूसरा इब्राहीमखाँके नेतृत्वमें। मुझे अब्दुल्लाखाँने इब्राहीमखाँसे अपने दलको आगे लानेके लिए कहनेको भेजा। इब्राहीमखाँसे मिलनेके रास्तेमें एक गाँवसे मुझपर गोला चलायी गयी। जब मैं

अपना कामकरके लौटा तो देखा कि हमारे गश्ती दलके एक मद्रासीके चोट है और दोनों ओरसे गोलियाँ चल रही हैं। अब्दुल्लाखाँने मुझे गाँवमें देखनेके लिए भेजा कि पासमें जो जीप (एक तरहकी छोटी फौजी मोटर–सम्पादक) दिखायी दे रही है उसके निकट कितने आदमी हैं।

गाँवमें पहुँचकर मैंने एक अंग्रेजको ब्रेनगनके पास मरा और दूसरे अंग्रेजके पासमें घायल पड़ा देखा। मैंने अब्दुल्लाखाँको संकेत किया कि जीपके पास शत्रु नहीं है, दल आगे आ सकता है। जब अब्दुल्लाखाँ घायल अंग्रेजके पास आये उस समय उसकी हालत बहुत खराब थी और चिल्ला रहा था मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो और अपने सरकी ओर इशारा कर रहा था। उसे बायीं ओर चोट आयी थी। एक सन्तरीको गाँवमें छोड़ दिया गया।

गाँवसे सौ गजपर एक दूसरी जीप दिखायी पड़ी और पाँच आदमी जिनमें मैं भी था, पता लगानेके लिए भेजे गये। मैं जीप और गाँवके बीचमें रखा गया ताकि अगले दस्तेसे कोई खबर आये तो वह अब्दुल्लाखाँके पास भेज सकूँ। गश्ती दस्ता ९ बजे रात में गाँवमें लौटा मैं और एक मद्रासी सिपाही पोपास्थित बटालियन सदरदफ्तरको खबर करनेके लिए भेजे गये। मैं १० बजे रातको पोपा पहुँचा। दोनों जीप बटालियन दफ्तरको ले आए गये।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा—मैं फरवरी १९४४ में आजाद हिन्द फौजमें भरती हुआ। भरती होनेसे पहले नैसून और पीछे सेलेटार शिविरमें था।

श्री भूलाभाई देसाई—आपको मालूम था कि आजाद हिन्द फौज भारतको स्वतन्त्र करनेके लिए बनायी गयी थी।

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—आप आजाद हिन्द फौजमें शामिल हुए या नहीं?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—उनमें कौन लोग थे ?

गवाह—भारतीय और मलायी।

श्री भूलाभाई देसाई—वह लड़नेके लिए बनायी गयी थी ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—किसलिए लड़नेके लिए ?

गवाह—मेरी बुद्धि मोटी है, मैं सवाल नहीं समझा।

श्री भूलाभाई देसाई—अच्छा जाओ छोड़ देता हूँ।

इक्कीसवें गवाह--सिपाही सैदुल्लाखाँ

मैं १२ दिसम्बर १९४० को भारतीय सेनामें भरती हुआ था और २९ जनवरीको मलाया पहुँचा। मेरी नियुक्ति सिंगापुरमें थी और उसके पतनके समय मैं वहाँ था। मैं सितम्बर या अक्तूबर १९४३ में आजाद हिन्द फौजमें भरती हुआ और नेहरू ब्रिगेडके सातवें बटालियनमें नियुक्त किया गया। उसके कमाण्डर जगदीशसिंह थे। मैं अप्रैल १९४४ में रंगून आया और सीधे अस्पताल गया वहाँ ९ या १० महीने रहा। २ मार्च १९४५ को पोपा पहाड़ीके निकट एक स्थान पर फिर अपने बटालियनमें आ गया। मेरी कम्पनीका काम गश्त करके अंग्रेज और अमेरिकनों के अड्डोंका पता लगाना था। मैंने ९-१० दिन तक गश्तका काम किया उसके बाद ब्रिगेडके सदर मुकामपर वापस आ गया।

उसके बाद मेरी बटालियनको एक जापानी पलटनके साथ जानेका हुक्म हुआ। इसका हुक्म ब्रिगेडके कमाण्डर मेजर गुरुबख्श सिंह ढिल्लोंने दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि १६–१७ तारीखको बटालियनके १६–१७ आदमी मार डाले गये हैं और पलाटूनको जापानियोंके साथ जाना और उनकी आज्ञा मानना होगा। यदि कोई आदमी भागेगा तो उसे मृत्युदण्ड मिलेगा।

जब हम जापानी प्लाटूनके साथ आये तो उन्होंने हमें खाईं खोदनेका हुक्म

दिया। खोदनेके औजार न होनेसे हमने अपनी किरचोंसे मिट्टी खोदी। दूसरे दिन जापानियोंने कहा कि खाना पकाओ और खाओ। लगभग ४ बजे शामको हमलोग जिस गाँवमें थे गोली चली। मैं और दो और आदमी ए० आर० पी० की खाँई में जा छिपे। जब गोली चलना बन्द हो गया तो देखा कि हमलोग अकेले रह गये हैं। न तो वहाँ जापानी रह गये थे और न भारतीय। तब हमने भारतीय सेनाके एक गुरखा बटालियनको आत्मसमर्पण कर दिया।

जिरहमें गवाहने कहा—इण्डियन नेशनल आर्मीका अर्थ आजाद हिन्द फौज है।

श्री भूलाभाई देसाई—मतलब यह कि वह आजाद हिन्द फौजकी अस्थायी सरकारकी फौज थी?

गवाह—अफसर लोग यही कहते थे।

श्री भूलाभाई देसाई—और इसी विश्वासके साथ आप उसमें सम्मिलित हुए!

गवाह—मैं इसलिए शामिल हुआ कि मैं बीमार था और थोड़ा राशन मिलता था और जापानियोंके लिये काफी मशक्कत करना पड़ता था। जब एक दल आजाद हिन्द फौजमें भरती हुआ तो मैं भी हो गया।

श्री भूलाभाई देसाई—आप कहते हैं कि मैं बीमार था तो आप अस्पतालमें थे या योंही कुछ तबियत नासाज थी?

गवाह—मैं अस्पतालमें नहीं था, पर मैं बीमार था।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने कहा, आप एक दलके साथ सम्मिलित हुए। दलसे आपका क्या मतलब है?

गवाह—जिस दल, जिसका मैंने जिक्र किया है, उसमें लगभग ५० आदमी थे।

श्री भूलाभाई देसाई—और आपने भी अन्य लोगोंके साथ आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेका निश्चय किया?

गवाह—मैं इसलिए भरती हुआ कि मैं बीमार था।

श्री भूलाभाई देसाई—यह बात मैं बहुत सुन चुका। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अन्य लोगोंके साथ आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेका निश्चय किया था नहीं ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आपके पास डायरी है ?

गवाह—मैं बेपढ़ा हूँ। मैं डायरी नहीं रखता।

श्री भूलाभाई देसाई—तब आपने तारीखें बतायी हैं, वह आपको कैसे याद हैं। एक दर्जनसे तो कम तारीखें न होंगी।

गवाहने कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री भूलाभाई देसाई—आप डायरी नहीं रखते, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एकके बाद एक ठीक ठीक तारीख कैसे बता सके ?

गवाह झिझका।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं सीधे सीधे पूछता हूँ कि अदालतमें आनेसे पहले आपको बयान सिखाया गया था। कहिये हाँ या नहीं ?

गवाह—मुझे बताया गया था कि क्या बयान देना होगा।

श्री भूलाभाई देसाई—इस तरह आपको कुल तारीखें याद रहीं।

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—ये तारीखें रटाई गयी थीं ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आपके प्लाटून कमाण्डरका नाम सेकेण्ड लेफ्टिनेण्ट लाधाराम था ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने उनके आदेशसे काम किया ?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—आप जापानी भाषा जानते हैं?

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—आपको किसी जापानीसे कोई आदेश नहीं मिला?

गवाह—किसी जापानीने मुझे कोई आज्ञा नहीं दी।

श्री भूलाभाई देसाई—तो बात यह है कि आपका प्लाटून और जापानियों प्लाटून साथ साथ गया।

गवाह—हाँ, ज्यादा मैं नहीं जानता।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने कहा आप नेहरू ब्रिगेडमें शामिल हुए। उसका यह नाम क्यों पड़ा?

गवाह—जवाहरलाल नेहरूके नामपर ब्रिगेडका नाम रखा गया।

श्री भूलाभाई देसाई—ऐसा नाम क्यों रखा गया? भारतकी आजादीके लिए लड़नेके कारण?

गवाह—हाँ।

बाइसवें गवाह—लैंस नायकमुहम्मद सईद

मैं जून १९४३ में सेकेण्ड लेफ्टिनेण्टकी हैसियतसे आजाद हिन्द फौजमें भरती हुआ और ५वीं गुरिल्ला रेजिमेंटमें नियुक्त हुआ। बाद में नम्बर १ इन्फेन्ट्री रेजिमेंटमें भेज दिया गया और १९४४ के अन्तमें रंगून लाया गया। रंगून आने पर दिसम्बर १९४४ के अन्तमें या जनवरी १९४५ के आरम्भमें मिंगलाडनमें मेरी रेजिमेंट जमा हुई और उसके सामने अभियुक्त लेफ्टिनेण्ट कर्नल सहगलने व्याख्यान दिया। वे उस समय रेजिमेंटके कमाण्डर थे। लेफ्टिनेण्ट कर्नल सहगल ने कहा—"मेरी बहुत दिनोंसे इच्छा थी कि मैं किसी युद्ध करनेवाली टुकड़ीका सञ्चालन करूँ। मैंने नेताजी सुभाष चन्द्र बसुसे अनुरोध किया कि मुझे किसी

ऐसी टुकड़ीका सञ्चालन भार दें। मुझे गुरिल्ला रेजिमेंटका सञ्चालन भार दिया गया है जिसने नेकनामी हासिल की है। अगर किसी अफसर या किसी सिपाहीको कोई शिकायत या तकलीफ हो जिसे बटालियन कमाण्डर दूर न कर सकते हों, तो मेरे पास आइये, मैं उन्हें दूर करनेकी कोशिश करूँगा।"

गुरिल्ला रेजिमेंटमें तीन बटालियन थीं। एक तो गुप्तचर कम्पनी, एक सिगनल बटालियन और एक रेजिमेण्टका सदर दफ्तर। मोर्चेपर जानेसे पहले सुभाष चन्द्र बसुने व्याख्यान दिया था। नेताजीने कहा—'आजाद हिन्द फौजके लड़नेके पहलेके अनुभवसे स्पष्ट है कि भारतीय अपनी स्वतन्त्रताके लिए लड़ सकते हैं। पिछले साल जो तकलीफें उठानी पड़ी थीं वे या तो दूर कर दी गयी हैं या धीरे-धीरे दूर की जा रही हैं। जो लोग कठिनाइयोंको बर्दाश्त नहीं कर सकते या किसी दूसरे कारणसे आगे नहीं जाना चाहते, वे अपना नाम दे दें, मैं उन्हें दूसरे क्षेत्रोंमें नियुक्त करूँगा।"

मिंगलाडनमें लेफ्टिनेण्ट कर्नल सहगलने एक सम्मेलन किया था जिसमें बटालियन कमाण्डर और स्टाफ अफसर थे। उसमें मैं भी उपस्थित था। उस सम्मेलनमें साधनोंके प्रश्नपर विचार हुआ। उसके बाद हमलोग मोर्चेपर चले गये। हम सब पोपाकी पहाड़ीपर जमा हुए। लेफ्टिनेण्ट कर्नल सहगलने हमें एक वायरलेस सेट दिया और बताया कि उसे आजाद हिन्द फौजके गश्ती दस्तेने छीना है। पोपाकी पहाड़ीमें बटालियनकी कोड नम्बर बताया गया।

२८ मार्चको लेफ्टिनेण्ट कर्नल सहगलने एक दूसरा सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने कारवाई सम्बन्धी आदेशोंको समझाया और बताया कि किसको कौन सा मोर्चा लेना होगा। पिनविन पर हमला करना था और शत्रुके अवस्थाका पता लगाना था। दस्तेसे निकलनेके बाद मैं लेगीगांवसे एक मील दूर एक गांवमें गया। वहाँ मुझे गोली चलनेकी आवाज सुनाई पड़ी। उस दिनकी रात और दूसरे दिन मैंने उस गांवमें बिताया। तीसरे पहर मुझे २०० गजकी दूरीपर एक

दूसरी जगह चले जानेको कहा गया। मैं वहां एक दिन और रहा उसके बाद [illegible] निकला। मैंने वालंगमें दूसरे ब्रिटिश डिवीजनके सामने हाजिर हुआ।

भूलाभाईके जिरह करनेपरे गवाहने कहा—पोपा पहाड़ीके भाषणमें लेफ्टि[illegible] कर्नल सहगलने कहा कि जो लड़ाईकी तकलीफोंको नहीं सह सकते वे अपना [illegible] दे दें वे दूसरे क्षेत्रमें भेज दिये जायँगे। उन्होंने यह भी पूछा कि कोई शत्रुकी [illegible] तो नहीं जाना चाहता। लेकिन किसीने ऐसा करनेकी बात नहीं कही। मुझे [illegible] नहीं कि उन्होंने यह भी कहा कि जो शत्रुकी ओर जाना चाहते हैं वे सुरक्षि[illegible] रूपसे पहुँचा दिये जायेंगे। व्याख्यानोंके बाद दो आदमी मोर्चेपर जानेको तै[illegible] नहीं हुए। एक शरीरतः अयोग्य था। वे दोनों ब्रिगेडके सदर मुकामको [illegible] भेज दिये गये।

आगे प्रश्न करने पर गवाहने कहा—नेताजीने लम्बा चौड़ा व्याख्यान दि[illegible] था जिसमें हमसे भारतकी आजादीके लिए लड़नेको कहा था। उस समय मैंने [illegible] उद्देश्यको स्वीकार कर लिया था और दूसरोंके साथ मिलकर लड़ भी रहा [illegible] नेताजीने यह भी कहा कि हम भारतके करोड़ों भूखोंके प्रतिनिधि हैं। हमें [illegible] खर्चके लिए थोड़े पैसे लेकर और ऐसे राशनसे ही जो कि सरकार अपने [illegible] साधनसे जुटा पाती है सन्तोष करना चाहिये।

श्री भूलाभाई देसाई—"उन्होंने यह भी कहा कि कुल रेजिमेण्ट मोर्चे[illegible] जायेगी और हमें अपनी जन्मभूमिके प्रति अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये!

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—और कमसे कम आपने उसे अपना कर्त्तव्य माना!

गवाह—हाँ।

पश्चात् अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी।

२९ नवम्बर १९४५

तेइसवें गवाह—हवलदार गुलाम मुहम्मद

मैं अक्तूबर १९४२ में सिङ्गापुरमें आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित हुआ और नवम्बर १ हैवी गन बटालियनमें क्वाटरमास्टरके पदपर नियुक्त किया गया। जनवरी १९४४ में मैं ५वीं गुरिल्ला रेजिमेण्टके नम्बर २ बटालियनमें ऐडजुटेण्ट बनाकर भेजा गया। उस समय मेजर ढिल्लों नम्बर २ बटालियनके दूसरे कमाण्डर थे। जूलाई १९४४ में हमारी रेजिमेण्ट बर्मा गयी। दिसम्बरमें लेफ्टिनेण्ट कर्नल सहगलने रेजिमेण्टका सञ्चालन भार लिया और अफसरोंसे कहा—"इस रेजिमेण्टका सञ्चालन भार लेनेकी आज्ञा मुझे दी गयी है। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे साथ उसी प्रकार सहयोग करेंगे जिस प्रकार मेरे पूर्ववर्तीके साथ करते रहे हैं और आप रेजिमेंटके नामको बढ़ायेंगे। मुझे आशा है कि फौजमें अनुशासनके मानदण्डको ऊँचा बनानेमें सहायक होंगे।"

५वीं गुरिल्ला रेजिमेण्टका नाम बदलकर २रा इन्फेंट्री रेजिमेण्ट कर दिया गया और वह छापामारीका काम करनेके बजाय नियमित युद्धक सेना बन गयी।

जनवरी १९४५ में नेताजी सुभाषचन्द्र वसुने रेजिमेण्टका निरीक्षण किया और कहा—"गतवर्ष आजाद हिन्द फौजने पहली बार शत्रुका मुकाबला मैदानमें किया था। आजाद हिन्द फौजका कार्य शानदार था और मेरी आशासे कहीं अधिक था और उसकी शत्रु-मित्र सभी प्रशंसा करते हैं। जहाँ भी हम लड़े हमने शत्रुको चकनाचूर करनेवाली पराजय दी। पराजित न होनेपर भी मौसमकी खराबी तथा अन्य अभावोंके कारण, हमें अपनी सेनाको इम्फलके मोर्चेसे पीछे हटाना पड़ा। अब हमने इन कठिनाइयोंपर विजय पानेकी चेष्टा

कर ली है। किन्तु याद रखना चाहिये कि हमारी सेना मुक्तिकारी सेना है। हमारे पास उतनी जनशक्ति नहीं है जितना कि शत्रुके पास।

हमारे शत्रुओंने भारतकी रक्षाके निमित्त पहली लड़ाई आसाममें लड़नेका निश्चय किया है और उन्होंने उसे भारतका स्टालिनग्राड बनाया है। यह वर्ष युद्धका निर्णयकारी वर्ष होगा। भारतकी स्वतन्त्रताके भाग्यका निपटारा इम्फलकी पहाड़ियों और चटगाँवके मैदानमें होगा। पिछले साल हमारे कुछ आदमी शत्रुसे जा मिले थे। मैं नहीं चाहता कि इस बार जब हम मोर्चे पर हों कोई भी व्यक्ति शत्रुसे जा मिले। इसलिए यदि कोई कमजोरी या बुज़दिली या किसी अन्य कारणसे अपनेको मोर्चेपर जानेके योग्य नहीं समझता तो वह रेजिमेण्ट कमाण्डरको सूचित करदे। उसे सदर मुकाममें ही रखनेकी व्यवस्थाकी जायेगी।

मैं आपको सब्ज बाग नहीं दिखाना चाहता। मोर्चेपर आपको भूख प्यास और अन्य कठिनाइयों, यहाँतक कि मौतका सामना करना पड़ेगा। शत्रुने अधिकाधिक तैयारी कर ली है, इसलिए हमें अपने कुछ साधनोंको एकत्र करना होगा।

आजाद हिन्द फौजके वर्तमान नारे 'चलो दिल्ली'के अलावा एक और नया नारा आजसे जोड़ा जायेगा—'खून, खून, और खून'। इसका मतलब यह कि हम ४० करोड़ भारतवासियोंके लिए अपना खून बहा देंगे। इसी तरह इसी हेतु शत्रुका खून भी बहायेंगे। इसी तरह भारतीय नागरिकोंके लिए जो दक्षिणमें हैं नारा होगा—'निछावर सब करो, बनो सब फकीर।'

अन्तमें सुभाषचन्द्र बसुने अपना भाषण 'इनकलाब जिन्दाबाद', 'चलो दिल्ली' और 'खून, खून और खून'के नारोंके साथ समाप्त किया।

इन नारोंको सेकेन्ड इन्फेन्टरी रेजिमेण्टके २३०० सिपाहियों एवं अन्य दर्शकोंने दुहराया।

हमारी रेजिमेण्ट मार्चके तीसरे हफ्तेमें पोपामें एकत्र हुई। कर्नल शाह नवाजके अधीन दूसरे डिवीजनने अपना सदर मुकाम पोपा पहाड़ीपर बनाया।

मेरे रेजिमेण्टकी विभिन्न टुकड़ियाँ गश्तके काम पर विभिन्न भागोंमें भेजी गयीं। मैं रेजिमेण्टके कमाण्डर लेफ्टिनेण्ट कर्नल सहगलका स्टाफ आफिसर था। मेरा काम दफ्तर, तरक्की और अनुशासनकी देखभाल करना था। १ली बटालियनकी ४ मार्च १९४५की रिपोर्टमें कहा गया था कि नायक अब्दुल्ला खाँके अधीन बटालियनके एक गश्ती दस्तेकी अंग्रेजी गश्ती दस्तेसे झड़प हुई। उस रिपोर्टके अनुसार आजाद हिन्द फौजके हाथ २ जीप और एक वायरलेस सेट लगा। आजाद हिन्द फौजके एक आदमीको हलकी चोट लगी।

रेजिमेण्टके कमाण्डर लेफ्टिनेण्ट कर्नल सहगलने बटालियन कमाण्डर तथा अन्य स्टाफ अफसरोंको १३ मार्चको बुलाया और कहा कि मुझे—"पीनबिनपर आक्रमण करनेके निमित्त दो कम्पनी भेजनेका आदेश हुआ है।" और उन्होंने नम्बर २ बटालियनको दो कम्पनी देनेको कहा। १४ मार्चको दो कम्पनी पीनबिनपर आक्रमण करनेके लिए रवाना हुईं। मैं और रेजिमेण्टके डाक्टर सहगलके साथ गये। दोनों कम्पनियोंके रवाना होनेसे पूर्व डिवीजनके कमाण्डर कर्नल शाह नवाज विदा करने आये। उन्होंने कहा—"सबकी आँखें नम्बर २ इन्फेन्ट्री रेजिमेण्टकी ओर लगी हुई हैं। पहली बार मोर्चेपर दो कम्पनियाँ भेजी जा रही हैं। पिछले सालके युद्धसे मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है, उससे मैं कह सकता हूँ कि शत्रु बहुत कायर हैं। मुझे आशा है कि आप किसी भी प्रकार भारतके नाम पर कलङ्क न लगायेंगे। मेरी दुआयें तुम लोगोंके साथ हैं।"

इसके बाद हमलोग रवाना हुए और सेत्सयोंमें रात बितायी और १०मार्चको मोर्चेपर पहुँचे। वहाँसे 'ए' कम्पनीका एक दस्ता आजाद हिन्द फौजके एक अफसरके अधीन [illegible]के पश्चिम धावा करनेके लिए भेजा गया। आजाद हिन्द

फौजके उस अफसरके अधीन एक जापानी अफसर और दो जापानी सेक्श
भी दिये गये।

आजाद हिन्द फौजके एक अफसरके साथ एक प्लाटून और जापानी सेक्सन शत्रुका ध्यान आकृष्ट करनेके लिए निकला। बादमें प्लाटूनने सूचि किया कि जब हमलोग तज्ञावके पहुँचे तो जापानी सेक्शन हमें रास्ता दि रहा था, क्योंकि उसे ही उस देशकी हालत मालूम थी। मोर्चेसे मचा गोलियाँ छूटने लगीं और जापानी भागे। आजाद हिन्द फौजके कमाण्ड उनकी भर्त्सनाकी और हुक्म दिया कि मत भागो। उसके बाद उसने अप पिस्तौल निकालकर कुछ गोलियाँ छोड़ीं। उसकी आवाज सुनकर शत्रु बा मोर्चा छोड़कर भाग गये। चूँकि उनका काम शत्रुका ध्यान आकृष्ट करना म था, इसलिए उन्होंने उसका पीछा नहीं किया और लौट आये।

मैं इस प्लाटूनके साथ नहीं गया था और जो कुछ मैंने कहा है, वह प्ला कमाण्डरने लौटकर बताया था। पोपा पहाड़ीसे लौटकर इस कारवाई सरकारी रिपोर्ट उन्होंने लेफ्टिनेण्ट कर्नल सहगलको दी थी।

२६ या २७ मार्चको जब मैं रेजिमेंण्टके सदर मुकामपर था; लेफ्टिने कर्नल सहगल और अन्य स्टाफ आफिसर अपनी अपनी ड्यूटीपर गये हुये मैं कुछ अस्वस्थ सा था। आधी रातको किसीने मुझे जगाया और कहा नम्बर २ बटालियनके तीन आदमी गिरफ्तार कर लाये गये हैं। उनमें ए मुहम्मद हुसेन था। अन्य दोका नाम मैं नहीं जानता। मुझसे कहा गया वे लोग भाग रहे थे इसलिए गिरफ्तार करके लाये गये हैं।

जब लेफ्टिनेण्ट कर्नल सहगल ड्यूटी परसे लौटे तो नम्बर २ बटालियन कमाण्डरने इन तीनों आदमियोंको उनके सामने हाजिर किया और बता कि मुहम्मद हुसेनने भागनेकी कोशिश की और दूसरोंको भागने

उसकाया और बाकी दोने भागनेके लिए षडयन्त्र किया। कर्नल सहगलने उनसे पूछा कि 'तुम लोग अपराधी हो या नहीं।' एक दो बार इनकार करनेके बाद मुहम्मद हुसेनने अपना अपराध स्वीकार किया, अन्य दोने अपनेको निर्दोष बताया।

कर्नल सहगलने मुझसे कहा कि इस मामलेकी जाँच करनेके लिए सम्पर्क अफसरसे कहो। २९ मार्चको सुबह तीनों आदमी फिर हाजिर किये गये। बटालियन कमाण्डरने उपर्युक्त अभियोग पढ़कर सुनाया और उनसे पूछा कि तुम लोग अपराधी हो या नहीं। मुहम्मद हुसेनने अपनेको अपराधी स्वीकार किया। अन्य दोने अपनेको निर्दोष बताया। तीन अभियोग-पत्र तैयार किये गये और डिविजनल सदर मुकाम भेज दिये गये।

इस जगह श्री भूलाभाई देसाईने एडवोकेट जनरल द्वारा बयानमें ऐसी बातें कहलानेका विरोध किया जिसे गवाह ऐसे दूसरे लोगोंकी कही बताता है, जो गवाहीमें पेश नहीं किये जा रहे हैं। थोड़ी देर बहसके बाद सबूत पक्षने इस प्रकारकी बातें न कहलाना स्वीकार कर लिया।

पश्चात् गवाहने मार्च और अप्रैल लेगीमें होनेवाली कारवाईकी चर्चा की। कहा—मैं नम्बर १ बटालियनके ४थे गुरिल्ला रेजिमेण्टमें ३० मार्चको लेगीमें शामिल हुआ। शामिल होनेके तीन घण्टे बाद मैंने देखा कि कप्तान सहगल आ गये हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जब "मैं इस ओर आ रहा था तो २५-३० गजकी दूरीसे ३-४ सौ गजके मार्चेसे गोलियाँ बरसने लगीं। मुझे जो रिपोर्ट मिली उससे मैं इस ख्यालमें था कि अंग्रेजी फौज उस क्षेत्रमें नहीं है। मेरी कारपर जब गोली चलने लगी तो हमलोग उतर पड़े और चिल्लाने लगे—गोली बन्द करो हम आजाद हिन्द फौजके आदमी हैं। एक जापानी सम्पर्क अफसरने भी जापानीमें कहा कि मैं हिकारी कीकनका हूं। उसके बाद

गोली और जोरोंसे दगने लगी, लेकिन गोलियाँ हवामें जा रही थीं और
पास कोई दिखायी नहीं दे रहा था। अगर एक भी गोला फूटा होता तो
सब मारे जाते। हमें अपनी कार छोड़कर जान बचानेके लिए भागना पड़ा।

बादमें नम्बर १ बटालियनकी एक कम्पनी वहाँ गयी। उन्होंने शत्रुओं
कार और लारियोंमें बैठे बातें करते देखा। जब आजाद हिन्द फौजको
देखा तो वे चिल्लाने लगे—भागो आजाद हिन्द फौजवाले आ रहे हैं।
शत्रुओं पर हमला किया। तब वे अपनी लारी पर बैठकर भाग गये
कारोंको ज्योंका त्यों छोड़ गये। इन गाड़ियोंकी सब चीजें साबिक बदस्तूर
खाली सहगलका झोला और और नकशे गायब थे। सहगलके
रेजिमेण्टका सदर मुकाम फिर लेगी हटा ले जाया गया। ३१ मार्चको
१२ अंग्रेजी वायुयानोंने ३-४ घण्टे तक बम बरसाया। अंग्रेजोंने
गोलियोंकी बौछार शुरू की और ३ अप्रैलको अंग्रेजी बटालियनने
पाँतवाले आजाद हिन्द फौजके बटालियनको गिरफ्तार कर लिया। सहगलने
नम्बर १ बटालियनको तैयार रहनेका आदेश दिया। बटालियन कमाण्डरने
सूचित किया कि दो प्लाटून शत्रुसेनासे जा मिली है। सलाह करके सहगलने
आदेश दिया कि रक्षापाँतको कम करके दो प्लाटून खड़ी की जाय। लेगी
बम वर्षाके बाद कुछ और लोग छोड़कर भाग गये।

सहगलने निश्चय किया कि पहली बटालियन शत्रुपर हमला करके
हुए क्षेत्र पर पुनः अधिकार प्राप्त करे। आध घण्टे बाद कम्पनीके कमाण्डरने
सहगलको सूचित किया कि हमारे आदमियोंने 'जय हिन्द' और 'दिल्ली चलो'
नारेके साथ इस जोशके साथ आक्रमण किया कि शत्रु मोर्चा छोड़कर
गये। कुछ देर बाद खबर आयी कि बटालियन कमाण्डर खाजिन
अफसरों और कुछ सैनिकोंके साथ फौज छोड़कर चले गये। सहगलने
डिवीजनके सदर मुकामसे टेलीफोन द्वारा सम्पर्क स्थापित करना चाहा।

सफल न हो सके। तब अपने आप अपनी सेनाको पोपाकी पहाड़ी पर वापस ले गये। जब वहाँ थे तब अंग्रेजी वायुयानोंने बम बरसाया पर टुकड़ियाँ अपनी जगह डटी रहीं। वहाँ हम लोग ८ दिनतक रहे। ९ अप्रैलको सहगलने लोगोंको एकत्र किया और कहा कि १२ अप्रैलको रेजिमेण्ट पोपासे हटकर तांगविंगी जायेगी। फलतः हमलोग रवाना हुए। रास्तेमें ज्ञात हुआ कि तांगविंगीका पतन हो गया। तब सहगलने रेजिमेण्टको प्रोम चलनेका आदेश दिया। २६ या २७ अप्रैलको हम लोग एलेनम्योके उत्तर एक गाँवमें पहुँचे और मुझे एलेनम्यों जाकर उचित आदेश लानेको कहा गया। मैं मुश्किलसे दो मील गया हूँगा कि दो ओरसे गोलियाँ चलनेकी आवाज सुनायी पड़ी। मैं आगे जाना बेकार समझकर वापस लौट आया और सहगलसे कहा कि एलेनम्योंका पतन हो गया।

मंगिनगान नामक गाँवमें, जो रक्षात्मक मोर्चेके लिए चुना गया था, सहगलने लोगोंको बुलाया और कहा कि एलेनम्योपर शत्रुने अधिकार कर लिया। प्रोमके प्रधान मार्गको शत्रुने बन्दकर दिया। अब सिर्फ तीन ही रास्ते हैं— शत्रुके पाँतपर डटकर लड़ा जाय, या नागरिकका वेश बदल लिया जाय या युद्धबन्दी हो जाया जाय। एक घण्टेके परामर्शके बाद युद्धबन्दी होनेका निश्चय किया गया।

इसके बाद सहगलने एक पत्र मित्रसेनाके किसी अफसरको देनेके लिए लिखा। एक घण्टे बाद खबर आयी कि गुरखा फौज उत्तरसे बढ़ रही है। सहगलने आगे बढ़कर अपने आदमियोंको आदेश दिया कि उत्तेजित मत होना और गोलियाँ मत चलाना। ५–६ मिनट बाद रेजिमेण्ट पर उत्तरसे गोली चली और उसी समय एक गुरखा अफसर और आजाद हिन्द फौजके बटालियन कमाण्डर हमारी ओर आते दिखायी पड़े। सहगल उनसे मिले और

अपने आदमियोंको जमा होनेका आदेश दिया। पश्चात् सारी सेनाने आत्म-समर्पण कर दिया।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा—जब सहगलकी सेनाने मङ्गिनगानमें आत्मसमर्पणका निश्चय किया तो, उन्होंने कप्तान बनतासिंह और सेकेण्ड लेफ्टिनेण्ट उमराव सिंहके हाथ एक पत्र मित्र सेनाके कमाण्डरके पास भेजा।

श्री भूलाभाई देसाई—आप यह जानते हैं कि उस पत्रमें क्या लिखा था?

गवाह—मैंने उस पत्रको देखा नहीं था। किन्तु कर्नल सहगलने बताया था कि उन्होंने मित्रसेनाके कमाण्डरको लिखा है कि हम लोग युद्धबन्दी होना चाहते हैं। सहगलने अपने अफसरोंसे कहा कि यदि मित्रसेनाके कमाण्डरने हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो हमलोग लड़ाई जारी रखेंगे। कप्तान बनतासिंह औरसे कण्ड लेफ्टनेन्ट उमरावसिंह एक गुरखा अफसरके साथ लौटे।

गवाहने आगे कहा—मार्च सन १९४५ में जब कि रेजिमेण्ट पोपा पहुंचा कप्तान सहगलने रेजिमेण्टसे कहा कि "जो आजाद हिन्द फौजमें नहीं रहना चाहता और शत्रुसे मिलना चाहता है वह मुझे बता दे और उन्हें एक दलमें शत्रुके पास भेजनेकी व्यवस्था कर दी जायगी। वे लोग अपने साथ अस्त्र शस्त्र तथा कागजात नहीं ले जा सकेंगे। मैं नहीं चाहता कि, लोग एक-दो करके अलग हों।" जहाँतक मैं समझता हूँ कप्तान सहगलके ऐसा कहनेका मतलब यह था कि जो सदस्य आजाद हिन्द फौजमें रहें वे सच्चे दिलसे रहें और शत्रुके मोर्चेपर पहुँचकर भागें नहीं इस तरह सदस्योंका नैतिक पतन न होने पाये।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या मार्च सन १९४५ में बटालियन नं० ३ के कमाण्डरने यह रिपोर्टकी कि दो अफसर नरेन्द्र सिंह और मुहम्मद इस्माइल शत्रुसे जा मिलनेके लिए षडयन्त्र कर रहे हैं?

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या कप्तान सहगलने इन लोगोंको बुलवाया?

गवाह—हाँ मेरे सामने उनलोगोंसे प्रश्न किये गये? सहगलने उनलोगों-को बताया कि यदि वे क्षमा माँगे और शत्रुसे न मिलनेका वचन दें तो वे क्षमा कर देंगे और दूसरे बटालियनमें भेज देंगे।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या उसी समय बटालियन नं० २ के ५ सदस्य भी कप्तान सहगलके सामने लाये गये। जिनमें अहमद खाँ भी थे?

गवाह—हाँ?

श्री भूलाभाई देसाई—क्या उनपर भी अभियोग लगाया गया था?

गवाह—इनपर शत्रुसे मिलनेका निश्चय करनेका अभियोग था?

श्री भूलाभाई देसाई—क्या उनलोगोंने अपना अभियोग स्वीकार किया था?

गवाह—हाँ उनलोगोंने कहा कि यदि क्षमा कर दिया जाय तो वे भविष्य में ईमानदारीसे लड़ेंगे। इसकी चाहे परीक्षा ले ली जाय।

श्री भूलाभाई देसाई—माफ कर दिये गये?

गवाह—हाँ।

गवाहने यह भी कहा—पहली बटालियनके कमाण्डरने रिपोर्टकी कि हव-लदार गङ्गासरन हुक्म नहीं मान रहे हैं। उनपर भी मुकदमा चलाया गया और फाँसीकी सजा दी गयी किन्तु बादमें सजा रद्द कर दी गयी और रिहा कर दिये गये।

अन्य प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने बताया—अगस्त सन् १९४२ में शाह नवाजने नैसून शिविरमें भाषण किया। वहाँ मैं भी उपस्थित था। कप्तान शाह नवाजने कहा कि "आजाद हिन्द फौज भारतको स्वतन्त्र करनेके लिए बनायी गयी है और यह न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवादसे ही लड़ेगी

किन्तु जो भी भारतकी स्वतन्त्रतामें बाधक होगा तथा जो भी राष्ट्र भारतपर कब्जा करनेकी चेष्टा करेगा, उनसे वह लड़ेगी। मैं उस परिवारका हूँ जिसने ब्रिटिश सरकारकी बहुत बड़ी सेवाकी है। जिस तरह हजरत इमामने सचाई और न्यायका पक्ष लेकर लड़नेका निश्चय किया था उसी तरह मैंने भी भारतकी स्वतन्त्रताके लिए अपनी जान तक देनेका निश्चय कर लिया है। यह प्रत्येक भारतीयका अधिकार है कि वह स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी इच्छा रखे और उसके लिए लड़े।"

फरवरी सन् १९४५ में कर्नल शाह नवाजने पोपाकी सभामें बताया कि चौथे गुरिल्ला रेजिमेण्टके कुछ सदस्य शत्रुसे मिल गये जिससे नेताजी (सुभाष चन्द्र बसु) को बहुत दुःख हुआ। नेताजी स्वतः पोपा आना चाहते थे किन्तु मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं स्वतः इसकी जाँच करूँगा। शाह नवाजने यह भी कहा कि "अब संसार आजाद हिन्द फौजकी बाट जोह रहा है। यदि हम अभी स्वतन्त्र न हो सके तो हम १०० वर्ष तक स्वतन्त्र न हो सकेंगे। अतः आप लोग बता दें कि आप लोगोंमेंसे कौन कौन शत प्रतिशत नेताजीके लिए बलिदान होना चाहते है।"

एडवोकेट जनरलने प्रश्न करनेपर गवाहने कहा—हवलदार गङ्गासरनको लेफ्टिनेट कर्नलने मृत्यु दण्ड दिया था बादमें नम्बर १ बटालियनके कमाण्डर लेफ्टिनेंट खाजिन शाहकी सलाहपर और गङ्गासरनके यह वचन देनेपर कि भविष्यमें मैं ठीकसे काम करूँगा, उसे माफी दे दी गयी और वह छोड़ दिया गया।

चौबीसवें गवाह—सिपाही अल्लाह दित्ता

मैं दिसम्बर १९४१ में हाङ्काङ्गमें युद्धबन्दी बनाया गया। दिसम्बर १९४३में मैं आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित हुआ और २४ फरवरी १९४५

पोपाकी पहाड़ीपर गया। मैं सिपाही मुहम्मद हुसेनको जानता हूं वह सदर दफ्तरमें 'सी' कम्पनीमें थे। २६ मार्च १९४५ को तीसरे पहर २-३ बजेके बीच मुहम्मद हुसेन मेरे पास आये और कहा कि आज मैं भाग जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आज मौका अच्छा नहीं है, कोई दूसरा दिन चुनो। उसी दिन शामको मैं ब्रिगेडके सदर मुकामपर ले जाया गया, वहाँ मैंने सिपाही जागीरीराम, सिपाही मुहम्मद हुसेन और लेफ्टिनेण्ट खाजिनशाहको देखा। खाजिनशाहने मुझसे कहा कि तुम्हारे सरीखे मुसलमानोंने ही तुर्कोंके साथ दगा की। मालूम हो गया है कि तुम भागनेकी कोशिश कर रहे थे। इसके बाद मैं क्वार्टरगार्डमें बन्दकर दिया गया। दूसरे दिन मैं तथा दो अन्य व्यक्ति सहगलके सामने पेश किये गये। उन्होंने पूछा—तुम लोगोंको कुछ कहना है। मैंने कहा कि मेरा इरादा भागनेका नहीं था। मुहम्मद हुसेन मेरे पास खुद भागनेके इरादेसे आये थे।

सवालके समय खाजिनशाहने ब्रिगेडके एडजुटेण्ट गुलाम मुहम्मदसे कहा कि अल्लाहदित्ता और अन्य २ भागनेकी कोशिश कर रहे थे। एडजुटेण्टने आयासहसे मुझे तथा अन्य लोगोंको पीटने तथा प्रश्न करनेको कहा। २८ मार्चको बटालियन लेगी चली गयी। खाजिनशाहने गुलाम मुहम्मदसे कहा कि यदि अल्लादित्ता और दो अन्य सिपाहियोंको सजा नहीं दी जाती तो मैं बटालियनका कमाण्ड नहीं करूँगा। खाजिनशाह और मेजर नेगी मुझे मुहम्मद हुसेन और जागीरीरामको डिवीजनके सदरमुकाम ले गये। मेजर नेगीने हम तीनोंके खिलाफ शाहनवाजके सामने फर्द जुर्म पेश किया। शाहनवाजने रिपोर्ट पढ़कर जागीरीरामसे पूछा। उन्होंने कहा कि मेरा भागनेका इरादा नहीं था। फिर मुझसे पूछा कि जब मुहम्मद हुसेन तुम्हारे पास आया था तो सैनिक होनेके नाते तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं की। मैंने अपनेको दोषी बताया। शाहनवाजने मुहम्मद हुसेनसे पूछा कि 'तुम खुद भागना चाहते थे और

दूसरोंको अपने साथ भागनेको कह रहे थे। मुहम्मद हुसेनने कहा—मैं ऐ
नहीं कर रहा था।'

शाहनवाजने मुहम्मद हुसेनसे सच बोलनेको कहा। उन्होंने कहा कि मु
कुछ दिक्कतें थीं इसलिए मैं शत्रुसे मिलना चाहता था। मेरी शिकायतोंकी कं
जाँच नहीं हुई। तब शाहनवाजने मुहम्मद हुसेनसे कहा कि तुम जै
आदमियोंको गोलीसे मार देना चाहिए।

एडवोकेट जनरल—शाहनवाजने क्या कहा था, ठीक ठीक बताइये।

गवाह—शाहनवाजने मुहम्मद हुसेनसे कहा कि 'तुम्हें गोलीसे उड़ा दि
जायगा यही तुम्हारी सजा है क्योंकि तुम अकेले ही शत्रुसे नहीं मिलना चाह
थे वरन् तुम दूसरोंको भी ऐसा करनेके लिए कह रहे थे। इसलिए क्ष
नहीं किया जा सकता।

मैंने शाहनवाजको अंग्रेजीमें यह भी कहते सुना—"पुट आफ द के
टु द रेजिमेण्टल कमाण्डर (रेजिमेण्ट कमाण्डरके सामने इन्हें पेश करो)।

१० मिनट बाद मैं, मुहम्मद हुसेन और जागीरीराम ब्रिगेडके सदर दफ्त
ले जाये गये। मैं और मुहम्मद हुसेन एक ही कमरेमें रखे गये। कमरें
जानेसे पहले जागीरीराम हटा दिये गये। उसी दिन शामको बटालियन
एडजुटेण्ट गुलाम मुहम्मद और आयासिंह कमरेमें आये और मुहम्मद हुसेनक
ले गये। उसके बाद मैंने मुहम्मद हुसेनको नहीं देखा।

दो तीन दिनके बाद मेरा पद घटा दिया गया और ७ अप्रैलको १६ अन्
व्यक्तियोंके साथ मैं रंगून भेज दिया गया। मैं सशस्त्र सन्तरीके पहरेमें कै
था। हमलोग १९ अप्रैलको माग्वे पहुँचे। अंग्रेज लोगोंने वहाँ आक्रमण
किया। पहरेदार भाग गये। मैं अंग्रेजोंके सामने हाजिर हो गया।

श्री भूलाभाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि कर्नल शाह नवाजने मुहम्मद हुसेनसे कहा—"तुम गोली मार देनेके काबिल हो। तुम्हारे सदृश विद्रोहियोंको गोलीसे मौतकी सजा दी जायेगी। फर्दजुर्मपर मैंने शाहनवाजको लिखते देखा। मैंने फर्दजुर्म नहीं पढ़ा क्योंकि वह मेजपर पड़े थे। मैं अंग्रेजी नहीं जानता। मेरे और जागीरीरामके सम्बन्धमें कोई फैसला नहीं हुआ।

२५ वें गवाह—सिपाही जागीरीराम

मैं सिंगापुरके पतन होनेके बाद अक्तूबरमें आजाद हिन्द फौजमें भरती हुआ। जब मैं पोपा क्षेत्रमें था तो मेरे बटालियन कमाण्डर खाजिनशाह, रेजिमेण्ट कमाण्डर सहगल और डिवीजनल कमाण्डर शाहनवाज थे। जब एक दिन मैं, मुहम्मद हुसैन और अल्लादित्ता भागनेके सम्बन्धमें बातचीत कर रहे थे तब खानिजशाह पहुँच गये और हम लोगोंसे पूछा कि "क्या बातें कर रहे हो?" महम्मद हुसैनने कहा कि हम लोग मजाकमें भागनेकी बात कर रहे थे। तब हमलोग ब्रिगेडके सदरदफ्तरमें कप्तान सहगलके सामने पेश किये गये। और उनके सामने भी हमने यही उत्तर दिया। ब्रिग्रेड सदरदफ्तरके लेफ्टनेण्ट आयासिंहने हम लोगोंको पीटा और कहा कि सच बोलोगे तो तुम लोगोंको छोड़ दिया जायगा। दूसरे दिन हम लोगोंको खाजिनशाह डिवीजनके कमाण्डर शाहनवाजके पास ले गये। शाहनवाजके पूछनेपर महम्मदहुसैनने कहा कि मैं कुछ कठिनाइयोंमें था अतः भागना चाहता था इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।"

शाहनवाजने कहा कि तुम हमारे देशके नहीं हो वरन् हमारे शत्रु हो। तुम्हें मैं गोलीसे उड़वा दूँगा।" मुहम्मद हुसैनने पुनः क्षमा माँगा।

इसके बाद मैं, मुहम्मदहुसैन और अल्लादित्ता हटा दिये गये।

एडवोकेट जनरल—क्या कप्तान शाहनवाजने तुम लोगोंके हटनेके पहले और कुछ कहा।

श्री भूलाभाई—देसाई मैं इस प्रश्नके पूछनेपर आपत्ति करता हूँ। गवाहने स्वतः कह दिया कि उसके बाद मैं वहाँसे हटा दिया गया। आपके इस प्रश्नसे उन्हें सहायता मिलती है कि वहाँसे हटनेके पहले कुछ और घटना हुई।

एडवोकेट जनरल—इससे गवाह किसी अस्पष्ट बातको स्पष्ट कर सकता है।

श्री भूलाभाई देसाई—यह बहुत बड़ी बात है। गवाहको जो कुछ कहना था कह दिया। वहाँसे हटनेके पहले और कुछ घटना हुई ऐसा सुझाना उचित नहीं है।

जज एडवोकेट—क्या जितना तुमने देखा कह दिया ?

श्री भूलाभाई देसाई—इस प्रश्नके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

एडवोकेट जनरल—मैं गवाहसे पूछना चाहता हूँ कि जब महम्मद हुसैनने क्षमा माँगी तब शाहनवाजने क्या उत्तर दिया ?

गवाह—शाह नवाजने कोई उत्तर नहीं दिया।

मैं, मुहम्मद हुसैन और अल्लादित्ता बटालियनके सदरदफ्तरको भेज दिये गए।

हमारे साथ नेगी और खाजिनशाह थे। खाजिनशाहने मुझसे अपना 'किट' सम्हालनेको कहा। जब मैं बटालियनके सदरमुकामपर पहुँचा तो मैंने वहाँ मुहम्मदहुसेन, खाजिनशाह और आयासिंहको देखा। खाजिनशाहने मुझसे मुहम्मद हुसेनको गोली मारनेको कहा। मैंने इनकार किया। खाजिनशाहने अपना आदेश दुहराया और कहा—तुम्हीं मुहम्मद हुसेनको गोली मारोगे क्योंकि तुम

उनके साथ भागनेकी कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा—मैं नहीं गोली चलाऊँगा। मैं राइफल चलाना नहीं जानता। तब खाजिनशाहने कहा—अगर तुम मुहम्मद हुसेनको गोली नहीं मारोगे तो तुम दोनों गोलीसे उड़ा दिये जाओगे।

मैंने फिर इनकार किया तो खाजिनशाहने मेरे कन्धेपर एक राइफल रख दी और घोड़ेपर मेरी उँगलियोंको रख दिया और आयासिंहसे गोली मारनेकी आज्ञा देनेको कहा। मेरे सिवा वहाँ दो और आदमी थे। जिनमें एक सिख भी था। आयासिंहने मुहम्मद हुसेनके आँखपर पट्टी बाँध दी और उसे जमीन पर बैठा दिया। पीठ एक पेड़के तनेसे सटा था। आयासिंहने तीनों आदमियोंको गोली चलानेका आदेश दिया और तीनोंने गोली चलायी। मुहम्मदहुसेन मरकर गिर पड़ा। उसके बाद खाजिनशाहने मुझसे अपनी कम्पनीमें जाकर हाजिर होनेको कहा।

उसी दिन शामको मेरी कम्पनी लेगीके लिए रवाना होगयी। उस गाँवमें तीन दिन तक रहनेके बाद मैं अंग्रेजोंसे जा मिला।

पश्चात् अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी।

——

३० नवम्बर १९४५

आज सबूत पक्षके गवाह सिपाही जागीरीरामसे श्री भूलाभाईने जिरहकी जिरहमें गवाहने कहा—

मैं जालंधरका रहनेवाला हूँ। मैं पढ़ालिखा नहीं हूँ। मैं रोमनमें अपने हस्ताक्षर कर सकता हूँ। मेरा पहिला बयान अगस्तमें दर्ज किया गया था। मैंने पंजाबी भाषामें अपने सूबेदारके सामने अपना बयान दिया था। बादमें

मेरे सामने वह पढ़कर सुनाया गया। जिस बयानपर मैंने हस्ताक्षर किये, वह अंग्रेजीमें टाईप किया हुआ था। मैं अंग्रेजी नहीं जानता।

जज एडवोकेटके एक फिकरेके उत्तरमें श्री भूलाभाई देसाईने कहा— कानूनका हमेशा पालन नहीं होता। गवाहकी परीक्षा करनी पड़ेगी।

श्री भूलाभाई देसाई—आपने अगस्तमें अपने बयानपर दस्तखत किये, उसके बाद आपसे यह नहीं कहा गया कि बयान देना होगा ?

गवाह चुप रहा।

श्री भूलाभाई देसाई—अदालतको क्यों नहीं बताते कि बयान देनेके लिये आनेसे एक या दो दिन पहले, तुम्हारी याद ताजा करायी गयी थी।

गवाह—मुझे मेरा बयान दिखाया गया और मैंने उसे दुहराया कि वह ठीक है।

श्री भूलाभाई देसाई—इस तरह तुम्हारी स्मृति ताजा हुई ?

गवाह—मुझे खुद याद आ गया कि मैंने क्या कहा था।

श्री भूलाभाई देसाई—इस अदालतमें बयान देने आनेसे पहले और बयानपर दस्तखत करनेके बाद, किसीने तुमसे बयानके बारेमें कुछ कहा या नहीं ?

गवाह—मेरा बयान पढ़कर सुनाया गया।

श्री भूलाभाई देसाई अदालतको बताइये कि तुम्हारी स्मृति कैसे ताजा हुई। पूरी बात बताइयेगा।

गवाह—बयान पढ़कर सुनाया गया। जब सुन लिया तो पूछा गया कि ठीक है न।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं २-३ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी बाबत पूछ रहा हूँ।

गवाह—परसों मुझे बयान याद कर लेनेको कहा गया। और पूछा गया कि बयान ठीक है न ? मैंने कहा हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—जब आप बयानकी बात कर रहे हैं तो आपका मतलब अनुवादसे है न ? क्योंकि बयान तो आप समझ न सके होंगे क्योंकि वह अंग्रेजीमें था।

गवाह—बयान हिन्दुस्तानीमें अनुवाद कर सुनाया गया और मैंने उसे एक बार दुहराया और उन्होंने मिलाया कि ठीक है।

आगे गवाहने कहा—मुझे हथियार चलानेकी शिक्षा नहीं दी गयी। मुझे एम्बुलैन्स युनिटके लिये भर्ती किया गया था। मुझे अस्पतालोंमें बिस्तरे बिछाने व रोगियोंको पट्टी बाँधनेकी शिक्षा दी गयी थी। कल मैंने जिस मुहम्मद हुसेन व गढ़वालीका जिक्र किया था वे युद्धक सेनाके थे। उनके साथ हुई तथाकथित बातचीतके समय वे बीमार न थे।

श्री भूलाभाई देसाई—अक्तूबर १९४३ से लेकर मार्च १९४५ तक क्या तुमने अंग्रेजी फौजोंके साथ मिल जानेकी कोशिश की ?

गवाह—मुझे कोई तारीख याद नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—तुमने जो विवरण पेश किया है, क्या वह वही है जो तुमको पेश करनेको कहा गया ?

एडवोकेट जनरल—अपनी शहादतमें भी गवाहने कहा था कि मुझे कोई तारीख याद नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या तुम जानते हो कि ईस्वी सन्‌के मुकाबिलेमें हिन्दू सम्वत् कौनसा होता है ?

गवाह—मैं वर्ष, महीनों आदिके बारेमें कुछ नहीं जानता। मैंने गढ़वालीसे कभी बात नहीं की थी। मैं सिर्फ जिस भाषामें बोलता हूँ, उसीको जानता हूँ।

श्री भूलाभाई देसाई—मैं कहता हूँ कि जिस आदमीकी भाषा गढ़वाली है, उसके सम्बन्धमें आपने जो कुछ कहा है वह ठीक है।

गवाह—जब कभी उसने मुझसे बात की, तब हिन्दुस्तानीमें ही की।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या तुमने उन्हें गढ़वालीमें बात करते कभी नहीं सुना ?

गवाह—शायद वे अपने आदमियोंके साथ गढ़वालीमें बोलते होंगे। बातचीतमें भी उन्होंने मुझसे कहा था कि वे गढ़वाली हैं।

श्री भूलाभाई देसाई—अब तक तो आप अदालतके सामने यह कहते रहे हैं कि आपने उन्हें उनकी भाषासे पहिचाना। क्या यह ठीक है या नहीं ?

गवाह—मैं जानता हूँ कि उनकी मातृभाषा गढ़वाली है। मगर वे मेरे साथ जब कभी बात करते थे तो हिन्दुस्तानीमें।

श्री भूलाभाई देसाई—आप मुहम्मद हुसैनको किस तरह जानते हैं ?

गवाह—वे सदरमुकाममें मेरे साथ रहते थे।

श्री भूलाभाई देसाई—मुहम्मद हुसैन कौन हैं ?

गवाह—वह एक मुसलमान हैं। (हँसी)

श्री भूलाभाई देसाई—क्या इसके अतिरिक्त भी आप उनके सम्बन्धमें जानते हैं ?

गवाह—मैं और कुछ नहीं जानता।

श्री भूलाभाई देसाई—वे मुसलमान हैं, इसके अलावा उन्हें पहिचाननेके लिये आप कुछ और भी जानते हैं ?

गवाह—वह पञ्जाबी थे। वह मारे गये। इससे अधिक मैं उनके बारेमें क्या कहूँ ?

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आप अदालतमें भी उन्हें किसी और चीजके आधारपर पहिचान सकते हैं।

गवाह—नहीं। अचानक ही मेरी मुहम्मद हुसैनके साथ बातचीत हो गयी थी। मैंने उनके साथ भाग जानेके बारेमें बातें कीं।

श्री भूलाभाई देसाई—कहाँ भागनेको ?

गवाह—अंग्रेजोंकी तरफ। जो लोग गश्तमें जाते थे, उन्होंने बताया था कि अंग्रेज २० मील पर हैं।

श्री भूलाभाई देसाई—जब तुमसे पूछा गया था कि तो क्या तुमने कहा था कि तुम्हारा इरादा भागनेका नहीं था।

गवाह—जी हाँ। मैं लेफ्टिनेण्ट आयासिंहको जानता हूँ। यह पता नहीं कि वे कहाँ हैं। वे जीवित हैं। गत मई महीनेमें मैंने उन्हें उनके गाँवमें देखा था।

इसके बाद गवाहसे डिवीजनल सदर मुकामोंके बारेमें पूछा गया। उसने कहा कि मुझे सिवाय कप्तान शाहनवाजके और किसीकी याद नहीं।

प्रश्न—क्या आप अंग्रेजी शब्द 'क्राइम' (अपराध) को समझते हैं ?

उत्तर—मैं 'क्राइम' अंग्रेजी शब्दको नहीं जानता।

प्रश्न—मेरा ख्याल है कि आप 'रिपोर्ट' शब्दको समझते हैं ?

उत्तर—मैं इस शब्दको किसीको रिपोर्ट देनेके अर्थमें ही जानता हूँ।

श्री भूलाभाई देसाईने एक कागजपर 'क्राइम रिपोर्ट' (अंग्रेजीमें) लिखकर दिया और पूछा—क्या लिखा है ?

गवाह—मैं नहीं जानता कि क्या लिखा है।

कागज सबूतके रूपमें दाखिल कर लिया गया।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आप 'क्राइम रिपोर्ट'का अर्थ समझते हैं।

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—तब आप 'क्राइम रिपोर्ट' शब्दको कैसे जानते हैं ?

गवाह—जिस दिनमें सदर दफ्तरमें था तो बताया गया था ' रिपोर्ट, पेशकी जायगी। और मैं तथा अन्य लोग कप्तान शाहनवाज सामने पेश किये जायेंगे। मेरे सामने मुहम्मद हुसेनको गोली मारनेके और कोई आदेश नहीं दिया गया। मुहम्मद हुसेनने बयान दिया। मालूम था कि अल्लादित्ता खाँ उनके साथ हैं। क ान शाहनवाज खाँने मुह हुसेनने पूछा कि क्या तुम भागना चाहते थे। ।उसने कहा कि मैं बड़ी मु बतमें फँस गया हूँ। माफी चाहता हूँ। उसके बाद कप्तान शाहनवाज कहा कि तुम भगोड़े हो और तुम्हें मौतकी सजा दी जायगी।

श्री भूलाभाई देसाई—आपको क्या हथियार दिया गया था?

गवाह—मुझे बन्दूक दी गयी थी।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आप दूसरे हथियारोंमेंसे बन्दूक पहि सकते हैं?

गवाह—मैं किसी दूसरे हथियारको नहीं पहचानता। मैं बन्दूक नहीं जानता।

बन्दूक मेरे कन्धेपर रखी गयी थी। मुहम्मद हुसेनको गोलीसे मारने समय जो सिख और तामिल उपस्थित थे उनके नाम मैं नहीं जानता। कहाँसे आये थे यह भी मुझे मालूम नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—उनमेंसे एक सिख था और दूसरा तामिल— इससे अधिक आप उनकी पहिचान बता सकते हैं?

गवाह—मैं उनके बारेमें अधिक कुछ नहीं कह सकता।

गवाहने आगे कहा कि आयासिंहने बन्दूक सीधी तरह पकड़नेमें मदद

श्री भूलाभाई देसाईने गवाहसे अदालतको यह दिखलानेके लिए कहा उसने बन्दूक कैसे पकड़ी थी। गवाहने ऐसा करके दिखाया और कहा

"बन्दूकका मुँह मुहम्मद हुसेनकी ओर किया गया जो ५ गज दूर जमीन पर बैठा था। तीन गोलियाँ चलायी गयीं। मैं नहीं जानता कि मुहम्मद हुसेन किसकी गोलीसे मरा। मैंने यह नहीं देखा कि उसके शरीरमें कितनी गोलियाँ लगी थीं। मैं उसके पास नहीं गया। वह वहाँ पड़ा था।

छब्बीसवें गवाह—लैंसनायक सालार मुहम्मद

मैं भारतीय फौजमें भरती हुआ और जनवरी १९३९ में मलाया भेजा गया था। सिंगापुरके पतनके बाद मैं वहीं था पीछे मैं आजाद हिन्द फौजमें भरती हो गया। मुझे उस सेनामें कमीशन (अफसर-पद) दिया गया था। मेरा रेजिमेण्ट रंगूनमें जनवरी १९४५ में आया था। मैं मुहम्मद हुसेनको जानता था। खाजिनशाहने २७ मार्चको सिपाही मुहम्मद हुसेन और २ दूसरे व्यक्तियोंको जो भागनेकी कोशिश कर रहे थे बुलायाथा। मुहम्मद हुसेन आजाद हिन्द फौजमें शामिल होनेसे पहले हिन्दुस्तानी सेनामें थे। खानिजशाहने उनसे पूछताछकी और उन्हें मारा भी। उसके बाद वे ब्रिग्रेडके सदर मुकाममें चले गये और सायङ्काल लौटे और मुझे आज्ञा दी कि उन पाँचों आदमी ब्रिग्रेडके सदर मुकाममें भेज दिया जाय।' मैंने उन आदमियोंको खानिज-शाहके हवाले किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मुहम्मद हुसेनको गोली मार देनेकी आज्ञा दी गयी है। दूसरे आदमियोंके बारेमें कुछ नहीं कहा। मुझे यह भी सूचित किया कि मुहम्मद हुसेनको गोली मारी जायगी। मुझे उसकी व्यवस्था करनेके लिए कहा गया। मैंने दस आदमियोंसे उसके लिए कब्र भी खुदवायी थी। मैं मुहम्मद हुसेनको नालेके किनारे ले गया। लेफ्टिनेण्ट खाजिनशाह, सेकेण्ड लेफ्टिनेण्ट आयासिंह हवलदादार मेजर गोविन्दसिंह कुछ सिपाही और मैं मुहम्मद हुसेनके साथ नाले पर गये।

खाजिनशाहके हुक्मसे मुहम्मद हुसेन पेड़में बाँधे गये। उनकी आँखपर

पट्टी बाँध दी गयी। खाजिनशाहने दो आदमियोंको जो मशक्कत कर रहे थे बुलाया। उनमें एक तमिल और दूसरा सिख था। वे दोनों और जागीरीरामने 'फायरिंग स्क्वैड' बनाया। खाजिनशाहने आयासिंहको हुक्म देनेको कहा। आयासिंह पहले हिचकिचाये बादमें आदेश दिया 'नीलिंग फायर'। तीनों सिपाहियोंने एक एक बार गोली चलायी। मुहम्मद हुसेन मारा गया और उसका शरीर एक ओर गिर पड़ा। खाजिनशाहने मुझे उसे दफनानेके लिए अब्दुल करीमको भेजनेको कहा।

उसी दिन बटालियन बाहर जा रही थी इसलिए मैंने मृत्युकी रिपोर्ट नहीं की। रिपोर्ट करना मेरा काम था। लेकिन रात हो गयी थी और बटालियनको जाना था इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं की। तीन अप्रैलको मैं भाग निकला और मित्रसेनासे जा मिला।

प्रश्न करनेपर गवाहने कहा—बटालियन २९ मार्च १९४५ की रातको लेगीके लिए रवाना हुई।

श्री भूलाभाई देसाई—तो जब आप भगे उस समय तक रिपोर्ट करनेका काफी समय था, चाहते तो कर सकते थे।

गवाह—उस समय बम बरस रहा था, गोलियाँ चल रही थीं इस कारण मुहम्मद हुसेनकी मृत्युकी रिपोर्ट बनानेका समय न मिल सका।

श्री भूलाभाई देसाई—१ अप्रैलको एक मृत्यु रिपोर्ट बनायी गयी जिसमें मुहम्मद हुसेनका नाम नहीं था।

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या आप १ अप्रैलको कोई मृत्यु रिपोर्ट कप्तान सहगलके पास ले गये।

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—सदरदफ्तरको कोई मृत्यु रिपोर्ट भेजी गयी थी ?

गवाह—मैं नहीं जानता ।

आगे गवाहने कहा—मैं जागीरीरामको जानता हूँ। वह गैरलड़ाकू अस्पताली अर्दली था । आयासिंह जागीरीरामको बन्दूक पकड़नेमें सहायता दे रहे थे ।

श्री भूलाभाई देसाई—तब क्या आप समझते हैं कि जागीरीराम गोली चलाना नहीं जानता ।

गवाह—उसने सहायता लेकर गोली चलायी ।

श्री भूलाभाई देसाई——जब वह गोली चलाना नहीं जानता था तो उसे गोली चलाने वाले जत्थेमें क्यों रखा गया था ?

गवाह—खाजिनशाहने आज्ञा दी थी कि उसे भी बुलाया जाय । जब मुहम्मद हुसेन गोली खाकर गिरा तब मैं १२–१५ गजतक दूर था । उसके पास गया । तब मुझे मालूम हुआ कि वह मर गया है । उसके शरीरमें तीन गोलियाँ लगी थीं ।

जज एडवोकेटके पूछने पर गवाहने कहा—उसे शामको गोली मारी गयी थी। पर मैंने उसके शरीरपर खूनके चिन्ह नहीं देखे ।

२७ वें गवाह—अस्पताली अरदली अब्दुल हाफिज

'मैं पोपाके क्षेत्रमें एक रोगीको लेकर अस्पताल जा रहा था। मैंने कुछ आदमियोंको एक नालेके पास जमा देखा । ४ आदमी एक खाईमें खड़े थे और मेजर ढिल्लों तथा अन्य अफसर भी पास ही खड़े थे । जब मैं अस्पताल से वापस लौटकर वहाँ गया तो मैंने देखा कि मेजर ढिल्लों चार आदमियोंको एकके बाद एक बुला रहे हैं और उनमेंसे प्रत्येकसे कह रहे हैं कि तुम शत्रुसे

मिल गये हो, इसलिये तुम्हारी सजा मौत है। कैदियोंको खाईमें बिठा दिया गया और मेजर ढिल्लोंने कहा कि इन चारों आदमियोंको जो मारनेको तैयार हो आगे आये। सातवीं कम्पनीके दो आदमी और एक आदमी ब्रिगेडके सदरदफ्तरके आगे आये। उनके नाम शेरसिंह, कालूराम और हिदायतुल्ला है। शेरखाँके पास पिस्तौल और कालूराम और हिदायतुल्लाके पास राइफल थी। मेजर ढिल्लोंने कैदियोंमेंसे एकको बुलाया और जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनसे कहा कि चारों आदमी शत्रुमें जा मिले थे किन्तु पकड़ लिये गये हैं। इनकी सजा मौत होनी चाहिये।

जिस कैदीको मेजर ढिल्लोंने बुलाया था वह खाँईके किनारे खड़ा था। मेजर ढिल्लोंने हिदायतुल्लाको गोली मारनेका आदेश दिया, हिदायतुल्लाने गोली दाग दी और कैदी गिर पड़ा। कैदीको गोली मारा गया तो उसकी आँखपर पट्टी नहीं बँधी थी। जब हिदायतुल्लाने गोली चलायी तो मैं उनसे २० गजके फासलेपर था। उसके बाद शेष तीनों कैदी एकके बाद एक बुलाये गये और मेजर ढिल्लोंके आदेशसे गोली मार दिये गये। उनमेंसे एकको हिदायतुल्लाने और दोको कालूरामने गोली मारी।

गोली मारे जानेके बाद मैंने कैदियोंको देखा। वे मरे नहीं थे. क्योंकि वे हिल-डुल रहे थे। तब मेजर ढिल्लोंने शेरसिंहको हर एक कैदीको एक-दो गोली मारनेका आदेश दिया। पिस्तौल छूटनेके बाद एक डाक्टरने चारों आदमियोंको मरा घोषित किया। मेजर ढिल्लोंने उन्हें फेंकनेका हुक्म दिया। बरवानसिंह एडजुटेण्टने लाशको दफनानेका हुक्म दिया। दफनानेके समय मैं मौजूद नहीं था।

उसके बाद मैं अपनी बटालियनके साथ इरावदीकी ओर चला आया और इस घटनाके पन्द्रह दिन बाद मैं एक गुरखा रेजिमेण्टमें जा मिला। जो चारों आदमी मारे गये जाट थे। उनके बारेमें मैं और कुछ नहीं जानता।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा—मैं उन चारों आदमियोंको पहले नहीं देखा था और न वहाँ एकत्र अफसरों और आदमियोंसे मेरा कोई सरोकार था। मैं अस्पतालसे. बिना यह जाने समझे कि कोई और काम है या नहीं अपनी युनिटको लौट रहा था और उत्सुकतावश जहाँ लोग जमा थे चला गया। युनिटमें कोई काम नहीं था इस कारण मैं तत्काल युनिटको वापस नहीं गया। मैंने गोली मारनेके दिनसे पहले उन चारों आदमियोंको न तो देखा था और न यही जानता कि वे लोग कहाँसे आये थे।

मैं पोपा अस्पालमें सुश्रुषा करनेवाला सिपाही था और गोलीकाण्डके दिन एक मरीजको अस्पतालमें भरती कराकर जहाँ लोग जमा थे वहाँ मैं गया। मुझे सीधे अस्पतालसे अपने युनिट जाना चाहिये था पर नहीं गया।

श्री भूलाभाई देसाई—तुम्हें न तो वहाँ किसी आदमीमें दिलचस्पी थी और न घटनामें ?

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—तुम्हें मालूम है कि यह घटना किस दिन या किस सप्ताह या महीनेमें घटी ?

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—साल बता सकते हो कि कब यह घटना घटी ?

गवाह—१९४५ में।

श्री भूलाभाई देसाई—जब तुम गुरखा रेजिमेण्टमें चले गये तो वहाँ किसी से इस घटनाके बारेमें कहा ?

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—गोलीकाण्डके समय जो लोग मौजूद थे उनमेंसे किसीसे कुछ बातचीत की ?

गवाह—नहीं।

आगे गवाहने कहा—जो लोग एकत्र थे उनकी संख्या सौके लगभग थी। अपने सिवा मैंने वहाँ किसीको अजनबी नहीं पाया। जब मैं गुरखा लोगोंके पास गया तो गिरफ्तार कर बर्मामें एक दूसरी जगह भेज दिया गया। वहाँसे मैं चटगाँव आया।

श्री भूलाभाई देसाई—किसने बयान देनेको कहा ?

गवाह—एक कप्तानने।

श्री भूलाभाई देसाई—हिदायतुल्ला, शेरसिंह और कालूरामके नाम कैसे जानते हो ?

गवाह—वे लोग मेरे बटालियनके थे।

आगे गवाहने बताया—जब मैं पोपा अस्पतालमें था, उस समय मैं नम्बर ७ बटालियनमें नियुक्त था। मेरा काम प्राथमिक चिकित्सा करना था।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या तुमने कभी इन तीनोंमेंसे किसीकी प्राथमिक चिकित्साकी थी ?

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—अस्पतालमें कितने लोग थे ?

गवाह—२०० से ३०० तक।

श्री भूलाभाई देसाई—शेरसिंह, कालूराम और हिदायतुल्ला कहाँके रहनेवाले थे ?

गवाह—मैं नहीं जानता। न तो घटनासे पहले और न बादमें ही उनसे मेरा कोई सरोकार था।

श्री भूलाभाई देसाई—फिर भी चाहते हो कि अदालत यह बात मान ले कि गोलीकाण्डसे सम्बद्ध तीनों आदमियोंका अलग अलग नाम बता सकते हो।

गवाह—मैं सच कह रहा हूँ। मैं शेरसिंह, कालूराम और हिदायतुल्लाके सिवा बटालियनके १०-२० आदमियोंका नाम बता सकता हूँ।

श्री भूलाभाई देसाई—अपने बटालियनके आदमियोंका नाम जानना क्या तुम्हारी ड्यूटी है।

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—प्राथमिक चिकित्साका, उस आदमीके नामसे क्या सम्बन्ध जिसकी चिकित्साकी जारही हो?

गवाह—जब दो आदमी एक जगह होते हैं तो एक दूसरेको जान ही जाते हैं।

श्री भूलाभाई देसाई—लेकिन तुम कह चुके हो कि घटनासे पहले उन तीनोंमेंसे किसीसे तुम्हारी बातचीत नहीं हुई थी।

गवाह—हाँ।

श्री भूलाभाई देसाई—उनके बाद फिर कभी देखादेखी नहीं हुई?

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—मेजर ढिल्लोंसे तुम कितनी दूर थे जब, तुम कहते हो कि तुमने उन्हें कहते हुये सुना?

गवाह—१२ गजपर।

श्री भूलाभाई देसाई—किसीने नहीं पूछा कि तुम क्यों खड़े हो?

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—ढिल्लोंकी बातचीतमें, जिसे तुम कहते है कि तुमने सुना, किसी तरहकी तुम्हारी दिलचस्पी थी?

गवाह—नहीं।

श्री भूलाभाई देसाई—तुम कवि या लेखक हो?

गवाह—नहीं। मैंने जो कुछ कहा है सत्य कहा है।

पूछे जानेपर गवाहने कहा—मुझे याद है कि न तो पहले आदमीकी आँखों पर और न अन्य किसीकी आँखोंपर पट्टी बाँधी गयी थी।

श्री भूलाभाई देसाई—यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बतायी कि दूसरे लोगोंकी आँखोंपर पट्टी नहीं बँधी थी ?

गवाह—मुझसे पूछा नहीं गया था ।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब 'हाँ' से देते हो ?

एडवोकेट जनरलने प्रश्नपर आपत्ति की और श्री भूलाभाई देसाईने उसे उस रूपमें नहीं पूछा ।

आगे गवाहने कहा—गोलीकाण्डके स्थलसे मैं १२-१३ गजकी दूरीपर था। उस समय शामको ४ बजे रहे होंगे ।

श्री भूलाभाई देसाई—तुम घड़ी रखते हो ?

गवाह—नहीं ।

आगे गवाहने कहा—उस क्षेत्रपर अक्सर वायुयान उड़ा करते थे । वहाँ आसपासमें खाइयाँ थीं और नाला सुरक्षित स्थान था । मैं आदमियोंके निकट नहीं गया न तो जब वे गिरे तब और न बादमें । चारों आदमियोंके गिरनेके बाद ढिल्लोंने शेरसिंहसे उन्हें और गोलियाँ मारनेको कहा ।

श्री भूलाभाई देसाईने गवाहका ध्यान उसके प्रारम्भिक बयानकी ओर दिलाया कि उसने यह बात उस समय नहीं कही थी कि ढिल्लोंने शेर-सिंहसे उन चारोंपर और गोलियाँ चलानेको कहा ।

गवाह—मुझे जहाँ तक याद है मैंने यह बात कही थी कि ढिल्लोंने शेर-सिंहको गोली चलानेका आदेश दिया था, पर यह बात लिखी नहीं गयी ।

अठाइसवें गवाह—सिपाही ज्ञानसिंह

मैं १९४२में आजाद हिन्द फौजमें भरती हुआ और मार्च या अप्रैल १९४५के आसपास में पोपाके क्षेत्रमें था । एक दिन मेरी कम्पनी अर्थात् नेहरू

ब्रिगेडकी ७वीं बटालियनकी 'बी' कम्पनीको नालेमें खड़े होनेको कहा गया। [आगे गवाहने चार आदमियोंके गोलीसे मारे जानेकी बात कही जो उपर्युक्त गवाहकी बातोंके समान थी।] गोली लगनेके बाद वे लोग चिल्लाने लगे तब ढिल्लोंने उनको खतम करनेको कहा। ढिल्लोंने उसके बाद कम्पनीसे कहा कि जो कुछ इन लोगोंने किया था, उसे फिर किसी ने किया तो उसके साथ भी यही किया जायेगा। मैंने लाशोंको नालेमें एक गड्ढेमें दफन किया जाता देखा। वे चारो जाट थे। उनके सम्बन्धमें मैं और कुछ नहीं जानता।

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करने पर गवाहने कहा—नाला ५ फुट चौड़ा और २५ गज लम्बा था। गहराई लगभग २० फीट होगी। उस जगह ३० आदमी रहे होंगे। जहाँ कम्पनी दो ग्रुपोंमें खड़ी थी वहाँसे वह स्थान २०-२५ गजके भीतर ही रहा होगा। जहाँ कम्पनी खड़ी थी वहाँसे अगर जोरसे बोला जाय तो खाईमें खड़ा हुआ आदमी उसकी आवाज सुन सकता था। जब गोलीकाण्ड हुआ तो मेजर ढिल्लों मुझसे दो कदम पर खड़े थे। मैंने मेजर ढिल्लोंको चारों आदमियोंको एकके बाद एक पुकारते सुना। मैं उन चारो आदमियोंका नाम नहीं जानता। मैं हिदायतुल्ला, काल्रामका नाम, जिन्होंने गोली चलायी इसलिए जानता हूँ कि वे लोग कुछ दिनों तक मेरी कम्पनीमें थे।

अदालतके पूछनेपर गवाहने कहा—नाला, अदालतके सामने रखी मेजके बराबर (अर्थात् लगभग ५ फुट) चौड़ा था। कम्पनी दो ग्रूपोंमें खड़ी थी और हर ग्रूपके आदमी एक के पीछे एक खड़े थे। सभीका मुँह खाँईकी ओर था। मैं एक ग्रूपके बीचमें था। जब गोलीकाण्ड हुआ ढिल्लों उन तीनों आदमियोंके पीछे खड़े थे जिन्होंने गोली चलायी। वे तीनों भी एकके पीछे एक खड़े थे।

अदालतकी बैठक स्थगित

पश्चात् एडवोकेट जनरलने अदालतसे कहा कि अन्तिम गवाह लेफ्टिनेण्ट कर्नल जे० ए० किटसन अभी वहाँ मौजूद नहीं हैं, वे जावामें काम कर रहे हैं। इसलिए अदालत शुक्रवार ७ दिसम्बर तकके लिए स्थगित कर दिया जाय। एडवोकेट जनरलने यह भी बताया कि इस वर्ष अप्रैलमें जब कप्तान सहगलने बर्मामें आत्मसमर्पण किया तो उन्होंने आत्मसर्पणके पत्रमें कुछ शर्तें भेजीं थी, उनकी शिनाख्त लेफ्टिनेण्ट कर्नल किटसन अपनी गवाहीमें करेंगे।

पश्चात् अस्थायी तौर पर अदालत ६ दिसम्बर तकके लिए इस शर्तके साथ स्थगित हुई कि यदि गवाह उससे पहले आगया तो वह पहले ही बैठेगी।

---

६ दिसम्बर १९४५

आज अदालतके बैठनेपर एडवोकेट जनरलने कहा कि गवाह अभी तक नहीं आ सका है पर आज शाम या कल सुबह तक आ जानेकी आशा है, इसलिए अदालत कलतकके लिए स्थगित कर दिया जाय।

अदालत दूसरे दिनके लिए स्थगित हो गयी।

---

७ दिसम्बर १९४५

उनतीसवें गवाह—लेफ्टिनेण्ट कर्नल जे० ए० किटसन

अप्रैल १९४५ में मेरा दल इरावदीके बायें किनारे पर था। २८ अप्रैलको मैंने करीब दस बजे दिनमें सागीगामके उत्तर एक अग्रगामी दस्तेको भेजा। आध घण्टेके बाद गोलाबारीकी आवाज सुनायी पड़ी और ऐसा जान पड़ा कि

शत्रु समीप ही है। उसके बाद उस दस्तेके कमाण्डर कप्तान सहगल और आजाद हिन्द फौजके सैनिकोंको ले आये। कमाण्डरने मुझे आत्म-समर्पण सम्बन्धी पत्र दिया जो अंग्रेजी सेनाके कमाण्डरके नाम था। उसे आत्मसमर्पण करनेवाले दलने दिया था जो सफेद झण्डा लिये हुये था। इस पत्रमें लिखा था कि आजाद हिन्द फौजके ३० अफसर और ५०० सैनिक आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। मैंने उस पत्रको सुरक्षित नहीं रखा, उसे दो महीने बाद नष्ट कर दिया। बादमें मुझसे और सहगलसे बातें हुईं। सहगलने बताया कि मैं ५।१० बलूच रेजीमेंटमें था और इस समय आजाद हिन्द फौजकी एक रेजीमेंटकी कमान मेरे हाथोंमें है। मेरे साथ मेरी रेजीमेंटकी एक बटालियन तथा रेजीमेंट सदरदफ्तर है।

बन्दियोंको निःशस्त्र करने, गिनने तथा उचित स्थानमें रखनेके बाद कप्तान से मेरी बातें हुईं। बन्दियोंमें करीब ५० घायल थे। मैंने सहगलसे कई प्रश्न किये। यह भी पूछा कि वे आजाद हिन्द फौजमें क्यों शामिल हुए। उन्होंने युद्धके गत दो वर्षोंका हाल सुनाया और कहा कि आजाद हिन्द फौजका जापानियोंसे मतभेद हो गया है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे अंग्रेजोंको पसन्द करते हैं? उन्होंने कहा कि 'दो तीन अंग्रेज अफसर मेरे अनन्य मित्र हैं।'

सहगलने अंग्रेजोंके विरुद्ध लड़नेका यह कारण बताया कि वे भारतमें साम्राज्यवादी शोषणके विरुद्ध हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वे उसी उद्देश्यसे लड़े हैं जिसको कि वे न्यायानुकूल समझते हैं। अब चूँकि वे हार गये हैं इसलिए परिणाम भुगतनेके लिए तैयार हैं।

गवाहने आगे कहा—मैंने सहगलसे कहा कि उनके साथ क्या कारवाई की जायगी, यह ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर निर्भर है। सहगल लँगड़े हो गये थे अतएव उनको कार द्वारा भेजनेकी व्यवस्था की गई। उनके साथ आजाद हिन्द सेनाके अन्य आदमी भी भेजे गये।

श्री भूलाभाई देसाईने कहा कि जिरहकी जरूरत नहीं है।

× × ×

इसके बाद सफाई पक्षके वकीलने ४।१९ वीं हैदराबाद रेजीमेंटके हवलदार गङ्गाशरण और लॅसनायक प्रीतमरामसे जिरह की इनके प्रारम्भिक बयान लिये गये थे पर सबूत पक्षने गवाहके रूपमें उपस्थित नहीं किया था।

अभियुक्तोंका बयान

कप्तान शाहनवाजखाँ

मेरा जन्म जाँजुआ राजपूत परिवारमें हुआ है। मेरे पिता भारतीय सेनामें ३० बरस तक रहे। मेरे परिवारका शरीरसे योग्य प्रत्येक व्यक्ति प्रथम और द्वितीय महायुद्धमें सम्मिलित हुआ। इस समय भारतीय सेनामें मेरे परिवारके अस्सीसे अधिक व्यक्ति अफसरके पदपर काम कर रहे हैं। संक्षेपमें मैं एक ऐसे परिवारमें पाला पोसा गया हूँ जो पूर्णतया सैनिक है और जुलाई १९४३ में सिंगापुरमें नेताजी सुभाषचन्द्र बसुसे मिलनेके पूर्व राजनीतिक दृष्टिसे मैं पूर्णतया अनभिज्ञ था। मुझे भारतको एक युवक ब्रिटिश अफसरकी दृष्टिसे देखनेकी शिक्षा दी गयी थी और मेरी एक मात्र दिलचस्पी सैनिक कार्य और खेलकूदमें थी।

मैं २९ जनवरी १९४२ को जब सिंगापुरमें पहुँचा स्थिति अत्यन्त नाजुक हो चुकी थी। इसपर भी मैं वीरतापूर्वक लड़नेके लिए कटिबद्ध था। सिंगापुरके युद्धमें १३, १४ और १५ फरवरी १९४२ को जब मेरे दायीं और बायीं ओरकी सेनाओंके अंग्रेज अफसर अपनी टुकड़ियोंके साथ उड़नछू हो गये थे, मैं अपनी जगहपर उस समयतक अड़ा रहा जबतक कि मेरे सेनापतिने आत्मसमर्पणकी आज्ञा नहीं दी।

मैं उनकी आज्ञाका घोर विरोध किया क्योंकि मैंने यह अनुभव किया कि मुझे शत्रुसे लड़नेका उचित अवसर नहीं दिया गया। इतने पीछे सिंगापुर लाया जाना और यह भी केवल हथियार डालने और बिना समर्पण कर देनेके लिए—मुझे अपने प्रति और अपने सैनिक सम्मानके प्रति घोर अन्याय जान पड़ा।'

१५-१६ फरवरी १९४२ की रातको—आत्मसमर्पणके दिन, हमें आदेश मिला कि सभी भारतीय जिनमें किंग कमीशनके अफसर भी होंगे, फरर पार्कमें, और सभी ब्रिटिश अफसर तथा सैनिक चङ्गीमें जमा हों। सभी, विशेषतः अफसर लोग इस आज्ञाको सुनकर आश्चर्य चकित रह गये क्योंकि सभ्य युद्ध के विधानके अनुसार सभी गिरफ्तार अफसर चाहे वह अंग्रेज हों या भारतीय, सेनासे अलग एक साथ रखे जाते हैं।

१६ फरवरीके सुबह जब हम अपने नजरबन्दीके क्षेत्रको जा रहे थे, हमारे कमांडिंग अफसर मेजर मैकडम अन्य अंग्रेज अफसरोंके साथ बटालियनको देखने आये और मुझसे हाथ मिलाते हुये कहा—यह अन्तिम मिलन जान पड़ता है। इन शब्दोंने मेरा यह विश्वास दृढ़ कर दिया कि हम भारतीय मझदारमें छोड़ दिये गये हैं।

फरर पार्कमें ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि कर्नल हण्टने हमें जापानी गुप्तचर विभागके कमाण्डर फूजीवाराके हाथ सौंप दिया। सौंपते हुए कर्नल हण्टने उपस्थित सैनिकोंको सावधान मुद्रामें खड़ा करके कहा—"आज मैं ब्रिटिश सरकारकी ओरसे आप लोगोंको जापान सरकारको सौंप रहा हूँ। उनकी आज्ञा आप उसी तरह मानेंगे जिस तरह हमारी मानते रहे हैं।"

१५ फरवरी १९४१ से मई १९४२ तक मैं आजाद हिन्द फौज बनानेके विरुद्ध था। जून १९४२ से जुलाई १९४२ तक मैं उसमें इस दृष्टिसे रहा कि यदि वह विदेशी शोषणके हाथोंकी कठपुतली बनी तो मैं उसको भीतरसे

सेबोटाज करूँगा। जुलाई १९४२ में मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि व
स्वतन्त्रताकी सच्ची सेना है और मैं उसमें हार्दिक योग देने लगा।

आरम्भमें जब मैं नैसून शिविरका कमाण्डेण्ट था, मैंने वहाँके रहनेवाले युद्धबन्दियोंके निमित्त सेनिटरी, पानी, रहने और चिकित्सा आदिका प्रबन्ध सुधारा। जब तक मैं कमाण्डर रहा मेरा प्रधान ध्येय अपने आदमियोंकी अवस्था सुधारना रहा। कौलालम्पुरमें मैं भारतीय युद्धबन्दियोंके रहनेका ऐसा सुन्दर प्रबन्ध किया था जो सम्भवतः सुदूर पूर्वमें युद्धबन्दियोंके प्रबन्धमें सबसे अच्छा था। मैं जब वहाँ था तब यथासम्भव भारतीय दरिद्रोंकी भी सहायता की। बीसों आदमी भूखसे मर रहे थे। मैंने सभी युद्धबन्दियोंको सप्ताहमें एकबार उपवास करके अपना बचा खाना उन लोगोंको देनेको कहा।

फरवरी १९४२ में जब कहा गया कि नेताजी सुभाषचन्द्र बसु सिंगापुर नेतृत्व करने आ रहे हैं, मैं दूसरी आजाद हिन्द फौजमें भरती हुआ। जब नेताजी सिंगापुर आये तो मैं उन्हें गौरसे देखता रहा। उससे पहले न तो मैंने उन्हें देखा था और न उनके भारतमें किये गये कार्योंको अच्छी तरह जानता था।

मलायामें मैंने कई सार्वजनिक सभाओंमें उनके व्याख्यान सुने जिसका मुझपर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। यह कहना अनुचित न होगा कि मैं उनके व्यक्तित्व और उनके भाषणोंसे सम्मोहित हो गया। उन्होंने हमारे सम्मुख भारतका सच्चा चित्र रख दिया और जीवनमें पहली बार मैंने भारतको एक भारतीयकी दृष्टिसे देखा। उनके निस्वार्थ भाव और देशके प्रति अटूट भक्ति, स्पष्टवादिता और जापानियोंके इच्छापर झुकनेसे इनकार करनेसे अत्यधिक प्रभावित हुआ।

मैंने इस बातका अनुभव किया कि हम चाहें या न चाहें जापानी निश्चय ही भारतमें प्रवेश करने जा रहे हैं। मैंने इस बातका भी अनुभव किया कि यदि

सम्भव है कि युद्ध भारत भूमिपर ही होगी क्योंकि मैं नहीं समझता था कि अंग्रेजी सेना जापानियोंकी बढ़ती प्रगतिको रोक सकेंगे।

मैंने मलायाका आक्रमण देखा था और नहीं चाहता था कि भारतकी वही अवस्था हो। मैंने अनुभव किया कि मलायामें असहाय युद्धबन्दीके रूपमें पड़े रहनेकी अपेक्षा हाथोंमें राइफल लेकर मैं भारतीयोंके जीवन, धन और सम्मान की रक्षा करनेके निमित्त अधिक उपयोगी हो सकूँगा।

आजाद हिन्द फौजकी भरतीके समय मैंने ऐसे ही आदमियोंको एकत्र किया जो जापानियोंके विरुद्ध भी लड़नेको तैयार रहें, यदि वे बेइमान साबित हों। यह बात सबूतके गवाहोंकी बातोंसे भी स्पष्ट है। आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेके लिए किसी युद्धबन्दीपर दबाव डाला गया, यह बात गलत है। मैंने जबरदस्तीकी भरतीको मना किया था और अफसरोंको चेतावनी दे रखी थी कि यदि कोई जबरदस्ती भरती करेगा तो दण्डित होगा।

नेताजीको हमने नेताके रूपमें पाया और हमने उनका अनुगमन करनेका निश्चय किया। मेरे लिए तो यह मेरे जीवनका अत्यन्त कठिन निर्णय था। अपने ही भाई बन्धोंसे, जो अत्यधिक संख्यामें ब्रिटिश भारतीय फौजमें हैं और जिनसे मैं कभी आँखसे आँख नहीं मिला सकता, लड़नेका निश्चय करना था। मेरा परिवार और मेरा समाज भारतमें एक सुविधा प्राप्त समाज है। वे समृद्धिशाली और सन्तुष्ट है। मेरे आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेसे उन्हें कठिनाई उठानी पड़ सकती है।

दूसरी ओर, जब मैंने उन करोड़ों भूखों मरनेवालोंकी ओर देखा जिनका निर्दयतापूर्वक अंग्रेज लोग शोषण कर रहे हैं, जो लोग शोषण करनेके निमित्त जानबूझकर अशिक्षित और अज्ञान रखे जा रहे हैं, तो भारतकी शासनप्रणालीके प्रति मेरे मनमें घृणा उत्पन्न हुई, वह मुझे अन्याय मूलक जान पड़ी। इन

अन्यायको दूर करनेके लिए मैंने अपनी प्रत्येक वस्तु—अपना जीवन, अपना घर, अपना परिवार और उसकी परम्पराका बलिदान करनेका निश्चय किया।

अगर रास्तेमें बाधक हो तो मैंने अपने भाईसे भी लड़नेका निश्चय किया और वस्तुतः १९४४ में जो युद्ध हुआ उसमें एक दूसरेमें विरुद्ध लड़े भी। मैं और मेरा चचेरा भाई, दोनों एक दूसरेके विरुद्ध लगभग दो मासतक चिनकी पहाड़ियोंमें नित्य युद्ध करते रहे।

संक्षेपमें मेरे सामने प्रश्न शासक या देशका था। मैंने अपने देशके प्रति भक्ति रखनेका निश्चय किया और नेताजी को वचन दिया कि उसकी खातिर मैं प्रत्येक वस्तुका बलिदान कर दूँगा।

दूसरी बात जो मेरे मनमें बराबर खटकती रही है वह भारतीय और अंग्रेज सैनिकोंके बीचका भेद भाव था। यह मैंने अपनी आँखोंसे देखा है कि जब लड़नेमें कोई भेद भाव नहीं है, भारतीय सैनिक अन्ततक प्राणपणसे लड़ता रहता है; फिर क्यों उसके वेतन, उसके एलाउन्स, भोजन, और रहन सहनमें इतना अन्तर है। इसे मैं घोर अन्याय समझता हूँ।

दूसरी बात, आजाद हिन्द फौजका सङ्गठन, शिक्षा और युद्ध क्षेत्रमें नेतृत्व, सब कुछ भारतीयोंने किया था। इसके विपरीत भारतीय सेनामें २५ लाख भारतीय हैं। एक भी भारतीय अफसरको डिविजनका सञ्चालन भार नहीं दिया गया। अभीतक केवल एकको ब्रिगेडका कमाण्ड दिया गया है।

आजाद हिन्द फौजमें मैं केवल देशभक्तिकी भावनासे सम्मिलित हुआ। अनेक कठिनाइयोंके होते हुए भी युद्धक्षेत्रमें दृढ़तासे साथ सम्मानजनक युद्ध किया। मेरे पास चिकित्सा, यातायात, रसदका अभाव था। काफी दिनों तक हमें धान और जङ्गलोंकी घासपर रहना पड़ा। नमक भी हमारे लिये विलासिताकी वस्तु बन गयी थी। ऐसी स्थितिमें भी हम बर्मामें ३००० मील तक चले।

जब कभी भी अंग्रेज सेना पकड़ी गयी हमने उनके साथ सद्व्यवहार किया और हम भी युद्धबन्दी बनाये जानेपर उसी सद्व्यवहारकी आशा करते थे।

कोई भी किरायेकी या पिट्ठू सेना उन कठिनाइयोंका सहन नहीं कर सकती थी जिसे भारतकी आजादीके लिए आजाद हिन्द फौजने उठाया। मैं इस बातको इनकार नहीं करता कि मैंने युद्धमें भाग लिया, पर मैंने ऐसी स्वतन्त्र भारतकी अस्थायी सरकारके सेनाके सदस्यके रूपमें किया, जो सभ्य देशके युद्धके नियमोंके अनुसार अपने देशकी स्वतन्त्रताके लिए लड़ रही थी।

मुझपर जो हत्याके लिए उभाड़नेका अभियोग लगाया गया है वह सही भी हो तो भी मैं किसी अपराधका अपराधी नहीं हूँ। मुहम्मद हुसेनने स्वेच्छासे आजाद हिन्द फौजका अनुशासन स्वीकार किया था। यदि वह आजाद हिन्द फौजसे भागनेमें सफल हो जाता तो अंग्रेजोंके पास बहुमूल्य सूचनायें ले जाता, जिसका अर्थ हमारे लिए पूर्ण विनाश था। अतः आजाद हिन्द सेना कानून तथा सभी राष्ट्रोंके सैनिक कानूनोंके अनुसार उसका कार्य अत्यन्त गम्भीर था और मृत्युदण्डके योग्य था। किन्तु यह बात गलत है कि मैंने उसे मृत्युदण्ड दिया या उस सजाको कार्यान्वित करनेमें उसे गोली मारी गयी। वह मेरे सामने गैरसरकारी तौर पर पेश किया गया और मैंने आदेश दिया कि कानूनी तौर वह मेरे या किसी अन्य अफसरके सामने पेश किया जाय। पर वह पेश नहीं किया गया।

कप्तान प्रेमकृष्ण सहगल

मुझपर जो अभियोग लगाये गये हैं उनका अपराधी होनेसे मैं इनकार करता हूँ साथ ही यह भी कहता हूँ कि इस फौजी अदालतके सम्मुख मेरा विचार गैरकानूनी है।

१७ फरवरी १९४२को फररपार्क (सिंगापुर) में जो सभा हुई थी उसमें लेफ्टिनेण्ट कर्नल हण्टने, ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधिकी हैसियतसे भारतीय अफसरों और सैनिकोंको भेंड़ोंकी भाँति जापानियोंके हवाले कर दिया। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा आघात था। भारतीय सेना अनेक कठिनाइयोंके बावजूद भी, बहादुरीके साथ लड़ी और उसके बदलेमें ब्रिटिश अधिकारियोंने उसे एकमात्र जापानियोंकी दया पर छोड़ दिया। हमनें अनुभव किया कि ब्रिटिश सरकारने स्वतः ब्रिटिश सम्राट्के प्रति जो कर्तव्यबन्धन था काट दिया और उससे हमें मुक्त कर दिया। जापानियोंने हमें कप्तान मोहनसिंहके हवाले कर दिया जो आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति कहे जाते थे। जापानियोंने उनके हाथ अपना भाग्य स्वतः निर्णय करनेके लिए छोड़ दिया। हम सच्चे रूपमें विश्वास करने लगे थे कि जब ब्रिटिश सम्राट्ने हमारी रक्षा करना छोड़ दिया है तो हमसे अपने प्रति निष्ठाकी अपेक्षा नहीं कर सकते।

जून १९४२ में मैं बंकाक सम्मेलनमें सम्मिलित होनेके लिए आमन्त्रित किया गया था पर मैंने उसे अस्वीकार कर दिया किन्तु जून और अगस्त १९४२ के बीच अत्यन्त महत्वकी घटनायें हुईं जिनसे मुझे आजाद हिन्द फौजसे अलग रहनेके अपने पूर्व निर्णयको बदलना पड़ा।

पहली बात तो यह थी कि जापानी सेना प्रत्येक क्षेत्रमें अत्यन्त सफलता प्राप्त करती जा रही थी और भारतपर आक्रमण निश्चित जान पड़ता था। हर एक सोचने लगा था कि भारतमें खून खराबी शीघ्र ही होगी। यहां तक कि बी०बी० सी० (लन्दन रेडियो)ने भी उसके दुर्भाग्य पर सहानुभूतिका सन्देश भेजा था।

सिंगापुरमें अन्तिम बार जो भारतीयोंका दस्ता आया था उसमें कोरे रंगरूट थे और उनसे पता चलता था कि भारतकी रक्षाके लिए किस प्रकारके आदमी प्राप्त होंगे। पतनसे पहले जो अफसर सिंगापुर आये थे उन्होंने बताया

था कि भारतमें सेनाके पास कोई भी आधुनिक साधन नहीं हैं। बताया यह गया कि सैनिकोंको काठके बन्दूक और हल्के मशीनगनसे शिक्षा दी जा रही है और भारतके उत्तर पूर्वी सीमापर कोई रक्षात्मक साधन नहीं है। हममेंसे हरएकको विश्वास हो गया कि यदि जापानने भारतपर आक्रमण किया तो उनका प्रतिरोध करनेवाला कोई नहीं है यह हमारे लिए सबसे कष्टदायी विचार था।

दूसरी बात, ८ अगस्त १९४२ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने 'भारत छोड़ो' का सुप्रसिद्ध प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्तावके पश्चात् देशभरमें प्रदर्शन हुए।

दिल्लीका आल इण्डिया रेडियो और बी० बी० सी० भारतमें होनेवाली घटनाओंपर परदा डाले हुए थे। फिर भी कुछ गुप्त स्टेशनोंसे, जो समझा जाता है कि भारतमें कहीं काम कर रहे थे और भारतके बाहर धुरी राष्ट्रों द्वारा नियन्त्रित स्टेशनोंसे मुक्त रूपसे इन घटनाओं और सरकार द्वारा स्वतन्त्रताके आन्दोलनके दबानेके लिए किये जानेवाले दमनके समाचार मिलने लगे। रेडियोके इन समाचारोंसे हमें जान पड़ने लगा कि १८५७ के विद्रोहके पश्चात् जो आतंक छा गया था उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ब्रिटिश और भारतीय पत्रों तथा सरकारी रेडियोके पूर्ण मौनसे रेडियोके इन समाचारोंकी सत्यतामें हमें तनिक भी सन्देह न रहा। यह बताना व्यर्थ होगा, कि इनसे हमें अपने सगे सम्बन्धियोंके प्रति जिन्हें हम स्वदेश छोड़ आये थे, गहरी चिन्ता होने लगी और ब्रिटिश साम्राज्यवादके प्रति, जो हमें और हमारे देशको स्थायी गुलामीमें रखनेकी इच्छा रखता जान पड़ा, घोर असन्तोष फैल गया। ब्रिटिश सरकारने भारतकी रक्षाका पूर्ण उत्तरदायित्व लिया था और उसने इस प्रकारकी रक्षाका भार हमारे नेताओंको देने और संघटन बनाने देनेकी मांगको ठुकरा दिया। इस प्रकार हमें भारतकी रक्षा-साधनकी जो सूचना थी वह

उत्साहवर्धक न थी। बड़े से बड़े आशावादीको भी विश्वास न था कि अंगरेजों में जापानियोंके बढ़ावके रोकनेकी क्षमता है। नागरिक तो किसी प्रतिरोधके संघटनकी बात सोच भी नहीं सकते थे अतएव उन्हें अकथनीय कठिनाइयों एवं दुर्दशाको भुगतना पड़ेगा। भूमि जला देनेकी ब्रिटिश नीतिसे, जिसे उन्होंने तय ही नहीं किया था, वरन् कार्यान्वित भी करना आरम्भ कर दिया था, उनकी कठिनाइयाँ और भी बढ़ जायेंगी।

फलतः काफी वादाविवादके बाद हम इसी निष्कर्षपर पहुँच सके कि एक शक्तिशाली एवं सुव्यवस्थित सेना बनायी जाय जो वर्तमान विदेशी सरकारसे भारतकी स्वतन्त्रताके लिए लड़े और अपने देशवासियोंकी दुर्दशा होनेसे रोके और यदि जापानी अंगरेजोंके स्थानपर शासक बनना चाहें तो उनका विरोध करे।

आजाद हिन्द सेनाने मलाया और बर्मामें भारतीय जान माल और सम्मान की रक्षा जिस योग्यतासे की थी वह स्वतः उसमें सम्मिलित होनेके पक्षमें एक जबर्दस्त दलील थी।

कई दिनों तक मेरे विचारोंमें सङ्घर्ष होता रहा। एक ओर तो अपने पहले के साथियोंके प्रति जिनके साथ कन्धेसे कन्धा भिड़ाकर लड़ा था, उनका मोह था तो दूसरी ओर मातृभूमिको उस यातनासे बचाना था जिसका आतङ्क उसकी आँखोंमें छाया हुआ था। काफी सोच विचारके बाद इस निश्चय पर पहुँचा कि आजाद हिन्द सेनामें भरती होना चाहिये और उसे एक दृढ़ सशक्त और सुव्यवस्थित सेना बनाना चाहिये जो भारतके हितके लिए मर मिटे।

मैं आजाद हिन्द फौजमें इसी सदुद्देश्यसे सम्मिलित हुआ और किसीको आजाद हिन्द फौजमें अपनी मरजीके विरुद्ध भरती होनेके लिए न तो कहा और उसके साथ सख्ती की। जहाँ तक मुझे मालूम है किसीने आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेके लिए किसीके साथ सख्ती नहीं की। आजाद हिन्द

फौजकी भरती, जहाँतक मैं जानता हूँ पूर्णतया स्वेच्छापर होती थी। इस सम्बन्धमें सबूनपक्षने जो शहादत दी है वह एकदम झूठ है। जो भी हो, मेरा सम्बन्ध न तो किसी कथित अत्याचारसे है और न मुझे उसका ज्ञान है।

आरम्भसे ही मेरा विश्वास था कि हमारी शक्ति हमारे कार्यके प्रति निस्वार्थ भक्तिमें है और हमारी सेनामें केवल वही लोग हों जो भारतमाताके लिए प्रसन्नतापूर्वक खून बहानेको तैयार हों।

इसी कारण मोर्चेपर जानेसे पहले मैंने अपने अधीन अफसरों और सैनिकोंको आजाद हिन्द फौजके उद्देश्यको अच्छी तरह समझा दिया था और उन उद्देश्योंकी पूर्तिके मार्गमें आनेवाली कठिनाइयोंको भी बता दिया था।

वहुतसे लोगोंने जो अपनेको शरीर एवं विचारसे युद्धमें भाग लेनेमें असमर्थ समझते थे, पीछे रहनेका निश्चय किया। मैदानमें पहुँचनेके बाद, मैंने उन लोगोंको, जो मैदानमें नहीं रहना चाहते थे दूसरा मौका दिया कि वे सदर मुकामको वापस चले जायँ। जिन्होंने इस कथनका लाभ लिया वे बिना किसी सजाके रंगून वापस भेज दिये गये।

जब मैं पोपा पहुँचा तो मैंने यह सम्मानके विरुद्ध समझा कि मैदानमें जानेसे पूर्व कोई भी ऐसा आदमी मेरे अधीन सेनामें रहे जो अपनी इच्छाके विरुद्ध लड़ने आया हो। अतः स्पष्ट और खुले ढङ्गसे अपने आधीन आदमियोंसे कह दिया कि जो ब्रिटिश सेनामें जानेके इच्छुक हों; जा सकते हैं बशर्ते वे अपना हथियार छोड़ जाँय और एक सङ्घटित दलमें हों। मैं उन्हें अपनी सीमा तक खैरियतसे पहुँचा दूँगा।

मैं अनेक अंगरेज स्त्री-पुरुषों को अपना परम प्रिय मित्र मानता हूँ। अंगरेज जनताके प्रति शत्रुताकी मैं कभी कल्पना भी नहीं करता। अपने अधीन अफसरों और सैनिकोंको स्पष्ट आदेश दे रखा था कि वे जिस किसी भी युद्धबन्दीको पकड़ें, वह चाहे किसी भी जातिका हो, उसके साथ सद्व्यवहार हो।

आजाद हिन्द फौजकी ओरसे लड़कर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। इसके विपरीत अपनी योग्यताके अनुसार अपने देशकी सेवा की है। मेरा यह दावा है कि मुझे युद्धबन्दीकी प्रत्येक सुविधायें मिलनी चाहिये।

मैंने अपने १८ अप्रैल १९४५ के पत्रमें, जिसे मैंने ब्रिटिश सेनाके एक अफसरके पास भेजा था जिसे मैंने और मेरी सेनाके सैनिकोंने आत्मसमर्पण किया (जिसकी प्राप्ति बहादुरगढ़ क्षेत्रके सदर दफ्तरने अपने १२ अक्तूबर १९४५ के पत्रमें स्वीकार किया है, पर कहा है कि मिल नहीं रहा है) मैंने स्पष्ट रूपसे कह दिया था कि हम युद्धबन्दीके रूपमें आत्मसमर्पण करनेको तैयार हैं। इस पत्रके पानेके बाद आत्मसमर्पण, हमारी शर्तोंपर बिना किसी आपत्तिके स्वीकार किया गया। और आत्मसमर्पणके बाद वस्तुतः हमारे साथ युद्धबन्दीका सा व्यवहार किया गया।

यदि हमसे कहा गया होता कि हमारी शर्तें ब्रिटिश कमाण्डरको स्वीकार नहीं है, तो हम लड़नेके लिए प्रस्तुत थे क्योंकि हमारे पास ६०० पूर्णतया सशस्त्र सैनिक थे और प्रत्येक अपने देशके लिए अपने रक्तकी अन्तिम बूँद तक गिरानेको तैयार था।

डिवीजनके कमाण्डरकी हैसियतसे ६ मार्च १९४५ को मैंने ४ सिपाहियों हरीसिंह, दुलीचन्द, दरयावसिंह और धर्मसिंहका मुकदमा किया था जिन्हें कर्नल जी० एस० ढिल्लोंने भागने और शत्रुको सूचना देनेके अभियोगमें आजाद हिन्द फौज कानूनकी धारा ३५ और २९ (स) के अनुसार विचारार्थ भेजा था, और उन्हें अपराधी पाकर मृत्युदण्ड दिया था। पर दण्ड कार्यान्वित नहीं हुआ क्योंकि वे, अन्य लोगोंकी तरह जिन्हें उस समय सजा दी गयी थी, खेद प्रकट करने और विश्वास दिलानेपर कि भविष्यमें ऐसा न करेंगे, माफ कर दिये गये।

किन्तु यदि दण्ड कार्यान्वित हुआ होता तो भी मैं हत्याके निमित्त भड़-कानेके अपराधका अपराधी नहीं बनाया जा सकता। चारो अपराधी स्वेच्छासे आजाद हिन्द फौजमें भरती हुए थे और उसके अनुशासनको स्वीकार किया था और स्वेच्छासे भावी युद्धमें भाग ले रहे थे। उन्होंने युद्धके समय जब शत्रुके मुकाबले खड़े थे लज्जाजनक रूपसे भागनेकी चेष्टाकी। यह ऐसा अपराध था जो आजाद हिन्द फौज कानून और संसारके सारे सैनिक कानूनके अनुसार मृत्युदण्डके योग्य था।

जो सूचना वे शत्रुके पास ले जा रहे थे, उसका अर्थ मेरे अधीन सारी सेनाका पूर्ण विनाश था। दण्ड. उचित अदालती कारवाईके बाद, कानून द्वारा प्राप्त अधिकारके अनुसार दिया गया था।

यद्यपि आजाद हिन्द फौज भारतको स्वतन्त्र करनेके अपने प्रधान उद्देश्यमें असफल रहा, हममेंसे प्रत्येकको यह सन्तोष है कि वह मलाया, बर्मा तथा पूर्वी एशियाके अन्य भागोंमें आततायियोंके हाथसे भारतीय जान, माल और सम्मानकी रक्षा करनेमें पूर्ण सफल रहा। इस मुकदमेंके आरम्भ होनेके पश्चात् जो तार मुझे रंगूनके भारतीय ईसाई संघ और बर्मा भारतीय संघकी ओरसे मिला है, उसे प्रमाण स्वरूप इस बयानके साथ नत्थी कर रहा हूँ।

श्री गुरुबख्शसिंह ढिल्लो

देहरादूनके भारतीय सैनिक शिक्षालयमें मैंने सबसे पहले देश-सेवा करनेकी शिक्षा प्राप्त की। वहाँ चेटउड हालमें मोटे स्वर्णाक्षरोंमें लिखा हुआ है—"आपके देशका सम्मान, हित और सुरक्षा, सदैव और प्रत्येक समय पहल चीज है। जिस सेनाका आप संचालन करें उसके आदमियोंका सुख, सुरक्षा और हित उसके बाद है। और आपका सुख और सुरक्षा, सदैव और प्रत्येक समय सबसे पीछे है।

जबसे मैंने यह सूक्ति पढ़ा मेरे मनमें देश और उसके निवासियोंके प्रति कर्तव्यकी भावना हर समय प्रधान हो गया। मोर्चे पर मेरे सामने यही भाव रहे हैं कि मैं भारतीय सेनाके अफसरके नाते भारतकी सेवा कर रहा हूँ।

यह अफवाह सुनकर कि सिंगापुरका आत्मसमर्पण होने जा रहा है, जब मैं बिदादरी शिविरसे निकला मैंने हजारों भारतीयोंको एक खुले मैदानमें एकत्र होते देखा। उन्होंने भारतका राष्ट्रीय झण्डा फहरा रखा था। जब मैंने इसे एक अंग्रेज कर्नलको, जो मेरे साथ था, दिखाया तो बोला—"मैं उन्हें दोष नहीं देता। यदि हम रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें अपने को खुद देखना होगा।"

आगे लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंने सिङ्गापुरके पतन और प्रथम आजाद हिन्द फौजके निर्माणका उल्लेख करते हुए कहा—ब्रिटिश सरकारके, जिसने मलायाकी रक्षा भार ले रखा था, पूर्ण तैयारीके अभावमें जापानियोंके आक्रमणके पश्चात् वहाँके निवासियोंको किस प्रकारका कष्ट भोगना पड़ा यह मैंने अपनी आँखों देखा था। भारतपर आक्रमण होनेपर उसकी क्या अवस्था होगी, इसकी कल्पनासे मैं सिहर उठा और उसी समय मैं उस कयामतकी गुरुताको अच्छी तरह समझा सका जो डेढ़ शताब्दियोंके ब्रिटिश शासनमें उसपर बरपा की गयी है।

मैंने तब सोचा कि जहाँ अंग्रेजोंने हमारे देशके सभी भौतिक साधनोंको अपने लाभके लिए शोषण किया है और अपने साम्राज्यवादी युद्धोंमें हमारी जनशक्तिका स्वच्छन्द रूपसे उपयोग किया है वहीं उन्होंने न केवल हमारी मातृभूमिकी रक्षाके लिए कोई तैयारी नहीं की है, वरन् हमें सदैव गुलाम बनाये रखनेके लिए हमें नपुंसक भी बना दिया है।

मैंने अनुभव किया कि यदि भारत स्वतन्त्र होता और अपनी रक्षाकी व्यवस्था स्वयं कर सकता, तो कोई भी आततायी उसकी सीमाका अतिक्रमण करनेका साहस नहीं कर सकता था। मोहनसिंह द्वारा संघटित आज़ाद हिन्द सेनामें मुझे भारतके लिए एक नयी आशा दिखायी पड़ी। मैंने अनुभव किया कि इस अवस्थामें एक शक्तिशाली स्वेच्छित राष्ट्रीय सेना बनायी जा सके तो वह न केवल भारतको विदेशी शासनसे मुक्त कर सकेगी वरन जापानियोंके वचन भङ्ग करनेपर—हमें हमारी स्वतन्त्रतामें सहायक न होकर हमारे देशको अपने स्वार्थके लिए शोषण करनेकी चेष्टा करनेपर—उनका प्रतिरोध भी कर सकेगी।

ऐसी सेना सुदूरपूर्वमें अपने भाइयों और बहनोंकी अन्य जातियोंके अत्याचारसे रक्षा भी कर सकेगी। भारतमाता मुझे पुकारती जान पड़ी और मैंने उसकी पुकारको सुना और अपनेको मोहनसिंहके सहारे डाल दिया।

आगे सुभाषचन्द्र बसुके अधीन दूसरी आज़ाद हिन्द सेनामें बने रहनेके निश्चयका स्पष्टीकरण करते हुए लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंने कहा—जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी युद्धबन्दीके साथ आज़ाद हिन्द फौजमें भरती होनेके लिए जोर जबर्दस्ती नहीं की गयी। वस्तुतः ऐसे कार्यके लिए जोर जबर्दस्तीकी आवश्यकता भी न थी क्योंकि हमारे पास इतने अधिक स्वयंसेवक थे जिन्हें साधनके अभावके कारण न तो शस्त्र दे सकते थे और न शिक्षा। मैंने जितने भी व्याख्यान दिये, मैंने बराबर यही कहा कि यदि आप अपने देशसे प्रेम करते हैं और उसके हितके लिए सभी तरहके कष्टोंको भुगतनेके लिए समर्थ एवं तैयार हों तभी भरती हों। मैदानमें जाते समय भी मैंने अपने अधीन सैनिकोंको दुबारा चेतावनी दी थी; कुछ अफसर और सैनिकोंने अपनी अनिच्छा प्रकट की और लगभग २०० ऐसे आदमी मेरी रेजिमेण्टके भिगयानसे आगे बढ़नेके पूर्व ही, रंगून वापस भेज दिये गये।

सबूतपक्षके कुछ गवाहोंने बयान दिया है कि युद्धबन्दी नजरबन्दी अथवा एकान्त शिविरोंमें आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेके निमित्त तङ्ग किये जानेके लिए भेजे गये थे। यह बात सफेद झूठ है। वहाँ कोई एकान्त शिविर था ही नहीं। वहाँ एक नजरबन्दी शिविर अवश्य था जिसमें वे लोग, जो अनुशासन भङ्ग अथवा किसी अन्य अपराधके अपराधी होते, दण्ड स्वरूप भेजे जाते थे। किन्तु उस शिविरका कोई सम्बन्ध आजाद हिन्द फौजकी भरतीसे नहीं था। इसके विपरीत उस नजरबन्दी शिविरमें रहनेवाले लोग इच्छा प्रकट करनेपर भी वालिण्टियरके रूपमें स्वीकार नहीं किये जाते थे, क्योंकि उस शिविरमें किसी अवधिके लिए नजरबन्दीका अर्थ ही यह था कि उनमें कुछ चरित्रदोष हैं और वे आजाद हिन्द फौजमें भरतीके अयोग्य हैं। सबूतके इन गवाहोंने झूठ कहा हैं, कहानियाँ गढ़ी हैं ताकि उनकी जान बच जाय और सरकारसे उन्हें खुशनूदी प्राप्त हो।

यह सही है कि मैंने भागने और शत्रुसे सम्बन्ध स्थापित करनेके अभियोगमें विचारार्थ चार आदमियोंको भेजा गया था। किन्तु यह नितान्त असत्य है कि मेरे आदेश अथवा आज्ञासे उन्हें गोली मारी गयी। उस दिन और उस समय मैं अस्वस्थ था और चल फिर नहीं सकता था। वस्तुतः इन लोगोंके मृत्युदण्डको डिविजनल कमाण्डरने माफ कर दिया था और सजा कभी कार्यान्वित नहीं हुई।

जो कुछ भी मैंने किया, वह मैंने स्वतन्त्र भारतके अस्थायी सरकारके पूर्ण तथा संघटित सेनाके सदस्यकी हैसियतसे किया इस कारण किसी ऐसे कार्यके लिए, जो इस सेनाके सदस्यके नाते कर्तव्य पालनके समय किया गया भारतीय सेना और भारतीय फौजदारी कानूनके अनुसार न तो मुझपर अभियोग लगाया जा सकता और न मुकदमा चलाया जा सकता है।

मुझे यह भी बताया गया है कानूनकी दृष्टिसे फौजी अदालत द्वारा मेरा न्याय अवैध है। मैं आजाद हिन्द फौजमें सदुद्देश्यसे सम्मिलित हुआ था। आजाद हिन्द फौजके सदस्यकी हैसियतसे कितने ही युद्धबन्दियोंकी पैसे तथा वस्तुओंसे सहायता करनेमें मैं समर्थ हुआ था। आजाद हिन्द फौज सुदूरपूर्वमें रहनेवाले भारतीयोंकी जान माल और सम्मान रक्षामें सफल हुई थी।

मैंने जापानियोंको भारतके नागरिकों और उनकी सम्पत्तिपर बम बरसानेसे रोका और सफलता प्राप्त की। सुदूरपूर्वके भारतीयोंने आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारको करोड़ों रुपया देकर आजाद हिन्द फौजकी सेवाओंकी सराहना की थी।

युद्धबन्दियोंको यातना देनेकी बात एकदम निराधार है। अनेकबार मुझे १०-२० घण्टे बिना पानी और दो-दो तीन-तीन दिन बिना खानाके रहना पड़ा है। जब ब्रिगेड कमाण्डर की हैसियतसे मुझे इन कष्टोंको भोगना पड़ा था तो समझा जा सकता है कि मेरे सैनिकोंको और भी अधिक कष्ट उठाना पड़ा होगा फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया। कोई भी व्यक्ति जो दबाव या ज्यादती से भरती होता, ऐसा नहीं कर सकता था।

नम्रतापूर्वक मैं फिर कहता हूँ कि आजाद हिन्द फौजने उन ५० लाख भारतीयोंकी सराहनीय सेवा की जो भारतके अस्थायी स्वतन्त्र सरकारके प्रति श्रद्धानिष्ट थे, और आजाद हिन्दका कार्य देशभक्तिके भावोंसे भरा था।

८ दिसम्बर १९४५

सफाई पक्षकी गवाही

पहले गवाह—सब्रोरो ओहता

मैं जापानी परराष्ट्र विभागका अधिकारी हूँ और युद्धकाल भर मैं इस पद पर रहा। स्वतन्त्र भारतके अस्थायी सरकारकी घोषणा २१ अक्तूबर १९४३ को

की गयी। निप्पन (जापानी) सरकारने उसे स्वतन्त्र और स्वाधीन सरकार स्वीकार किया और यथासाध्य सहायता देनेकी इच्छा प्रकट की।

गवाहने २३ अक्तूबर १९४३ को जापानी सूचना विभागसे प्रकाशित घोषणाकी एक प्रति पेशकी जिसमें कहा गया है कि—"जापानी सरकार आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारको मानती है और घोषित करती है कि उसको उसके उद्देश्य पूर्तिके निमित्त यथाशक्ति सहायता दी जायगी।" और कहा कि मैंने इस घोषणाको लिखा था।

आगे गवाहने एक दूसरा वक्तव्य पेश किया जिसने जापानी सरकारने २३ अक्तूबरको दिया था। इसमें कहा गया है कि श्री सुभाषचन्द्र बसुके नेतृत्वमें आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारकी स्थापना हुई है और जापानी सरकारको विश्वास है कि यह इतिहास निर्माणका कदम भारतवासियोंकी स्वतन्त्रता प्राप्तिकी चिरआकांक्षाकी ओर ले जायगा। जापानी सरकार इसको आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारकी रूपमें स्वीकार करती है और घोषित करती है कि उसे अपने उद्देश्य पूर्तिके लिए यथाशक्ति सहायता देगी।

इसके बाद गवाहने जापानके प्रधान मन्त्री जनरल तोजोके उस व्याख्यान की प्रतिलिपि पेशकी जो उन्होंने बृहद्त्तर पूर्वी एशियाके राष्ट्रोंके सम्मेलनके सम्मुख ६ नवम्बर १९४३ को दिया था। इसनें उन्होंने कहा था—

"न केवल भारत वरन् समस्त बृहत्तर पूर्व एशिया, निसंदिग्ध रूपसे आजाद हिन्दके अस्थायी सरकारके हिज ऐक्सिलेंसी प्रधानके भाषणसे अत्यन्त प्रभावित हुआ है। हिज एसक्लिेंसीने यह स्पष्ट कर दिया है कि अस्थायी सरकारके अधीन भारतीय जनता, भारत और एशियाके भावी भाग्यको साथ लेकर, भारतकी स्वाधीनता, स्वतन्त्रता और समृद्धिकी चिरआकांक्षाओंकी पूर्तिके लिए दृढ़ताके साथ उठ पड़ी है।

जैसा कि विभिन्न वक्तव्योंमें कहा गया है जापान साम्राज्यकी इच्छा भारतको यथासाध्य प्रत्येक साधनसे सहायता देना है ताकि वह अपनेको अमेरिकन और अंग्रेजी जूआसे मुक्त कर सकें और अपनी चिरआकांक्षा-को पूरा कर सकें। अब तो आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारकी नींव और भी गहरी हो गयी है और भारतीय देशभक्त उक्त सरकारके अधीन अपने उद्देश्य पूर्तिके लिए दृढ़-निश्चय हैं। मैं इस अवसर पर यह घोषित करता हूं कि जापान सरकार भारतकी स्वतन्त्रताके युद्धमें सहायता करनेको तैयार है। इसके प्रमाण-स्वरूप वह शीघ्रही अन्दमान और नीकोबारके द्वीप तथा जापानियोंके अधीन भारतभूमिको आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारको सौंप देनेको तैयार है।

एडवोकेट जनरलने इस वक्तव्यको सबूत रूपमें स्वीकार करने पर आपत्ति करते हुए पूछा—क्या यह वक्तव्य अंग्रेजीमें दिया गया था ?

गवाह—वह जापानीमें दिया गया था। परम्पराके अनुसार वह तत्कालही उसका अंग्रेजी और चीनीमें अनुवाद कर लिया गया। मैं उस सम्मेलनमें उपस्थित नहीं था किन्तु सम्मेलनकी कारवाई बराबर परराष्ट्र विभागके दफ्तरमें आती रही।

जज एडवोकेटके पूछनेपर गवाहने कहा—जहाँ तक मैं जानता हूं, अनुवाद ठीक है। मैंने मूल जापानी रिपोर्ट और अंग्रेजी अनुवाद देखा है। सम्मेलनमें किये गये सभी भाषणोंका विभिन्न भाषाओंमें अनुवाद हुआ था।

आगे गवाहने कहा—जापानी सरकारने अपना राजदूत भेजनेका निश्चय किया और श्री हचिया आजाद हिन्दके अस्थायी सरकारके राजदूत नियुक्त हुये। इस विषयमें परराष्ट्र विभागमें जो कागजात हैं वे सही हैं।

एडवोकेट जनरलके जिरह करनेपर गवाहने कहा—परराष्ट्र विभागमें १९२८ से हूं।

एडवोकेट जनरल—क्या आपको मालूम है कि युद्ध आरम्भ होनेसे बहुत पहलेसे तोकियो आजाद हिन्द संघकी एक शाखा थी ?

गवाह—मुझे याद नहीं।

एडवोकेट जनरल—जब सद्भावना मण्डल आया था आप उस समय अपने पदपर थे ?

गवाह—मैं परराष्ट्र विभागमें था पर सद्भावना मण्डलसे मेरा कोई सरोकार नहीं था।

एडवोकेट जनरल—आपको मालूम है कि रासबिहारी बसु तथा अन्य लोग जापानी सरकारसे अपने आन्दोलनमें सहायता मांग रहे थे ?

गवाह—मैंने इस सम्बन्धमें कोई सरकारी कागज नहीं देखा है पर अख-बारोंमें पढ़ा है।

श्री भूलाभाई देसाई—अखबारोंसे गवाहोंको जानकारी हुई, वह कोई गवाही नहीं है।

अदालतने आपत्ति मानली।

आगे गवाहने कहा—बंकाक सम्मेलनके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानता। अन्दमान और नीकोबारके सम्बन्धमें जापानी सरकारने क्या काररवाई की यह भी मुझे पता नहीं।

दूसरे गवाह—श्री सुमीची मत्सुमोतो

मैं परराष्ट्र विभागका उपमन्त्री नवम्बर १९४२ से अक्तूबर १९४४ तक और फिर मई १९४५ से युद्ध समाप्ति तक था। उपमंत्री होनेसे पूर्व मैं सन्धि विभागका डाइरेक्टर था। इस विभागका सम्बन्ध विदेशी देशोंसे सन्धि आदिसे है। मुझे आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारकी स्थापनाकी बात मालूम है। आजाद हिन्द सरकारको स्वीकार करनेवाली घोषणाकी प्रतिलिपि, जो पेशकी गयी है, ठीक है। मैंने तोकियोके परराष्ट्र विभागमें उसकी मूल प्रति देखी थी।

भारतकी अस्थायी सरकारको कोरिया, मंचूरिया, जर्मनी, इटली, चीन, थाइलैंड, फिलिपाइन्स और बर्माकी सरकारोंने स्वीकार किया था। मैं ६ नवम्बर १९४३ को वृहत्तर पूर्व एशियाके राष्ट्रोंके सम्मेलनमें उपस्थित था, उस समय जनरल तोजोने उसके सामने भाषण किया। अदालतमें उनके भाषणकी जो प्रति पेशकी गयी है वह ठीक है।

एडवोकेट जनरल—क्या आपको मालूम है कि मार्च १९४२ में तोकियोमें एक सभा सद्भावना मण्डलकी सभाके नामसे हुई थी?

गवाह—कुछ याद आता है कि सद्भावना मण्डलकी सभा हुई थी पर कब हुई थी याद नहीं, उसमें क्या हुआ यह मुझे पता नहीं।

एडवोकेट जनरल—क्या आप बता सकते हैं कि युद्ध आरम्भके बहुत पहलेसे जापान सरकार आजाद हिन्द संघके कार्योंको प्रोत्साहित करती थी?

गवाह—इसके सम्बन्धमें मुझे कुछ भी पता नहीं है।

एडवोकेट जनरल—क्या युद्धके बहुत पहलेसे जापान सरकारकी यह नीति रही है कि भारतमें अशान्ति पैदा की और उसे प्रोत्साहित किया जाय।

गवाह—इस प्रकारके किसी नीतिके सम्बन्धमें भी मुझे कुछभी मालूम नहीं है।

एडवोकेट जनरल—क्या आप बता सकते हैं कि आजाद हिन्दके अस्थायी सरकारके स्वीकार करनेका प्रश्न कब उठा था?

गवाह—अक्तूबर या नवम्बर १९४३ में।

एडवोकेट जनरल—मैं आपको बताऊँ कि मार्च १९४२ में मलायाके आजाद हिन्द संघके सदस्योंने जापान सरकारसे अनुरोध किया था कि आजाद हिन्दके अस्थायी सरकारको स्वीकार करें और जापानके मित्रोंसे स्वीकार करावें।

गवाह—मुझे पता नहीं?

एडवोकेट जनरल—आप सुभाषचन्द्र बसुको जानते हैं?

गवाह—मैं जानता हूँ। पहले पहल मैं अप्रैल १९४३ में जब वे जर्मनीसे आये थे, अपने सरकारी निवासपर उनसे मिला था।

एडवोकेट जनरल—क्या जापान सरकारने उन्हें जर्मनीसे भेजनेके लिये जर्मन सरकारसे कहा था ?

गवाह—जापान सरकारने जर्मन सरकारसे उनके जापान भेजे जानेकी व्यवस्था की थी।

एडवोकेट जनरल—जापान सरकारने ऐसी व्यवस्था जर्मन सरकारके साथ क्यों की ?

गवाह—जापान सरकारको मालूम था कि सुभाषचन्द्र बसु भारतकी आजादीके लिये चेष्टा कर रहे हैं। उसने समझा कि वे युद्धमें जापानकी सहायता करेंगे साथ ही साथ वह भारतकी आजादी प्राप्त करनेमें उनकी सहायता करना चाहती थी।

एडवोकेट जनरल—तो आपके कहनेका मतलब है कि जापान सरकारने ऐसा बिना किसीके कहे स्वयं किया।

गवाह—जापान सरकारने स्वतः किया।

एडवोकेट जनरल—जापान सरकारने इसे युद्ध जीतनेका उपाय समझा ?

गवाह—जापानके युद्धोद्देश्योंकी सहायताके लिये किया गया।

एडवोकेट जनरल—जब सुभाषबसु बुलाये गये तब जापान सरकारको मालूम था कि वे आजाद हिन्दके अस्थायी सरकार और आजाद हिन्द फौजके प्रधान बनाये जायँगे।

गवाह—जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सुभाषबाबू अस्थायी सरकारके प्रधान बनाये जानेवाले थे।

एडवोकेट जनरल—वे कब जापान आये ?

गवाह—अप्रैल १९४३ के लगभग।

एडवोकेट जनरल—आपने भावी अस्थायी सरकारके बारेमें कब सुना ?

गवाह—अप्रैल १९४२ के लगभग। जापान सरकारको मालूम था कि ऐसी सरकार बनने जा रही है और सुभाषचन्द्र बसु उसके प्रधान होंगे और जापान सरकार उसे स्वीकार करेगी और उसकी सहायता करेगी।

एडवोकेट जनरल—स्वतन्त्र भारत सरकारकी स्वीकृति जापानकी राजनीतिका एक अङ्ग था ?

गवाह—जापान सरकार केवल इस नाते आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारको स्वीकार करना चाहती थी कि उससे जापानके युद्धोद्योगमें सहायता मिलेगी।

एडवोकेट जनरल—जापानने ही अपने मित्रोंसे आजाद हिन्दके अस्थायी सरकारको स्वीकार करनेको कहा ?

गवाह—जापानने अपने मित्रोंसे अस्थायी सरकारको स्वीकार करनेको कहा और उन्होंने उसे स्वीकार किया ?

आगे गवाहने कहा—आजाद हिन्द सेनाका स्वतन्त्रताके निमित्त युद्ध पूर्णतया स्वतन्त्र था, उसपर जापानका नियन्त्रण नहीं था।

श्री भूलाभाई देसाई—भारतके सम्बन्धमें जापानकी युद्धनीति क्या थी ?

गवाह—जापानकी भारत सम्बन्धी युद्धनीति भारतको स्वतन्त्र करना था।

पश्चात् अदालत शनिवार तकके लिए उठ गयी।

---

१० दिसम्बर १९४२

तीसरे गवाह—श्री रेंजु सवादा

मैं अक्तूबर १९४४ से मई १९४५ तक उप-पराराष्ट्र-मन्त्री था। जब मैं उप-पराराष्ट्र-मन्त्री था तब मुझे अस्थायी आजाद हिन्द सरकारके बारेमें मालूम

था और उस सरकारमें एक जापानी राजदूतकी नियुक्तिकी ओर मेरा ध्यान था। नवम्बर १९४४ में निश्चय हुआ कि आजाद हिन्द सरकारके पास राजदूत रहे और टी० हचिया राजदूत नियुक्त किये गये। श्री हचिया मार्च १९४५ में अस्थायी आजाद हिन्द सरकारके सदर मुकाम रंगून पहुँचे।

एडवोकेट जनरलके जिरह किये जानेपर गवाहने कहा—मैं उप-पराष्ट्र मन्त्री कालमें तोकियो ही रहा। आजाद हिन्द सरकारके पास राजदूत भेजनेके सम्बन्धमें जापान सरकारने सरकारी गजटमें सार्वजनिक घोषणा की थी।

एडवोकेट जनरल—मार्च १९४५ में रंगून पहुँचनेके बाद आपको उनका कोई पत्र मिला था।

गवाह—हाँ, वह पत्र तोकियोमें है।

एडवोकेट जनरल—जब श्री हचिया रंगून भेजे गये तो उन्हें कोई पत्र या प्रमाणपत्र दिया गया था?

गवाह—आरम्भमें श्री हचियाको जापान सरकारके प्रमाण-पत्रोंके साथ नहीं भेजा गया था क्योंकि आजाद हिन्द सरकार अस्थायी थी, लेकिन बादमें श्री हचियाके रंगून जानेपर श्री सुभाषचन्द्र बोसके निर्देशानुसार प्रमाणपत्र जापान सरकारने देनेका निश्चय किया। इन प्रमाणपत्रोंपर जापान सम्राटके बाकायदा दस्तखत थे और मई १९४५के मध्यमें भेजे गये। लेकिन डाककी अनियमित व्यवस्थाके कारण ये प्रमाणपत्र उनके पास न पहुँचे।

रंगून पहुँचनेपर श्री हचिया अस्थायी आजाद हिन्द सरकारके पराष्ट्र मन्त्रीसे मिले और बदलेमें उस सरकारके परराष्ट्र-मन्त्री भी उनसे मिलने आये थे। श्री हचियाने मुझसे जो कुछ कहा उसीसे मुझे यह बात ज्ञात हुई। मैं यह नहीं जानता कि श्री हचियाने आजाद हिन्द सरकारके साथ किस प्रकारका कार्य किया था लेकिन श्री हचिया राजदूतका कार्य करनेके अधिकारी थे।

आगे चलकर गवाहने कहा—मुझे यह ज्ञात है कि श्री सुभाषचन्द्र बसुने श्री हचियासे इसलिए मिलना अस्वीकार कर दिया कि उनके पास प्रमाण-पत्र न थे।

आगे गवाहने कहा—३ मईको रंगूनमें अंग्रेजी सेनाने प्रवेश किया। ३० अप्रैलतक जापानी सेनाने रंगून खाली कर दिया था। और सुभाषचन्द्र बसु स्वतः रंगूनसे २४ अप्रैलको चले गये थे। श्री हचियाने अप्रैलके अन्तमें रंगून छोड़ दिया।

एडवोकेट जनरल—रंगून छोड़नेके बाद श्री हचिया कहाँ गये यह आपको नहीं मालूम?

गवाह—वे बङ्काक चले गये। युद्ध समाप्त होनेतक अर्थात् अगस्तके मध्य-तक रहे।

चौथे गवाह—श्री तेसरो हचिया

जापान सरकारने मुझे अस्थायी आजाद हिन्द सरकारके पास राजदूतके रूपमें भेजा था। मैं मार्च १९४५ में रंगून पहुँचा और अस्थायी आजाद हिन्द सरकारके परराष्ट्र मन्त्री कर्नल चटर्जीसे मिला। मैं रंगूनमें २४ अप्रैल १९४५ तक रहा। मुझे श्री आयर भी मिले जो कि आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकार के सदस्य थे। रंगूनसे मैं बङ्काक गया और आजाद हिन्द सरकार भी बङ्काक चली गयी। मैं दिल्ली लाये जानेतक बङ्काकमें ही रहा।

श्री भूलाभाई देसाई—जब आप रंगून आये तो अपने साथ कोई प्रमाण पत्र लाये थे?

गवाह—जब मैं रंगून आया तो अपने साथ कोई प्रमाणपत्र नहीं लाया था। लेकिन रंगून पहुँचते ही मैं आजाद हिन्द सरकारके परराष्ट्र-मन्त्री कर्नल चटर्जीसे मिला। रंगून जानेके पूर्व मैं तोकियोमें था। जापानी परराष्ट्र-मन्त्री श्री शिगेमित्सुने मुझे रंगून जानेका हुक्म दिया।

आगे अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा—आजाद हिन्द सरकारके पास भेजे जानेके पूर्व मैं जापानी दूतावासमें था। मैं रंगून अपने साथ कोई प्रमाणपत्र नहीं ले गया क्योंकि मुझे नहीं दिये गये थे। आजाद हिन्द सरकार एक अस्थायी सरकार थी, इसलिये प्रमाणपत्र नहीं दिये गये थे और यह मुझे बता दिया गया था। बादमें मुझे तार मिला कि प्रमाणपत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन वे मुझे न मिले।

एडवोकेट जनरल—जब आप रंगूनके लिए रवाना हुये तो अपने साथ कोई कागज लें गये ?

गवाह—नहीं।

एडवोकेट जनरल—श्री सुभाषचन्द्र बसुने आपसे मिलनेसे इनकार कर दिया ?

गवाह—हाँ. इसलिए नहीं मिले कि मेरे पास प्रमाणपत्र नहीं थे। कर्नल चटर्जीने इसके बारेमें मुझे बताया।

एडवोकेट जनरल—तब आपने जापान प्रमाण-पत्र भेजनेके लिए तार दिया।

गवाह—श्री बसुके कर्नल चटर्जीके मार्फत कहलानेपर मैंने तोकियो तार दिया। रंगून पहुँचनेके ४-५ दिन बाद मैंने तार दिया था। जापान सरकारका तार मिला कि प्रमाण-पत्र जा रहे हैं। जब मैं बङ्काकमें था तो फिर तार मिला था कि प्रमाणपत्र भेजे गये हैं। मुझे तारीख याद नहीं है पर वह शायद मईका अन्त या जूनका प्रारम्भ था। मैंने रंगून तीन आदमियोंके साथ छोड़ा जिनमें मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी और दुभाषिया भी थे। मुझे पता नहीं कि जापानी फौजने कब रंगून खाली करना आरम्भ किया, पर सुना कि जापानी सेनाके सदर मुकामका कुछ भाग खाली हो रहा है।

पाँचवे गवाह—मेजर जनरल तादाशी काताकुरा

मैं १९४३में रंगून स्थित जापानी जिनरल हेडक्वार्टरमें चीफ आव स्टाफ था। यद्यपि मैं विशेष नहीं जानता तथापि मुझे आजाद हिन्द फौज और आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारकी स्थापनाके सम्बन्धमें जाननेका मौका मिला था। जुलाई १९४३में रंगूनमें श्री सुभाषचन्द्र बसुने मुझे आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारकी स्थापनाका कारण बताया।

गवाहने आगे कहा—दक्षिणी जापानी सेनाके कमाण्डरकी आज्ञासे मैंने इम्फलके आक्रमणकी योजना बनायी थी। आजाद हिन्द फौज जापानियोंसे भिन्न एक सेनाके रूपमें लड़ी और वह भारतकी स्वतन्त्रताके लिये लड़ रही थी। जापानियोंके नियन्त्रणमें इम्फल आक्रमणमें आजाद हिन्द फौजको अलग कार्य सौंपा गया था। आजाद हिन्द फौजकी प्रथम गुरिल्ला रेजिमेण्टकी पहली टुकड़ी जनवरी १९४४ में रंगून पहुँची और कप्तान शाहनवाज उसके कमाण्डर थे। मैं समझता हूँ कि यह रेजीमेण्ट फरवरी या मार्च १९४४ में मोर्चेपर गयी। मैं समझता हूँ कि शाहनवाजके रेजीमेण्टके साथ एक जापानी सम्पर्क अफसर थे। सेना सञ्चालन शाहनवाजके हाथोंमें था।

श्री भूलाभाई देसाई—आजाद हिन्द फौज तथा जापानी सेनाके संयुक्त सञ्चालनके सम्बन्धमें क्या व्यवस्था थी या उसके बारेमें क्या समझौता हुआ था ?

गवाह—जब कोई आक्रमणात्मक कारवाई नहीं होती थी तो साधारणतः आजाद हिन्द फौज तथा जापानी बिल्कुल स्वतन्त्र थे। जब आक्रमण चलता तो दोनों जापानी कमानके नीचे रहते।

श्री भूलाभाई देसाई—जब जापानियोंने भारतीय सीमामें प्रवेश किया, उस समय आजाद हिन्द फौज या जापानियों द्वारा विजित भारतीय प्रदेशका क्या होगा इस सम्बन्धमें कोई व्यवस्था हुई थी? आपको मालूम है ?

गवाह—व्यवस्था यह थी कि जिस भी प्रदेशपर भारतमें अधिकार किया जायेगा वह आजाद हिन्द फौजको दे दिया जायेगा।

श्री भूलाभाई देसाई—जो प्रदेश जीतकर आजाद हिन्द फौजको दिये गये उनके सम्बन्धमें आजाद हिन्द फौज और जापानी अधिकारियोंमें कोई समझौता हुआ था ?

गवाह—उसकी व्यवस्था अस्थायी सरकार करेगी।

श्री भूलाभाई देसाई—अधिकृत प्रदेशमें लूटके मालकी क्या व्यवस्था थी ?

गवाह—अस्थायी सरकारको दे दी जायेगी।

श्री भूलाभाई देसाई—आपको उस घोषणापत्रके सम्बन्धमें कुछ मालूम है जो जापानी और आजाद हिन्द फौजके भारतकी सीमामें प्रवेश करनेपर किया गया था ?

गवाह—एक घोषणापत्रपर सुभाषचन्द्र बसुके और दूसरे पर जापानी जनरलके हस्ताक्षर थे। जापानी घोषणापत्रमें कहा गया था कि जापानी लोग अंग्रेजोंसे लड़ने जा रहे हैं, भारतीयोंसे नहीं। और स्वतन्त्र किये गये क्षेत्रसे जो माल प्राप्त होगा वह अस्थायी सरकारको दे दिया जायेगा। सुभाष-बसुके हस्ताक्षर वाले घोषणापत्रमें कहा गया था कि हमलोग भारतकी स्वतन्त्रताके लिए लड़ रहे हैं। जापानियों द्वारा अधिकृत सारी भूमि भारतवासियों को दे दी जायगी। मैं उन घोषणापत्रोंको इस समय पेश करनेमें असमर्थ हूँ।

श्री भूलाभाई देसाई—इम्फल क्षेत्रके संयुक्त सञ्चालनके सम्बन्धसे कोई व्यवस्था थी ?

गवाह—इम्फलके युद्धसे पूर्व आजाद हिन्द फौजके अधिकारी और जापानी अफसर जिनमें मैं भी था, एकत्र हुए और व्यवस्था तैयार की। हमलोगोंने एक संयुक्त कमेटी बनायी। उस व्यवस्थाकी खास बातें सूचनाका आदान प्रदान तथा युद्धसे पूर्व सेना भेजने आदिके सम्बन्धकी थीं। यही बातें इस

समय मुझे याद आ रही हैं। जापानी और आजाद हिन्द फौजके अफसर अक्सर मिला करते थे।

एडवोकेट जनरलके जिरह करनेपर गवाहने कहा—मैं अक्तूबर १९४२में जापानी जनरल हेडक्वार्टरका चीफ आफ स्टाफ होकर गया। वहाँ मैं अक्तूबर १९४२ से अप्रैल १९४४ तक रहा। २३ अप्रैल १९४४ के लगभग मैं उत्तरी वर्मा और सालविन नदीके क्षेत्रमें चला गया। मैं जुलाई १९४४ तक मोर्चेके स्टाफ अफिसर इन्चार्जके पदपर रहा। अक्तूबर १९४२ से जूलाई १९४४ तक मैं रंगून और मेम्योंमें रहा उसके बाद मेरा सम्बन्ध वर्मा स्थित जापानी फौजसे नहीं रहा। इम्फलकी रण-योजना जनवरी १९४४ में बनी थी पर मार्च १९४४ में कार्यान्वित हुई।

एडवोकेट जनरल—जनवरी १९४४ में वर्माके आजाद हिन्द फौजकी संख्या १०,००० थी।

गवाह—अधिकसे अधिक १०,०००।

आगे गवाहने बताया कि—जनवरी १९४४में तय हुआ कि आजाद हिन्द फौजको इम्फलके मोर्चेमें भाग लेना चाहिये। जापानी फौजने कभी आजाद हिन्द फौजसे कुलीका काम नहीं लिया।

आगे गवाहने कहा कि आजाद हिन्द फौजके अफसर रंगूनसे ब्राडकास्ट करते थे। जापानी अधिकारियोंने न तो आजाद फौजके अफसरोंसे ब्राडकास्ट करनेको कहा और न यही कहा कि वे जापानी योजनाके अनुसार ब्राडकास्ट करें। जापानी और आजाद हिन्द फौजके अधिकारी एक दूसरेको सलाम करते थे। मैंने एक ऐसी रिपोर्ट देखी थी कि आजाद हिन्द फौजने भारतकी सीमामें प्रवेश किया है। कप्तान शाह नवाजको जो कार्य दिया गया था वह महत्वपूर्ण सैनिक कार्य था। जापान सरकार और सुभाषचन्द्र वसुने कप्तान शाह नवाज-

को बधाईका सन्देश भेजा था। उनमें भारतकी सीमा पार कर लेनेपर आजाद हिन्द फौजको बधाई दी गयी थी।

पश्चात् अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी।

---

११ दिसम्बर १९४६

छठें गवाह—श्री एस० ए० अय्यर

सन् १९४१में जब जापानियोंने युद्धकी घोषणा की, मैं बंकाकमें था। १० दिसम्बरको मैंने बंकाक छोड़कर बर्माके रास्तेसे वापस भारत जानेका प्रयत्न किया, लेकिन सीमा बन्द पाया और मुझे बंकाक लौटना पड़ा। जून १९४२ में वहाँ थाइलैंड, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, हिन्दचीन, जावा, सुमात्रा, फिलीपाइन, शंघाई व जापानके भारतीयोंका एक सम्मेलन बुलाया गया था। इन देशोंकी भारतीय जनसंख्या २५ व ३० लाखके बीच है। मैं इस सम्मेलनमें एक दर्शकके रूपमें उपस्थित था।

जुलाई १९४२में मैं पूर्वी एशियाके आजाद हिन्द फौजके सदरमुकाममें शामिल हो गया, जो बंकाकमें स्थापित किया गया था। जहाँ तक मुझे मालूम है इस संघका प्रारम्भिक उद्देश्य भारतकी स्वतन्त्रता प्राप्त करना था। मुझे स्वतन्त्रता संघके सदरमुकाममें प्रचार-विभागका कार्यभार सौंपा गया।

फरवरी १९४३के अन्तमें बंकाकसे सिंगापुर चला गया। वहाँ मैं आजाद हिन्द फौजके अध्यक्ष श्री रासबिहारी बसुसे मिला। श्री बसुने मुझसे कहा कि मैंने संघका सदरमुकाम बंकाकसे सिंगापुर हटानेका निश्चय किया है। सदरमुकाम अप्रैल १९४३में सिंगापुर हटाया गया और मैंने बंकाकमें अपने कर्मियोंको आवश्यक हिदायतें दीं।

गवाहने आगे कहा कि आजाद हिन्द संघकी बर्मा, थाईलैण्ड, जावा, सुमात्रा, फिलीपाइन, शंघाई, हांगकांग व जापानमें शाखाएँ थीं। इन सब देशोंमें संघके नियमित सदस्य थे। सदस्योंकी कुल संख्या लगभग २,७५,००० थी।

श्री सुभाषचन्द्र बसु २ जुलाई १९४३को सिंगापुर आये और ४ जुलाईको आजाद हिन्द संघकी शाखाओंके प्रतिनिधियोंका एक सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलनमें श्री रासबिहारी बसुने संघकी अध्यक्षता नियमित रूपसे नेताजी सुभाषचन्द्र बसुको सौंप दी। मैं उस सम्मेलनमें मौजूद था। जब श्री रासबिहारी बसुने आगत प्रतिनिधियोंसे यह कहा कि मैं संघका सभापतित्व नेताजी श्री सुभापचंद्र बसुको सौंप रहा हूँ, तब तुमुल करतल-ध्वनि की गयी। नेताजीने अपने भाषणमें एक महत्वपूर्ण घोषणा की। वह घोपणा यह थी कि मैं शीघ्रातिशीघ्र स्वतन्त्र भारत की एक अस्थायी सरकार स्थापित करना चाहता हूँ। इस घोषणा का भी गगनभेदी करतल-ध्वनियों से स्वागत किया गया।

श्री भूलाभाई देसाई—क्या सुभाषचन्द्र बसुके प्रस्ताव पर आम बहस हुई थी?

गवाह—हाँ उसपर स्वतन्त्रतापूर्वक बहस की गयी थी।

गवाहने आगे कहा—२१ अक्तूबर १९४३को सिंगापुरमें संघके प्रतिनिधियोंका एक सम्मेलन और हुआ। उस सम्मेलनमें मैं भी उपस्थित था। नेताजी सुभाषचन्द्र बसुने आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारके निर्माणकी घोषणा की और इस घोषणाका करतल-ध्वनिके साथ स्वागत किया गया। इस सरकारके सदस्योंके नामोंकी घोषणा करनेके बाद नेताजीने भारतके प्रति भक्तिकी शपथ ग्रहण की। उसके बाद सरकारके अन्य सदस्योंने भारत और नेताजी सुभाषचन्द्र बसुके प्रति भक्तिकी शपथ ग्रहण की। अन्तमें लोगोंने सुभाषचन्द्र बसुकी जय और आरजी हुकूमत आजाद हिन्दकी जयके नारे लगाये।

गवाहने आगे बताया कि संघकी मलाया शाखाकी ओरसे नियमित मासिक बुलेटिन प्रकाशित होती थी। दिसम्बर १९४३ के अंकमें संघकी शाखाओंके लिए आदेश दिये गये थे। उसमें लिखा था—आजसे पूर्व एशिया के भारतीय विदेशी शासककी प्रजा नहीं हैं। उन्हें आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारके नागरिक होनेका गौरव प्राप्त है। यह बात मलायानिवासी अन्य भारतीयोंके मनमें घर कर जाय और अपने समाजकी नयी स्थितिके प्रति लोग पूर्ण उत्तरदायित्वको समझने लगें, इसलिए निश्चय किया गया है कि आजाद हिन्द संघका प्रत्येक सदस्य आजाद हिन्द की अस्थायी सरकारके प्रति भक्तिका शपथ ग्रहण करे। इस सम्बन्धकी विस्तृत हिदायतें शपथपत्रके साथ शाखाओंको भेज दी गयी हैं।

प्रत्येक सदस्यको शपथ ग्रहण करनेके पश्चात् 'शपथ ग्रहणका पत्र' दिया जायेगा और आजाद हिन्द संघकी सदस्यताका कार्ड शपथ ग्रहण करानेवाला अधिकारी वापस लेकर नष्ट कर देगा। अपनी इस सरकारके प्रति भक्तिका अधिकार केवल आजाद हिन्द संघके सदस्योंको होगा क्योंकि जो भारतीय आजाद हिन्द संघका सदस्य नहीं है वह सच्चा भारतीय नहीं कहा जा सकता। जैसा कि नेताजीने अपने २५ अक्तूबरके भाषणमें कहा है—"हम उन्हें भारतीय अथवा मित्र नहीं समझ सकते। उनके लिए भारतमें कोई स्थान नहीं है।" शपथ ग्रहण करनेवालोंकी संख्या जून १९४४ तक २,३२,५६२ थी।

अस्थायी सरकारने पूर्वी एशियाके भारतीयोंसे चन्दा एकत्र किया था और यह धन बर्मामें आजाद हिन्द बैंकमें जमा किया जाता था। चन्दा नकद और वस्तुओं में मिलता था, जिनमें खानेका सामान, बर्तन तथा ऐसी चीजें होती थीं जो आजाद हिन्द फौज के काम आ सकती थीं।

मैं अस्थायी आजाद हिन्द सरकारका प्रचार मन्त्री था। इस अस्थायी सरकारने ब्रिटेन और अमेरिकाके विरुद्ध युद्ध घोषित किया। इस सरकारका

मलायाके भारतीयोंकी ओरसे विशेष स्वागत हुआ था। मलायाके भारतीय स्वतन्त्रताके लिए लड़नेको तो तैयार थे ही, आजाद हिन्द फौज और सरकार की स्थापनासे वे अपनेको सुरक्षित समझने लगे थे। इस अस्थायी सरकारने भारतीयोंके लिए राष्ट्रीय शिक्षा, औषधि आदिकी सहायताका भी प्रबन्ध किया था। आजाद हिन्द सरकारने अपनी फौजको भारतीयोंकी सर्वत्र और सभी अवस्थामें रक्षा करनेका आदेश दिया था।

आगे गवाहने बैंकके चेयरमैन श्री दीनानाथका एक वक्तव्य पेश किया जिसके बैंकमें अनुसार सरकारके खातेमें ३१ जुलाई १९४४ तक १५,३५४, १०४ डालर जमा थे। गवाहने बताया कि लड़ाईके पहले १ डालर १ रुपयेसे भी अधिक मूल्यका था। चन्देमें ५३,४३,९५६ डालर नगद और ८६,३१० डालरके आभूषण मिले थे। श्री दीनानाथ बैंकके बोर्ड आव डाइरेक्टर्सके चेयरमैन थे।

जब सुभाष बसु आजाद हिन्द संघके अध्यक्ष हुए तो उन्होंने आजाद हिन्द फौजका नेतृत्व अपने हाथमें लिया और वे आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति हो गये।

आजाद हिन्द फौजमें सैनिक स्वेच्छासे भरती होते थे। भरती होनेवालों-की संख्या हमेशा इतनी अधिक रहती थी कि उन सबको ट्रेनिङ्ग या शस्त्र नहीं दिये जा सकते थे। फौजके लिए ट्रेनिङ्ग कैम्प सुभाष बसुके आनेके २, ३ महीने बाद खोले गये थे। सिंगापुरमें नागरिक शासकोंकी शिक्षाके लिए भी एक ट्रेनिङ्ग स्कूल नेताजीके सिंगापुर आनेके कुछ दिन बाद खोला गया था।

निप्पन (जापानी) सरकार और आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारमें समा-नताका सम्बन्ध था। मैं सुभाष बसुके साथ अप्रैल १९४४ से अप्रैल १९४५ तक था। कमसे कम दो तीन ऐसे उदाहरण मुझे मालूम हैं जब अस्थायी सरकारने अपनी यह हैसियत कायम रखी थी। मार्च १९४४में एक सम्मेलन

हुआ था जिसमें श्री सुभाषचन्द्र बसु और कुछ जापानी अफसर शामिल हुए थे। मैं भी उपस्थित था। भारत भूमिपर युद्ध करनेके लिए युद्ध समिति बनानेकी बात थी। जापानियोंने सुझाव दिया कि युद्ध समितिका अध्यक्ष कोई जापानी हो। नेताजीने इसका विरोध किया। जापानियोंका कहना था कि सुविधाकी दृष्टिसे जापानी अध्यक्ष आवश्यक है। लेकिन नेताजीने सिद्धान्ततः उसका विरोध किया और कहा कि मैं ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं कर सकता जो भारतके सम्मान, प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रताके बीच आती हो। उनका सुझाव यह था कि या तो कोई भारतीय अध्यक्ष हो या फिर कोई न हो क्योंकि भारतीय और जापानियों दोनों की हैसियत बराबर है। नेताजी अपनी बात रखनेमें सफल हुए और कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया।

एक और उदाहरण है जहाँ आजाद हिन्द फौज अपनी बात रखनेमें सफल हुई। एक दूसरी सभामें जिसमें जापानी और अस्थायी हिन्द सरकारके प्रतिनिधि उपस्थित थे, जापानियोंने कहा कि अच्छा होगा यदि रसद और सेनाके मन्त्रीकी नियुक्ति की सूचना पहलेसे दे दी जाया करे क्योंकि उसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे जापानी युद्धोद्योगसे है। किन्तु नेताजीने कहा कि यह आजाद हिन्द सरकारका एकमात्र आन्तरिक मामला है। फिर भी नियुक्तिके पश्चात् सौजन्य स्वरूप हमें सूचित करनेमें कोई आपत्ति न होगी। अन्ततः नेताजीने इस आनको कायम रखा।

एक अन्य उदाहरण, सुभाष बसुने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतकी जीती हुई भूमिमें जापानी कम्पनियाँ नहीं आने दिया जायेगा। आजाद हिन्द बैङ्कके अतिरिक्त वहाँ और कोई बैङ्क काम नहीं कर सकेगा।

आजाद हिन्द सरकारके चार रेडियो स्टेशन थे। प्रचार मन्त्रीके नाते उनके सञ्चालनका भार मुझपर था। उनपर कोई बाहरी नियन्त्रण नहीं था। बङ्गालके अकालके समय सुभाषचन्द्र बसुने आजाद हिन्द सरकारकी ओरसे

बङ्गालको १ लाख टन गेहूँ देनेको तैयार थे पर उनका यह प्रस्ताव अंग्रेजोंने स्वीकार नहीं किया।

आजाद हिन्द फौजमें युद्धबन्दियोंके अतिरिक्त मलायाके बहुतसे नागरिक भी थे। उनसे कुछ कम संख्यामें बर्माके और थोड़ी संख्यामें पूर्वी एशियाके लोग थे।

एडवोकेट जनरलके जिरह करनेपर गवाहने कहा—दिसम्बर१९४३में बंकाकमें मैं पत्रसम्वाददाता था। मैं बङ्काक सम्मेलनमें मौजूद था। उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें पूर्वी एशियामें जापानी साम्राज्यवादी नीति को स्पष्ट करनेकी माँगकी गयी थी। जापानियोंने नीति स्पष्टकी या नहीं मुझे नहीं मालूम उसने जो कार्यसमिति भी नियुक्त की थी उसके कामोंका मुझे पता नहं, और न यही जानता हूँ कि सिवा अध्यक्ष श्री रासविहारी बसुके इस समितिके किसी अन्य सदस्यने इस्तीफा दिया। मैं १९४३में बङ्काकमें था। उस समय तक रासविहारी बसु सिंगापुर चले गये थे।

मुझे याद है कि एक प्रस्तावमें जापान सरकारसे प्रार्थनाकी गयी थी कि पूर्वी एशियामें भारतीय जो अपनी सम्पत्ति छोड़ गये हैं वह आजाद हिन्द सङ्घके संरक्षणमें दे दी जाय। बर्मामें भारतीयोंकी सम्पत्ति को जापान सरकारने 'भारतीय अरक्षित सम्पत्ति समिति' को सौंप दिया था, जो आजाद हिन्द सङ्घके ही तत्वावधानमें कार्य करती थी। एक तीसरे प्रस्तावमें सुभाष बसुसे पूर्व एशियामें आने तथा जापान सरकारसे उन्हें इसके लिए सुविधा देनेकी प्रार्थनाकी गयी थी। आज़ाद हिन्द सङ्घके ७॥ लाख सदस्य थे यह बात मुझे सङ्घकी पत्रिकामें प्रकाशित सूचनासे मालूम है।

गवाहने आगे कहा कि आजाद हिन्द फौजके निर्माणमें जहाँतक मुझे मालूम है, जापानियोंने कोई भाग नहीं लिया। जापानकी अस्थायी सरकार द्वारा आजाद हिन्द सरकारके स्वीकृत होनेकी सूचना नेताजी सुभाष बसुने

स्वयं घोषितकी थी और वह अस्थायी सरकारके गजटमें भी प्रकाशित हुई थी। आजाद हिन्द सङ्घके विभिन्न विभाग थे और आजाद हिन्द सरकार अपनी नीतिको अपने कार्यकर्ताओं तथा अन्य साधनों द्वारा कार्यान्वित करती थी। रेडियो पर जापानियोंका नियन्त्रण नहीं था।

एडवोकेट जनरल—बङ्गालको चावल भेजनेका प्रस्ताव किस प्रकार रखा गया था ?

गवाह—यह रेडियो द्वारा भारतीयोंके सूचनार्थ तथा ब्रिटिश अधिकारियोंके विचारार्थ सुनाया गया था यह प्रस्ताव जुलाई या अगस्त १९४३ में रखा गया था। चावल बर्मांके किसी भी बन्दरगाहसे भेजा जा सकता था बशर्ते कि अंग्रेज उसकी रक्षाका वचन दें। बर्मांके लोग चावलके बिना भूखों नहीं मर रहे थे।

एडवोकेट जनरल—क्या आपको पता है कि जापानियों द्वारा आजाद हिन्द फौजपर कोई प्रतिबन्ध था ?

गवाह—नहीं।

आगे गवाहने बताया कि नेताजीने व्यक्तिगतरूपसे और अस्थायी सरकारकी हैसियतसे अस्थायी सरकारके गज़टमें गारण्टी की थी। पश्चात् पूछे जानेपर गवाहने आजाद हिन्द संघकी मार्फत कार्यान्वित किये जानेवाले अस्थायी सरकारके मन्त्रियोंके कार्योंका उदाहरण दिया और कहा कि मैं जुलाई १९४३ के आजाद हिन्द फौजके उस परेडमें मौजूद था जिसमें जनरल तोजो और नेताजी आये थे।

सातवें गवाह—लेफ्टिनेण्ट कर्नल ए० डी० लोकनाथन्

सिङ्गापुरके पतनके समय मैं १९ नंबर के भारतीय जनरल अस्पतालका इञ्चार्ज था। सितम्बर १९४५ के लगभग मैं आजाद हिन्द फौजका सदस्य बना। इस बीचमें मैं अपने अस्पतालका इञ्चार्ज बना रहा जो नैसून शिविरमें था। नैसून शिविर २००० आदमियोंके रहनेके लिए बना था पर उसमें

१२००० आदमी रहते थे। पहले नैसून शिविरमें चार अस्पताल थे जो इस शिविरके मरीजोंकी देखरेख करते थे। पीछेसे अस्पताल बिदादरी और सेलेटार शिविरको भेज दिये गये।

मैं बङ्काक सम्मेलनमें सम्मिलित हुआ था उसमें सुदूरपूर्वके सभी देशों—बर्मा, फिलिपाइन्स, हांगकांग, सुमात्रा, जावा, सेलीबीज, बोर्नियो, शङ्घाई, कैण्टन और इण्डोचीनके ११० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। सम्मेलनमें ६० या ७० प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। मुख्य प्रस्तावमें सभी भारतीयों, विशेषतः नागरिकोंसे संघटित होने और एक ऐसी संस्था बनानेको कहा गया था जो उनके जीवन और धनकी सुरक्षा कायम रखनेमें सहायक हो और उनके हितका कार्य करे। उनसे आजाद हिन्द संघ नामक संस्थाके और उनकी शाखाओंके अधीन आनेको कहा गया था। एक प्रस्तावमें सेना बनानेकी भी बात कही गयी थी।

प्रस्तावमें यह भी कहा गया था कि आजाद हिन्द संघ जो कुछ भी करे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अनुकूल कार्य करे। समझा यह गया था कि यदि कांग्रेस आजाद हिन्द फौजको भारत आनेको कहे तो उसे पूरा करनेकी कारवाईकी जायगी।

आगे गवाहने आजाद हिन्द फौजमें दिसम्बर १९४२ में होनेवाली हलचलके सम्बन्धमें बताया कि आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनानायक कप्तान मोहनसिंह और आजाद हिन्द संघके सभापति तथा कार्यसमितिके अध्यक्ष रासबिहारी बसुके बीच अच्छा सम्बन्ध न था। मेरे ख्यालमें बहुत दिनों तक जापानमें रहनेके कारण रासबिहारी बसुका झुकाव जापानियोंसे नियन्त्रित होनेकी ओर था। इसके विपरीत मोहनसिंहका ख्याल था कि जापानके साथ जितनी कड़ाई रासबिहारी बसु कर सकेंगे उससे अधिक कड़े होनेकी आवश्यकता है।

आजाद हिन्द फौज, आजाद हिन्द संघकी एक शाखा थी। चूँकि मोहन-सिंह रासबिहारी बसुसे सन्तुष्ट नहीं थे इसलिए उन्होंने जापानियोंके साथ व्यवहार करनेके सम्बन्धमें अनेक भार अपने ऊपर ले लिये थे। जिन दिनों स्थिति डाँवाडोल थी उन दिनों मोहनसिंह बड़े अफसरोंको अपने बँगलेपर बुलाया करते थे। बुलाये जानेवालोंमें मैं भी था। मोहनसिंहने हम लोगोंसे कहा था कि जापानने अबतक बंकाक सम्मेलनके प्रस्तावोंको स्वीकार नहीं किया है। मोहनसिंहकी यह मांग कि आजाद हिन्द फौज मित्रसेना मानी जाय पूरी नहीं हुई थी। मोहनसिंहने इस बातका विरोध किया कि जापानी लोग भारतीय सहायक सेनाओंका उपयोग रक्षात्मक कार्यके लिए करें। उन्हें हमारे हवाले किया जाना चाहिये। जापानियोंने इन सहायक सेनाओंको सुभाषचन्द्र बसुके आनेतक हवाले नहीं किया।

जापानियोंने एक जहाजमें आजाद हिन्द फौजकी कुछ सेनाको बर्मा भेजनेकी व्यवस्था की। कार्यसमितिने उनको बिना किसी सूचनाके ले जानेका विरोध किया। मोहनसिंहने बड़े अफसरोंसे कहा कि ऐसी अवस्थामें कार्य करना असम्भव है इसलिए मैं आजाद हिन्दको तोड़नेवाला हूँ।

मोहनसिंह गिरफ्तार कर लिये गये और रासबिहारी बसुकी आज्ञासे कहीं ले जाये गये। उसके बाद मोहनसिंहके आदेशानुसार आजाद हिन्द फौज तोड़ दी गयी। उस समय कार्यसमितिके सदस्य श्री राघवन, श्री के०पी०के०मेनन, जनरल मोहनसिंह और कर्नल जिलानी थे। अध्यक्ष रासबिहारी बसु थे।

दिसम्बर १९४२के बाद मैं बिदादरी स्थित आजाद हिन्द फौजके सदर दफ्तरमें रहा। मैं चिकित्सा विभागका इंचार्ज था। २ जुलाई १९४३को जब श्री सुभाषचन्द्र बसु सिंगापुर आये तो मैं उनसे मिला। जब आजाद हिन्द फौजकी अस्थायी सरकारका संघटन हुआ था तो मैं मौजूद था। मैं मन्त्रि-मण्डलमें था और आजाद हिन्द फौजके चिकित्सा-विभागका डाइरेक्टर था।

सुदूरपूर्व एशियायी सम्मेलनमें १७ फरवरीको अन्दमान और नीकोबार के द्वीप अस्थायी सरकारको दे दिये गये। मैं पोर्टब्लेयर गया। दो तीन सप्ताहके पश्चात् पोर्टब्लेयरमें आजाद हिन्द संघके सदर दफ्तरमें एक समारोह हुआ। जिसमें अन्दमान और नीकोबारके द्वीप मेरे सुपुर्द किये गये। उस समारोहमें जापानी जलसेनाके कमाण्डर और सैनिक कमाण्डर उपस्थित थे। नेताजीने मुझे इन द्वीपोंका चीफ कमिश्नर नियुक्त किया था। सिंगापुरसे रवाना होनेसे पूर्व मैं अपने साथ मेजर अलवी, लेफ्टिनेण्ट सुभानसिंह और लेफ्टिनेण्ट मुहम्मद इकबाल और एक स्टेनोटाइपिस्ट श्री श्रीनिवासन्‌को अन्दमान ले गया।

पोर्टब्लेयरमें समारोह होनेके बाद मैंने वहाँका नागरिक प्रबन्ध अपने हाथमें लिया। मेजर अलवीको अन्दमानके शिक्षा-विभागका, लेफ्टिनेण्ट सुभानसिंहको माल और राजस्वका और लेफ्टिनेण्ट इकबालको पुलिसका कार्य दिया गया। मैं सितम्बर १९४४ तक इन द्वीपोंका शासन-प्रबन्ध करता रहा। नवम्बर १९४४में मैंने अपने शासनकी रिपोर्ट श्री सुभाषचन्द्र बसुके पास भेजा। नेताजी चाहते थे कि मैं रंगून आऊँ और खुद रिपोर्ट दूँ और उनके साथ तोकियो चलूँ, ताकि अगर कोई कठिनाई हो तो जापानी परराष्ट्र विभागको बता सकूँ। चूँकि मैं बहुत बीमार था और बिस्तर पर पड़ा था, इसलिए मैं न जा सका। जब सुभाषचन्द्र बसु टोकियोसे लौटकर सिंगापुर आये तब मैंने अपनी रिपोर्ट उन्हें दी।

मेरी अनुपस्थितिमें मेजर एलवी स्थानापन्न चीफ कमिश्नर बनाये गये। मेरे शासनकालमें उन द्वीपोंका नाम बदल कर शहीद (अन्दमान) और स्वराज्य (नीकोबार) रखा गया।

आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारको सभी धुरी शक्तियों — जर्मनी, इटली, जापान, क्रोशिया, मन्चूरिया, फिलीपाइन्स, वांगचिंग सरकार, स्याम और बर्मा—ने स्वीकार किया था।

आजाद हिन्द फौज पूर्णतया स्वेच्छासे बनी सेना थी। जहाँतक मुझे मालूम है भरती करनेमें कोई ज्यादती नहीं की गयी। अस्थायी सरकारके सदस्यके नाते मुझे मालूम है कि आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारने ब्रिटेन और अमेरिकाके विरुद्ध युद्ध घोषित किया था।

अक्तूबर १९४४ से मैं सिंगापुरमें रोगीके रूपमें पड़ा था।

नागरिकोंके लिए आजाद हिन्द फौज शक्तिका साधन था। जब मैंने रंगूनमें आत्मसमर्पण किया उस समय आजाद हिन्द फौजने सारे रंगून क्षेत्रको अपने अधिकारमें लेलिया था और नेताजीके छोड़े हुए आदेशके अनुसार शान्ति कायम रखी थी। जब जापानियोंने आक्रमण किया था उस समय लगभग १०,००० भारतीय मार डाले गये थे। ऐसी विपदा रोकनेके लिए ही आजाद हिन्द फौजको प्रत्येक नागरिकके—चाहे वह चीनी हो या भारतीय—जान मालकी रक्षाका भार दिया गया था। मलाया और बर्मा, दोनों जगहोंमें नागरिक लोग आजाद हिन्द फौजमें भरती हुए थे।

एडवोकेट जनरलके जिरह करनेपर गवाहने कहा—मेरे यह कहनेका आधार कि अन्दमान और नीकोबार आजाद हिन्द सरकारकी अस्थायी सरकार को दे दिये गये थे तोकियोसे किया गया एक ब्राडकास्ट है। उसकी ठीक ठीक शब्दावली मुझे याद नहीं है।

एडवोकेट जनरलने जापानी अधिकारियों द्वारा श्री सुभाष बसुके नाम भेजे गए पत्रकी निम्न पंक्तियाँ उद्धृत कीं—"सभी भागके हस्तांतरित होने तक अस्थायी सरकारका कोई ऐसा अधिकारी भेजा जाय जिसका पद अन्दमान और नीकोबार द्वीपोंके चीफ कमिश्नर जैसा हो और जो द्वीपोंके सैनिक शासनमें जल-सैनिक कमाण्डरके आधीन सहायता कार्य करे।" और पूछा—बस यही अधिकार आपको मिला था?

गवाहने कहा—जहाँ तक पत्र विशेषका सम्बन्ध है उसमें आदेश लिखा हुआ है किन्तु ये आदेश उस पत्रसे अनुशासित होते हैं जो मुझे सुभापचन्द्र बसुने दिया था क्योंकि उसमें विस्तृत अधिकार दिये गये थे। पत्रके अतिरिक्त बसुने अन्दमान जानेसे पूर्व मुझे मौखिक आदेश दिया था। यह आदेश यह था कि स्थानीय कठिनाइयोंको ध्यानमें रखते हुए शीघ्रसे शीघ्र सारे द्वीपको अपने अधिकारमें ले लिया जाय।

आगे गवाह ने कहा कि मैं शिक्षा और 'सेल्फ सफिशिएंसी' कार्यक्रमके अतिरिक्त जासूसोंके सम्बन्धमें अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करता था और जापानी अधिकारियोंके सामने रखता था। मुहम्मद इकबालसे रिपोर्ट प्राप्त करता था जो नागरिक मामलोंमें प्रधान न्यायाधीश थे।

पश्चात् अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी।

---

१२ दिसम्बर १९४५

आज पुनः लेफ्टिनेण्ट कर्नल लोकनाथन्से जिरह हुई।

गवाहने कहा कि मेरे शासनकालमें अन्दमानमें लेफ्टिनेण्ट मुहम्मद इकबाल दीवानीके मुकदमें देखते थे, उनका काम कर्ज, रेहन और घरेलू झगड़ोंके मुकदमोंका देखना था।

जब मैं अन्दमान गया उस समय वहाँ एक रसद विभाग था जो मेरे वहाँ जाने के बाद भी कायम रहा। 'सेल्फ सफिशिएंसी' विभाग जिसका कि उल्लेख मैंने कल किया था, जापानी रसद विभागके निर्देशन पर चलाया जाता था।

आगे गवाहने कहा कि मैं सुभाष बसुका आदेश पाकर सितम्बर १९४४के अन्त में अन्दमानसे चला आया। सुभाष बसुने मुझे इसलिए बुलाया था कि मैं व्य गत

रूपसे उन्हें अन्दमानकी प्रगतिकी रिपोर्ट दूँ। मेरी अनुपस्थितिमें, मेजर अलवी अन्दमानके स्थानापन्न कमिश्नर बनाये गये।

एडवोकेट जनरल—सिङ्गापुर पहुँचनेके बाद आपने सुभाष बसुके पास अन्दमान और नीकोबारसे सरकार वापस बुला लेनेके लिए तार दिया था ?

गवाह—मैंने स्वयं ऐसा कोई तार नहीं दिया था।

एडवोकेट जनरल—आप कहते हैं कि आपने स्वयं ऐसा कोई तार नहीं दिया तो क्या आपके ऐसा कहनेका मतलब यह है कि आपने किसी अन्यसे तार देने को कहा था ?

गवाह—मैंने यह नहीं कहा।

एडवोकेट जनरल—आपका 'स्वयं'से क्या मतलब है।

गवाह—वही जो मैंने कहा।

एडवोकेट जनरल—आपने सुभाषचन्द्र बसुके पास अन्दमानसे अस्थायी सरकार वापस बुला लेनेके लिए कोई तार भेजा या किसीसे भिजवाया ?

गवाह—मैंने अपने बिभागके अफसरोंसे वापस बुला लेनेकी चर्चाकी होगी। मैंने सुभाषचन्द्र बसुके पास कोई तार अस्थायी सरकारको वापस बुलानेके लिए नहीं दिया।

एडवोकेट जनरलने गवाहको उसकी १९४४की डायरी दिखायी। एक जगह लिखा था—नेताजीके नाम भोंसले द्वारा भेजे गये तारकी नकल—"कर्नल लोकनाथन्‌का दृढ़ बिचार है कि अस्थायी सरकारका पूरा दफ्तर अन्दमानसे वापस बुला लिया जाय क्योंकि उनके करने योग्य वहाँ कोई काम नहीं है—जे० के० भोंसले।"

प्रश्न पूछे जानेपर गवाहने कहा—मैंने इस विषयपर भोंसलेसे बातचीतकी थी और भोंसलेने वह तार भेजा। तार भेजनेके बाद भोंसलेने उसकी प्रतिलिपि मेरे पास भेजी। पर मुझे तारकी भाषा पसन्द नहीं आयी। यह कहना कि तार मैंने भिजवाया गलत है। मैं यदि उसे भेजता तो दूसरी तरहसे भेजता। मुझे यह वाक्य

पसन्द नहीं आया कि—"उनके करने योग्य वहाँ कोई काम नहीं है।" जब प्रतिलिपि आयी उस समय मालूम हुआ कि तार भेजा जा चुका हैं। मैंने भेजे गये तारके गलत भावको ठीक करनेकी आवश्यकता नहीं समझी। याददाश्तके लिए मैंने अपनी डायरीमें तारकी नकल रख ली थी।

आगे पूछे जानेपर गवाहने बताया—मैं सितम्बर १९४२ में आजाद हिन्द फौजका सदस्य बना। आजाद हिन्द फौजके सङ्गठनमें मैंने कोई भाग नहीं लिया। मुझे मोहनसिंहके दिसम्बर १९४२ में गिरफ्तार होनेकी बात मालूम है। मोहनसिंहकी गिरफ्तारीके एक-दो घण्टे बाद बिदादरीकी एक सभामें रासबिहारी बसुका एक पत्र पढ़ा गया जिसमें मोहनसिंहकी गिरफ्तारीकी बात लिखी थी। मोहन सिंहकी गिरफ्तारीके बाद एक कार्यसमिति बनी जिसमें मैं भी था। इस समितिका काम शिविरमें अनुशासन रखना, हथियार एकत्र कर सुरक्षित रखना और शिविरवासियोंके राशनकी देख भाल और वहाँ रहनेवाली सेनाकी व्यवस्था करना था।

एडवोकेट जनरल—मोहनसिंहकी गिरफ्तारी और आजाद हिन्द सङ्घके विघटनके बाद आजाद हिन्द फौजके आदमी युद्धबन्दी बना लिये गये?

गवाह—सेनाके लोग युद्धबन्दी बनाये जानेकी माँग कर रहे थे पर जापानियोंने यह कहकर उन्हें युद्धबन्दी बनानेसे इनकार किया कि उन्होंने भारतीयोंको आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेके लिए मुक्त कर दिया है ऐसी अवस्थामें उनकी स्थिति पुनः युद्धबन्दीकी नहीं हो सकती। बहुतसे लोग जो पहले आजाद हिन्द फौजमें भरती हुए थे पर जिन्होंने दूसरेमें भरती होनेसे इनकार कर दिया था, युद्धबन्दी बना लिए गये थे।

जनरल इवाकुराद्वारा आयोजित एक सभामें रासबिहारी बसुका एक पत्र पढ़ा गया जिसका आशय यह था कि मोहनसिंह प्रधान सेनापतिके पदसे हटा दिये गये हैं और गिरफ्तारकर लिये गये हैं। उसमें दूसरी व्यवस्था होने तक सभी युनिट कमाण्डरोंसे अनुशासन बनाये रखने और शिविरको पूर्ववत चलानेको कहा गया

था। मैं नहीं जानता कि मोहनसिंहको जापानियोंने गिरफ्तार किया था और न मैं यही जानता कि गिरफ्तारीके बाद मोहनसिंह कितने दिन सिंगापुर रहे।

आगे गवाहने कहा—मार्च १९४२ में एक सद्भावना मण्डल जापान भेजा गया था पर मैं उसका सदस्य नहीं था। मण्डलके वापस लौटनेपर बिदादारीमें भारतीय अफसरोंकी एक सभा हुई। उसमें मैं मौजूद था। उसमें कोई भी जापानी अफसर नहीं था। उसमें कहा गया कि आजाद हिन्द फौजकी योजनापर बंकाकके सम्मेलनमें विचार होगा। सद्भावना मण्डलके दो सदस्य मोहनसिंह और कर्नल गिलने, जो बिदादरीकी सभामें मौजूद थे, तोकियोमें मण्डलने जो कार्य किया था बताया। इस सभामें विचारार्थ दो-तीन वाक्यका एक प्रस्ताव बना था। इस सभामें और कुछ नहीं हुआ।

कोई एकान्त शिविर नहीं था। एक नजरबन्दी शिविर था जहाँ चिकित्सा विभागके प्रधान होनेके कारण मैं अक्सर जाया करता था।

एडवोकेट जनरल—मैं कहता हूँ कि आजाद हिन्द फौजकी भरतीके लिए घूस दिया जाता था।

गवाह—मैं नहीं जानता।

एडवोकेट जनरल—विरोध करनेवाले आदमी एकान्त शिविरमें भेजे जाते थे।

गवाह—मैं नहीं जानता

एडवोकेट जनरल—और विशेष उपाय, यथा पीटना, पाखानेमें खड़ा रखना आदि काममें लाये जाते थे।

गवाह—मैं नहीं जानता।

एडवोकेट जनरल—अस्थायी सरकारके कार्यक्रमके बारेमें आपकी कोई व्यक्तिगत जानकारी है?

गवाह—मेरे लिए यह प्रश्न अस्पष्ट है।

श्री भूलाभाई देसाई—यह प्रश्न तो भारत सरकार आजकल क्या करती है, यह पूछनेकी तरह है। (हँसी)

अदालतके अध्यक्षने प्रश्नको स्पष्ट करते हुए कहा—अस्थायी सरकारके मन्त्रिमण्डलकी जो बैठकें हुआ करती थीं उसमें किन विषयोंपर विचार-विनिमय होता था ?

गवाह—मन्त्रिमण्डलकी बैठकोंमें विभिन्न विषयोंपर विचार-विनिमय होता था यथा—राष्ट्रीय झण्डा, राष्ट्रीयगीत, मार्चिंग गीत, युद्धघोषणा, आजाद हिन्द फौजकी भाषा, आजाद हिन्द संघकी शाखाओंसे सम्बद्ध अनेक बातें, सेनाकी वृद्धि और भरती, इसी तरहकी और बहुतसी बातें। विषय एक दूसरेसे श्रृंखलाबद्ध होते थे।

आठवें गवाह—श्री दीनानाथ

मैं रंगूनमें दस वर्षसे रहता रहा। मैं लकड़ीका कारबार और ठेकेदारी करता था। जब जापानियोंने युद्धकी घोषणा की उस समय मैं रंगूनमें था। २ दिसम्बर १९४१ से जापानियोंने मलायापर अधिकार करना आरम्भ किया। रंगूनपर २३ दिसम्बरको बम गिरा।

श्री भूलाभाई देसाई—बम वर्षाके समय रंगूनकी क्या अवस्था थी ?

गवाह—वहाँ भगदड़ मची थी। रंगूनमें भारतीयोंकी हत्या और लूट हो रही थी। जब जापानियोंने रंगूनमें प्रवेश किया मैं मोगामें था। मुझे आजाद हिन्द संघके कार्यों और रंगूनमें उसकी शाखाकी स्थापनाकी बात मालूम थी। आजाद हिन्द बैङ्कका मैं डाइरेक्टर था। उसके अन्य डाइरेक्टर श्री एस० ए० अय्यर (अध्यक्ष), श्री एस० एम० रशीद, श्री एच० आर० बेटाई, श्री एच० ई० माधा और कर्नल अलगप्पन थे। उसकी रजिस्ट्री तत्कालीन बर्मा क़ानूनके अनुसार हुई थी।

मुझे मालूम है कि आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारको बर्मा और मलायाके भारतीयोंने चन्दा दिया था। एक नेताजी कोष समिति भी थी जिसका उद्देश्य जनतासे अस्थायी सरकारके लिए चन्दा प्राप्त करना था। चन्दा नकदी और जिंसी दोनों तरहसे लिया जाता था। आजाद हिन्द सरकारके चन्देकी रकम बैङ्कमें तथा सरकारके अर्थ-विभागमें जमा रहती थी। इस प्रकार जमा फण्डसे आवश्यकतानुसार रकम निकाली जाती थी।

बर्मामें एकत्र चन्देकी रकम १५ करोड़ रुपये थी और मलायामें ५ करोड़के लगभग। जनता भी बैङ्कमें खाता खोलती थी। इस प्रकारकी रकम ३०–४० लाख थी। बैङ्कने अप्रैल १९४४ से १९४५ की मई तक कार्य किया। रंगूनपर अधिकार होनेके बाद बैङ्कपर ब्रिटिश फौजोंने अधिकार कर लिया। उस समय बैङ्कमें आजाद हिन्द फौजके ३५ लाख रुपये जमा थे।

श्री भूलाभाई देसाईने गवाहको रंगूनके पास स्थित जियावादी नामक रियासतके बारेमें प्रश्न किये। गवाहने कहा— यह रियासत ५० वर्गमीलका है उसमें अधिकांशतः भारतीय रहते थे पहले इसका प्रबन्ध जियावदीकी आजाद हिन्द बैंककी शाखा करती थी।। बादमें वह अस्थायी सरकारके सुपुर्द कर दी गयी थी और उसकी शासन व्यवस्था आजाद हिन्द फौजके मालमन्त्रीकी ओरसे नियुक्त व्यवस्थापक करता था। इस स्टेटमें चीनी, सूत, कम्बल और टाटके कई कारखाने, अस्पताल तथा अन्य व्यवस्थायें थीं। वहाँकी आबादी १५,००० के लगभग थी। उस रियासतमें एक अड्डा और आजाद हिन्दका शिक्षित शिविर था। फैक्टरियोंका सञ्चालन अस्थायी सरकार करती थी और लाभका उपयोग भी वही करती थी। आजाद हिन्द संघका काम धन सञ्चय करना, प्रचार करना, सैनिक भरती करना, और उन्हें शिक्षा देना, स्वास्थ्य और भारतीयोंके अन्य हितोंकी देखभाल करना था। उसके अन्तर्गत स्त्रियोंका विभाग और बालसेना भी थी। संघ अनुपस्थिति भारतीयोंकी सम्पत्तिकी भी देखभाल करती थी।

नवें गवाह—हवलदार शिवसिंह

मैं आजाद हिन्द फौजका सदस्य था और अब भी हूँ। मैं अगस्त १९४२ में बर्मा गया। मैं जियावदी क्षेत्रको जानता हूँ। मैं वहाँ अगस्त १९४३ से अप्रैल १९४५ तक रहा। वहाँ मैं शिक्षण शिविर खोलनेके लिए भेजा गया था और मैं उसका इनचार्ज था। उस क्षेत्रके भारतीयोंकी जन संख्या लगभग १५,००० थी। शिक्षण शिविरके अलावा आजाद हिन्द फौजके लिए एक पाल्ट्री फार्म खोला गया था। वहाँ आजाद हिन्द फौजका बेस अस्पताल और असमर्थ गृह भी था। एक चीनीका कारखाना और आजाद हिन्द दल का विस्तृत दफ्तर भी वहाँ खोला गया था।

आजाद हिन्द दलका उद्देश्य था—फौज द्वारा जीते गये प्रदेश तथा आजाद हिन्द सरकारके प्रदेशोंका प्रबन्ध करना। इस दलके संचालक लेफ्टिनेण्ट विठ्ठलराव थे। श्री बी० घोषके अधीन तामीरात विभाग तथा गाँवोंके समूहोंके लिए तहसीलदार नियुक्त थे। उनका काम लगान वसूल करना, छोटे मोटे झगड़ोंका फैसला करना और बड़े झगड़ोंको उच्च अधिकारियोंके पास भेजना था। आजाद हिन्द सरकारने श्री रामचन्द्रप्रसादको मैनेजर बनाया था। पुलिस विभागके संचालक श्री श्यामाचरण मिश्र थे।

श्री बी० घोष तामीरात, खेती, सफाई जैसे कार्योंके संचालक थे। जियावदी क्षेत्रकी रक्षाका भार आजाद हिन्द फौज पर था। जापानियों अथवा बर्मियोंको इस क्षेत्रसे कोई सरोकार न था। बर्मा और जापानी सरकारमें मतभेद होने पर यहाँकी अस्थायी सरकार उसे दूर करती थी। जीते गये प्रदेशोंके गवर्नर जनरल चटर्जी बनाये गये थे। उनका सदर दफ्तर जियाबदीमें था।

एडवोकेट जनरलके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि जापानियोंसे युद्ध करनेमें मैंने भाग लिया था। जनवरी १९४२में मैं बन्दी बना लिया गया। आजाद

हिन्द फौज और अस्थायी सरकारके बननेके बाद मैंने अंग्रेजोंसे लड़नेकी इच्छा स्वयं प्रकट की।

एडवोकेट जनरल—क्या आपने १० फरवरी १९४२को सेगाँवसे भारतीय सैनिकोंके लिए रेडियो पर बोले।

गवाह—मैंने रेडियो पर भारतीय सैनिकोंसे कुछ नहीं कहा। गिरफ्तारीके बाद जापानियोंका बर्ताव मेरे साथ कैसा था उसके बारेमें रेडियो पर बोला था। यह मैंने अपनी इच्छासे किया था। जापानियोंने कहा था कि चाहूँ तो उनके व्यवहारके सम्बन्धमें बोल सकता हूँ। यह प्रचार मैंने उन भारतीय फौजोंके हितके लिए किया था, जिनको अंग्रेजोंने जङ्गलमें छोड़ दिया था, जिससे वे इकट्ठे होकर सेगाँवमें मिल सकें। मैंने अपने रेडियो प्रचारमें यह नहीं कहा कि भारतीय फौजें विपक्षमें जाकर मिल जायँ।

इपोहमें गिरफ्तारीके बाद जापानियोंने मुझे कौलालम्पुर भेज दिया वहाँसे सेगाँव ले जाया गया गया और वहाँ मेरी कर्नल सेंटोसे मुलाकात हुई जिन्होंने जापानके युद्ध-उद्देश्योंको बताया। उन्होंने मुझे अंग्रेजोंके विरुद्ध लड़नेके लिए नहीं कहा। इसके बाद मुझे सिंगापुर भेजा गया। वहाँ मैं कप्तान मोहनसिंहके निकट एक मकानमें ४-५ दिन रहा।

सिंगापुरमें ५—६ दिन ठहरनेके बाद मुझे बिदादरी शिविरमें भेजा गया। मुझे इस प्रकार एक स्थानसे दूसरे स्थान ले जानेका कारण नहीं बताया गया। बिदादरी शिविरमें मैंने आजाद हिन्द फौजके बारेमें सुना। उसमें शामिल होनेके लिए मुझसे किसीने आग्रह नहीं किया। इस शिविरमें मैं दो महीने रहा। इस बीचमें मैंने कोई भाषण नहीं सुना। इसके बाद आजाद हिन्द फौजके प्रधान दफ्तरके कहनेसे मैं बंकाक सम्मेलनमें गया। उस समय तक मैं आजाद हिन्द फौजमें भर्ती हो चुका था। बंकाक सम्मेलन जून १९४२ में हुआ था। उस समय तक

आजाद हिन्द फौजका संघटन हो चुका था। संतोष हो जानेपर मैं आजाद हिन्द फौजमें शामिल होनेको तैयार था। बंकाक सम्मेलनमें मुझे कप्तान अमरसिंहने बुलाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहाँ जाकर वहाँ होनेवाले भाषणोंको हिन्दुस्तानीमें लिखूँ। मैंने कप्तान मोहनसिंहका भाषण लिखा था। उसके बाद मैं सिंगापुर लौट आया और सितम्बर १९४२ में मैं रंगून चला आया। कर्नल गिलके अधीन एक दल भेजा गया था। मैं भी उसमें था। इस समय तक मैं आजाद हिन्द फौजमें शामिल हो चुका था, पर मैं युद्ध करनेको तैयार नहीं था। जब तक कि कुछ बातोंके सम्बन्धमें मुझे सन्तोष न हो जाय, जैसे आजाद हिन्द फौज और अस्थायी सरकारका जापानी सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाना।

सितम्बर १९४२ में मुझे अराकान जाकर गश्ती कारवाई करने और उसपर अपनी रिपोर्ट देनेको कहा गया। मैंने यह कार्य आजाद हिन्द फौजके सदस्यकी हैसियतसे किया। जब मैं दिसम्बर १९४२ में रंगून लौटा तो आजाद हिन्द फौज और जापानियोंमें सम्बन्धके बिगड़नेकी बात सुनी। उस समय मैंने भारत भागनेकी चेष्टा नहीं की।

१९४३ में कर्नल गिलकी पार्टी जापानियों द्वारा गिरफ्तार कर ली गयी। उसमें मैं भी था। गिरफ्तारीके कारणका मुझे पता नहीं है। कर्नल गिलका दल क्यों बना था यह मैं नहीं जानता। पर मेरे सुपुर्द जो काम था वह मैं बता चुका हूँ। उस समय मैं आजाद हिन्द फौजमें था लेकिन जबतक जापान सरकारने उसे स्वीकार नहीं कर लिया तब तक मैंने कोई फौजी कार्य नहीं किया। जिस समय मैं अराकान भेजा गया उस समय तक आजाद हिन्द फौज और अस्थायी सरकारने ब्रिटिश अथवा अमेरिकनोंके विरुद्ध युद्धकी घोषणा नहीं की थी। मैं जियावदी स्टेटमें आजाद हिन्द फौजका शिक्षण शिविर खोलने गया था।

जियावदी स्टेटका मालिक एक भारतीय था। उसका नाम मैं नहीं जानता। जब वह बाहर था, तब हमारी सरकारने उस पर जनवरी १९१४ में अधिकार

कर लिया। उस समय इस स्टेटके मैनेजर परमानन्द नामक सज्जन थे। उनसे वह स्टेट ली गयी और उन्हींको उसके प्रबन्धके लिए सरकारने कुछ अधिकार दे दिये। पीछे जब वे सरकारके रसद विभागके मन्त्री बना दिये गये तो गंगाप्रसाद स्टेटके और चीनीके कारखानेके मन्त्री बनाये गये।

हमारी सरकार और जापानी सरकारके बीच पूर्वी एशियाके बारेमें एक समझौता हुआ था। इसमें वर्माका भी समावेश था। इसी समझौतेके अनुसार हमें जियावदी स्टेट जापानियों द्वारा दिया गया था। जियावदीमें आजाद हिन्द फौजका एक शिक्षा-शिविर भी था।

श्री भूलाभाई देसाई—आप पहले कह आये हैं कि कर्नल सेएटोने आपको जापानके युद्ध-उद्देश्य बताये थे। भारतके सम्बन्धमें वे क्या थे?

उत्तर—यही कि जापान भारत सहित सारे पूर्वी एशियाकी स्वतन्त्रताके लिए लड़ रहा है।

इसके बाद अदालतने दूसरे दिनके लिए उठ गयी।

---

१३ दिसम्बर १९४५

दसवें गवाह—श्री बी० एन० नन्दा

सरकारी कागजोंको देखकर गवाहने बताया कि जापानसे लड़ाई होनेके पहले बर्मामें भारतीय आबादी १०,१७,८२५, मलायामें करीब ८ लाख, थाईलैण्डमें ६५,०००, हिन्दचीनमें ८ लाख, हांगकांगमें ४,७४५, पूर्वी डच द्वीप-समूहमें २७ हजार, फ्रेञ्च हिन्दचीनमें ६,००० और जापानमें लगभग ३०० थी। जापानसे युद्ध शुरू होनेके बाद जापानमें ५४ भारतीय रह गये।

लड़ाई छिड़नेके बाद कितने भारतीयोंने इन देशोंको छोड़ा इसके अंक मेरे पास नहीं है।

ग्यारहवें गवाह—लेफ्टिनेण्ट कर्नल ई० के० स्क्वैर

मैं जमुना एरियाके हेड क्वार्टरका ए० जी० जी० हूँ। सबूत पक्षने मुझसे भारतके बाहरसे कुछ कागजात मंगानेको कहा। अधिकारियोंने जापान सरकारसे प्राप्त करनेकी कोशिश की। जो प्राप्त हो सके वे सबूत पक्षको दिये गये जो अदालतमें दाखिल हैं। आगे गवाहने कहा कि १५ जूलाई १९४४को बी० बी० सी०के सैनिक प्रोग्रामके एक ब्राडकास्टका जो नोट प्रधान सदर दफ्तरके शिमला मानिटियरिङ्ग सेक्शनने अपने दफ्तरके कामके लिए लिया था इस प्रकार है—इस बातका काफी सबूत है कि फ्रांसमें जर्मन सेनायें फ्रांसके प्रतिरोधक दलको फ्रेंच टिटर्स कह रही हैं। आज एस० एच० ए० ई० एफ० की ओरसे जनरल आइसनहोवरने नामपर जो घोषणा की गयी हैं उनमें चार बातें हैं—(१) भीतरकी फ्रेंच सेना जनरल कोइङ्गके नेतृत्वमें युद्धक सेना है और मित्रोंके आक्रमणक दलका एक अंग है। (२) भीतरकी फ्रेंच सेनायें—माक्विस खुलेआम शत्रुके विरुद्ध हथियार लिये हुए हैं। उन्हें युद्धके नियम माननेको कहा गया है। (३) प्रतिरोधक दलके विरुद्ध जर्मन लोग जो अत्याचार कर रहे हैं, वह युद्धके नियमोंका उल्लंघन है (४) आइसन होवरके अधीन सेनाके सदस्योंके प्रति किये जानेवाले अत्याचारोंके करनेवालोंका पता लगानेकी पूरी चेष्टा की जायेगी। इसके लिए कारवाई आरम्भ कर दी गयी है। अपराधीके साथ तत्काल न्याय होगा।"

इसके उत्तरमें १८ जुलाईके बुलेटिनमें बर्लिन रेडियोने कहा—

जनरल आइसनहोवरने बी० बी० सी०के एक ब्राडकास्टमें फ्रांसके विद्रोहियोंको युद्धशक्तिके रूपमें वैध घोषित करनेकी चेष्टा की है। बिल्हेल्मस्ट्रैसके

जानकार क्षेत्रकी ओरसे यह वक्तव्य दिया गया है कि मित्रसेनाके हाइकमाण्ड-का यह कार्य अनुचित है। फ्रेंच विद्रोही फ्रांसकी सरकारके विरुद्ध विद्रोह कर रहें हैं और फ्रांसके कानूनका उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे उल्लंघन करनेवालोंके लिए मौतकी सजा है। फ्रांसके विद्रोहियोंका कार्य वैध युद्ध कार्य न होकर अधिकृत शक्तिके विरुद्ध दुर्भावना पूर्ण युद्ध है। इस कारण विद्रोहियोंने नियमित सैनिक होनेका अधिकार खो दिया है।

एडवोकेट जनरल—इससे तो केवल यही कहा जा सकता है कि रेडियो-पर इस आशयका समाचार सुना गया जो जनरल आइसनहोवर और बर्लिन रेडियोका बताया जाता है।

श्री भूलाभाई देसाई—इस बातके लिए हमें विश्वास दिलाया गया है यह वह नोट है जो शिमलाके मानिटियरिङ्ग सेक्शनने सुना और यह भी प्रमाणित है कि यह उनकी ओरसे भेजे गये थे जहाँसे भेजे जाने चाहिये। यदि आप इसे स्वीकार कर लें तो मैं सन्तुष्ट हूँ।

अदालतका नोट—सवूत पक्षके वकीलको स्वीकार हैं कि 'यह लेख प्रधान सदर दफ्तरके शिमला स्थित मानिटियरिङ्ग विभागने लिया था और वह बी० बी० सी०के सैनिक ब्राडकास्ट और बर्लिन रेडियोसे ब्राडकास्ट हुआ था और एक सरकारी नौकरने अपने सरकारी कामके लिए लिखा था। वे उसके मूलको, जो जनरल आइसनहोवर और वर्लिन रेडियो हैं अस्वीकार नहीं करते।

बारहवें गवाह—कप्तान आर० एम० अर्शाद

मैं अंग्रेजों द्वारा आत्मसमर्पण किये जानेके समय मैं सिंगापुरमें था। मैं फरवरी १९४२में फरर पार्कमें होनेवाली सभामें मौजूद था। ता० १६की शाम को हमारे कमाण्डिङ्ग अफसरको आदेश मिला कि अंग्रेज अफसर भारतियोंसे अलग किये जायँगे और भारतीय अफसर और सैनिक ता० १७की सुबह फरर

पार्क जायँगे। अस्तु, १७के सुबह हम लोग ९ बजे वहाँ गये। तीसरे पहर हमें फरर पार्कके स्टेडियमके सम्मुख एकत्र होनेको कहा गया। वहाँ कर्नल हण्ट ने हम लोगोंसे कहा कि 'ब्रिटिश और भारतीय सेनाओंने जापानी सेनाको आत्मसमर्पण कर दिया है और अब हम सब बन्दी हैं। मैं सम्राट्की ओरसे आपको जापानी प्रतिनिधि फूजीवाराके हवाले करता हूँ। अब आप लोग उनकी आज्ञाओंको उसी तरह मानेंगे जिस तरह हमारा मानते रहे हैं।'

व्याख्यान समाप्तकर कर्नल हण्टने मेजर फूजीवाराको कुछ कागजात दिये उसके बाद मेजर फूजीवाराने व्याख्यान दिया। उनके भाषणका आशय यह था कि जापानी सेनाने मित्रसेनाओंको पराजित कर दिया अब जापानी सेनायें बर्माकी ओर बढ़ रही हैं।

इसके बाद मेजर फूजीवाराने 'सह-समृद्धि क्षेत्र'की चर्चा की और सुदूर पूर्वके सम्बन्धमें जापानियोंके विचार बताये। उन्होंने कहा कि जापानियोंकी इच्छा है कि सुदूर पूर्वके सभी राष्ट्र मुक्त और स्वतन्त्र हों। उसके बाद उन्होंने जापानियोंका भारतके प्रति रुख बनाया और कहा कि सुदूर पूर्वमें 'सह-समृद्धि क्षेत्र' बिना स्वतन्त्र भारतके नहीं बन सकता। जापानी भारतको स्वतन्त्र देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जापानियोंका भारतको स्वतन्त्र देखनेके सिवा और कोई इरादा नहीं है और जापानी इस दिशामें सब तरहकी सहायता देनका विचार रखते हैं।

आगे उन्होंने कहा—आप सब लोग भारतीय हैं और आप लोगोंको भी भारतकी आजादीके लिए काम करना चाहिये। हम आपको युद्धबन्दी नहीं समझते। जहाँतक हमारा सम्बन्ध है आप स्वतन्त्र हैं। हम आपको कप्तान मोहनसिंहके हवाले करते हैं।' और पास खड़े एक अफसरकी ओर संकेत करते हुये कहा—आप लोग उनकी आज्ञा उसी प्रकार पालन करेंगे जिस प्रकार हमारा करते।

इसके बाद कुछ देरतक कप्तान मोहनसिंह बोले। उन्होंने कहा—"मलाया के युद्ध क्षेत्रमें भारतीय सेनाको लड़नेका मौका नहीं मिला क्योंकि मोर्चा अल्पकालीन था। इसके अतिरिक्त सेनाके सहायतार्थ आवश्यक शस्त्र और वायुयान नहीं थे। वस्तुतः भारतीय सेनाको पराजित होने दिया गया है। किन्तु अब समय है कि भारतीय अपनी आजादीके लिए लड़ें। अबतक भारतीयोंके पास अपनी निजी सेनाका अभाव था। किन्तु भारतीय स्वतन्त्रताके लिए सशस्त्र सेना बनानेका यह अवसर उपस्थित है।" उस समय भारतीय सेनाके विभिन्न युनिटोंके ४५-५० हजार सैनिक उपस्थित थे।

जूलाई १९४२ के अन्तमें मैंने कप्तान सहगल—जिन्हें मैं १२ १३ वर्षोंसे जानता हूँ, और अन्य बड़े अफसरोंसे विचार विनिमय करनेके बाद आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेका महत्वपूर्ण निर्णय किया। उस समय तक राजनीति अथवा भारतके राजनीतिक हितमें मेरी कोई दिलचस्पी न थी क्योंकि मेरी शिक्षा इस प्रकारकी हुई थी। इसके अतिरिक्त जब मैं १९२६ में भारतीय सेनामें भरती हुआ तो मैंने अनुभव किया कि भारतीय सेनामें राजनीतिको प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इस कारण मैं उससे अलग रहा।

मैंने और अन्य बड़े अफसरोंने, जिनसे मैंने परामर्श किया, एक स्वरसे निश्चय किया कि हमारा अपने देशके प्रति भी कुछ कर्तव्य है। हमने अनुभव किया कि यदि सिंगापुर और मलायाके उच्च अफसर आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं होते तो सम्भव है कि जापानी भारतीय युद्धबन्दियोंको बहकावें। हमने यह भी अनुभव किया कि यदि हम अपनी एक सेना बनालें तो जापानियोंके मुकाबले हमारी भी कुछ ताकत हो सकती है और हम मलायामें भारतीयोंपर वे अत्याचार करनेसे जापानियोंको रोक सकेंगे जो वे चीनियों, एङ्गलो-इण्डियनों और मलायी लोगोंके साथ कर रहे थे। यदि भारतीय आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेसे इनकार कर देते हैं तो बहुत सम्भव है कि

सिङ्गापुर और मलायाके सारे भारतीय समाजको कष्ट उठाना पड़े। हमें मालूम था कि कांग्रेसने अपनेको जापानविरोधी घोषित कर रखा हैं और हमारे मनमें सन्देह हो रहा था कि कांग्रेस हमारे तर्कों और कारणोंको मानेगी या नहीं। साथ ही हमने यह भी अनुभव किया कि यदि कांग्रेस तत्कालीन परिस्थितिको समझ जाय और यदि हम भारतकी जनताको बता सके कि आजाद हिन्द फौज भारतीय अफसरोंके अधीन थी और वह जापानकी कठपुतली नहीं थी और उस सेनाका निर्माण भारतको स्वतन्त्र करनेके लिए ही हुआ था तो बहुत सम्भव है कि कांग्रेस और भारतीय जनता हमारे कार्यको समझ सके।

पहले आजाद हिन्दकी दिसम्बर १९४२ वाली डाँवाडोल स्थितिकी चर्चा करते हुए गवाहने आगे कहा—जब पहले आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति कप्तान मोहनसिंह आजाद हिन्द संघके कार्य समितिके अध्यक्ष श्री रासबिहारी बसुके सामने पकड़ लिये गये तब पहली आजाद हिन्द सेना विघटित कर दी गयी और उसके बाद २-३ सप्ताह तक आजाद हिन्द फौजके लोग अपनेको युद्धबन्दी समझते रहे। किन्तु जापानियोंने उन्हें युद्धबन्दी स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया और कहा—हमने आप लोगोंको आजाद कर दिया है और तबसे आपने राज्यके विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया है इसलिए हम आप लोगोंको युद्धबन्दी नहीं बना सकते।

रासबिहारी बसु और कर्नल इवाकुरी (एक जापानी अधिकारी) से काफी बहसके बाद आजाद हिन्द फौजके प्रधान अफसरोंने आजाद हिन्द फौजको कायम रखनेका निश्चय किया और यह निश्चय किया कि दूसरी आजाद हिन्द फौज पूर्णतः स्वेच्छासे बनायी जाय और पहली आजाद हिन्द सेनाके प्रत्येक सैनिकसे पूछा जाय कि वह दूसरी आजाद हिन्द सेनामें रहना चाहता है या नहीं।

आजाद हिन्द सेनाके विभिन्न भाग उसी तरह काम करते थे जैसे कि भारतीय सेनाके विभिन्न भाग।

आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेके कारणोंमें एक कारण यह भी था कि उच्च अफसर, जिनमें मैं भी था, यह अनुभव करते थे कि भारतीय सेनामें अंग्रेज और भारतीय कमीशन अफसरोंके बीच बहुत भेदभाव किया जाता है। कमीशन प्राप्त भारतीय अफसरोंके साथ उतना अच्छा बर्ताव नहीं होता जितना कि उनके साथी अंग्रेज अफसरोंके साथ होता है।

कर्नल इवाकुरीके साथ विचार विमर्शके समय कप्तान शाहनवाज मौजूद थे। शाहनवाजने कहा कि—हमें जापानियोंके मंशामें सन्देह है। मुझे यह अच्छी तरह याद है कि शाहनवाजने उस सभामें कहा था कि हमारे नेतृत्वके लिए नेताजी सुभाषचन्द्र बसु तोकियोसे बुलाये जायँ।

आगे गवाहने बसुके सिंगापुर आने, और उनके नेतृत्वमें अस्थायी सरकार बनने और प्रधान केन्द्र रंगून ले जानेकी चर्चा की और कहा—जब आजाद हिन्द सेनाने भारतकी सीमामें प्रवेश किया तब राज्यके प्रधान नेताजी सुभाषचन्द्र बसु और बर्मा स्थित जापानी सेनाके कमाण्डरने एक घोषणा की। मोर्चेपर जानेसे पूर्व मैंने उस घोषणापत्रको देखा था। मुक्त किये गये क्षेत्रोंके सम्बन्धमें वह घोषणा दोनों—राज्यके प्रधान और जापानी सेनापतिकी ओरसे थी। उसमें जापानी सेनापतिने कहा था कि व्यवस्था आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारकी अधीन होगी।

जब मणिपुर क्षेत्रमें युद्ध हो रहा था उस समय विजित क्षेत्रका प्रबन्ध मेजर एम० जेड० कियानी कर रहे थे जो न० १ डिवीजनके कमाण्डर थे। मोरामें आजाद हिन्द दल की भी टुकड़ियाँ थीं और यह टुकड़ियाँ न० १ के डिवीजन कमाण्डरके आदेशसे आयी थीं।

अपने पदकी हैसियतसे मुझे विष्णुपुर क्षेत्रसे, जो कप्तान एस० ए० मलिकके अन्तर्गत थी, उस क्षेत्रमें मलिक और आजाद हिन्द दल द्वारा किये जानेवाले

कार्योंकी रिपोर्ट मिली थी। कप्तान मलिक न० १ डिवीजनके कमाण्डरके आधीन आये थे। उस समय कोहिमा प्रदेशमें मोरासे पलेल तक १५०० वर्ग मीलका क्षेत्र अस्थायी सरकारके अधीन था। स्टाफ अफसरकी हैसियतसे मुझे मालूम है कि कप्तान शाहनवाज अपनी सेनाके साथ कोहिमा आये थे।

आगे गवाहने बताया—जापानियोंने २३ अप्रैल १९४५ को रंगून खाली करना आरम्भ किया। नेताजी सुभाषचन्द्र बसु २४ अप्रैलको गये। जानेसे पहले उन्होंने कर्नल लोकनाथन्को बरमाका प्रधान सेनापति नियुक्त कर बर्मामें बची आजाद हिन्द फौजका इञ्चार्ज बनाया और मुझे जनरल लोकनाथन्का प्रधान स्टाफ अफसर नियुक्त किया। नेताजीने हमसे कहा कि हम आजाद हिन्द फौजको केवल इसलिए छोड़ रहे हैं कि वह रंगूनके भारतीय नागरिकोंकी रक्षा करें। नेताजीने हमें आदेश दिया कि इस पीछे रहनेवाली सेनाका प्रधान कार्य, मित्रसेनाके आनेतक रंगूनका प्रबन्ध करना है। बादमें युद्धबन्दीके रूपमें आत्म-समर्पण कर दें। यह आदेश मिलनेके बाद ही प्रधान अफसरकी हैसियतसे मैंने अधिकार ले लिया और अपने भावी कार्यक्रमके सम्बन्धमें देख-भाल करना और हुक्म जारी करना शुरू कर दिया। जब जापानी रंगूनसे चले गये तब वहाँ कोई भी बर्मी फौज नहीं थी। एक बर्मा रक्षा सेना थी, जो या तो छिपी थी या रंगूनके बाहर थी। रंगूनमें यदि कोई सशस्त्र सेना थी तो वह आजाद हिन्दकी ५-६ हजार सेना थी।

आजाद हिन्दकी ये सेनायें विभिन्न शिविरोंमें थीं। मैंने इन शिविरोंका नियन्त्रण अपने हाथमें ले लिया और गश्त लगाने, पुलिसका काम करने और इन सेनाओंद्वारा शहरमें विशेषतः भारतीयोंकी बस्तीमें पहरा देनेकी योजना किया। प्रधान सेनापति लोकनाथन् की स्वीकृतिसे वह योजना कार्यान्वित की गयी।

२५ अप्रैलतक जापानियोंने रंगून नगरको एकदम खाली कर दिया और

रंगूनमें न तो पुलिसकी व्यवस्था और न किसी प्रकारका शासन था। बर्मा सरकारके स्थानापन्न प्रधान मन्त्री थे पर बर्मा सरकारके पास कोई पुलिस नहीं थी। मैं उनसे मिला और आजाद हिन्द फौजके कार्योंको बताया और कहा कि आजाद हिन्द फौज जो सहायता कर सकती है करेगी। उन्होंने आजाद हिन्द फौजकी योजनाको पसन्द किया और दूसरे दिन उन्होंने अपने प्रधान पुलिस अफसरको मेरे पास भेजा। मैंने इस विषयमें उनसे परामर्श किया और जो भी बर्मी पुलिस मिल सकी उनसे उन्होंने रंगूनमें रातके गश्तका इन्तजाम किया और महत्त्वपूर्ण अड्डोंपर सन्तरी रखा।

जब जापानी गये तो उन्होंने चावलों एवं अन्य खाद्य पदार्थोंका गोदाम खुला छोड़ दिया फलस्वरूप जनतामें दंगा हो जानेकी आशंका होने लगी। जहाँ कहीं भी गोदाम खुला देखा गया, उसकी रक्षाके लिए आजाद हिन्द फौजके गार्ड नियुक्त कर दिये गये और उसकी सूचना बर्मी अधिकारियोंका दे दिया गया। मैं बर्माके मन्त्रिमण्डलकी बैठकमें सम्मिलित हुआ आजाद हिन्द फौजके कार्योंको उन्हें बताया।

२५ या २६ अप्रैलको मुझे ज्ञात हुआ कि सेन्ट्रल जेल, जहाँ ब्रिटिश युद्ध-बन्दी रखे गये थे, जापानियोंने खुला छोड़ दिया है। मैं वहाँ गया और वयो-वृद्ध ब्रिटिश युद्धबन्दीसे मिला। वे रायल एयर फोर्सके विंग कमाण्डर एल० हडसन थे। मैंने उन्हें आजाद हिन्द फौजके कार्य और विचार बताये। मैंने उनसे कहा कि "यहाँ मौजूद मित्रसेनाके आप सबसे बड़े अफसर हैं इसलिए मैं अपनेको आपके हुक्मपर छोड़ता हूँ और मैं आपके हाथ आजाद हिन्द फौजका समर्पण करनेको तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि जो काम कर रहे हो करते जाओ। उन्होंने यह भी कहा कि जेलमें एक हजार ब्रिटिश और भारतीय सैनिक हैं और वे जेलमें ही रहेंगे। किन्तु मुझे नित्य उनके पास हुक्मके लिए आना होगा।

उसी समय बर्मा रक्षा सेनाका एक अफसर मुझसे मिलने आया। बर्मा रक्षा सेना ब्रिटिश सेना कि मित्रसेना थी और जापानियोंसे उसका विरोध था। बर्मा रक्षा सेनाके अफसरने मुझसे कहा कि "मेरा इरादा रंगूनपर अधिकार करनेका है। मेरी सेना मित्रसेनाके सम्पर्कमें है और मैं एक सामान्य योजनाके अनुसार काम कर रहा हूँ।" मैं उस अफसरको विंग कमाण्डर हडसनके पास लेगया। विंग कमाण्डरने उस अफसरका विश्वास नहीं किया और कहा कि जिस ब्रिटिश सेनाके अधीन काम कर रहे हो उसका लिखा अधिकारपत्र लाओ। वह अफसर ऐसा प्रमाणपत्र न दिखा सका। फलतः मुझे आजाद हिन्द फौज जो कामकर रही थी उसे जारी रखनेका आदेश मिला।

विङ्ग कमाण्डर हडसनने बर्मी अफसरसे कहा कि जबतक बर्मा रक्षा सेना लिखित अधिकारपत्र या मित्र सेनापतिका आदेश नहीं पेश करता तवतक मैं बर्मा रक्षा सेनाको स्वीकार न करूँगा। यदि बर्मा रक्षा सेनाने किसी प्रकार आजाद हिन्द सेनाको हानि करनेकी चेष्टाकी तो मैं तुमको उसका उत्तरदायी मानूँगा। हम मित्रसेनाके विचार जाने बिना ही काम करते रहे।

जापानियोंके रंगून खाली किये ९ दिन हो गये और हम किसी क्षण मित्रसेनाके प्रवेशकी आशा करते थे, किन्तु रंगूनके अरक्षित क्षेत्र हो जानेपर भी मित्रसेनाके वायुयान आते और गोला बरसाते रहे। मैंने विङ्ग कमाण्डरसे नागरिकोंके कष्ट कह सुनाया और उन्हें ट्रान्समिटर यन्त्र दिया ताकि वे सन्देश भेज सकें पर उन्हें पता नहीं था कि किस वेवलेंग्थपर सन्देश भेजा जाय।

३ मईके लगभग मुझे मालूम हुआ कि मिंगलाडनके शिविर कमाण्डेण्टने एक ब्रिटिश वायुयानको संकेत करके बुलाया है। जब यह खबर मेरे पास आयी तो मैंने अपने अफसरको वायुयान सेनाके उस अफसरको विङ्ग कमाण्डर हडसनके पास ले जानेका आदेश दिया। फलतः विङ्ग कमाण्डर हडसन हमें

बताया कि ४ मईको रंगूनके विरुद्ध मित्रसेनाने पूर्ण आक्रमणकी योजना बनायी है; रंगून नगरपर बम बरसाये जायेंगे। हडसनने यह भी कहा कि "इस सूचना पर मैंने कारवाईकी है। मैंने आजाद हिन्द फौजके एक अफसरको वायु-यान सेनाके उस अफसरके साथ रंगून नदीतक ब्रिटिश बेड़ेके पास भेजा है ताकि मित्रसेनाके सेनापतिको बतायें कि रंगून अरक्षित नगर है।" विङ्ग कमाण्डरने मेरे पास लिख भेजा कि रंगूनके बन्दरगाह क्षेत्रमें १००० मित्र छतरी सेना उतरी है। मित्रसेनाके सदर दफ्तरको अब भी विश्वास है कि इस क्षेत्रमें जापानी हैं इसलिए आज रंगूनमें बमवर्षक और युद्धक वायुयानोंकी जोरदार कारवाई होगी। इसलिए मुझे उस पत्रमें आदेश दिया गया था कि मैं रंगून क्षेत्रके आजाद हिन्द फौज और बर्मा रक्षा फौजके शिविरोंपर बड़े बड़े सफेद झण्डे लगवादूँ तथा नागरिकोंसे भी ऐसा ही करनेको कहूँ।

४ मईको खबर मिली कि मित्रसेना उतर गयी है। मैं रंगून आए सेनाके कमाण्डरके पास हाजिर हुआ। वे २६वीं भारतीय इन्फेण्ट्री ब्रिगेडके ब्रिगेडियर लाडर थे। मैंने ब्रिगेडियर लाडरको आजाद हिन्द फौजका काम, उसकी संख्या और विचार बताये और कहा कि आजाद हिन्द फौज युद्धबन्दीके रूपमें आत्मसमर्पण करनेको तैयार है। ब्रिगेडियर लाडरने कहा कि इस समय तो सभी शस्त्र और सैनिक साधन जमाकर मेरे सदर दफ्तरको भेज दिया जाय और आजाद हिन्द फौजके सैनिक अपने शिविरोंमें रहें। दूसरे दिन कर्नल लोकनाथन् और मैं ब्रिगेडियर लाडरसे मिला। उन्होंने हमें विस्तृत आदेश दिये। उन्होंने कहा कि इस समय मैं आप लोगोंको युद्धबन्दीके रूपमें स्वीकार करनेकी स्थितिमें नहीं हूँ। आप लोग अभी भी आजाद हिन्द फौजके सैनिक हैं और सेनाके भारत पहुँचने तक बने रहेंगे। आपकी सब सेना सेण्ट्रल जेल और इनसिन जेलमें एकत्र की जायगी। पर आप लोग उसे जेल मत समझिये। मैं आप लोगोंको वहाँ इसलिए रख रहा हूँ कि कोई दूसरा स्थान

प्राप्य नहीं है। आप जेलोंको आजाद हिन्द सेनाका बैरेक समझें। वहाँ किसी प्रकारका प्रतिबन्ध न होगा और कर्नल लोकनाथन् कमाण्डर बने रहेंगे और आजाद हिन्द फौजके कानूनके अनुसार व्यवस्था करेंगे। केवल आपलोग एक काम करें कि आजाद हिन्द फौजके पदवाले बैज उतार दें। इसका कारण यह है कि आजाद हिन्द फौज मित्रसेनाओं द्वारा स्वीकृत सेना नहीं है इसलिए यदि वे बैज लगाकर नगरमें जायँगे तो मित्रसेनाके अफसर उनका उचित सम्मान न कर सकेंगे और उससे दिक्कत उठानी पड़ सकती है।

दूसरे दिन ब्रिगेडियर लाडर मेरे बगले पर आये और पूछा कि आदेशका पालन हुआ या नहीं। सभी शस्त्र एकत्र कर दिये गये थे। ब्रिगेडियर लाडरके आदेशानुसार पैट्रोलिंग बन्द कर दी गयी। बादमें ब्रिगेडियरने टांगयांगयानके जिलेमें गश्त जारी रखनेको कहा। वहाँ अधिकांशतः भारतीय रहते थे। ब्रिगे-डियरने बताया कि आजाद हिन्द फौजके गश्त बन्द कर देनेके बाद और मित्र सेनाके अधिकार लेनेके पूर्वकी अवधिमें उस क्षेत्रमें दो खून हो गये। आजाद हिन्द फौजका पहला दस्ता १२ मईको भारतके लिए रवाना हुआ।

एडवोकेट जनरल—आपको मालूम है कि सिंगापुरके पतनसे बहुतपूर्वही भारतीय सैनिकोंको जापानियोंने अपनी ओरसे लड़नेके लिए ले लिया था?

गवाह—नहीं।

एडवोकेट जनरल—क्या आप जानते हैं कि आजाद हिन्द फौजको आरम्भ में जापानकी ओरसे तनख्वाह मिलती थी?

गवाह—मैं नहीं जानता। मैं नहीं समझता कि आजाद हिन्द फौजको जापानकी ओरसे तनख्वाह दी गयी थी क्योंकि पहले-पहले हमें वेतन सितम्बर १९४२ में मिला और रासबिहारी बसुने हमें विश्वास दिलाया था कि वह आजाद हिन्द संघकी ओरसे दिया जा रहा है। जब पहली आजाद हिन्द फौज

भंग कर दी गयी तो हमने आजाद हिन्द संघ या किसी अन्य साधनसे वेतन लेनेसे इनकार कर दिया था। किन्तु रासविहारी बसुने कहा कि वेतन लेकर किसी पर बोझ नहीं डाल रहे हैं। यह आप ही लोगोंका धन है। यह बात उन्होंने प्रधान अफसरोंको लिखकर दिया था और वह प्रचारित किया गया था।

एडवोकेट जनरल—आजाद हिन्द फौज बनानेकी कल्पना मूलतः जापानी अधिकारियों की थी?

गवाह—कह नहीं सकता।

एडवोकेट जनरल—अफसरोंके आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेका फल यह होता था कि उनके सिपाही भी उनका अनुकरण करते थे?

गवाह—सभी अवस्थाओंमें नहीं।

एडवोकेट जनरल—मैं यह आपसे कहूं कि आजाद हिन्द फौजने मणिपुरके किसी भागपर शासन नहीं किया?

गवाह—मणिपुर और विष्णुपुरके उस क्षेत्रपर जहाँ आजाद हिन्द फौज लड़ रही थी, सेनाका अधिकार था।

श्री भूलाभाईके प्रश्नपर गवाहने बताया कि बर्माकी सेनाने १ मईको रंगूनका अधिकार अपने हाथमें ले लिया।

पश्चात् श्री भूलाभाई देसाईने कहा कि अदालतके आदेशकी बात छोड़कर सफाई पक्षकी गवाही समाप्त होती है।

पश्चात् अदालत १७ दिसम्बर तकके लिए स्थगित हो गयी।

---

१७ दिसम्बर १९४५

सफ़ाई पक्षकी बहस

श्री भूलाभाई देसाई

अभियुक्तोंके खिलाफ दो अभियोग हैं—एक तो सम्राट्के विरुद्ध युद्ध करनेका और दूसरा हत्या करने व उसमें योग देनेका। वास्तवमें देखा जाय तो अदालतके सामने केवल एकही अभियोग है; क्योंकि जहाँ तक हत्या व हत्यामें योग देनेका सम्बन्ध है, यह पहले अभियोगका ही एक भाग है। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि सम्राट्के विरुद्ध युद्ध करनेके किसी भी मामलेमें गोली चलानेके प्रत्येक कार्यपर अभियोग लगाना सम्भव होगा, जो मेरे ख्यालमें तर्कको असिद्ध करना है।

श्री देसाईने आगे कहा—"समय आने पर मैं यह बतलाऊँगा कि जहाँ तक दूसरे आरोप (हत्या या हत्यामें योग) का सम्बन्ध है, उसका वस्तुतः केवल इसके सिवा कोई अन्य आधार नहीं है कि ४ भगोड़े व्यक्तियोंको, जिन्हें गोलीसे मारा जाना बतलाया जाता है, मुक़दमा चलाकर फाँसीकी सजा सुनायी गयी थी। सबूतके गवाहोंने इन व्यक्तियोंको गोलीसे मारे जानेके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा है। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि उन्हें फाँसोकी सजाएँ सुनायी गयी थीं। रहा मुहम्मद हुसैनका मामला सो इस बातका कोई प्रमाण नहीं है कि उन्हें सजा सुनायी गयी थी। इन सब मामलोंमें मेरा यह कह देना आवश्यक है कि अदालतके सामने जो गवाहियाँ हुई हैं, उनसे अदालत केवल इसी परिणाम पर पहुँच सकती है कि यद्यपि पहले मामलेमें सजा सुनायी गई थी और दूसरेमें कोई सजा नहीं सुनायी गयी थी, तथापि उन सजाओंको कभी कार्यान्वित नहीं किया गया।

इस मुक़दमेमें कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जो साधारण नहीं हैं और जिनका

फैसला करना कदाचित एक फौजी अदालतका काम नहीं है। साधारणतया एक फौजी अदालत वैयक्तिक अपराधों या भगोड़ोंका फैसला करती है। मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि इस बातका प्रमाण मौजूद है कि प्रस्तुत मामला सम्राट्के विरुद्ध युद्ध करनेका तीन व्यक्तियोंका अलग अलग मामला नहीं है। सबूतपक्षकी गवाहियोंसे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ये तीनों व्यक्ति, जो आपके सामने उपस्थित हैं, एक संघटित सेनाके सदस्य हैं और उस सेनाने सम्राट्के विरुद्ध युद्ध किया था, यह व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। सारी आजाद हिन्द फौजका जीवन और सम्मानकी परीक्षा अदालतके सम्मुख हो रही है।

आगे श्री देसाईने निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओंका उल्लेख किया जिनके सम्बन्धमें शहादत पेश की गयी थी।

(१) जापान द्वारा दिसम्बर १९४१ में युद्ध घोषणा।

(२) १५ फरवरी १९४२ को सिंगापुरमें ब्रिटिश सेनाका आत्मसमर्पण।

(३) १७ फरवरीको फरर पार्कमें सभा; जिसमें कायदेसे भारतीय सेना जापानियोंके हवाले की गयी।

(४) पहली आजाद हिन्द फौजकी सितम्बर १९४२ में स्थापना और कप्तान मोहनसिंहकी गिरफ्तारीके बाद उसका विघटन।

(५) २ जुलाई १९४३ का सिंगापुरमें श्री सुभाषचन्द्र वसुका आगमन; पश्चात् उन्होंने आजाद हिन्द फौजका संचालन अपने हाथमें लिया और वृहत्तर पूर्वी एशिया सम्मेलन हुआ जिसमें सुदूरपूर्व देशोंके विभिन्न भागोंके आजाद हिन्द संघके प्रतिनिधियोंने भाग लिया। उस सम्मेलनमें एक प्रस्ताव यह स्वीकृत हुआ कि आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकार स्थापित की जाय।

(६) उस सरकार द्वारा ब्रिटेन और अमेरिकाके विरुद्ध युद्ध घोषणा। इस प्रकार जहाँ तक आजाद हिन्द फौजका सम्बन्ध है, वह नयी सरकारके अन्तर्गत काम करने लगी।

(८) सरकारके रंगून उठकर जाना, आजाद हिन्द फौजका बर्मासे बढ़कर भारतीय सीमामें कोहिमा तक प्रवेश करके फिर वापस आना, उसके बाद रंगूनके अधिकार के समय और उससे तनिक पूर्व तथा तनिक बाद तककी घटनायें, जो रंगूनमें हुईं विशेषतः जापानी सेनाके जाने और ब्रिटिश सेनाके आनेके बीच आजाद हिन्द फौजने जो कुछ किया।

आगे श्री देसाईने कहा—सफाईके गवाहोंने यह बात साबित हो चुकी है कि अस्थायी सरकारकी स्थापना और घोषणा हुई और उसका उद्देश्य भारतको स्वतन्त्र करना तथा मलाया और बर्मा स्थित भारतीयोंके जानमाल और सम्मानकी रक्षा करना था। वह एक संघटित सरकारकी सेना थी जिसके प्रति २०लाख आदमी भक्ति रखते थे और उसे धुरी राष्ट्रोंने स्वीकार किया था। अपने युद्धोद्देश्यके लिए उसे युद्ध करनेका पूर्ण अधिकार था। जब उसके पास राज्य था, जिसे युद्ध करनेका अधिकार है तो युद्ध स्वतः न्याय्य है। उस युद्धके संचालनमें किया जानेवाला प्रत्येक कार्य इस बातसे संरक्षित हो जाता है। यह ऐसे व्यक्तियोंका मामला नहीं है जो युद्धापराध कहे जानेवाले अपराधोंके अपराधी हों। जहाँ तक कि कार्यके युद्धके सभ्य तरीकोंसे किये जानेका सम्बन्ध है म्युनिस्पल न्यायालयके बाहर उसकी सीमा है।

आगे श्री देसाईने कहा कि इस राज्यके पास अपनी निजी सेना थी जो आजाद हिन्द फौज कानूनके अन्तर्गत काम कर रही थी। इसके अतिरिक्त जापानियोंने अन्दमान और नीकोबारके द्वीप आजाद हिन्द सरकारको सौंप दिये थे। यह बात इससे साबित है कि उनके नाम 'शहीद' और 'स्वराज्य' द्वीप पर रखे गये थे। यह बात दूसरी है कि परिस्थितिके कारण उन पर पूरा नियन्त्रण नहीं हो सका था। इसी प्रकार जापान सरकारने आजाद हिन्द सरकारको जियावदीको जो ५० वर्ग मीलका था और जिसमें १५,००० भारतीय रहते थे, विजित क्षेत्रके रूपमें दिया था। भारतमें प्रवेश करनेके बाद ही एक घोषणाके अनुसार भारतके विजित प्रदेशको आजाद हिन्द फौजको देनेकी बात कही

गयी थी। इसी प्रकार मणिपुर और विशनपुरके क्षेत्रके १५०० वर्गमील पर भी आजाद हिन्दका अधिकार था।

और सबसे उल्लेखनीय बात तो यह है कि जब वर्मा और मलाया पर अधिकार हुआ तो हिन्द सरकारके सभी कागजात दुरुस्त थे जो इस बातके प्रमाण हैं कि आजाद हिन्द सरकार और उसकी सेनाकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात राज्यके आयके साधन की है। यह साबित हो चुका है कि बीस करोड़ रुपया भारतीयोंने राज्यको दिया था जिससे नागरिक और सैनिक प्रबन्ध होता था। जब आजाद हिन्द बैंकपर अधिकार हुआ तो उस समय उसके पास सरकारके ३५ लाख रुपये थे। यह भी ध्यान देनेकी बात है कि 'टिकट संग्रह' सम्बन्धी एक पत्रिकामें आजाद हिन्द सरकार द्वारा जारी किये गये टिकट छपे हैं।

आगे बहस करते हुए श्री देसाईने कहा कि मुख्य प्रश्न यही है कि क्या आजाद हिन्द सरकारको अपने देशकी स्वतन्त्रताके लिए युद्ध करनेका अधिकार था? भारतीय दण्ड-विधानके धारा ७९में लिखा है कि 'ऐसा कोई कार्य जो कानूनद्वारा वैध हो अपराध नहीं है।' इस प्रकार जो भी कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनके अन्तर्गत जायज है अपराध नहीं कहा जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारीके अभावमें किसी अन्तर्राष्ट्रीय गलतीको सुधारनेके लिए किया जानेवाला युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानूनके अन्तर्गत सदैव वैध है।" मेरा कहना है कि अपनेको किसी विदेशी शासनसे मुक्त करनेके निमित्त युद्ध करना नैतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानूनके अन्तर्गत पूर्णतः वैध है। युद्धके लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों राष्ट्र स्वतन्त्र अथवा प्रभुसत्ता वाले हों। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून इस बातको स्वीकार करता है कि जो जातियाँ इस समय स्वतन्त्र नहीं हैं वे युद्ध करनेके निमित्त संघटित हो सकती हैं। यदि ऐसी कोई सेना बनी और लड़ी तो उसके किसी अफसरके कार्यको किसी भी म्युनिसिपल कानूनके अन्तर्गत अवैध नहीं कहा जा सकता। यह स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया गया है कि शासक और शासित राज्योंके बीच युद्ध हो सकता है।

आजाद हिन्द फौज पूर्णतः संघटित सेना थी और उसने सभ्य देशके कानूनके अनुसार युद्ध किया। कानूनकी दृष्टिसे केवल इस बातकी अपेक्षा है कि संस्था पूर्णतः राजनीतिक हो, अपनी जनसंख्या और साधनसे पूर्ण हो और यदि वह स्वतन्त्र छोड़ दी जाय तो शासन सम्हालने और सैनिक रखनेके योग्य हो। यह सभी बातें आजाद हिन्द फौज द्वारा किये जानेवाले युद्धमें थीं।

आगे श्री देसाईने 'शत्रु-भाव' के सम्बन्धमें विभिन्न अवस्थाओंसे सम्बद्ध नजीरें पेश की और अपनी दलीलोंद्वारा बताया कि आजाद हिन्द फौजका 'शत्रु-भाव' और विदेशी भूमिपर सेना एकत्र करना पूर्णतः वैध था। उन्होंने यह भी कहा कि अभियुक्तोंने विदेशी भूमिपर काफी शक्तिशाली सेना, अपने स्वतन्त्र राज्यकी सम्भावनाके आधारपर बनायी थी और उनमें 'शत्रु-भाव' की अवस्था आ गयी थी। अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसी सन्धि-अवस्थाको मानता है जब विद्रोही सेना स्वतन्त्रताकी सम्भावनामें युद्धकर सकती है। और अभियुक्त निस्सन्देह उस अवस्थाको पहुँच गये थे। सबूत पक्षकी ओरसे यह प्रमाणित करनेकी चेष्टा की गयी है कि आजाद हिन्द फौज और ब्रिटिश सेनाके बीच युद्धकी अवस्था थी। इस प्रकार अभियुक्त व्यक्तिगत कानूनोंसे उसी प्रकार सुरक्षित हैं जिस प्रकार वे किसी वैध सेनाके सदस्यके नाते सुरक्षित होते।

आगे श्री देसाईने कहा कि मैंने यह प्रमाणित कर दिया है, कि आजाद हिन्द सरकारके पास भूमि थी, पर 'शत्रु भाव' प्रकट करनेके लिए यह आवश्यक नहीं है। इतिहासमें ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। प्रथम महायुद्धमें बेल्जियम सरकारके पास बेल्जियमकी एक इञ्च भी भूमि नहीं थी। दूसरे महायुद्धमें कितनी ही भगोड़ी सरकारें लन्दनमें कार्य कर रही थीं पर उनके पास कोई भूमि नहीं थी। माना इन सरकारोंकी भूमि थोड़े दिनोंके लिए छिन गयी थी। भारत तो अपनी भूमिसे गत १५० वर्षोंसे वञ्चित है, पर इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। मेरा कहना यही

है कि आजाद हिन्द फौज स्वतन्त्रताकी सेना थी जो अपने देशकी स्वतन्त्रताकी चेष्टा कर रही थी और उसे 'शत्रु-भाव' के अधिकार पानेका हक़ है। अपने इस कथनके समर्थनमें श्री देसाईने अनेक उदाहरण और दलील दिये।

आगे आपने कहा कि आजाद हिन्द फौजकी राजभक्तिका प्रश्न उठाया जा सकता है। वस्तुतः प्रत्येक विद्रोहके साथ राजभक्तिका प्रश्न रहता है, पर उसके होते हुये भी एक गुलाम देशको आजादीके लिये लड़नेका हक़ है। इसके साथही १७ फरवरी १९४२ की घटनाके बाद राजभक्ति रह ही नहीं जाती। कर्नल हण्टने उन्हें जापानियोंके सुपुर्द कर दिया और जापानियोंने घोषित कर दिया कि जो आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित होना चाहें वे बन्दी नहीं हैं। कप्तान अर्शादकी बातोंसे स्पष्ट है कि जब ब्रिटिश सरकारने उन्हें जापानियोंके हवाले कर दिया तब केवल भक्ति देशके प्रति रह जाता है। फिर जब हम अपने देशकी स्वतन्त्रताके लिये लड़ रहे हैं तो राजभक्तिका प्रश्न कहाँ रह जाता है। आगे आपने अपने बहसमें इस बातका भी खण्डन किया कि आजाद हिन्द फौज जापानियोंके हाथकी कठपुतली थी।

पश्चात् अदालत दूसरे दिनके लिये उठ गयी।

---

१८ दिसम्बर १९४५

बहस जारी करते हुये श्री भूलाभाई देसाईने शासित प्रजाके राजभक्तिके प्रश्न पर अनेक प्रमाण उपस्थित करते हुये अभियुक्तोंके कार्यको न्याय संगत बताया। पश्चात् कानूनी प्रश्न पर बहस करते हुए आपने अदालतसे अनुरोध किया कि यदि अपने बहसमें सबूत पक्षके वकीलने कानून सम्बन्धी कोई नयी बात कही जिसकी मैंने चर्चा न की हो तो मुझे उसका उत्तर देनेके लिए समय मिलना चाहिये।

उसके बाद आपने तीनों अभियुक्तों पर हत्या तथा हत्या करनेके लिए बहकाने के अभियोगकी विस्तृत चर्चा की।

कप्तान शाहनवाजकी आज्ञा पर मुहम्मद हुसैनकी तथाकथित हत्याका उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि उनको फाँसीकी आज्ञा देने तथा फाँसी देनेके सम्बन्धमें कोई सबूत नहीं है। और जहाँ तक अन्य ४ व्यक्तियोंको गोलीसे उड़ा देनेका अभियोग है वे गोलीसे उड़ाये ही नहीं गये। इसी तरहकी सजा अन्य व्यक्तियोंको भी दी गयी थी किन्तु फाँसी नहीं दी गयी और अभियुक्तों को माफी दे दी गयी। चूँकि आज्ञा दे दी गयी थी अतः यह नहीं मान लिया जाना चाहिये कि आज्ञा कार्यरूपमें परिणत की ही गयी थी।

कमसे कम इतना तो है ही कि फाँसी दिये जाने पर सन्देह करनेकी काफी गुंजाइश है। ऐसा स्वीकार कर लिये जाने पर मैं अदालतसे अनुरोध करूँगा कि सन्देहसे अभियुक्तोंको लाभ उठाने दिया जाय।

मुहम्मद हुसैनकी घटनाकी पुनः चर्चा करते हुए आपने कहा कि यह बात समझ में नहीं आती है कि जिस व्यक्तिको गोली चलाना नहीं आता है उसे ही क्यों इस कार्यके लिए चुना गया। अन्य घटना की, जिसमें कि लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंके सामने ४ व्यक्तियोंको गोलीसे उड़ा देनेका अभियोग लगाया गया है, चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतको लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंके उस दिनकी हालतके सम्बन्धमें उनकी डायरीसे मालूम हो ही गया है। डायरीके अनुसार स्पष्ट है कि वे उस दिन इतने अधिक कमजोर थे जितना पहले कभी नहीं थे और उन्हें सुई भी दी गयी थी। उस परिस्थितिमें इस बातकी बहुत कम सम्भावना है कि वे उस तथाकथित घटनाके समय उपस्थित रहे होंगे। उन्होंने अदालतसे इस बातका भी अनुरोध किया कि वह यह भी स्वीकार करले कि तथाकथित घटना (गोली चलाने) के समय कम्पनीके बुलाये जानेकी बात असत्य है।

लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंपर हत्या करने तथा हत्या करनेके बहकानेका जो अभियोग लगाया गया है उसका खण्डन करते हुए श्री भूलाभाईने बताया—पहली बात तो

यह है कि इस बातकी सम्भावना नहीं है कि लेफ्टिनैएट ढिल्लों, जिनपर गोलीसे उड़ा देनेकी आज्ञा देनेका तथाकथित अभियोग है, उस समय उपस्थित रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक गवाह उन लोगोंको नहीं पहचानता है। तीसरी बात यह है कि दूसरे गवाहका कथन है कि पहला गवाह उस समय वहाँ उपस्थित नहीं था। चौथी बात यह है कि दूसरे गवाहने ऐसा बयान दिया है जो सम्भव नहीं है। उन लोगोंको पहचाननेका प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैंने सबूत पत्तके सम्बन्धमें जितने भी दोष बताये हैं उनसे सबूत पक्ष निर्बल हो जाता है। एक गवाहके अनुसार खाईका गढ्ढा २० फुट था। यह कोई नहीं स्वीकार करेगा कि ४ व्यक्तियोंपर गोली चलाने के लिए समूचे कम्पनीके सैनिक कुँएमें कूदेंगे। अन्तमें उन्होंने कहा कि सबूत पक्षको सिद्ध करनेका काम सबूत पत्तके वकीलका है और इसे सिद्ध करनेमें सबूत पत्तको पूर्ण असफलता मिली है। उन्होंने इस बातको दुहराया कि यदि गोली चलानेकी आज्ञा दे भी दी गयी हो तो भी गोली चलायी नहीं गयी।

आगे श्री भूलाभाईने कहा कि यदि गोली चलायी भी गयी हो तो भी वह कोई अपराध नहीं है क्योंकि आजाद हिन्द फौजके कानूनके अन्तर्गत युद्ध जारी रखनेमें जो कारवाईकी गयी उसके लिये किसी व्यक्तिको उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता।

इसके बाद श्री देसाईने आत्मसमर्पणके उन शर्तोंकी चर्चा की जो कप्तान सहगल और उनके साथियोंने आत्मसमर्पणके समय किया था। कर्नल किटसन और गुलाम मुहम्मदने यह स्वीकार किया है कि जब कप्तान सहगल और उनके साथी घेर लिये गये तब उन लोगोंने कहा था कि हम लोग युद्धबन्दीकी तरह आत्मसमर्पण करनेके लिए तैयार हैं नहीं तो हम लोग अन्त तक लड़ेंगे। यह शर्त स्वीकार कर ली गयी थी और तब उन लोगोंने आत्मसमर्पण किया। इसका अर्थ यह हुआ कि युद्ध समाप्त हो जानेपर उन लोगोंको युद्धबन्दीकी तरह सुविधा प्राप्त करनेका अधिकार है इस कारण कप्तान सहगलको छोड़ दिया जाना चाहिये। जितने सबूत सामने

हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि ब्रिटिश अफसरोंने आजाद हिन्द फौजको संघटित सेना स्वीकार किया था और वे उसके अफसरोंको उसी पदका अफसर समझते थे ।

अन्तमें आपने कानून सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नोंकी चर्चा करते हुए समूचे मुकदमेकी वैधताको चुनौती दी। आपने कहा कि यह अदालत केवल फौजदारी अदालतके अन्तर्गत आनेवाले प्रश्नोंके सम्बन्धमें मुकदमा देख सकती है। इस मुकदमेमें कई अभियोग एक साथ मिला दिये गये हैं और कई अभियुक्तोंपर एक साथ मुकदमा चलाया गया है। प्रीवी कौंसिलके निर्णयका हवाला देते हुए आपने बताया कि जब तक कई व्यक्तियोंने एक साथ मिल कर कोई अभियोग न किया हो तब तक प्रत्येक व्यक्ति पर अलग-अलग मुकदमा चलना चाहिये। कुछ अभियुक्तोंपर जो तथाकथित अभियोग लगाया गया है वह दूसरे अभियुक्तोंपर नहीं है। इस तरह समूचा मुकदमा अवैध है।

अन्तमें आपने कहा कि ये तीनों अभियुक्त संघटित सरकारकी सेनाके सदस्य थे अतः इन्हें युद्धरत राष्ट्रोंके सैनिकोंकी तरह सुविधा प्राप्त करनेका अधिकार है। इनपर अन्तर्राष्ट्रीय नियम लागू होंगे। यह कहना उचित नहीं है कि फौजी अदालतको अन्तर्राष्ट्रीय नियमसे कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक राजभक्तिका प्रश्न है अमेरिकाका 'विद्रोह' एक ज्वलन्त उदाहरण है। अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश था। उन्होंने यह भी बताया कि आजाद हिन्द फौजमें लोग स्वेच्छासे भर्ती होते थे न कि दबावसे। इन तीनों अभियुक्तोंने उसमें भर्ती होनेके लिए किसीपर अत्याचार नहीं किया। जहाँ तक हत्या करने और हत्या करनेके लिए प्रोत्साहन देनेका प्रश्न है, यह सिद्ध नहीं हो सका है कि वस्तुतः किसीको फाँसी दी गयी। उन लोगोंने आजाद हिन्द फौजके कानूनके अनुसार कार्य किया और आजाद हिन्द फौजके कानून अन्य सभ्य राष्ट्रोंके कानूनकी तरह थे और वे भारतीय सैन्य विधानकी तरह ही थे। कोड़ा मारना जिस तरह भारतीय रक्षाविधानमें है उसी तरह उसमें है।

अन्तमें इन प्रमाणोंके आधारपर श्री भूलाभाई देसाईने अदालतसे अनुरोध किया कि अभियुक्त निर्दोष घोषित किये जाँय।

पश्चात् अदालत शनिवार तकके लिये उठ गयी।

---

२२ दिसम्बर १९४५

सबूत पक्षकी बहस

सर नौशेरवाँ पी० इञ्जीनियर

सबूतोंसे यह स्पष्ट है कि तीनों अभियुक्त आजाद हिन्द फौजमें शामिल थे और उन्होंने सम्राटकी सेनाके विरुद्ध युद्ध-सम्बन्धी आदेश दिये थे। उन्होंने भाषणों द्वारा युद्धबन्दियोंको सम्राटके प्रति वफादारी छोड़नेको प्रेरित किया था। तीनों अभियुक्तोंने सम्राटके विरुद्ध युद्ध करना स्वीकार कर ही लिया है। अतः इस बातको प्रमाणित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं।

यह निर्णय करना अदालतका काम है कि अभियुक्तोंने स्वतः युद्धबन्दियों पर अत्याचार किये या वे करना चाहते थे किन्तु यह सिद्ध करना सबूतपक्षके वकीलका काम है कि अभियुक्तोंने इस ढङ्गसे धमकी दी कि यदि युद्धबन्दी आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित न होंगे तो सम्भवतः उनलोगोंको बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी और उनलोगोंको अत्याचारोंका शिकार होना पड़ेगा। अदालतको निश्चय करना होगा कि अभियुक्तोंको आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित न होनेपर युद्धबन्दियोंको दिये जानेवाले कष्ट तथा उनपर होनेवाले अत्याचारोंका पता था या नहीं। मेरे लिए इतना सिद्ध कर देना ही काफी है कि

अभियुक्त उनलोगोंको आजाद हिन्द फौजमें भरती करना चाहते थे और इसके लिए अभियुक्तोंने भाषण भी किये। यदि वे उन अत्याचारोंके बारेमें जानते थे तो वह अभियोग ही हुआ।

आगे आपने कहा अभियुक्तोंको भारतीय कमीशन प्राप्त था इसलिए उन पर भारतीय फौजी कानून लागू होता है। उनपर यह कानून तबतक लागू होता है जबतक वे अवसर प्राप्त न करलें या नौकरीसे हटा न दिये जायँ। वस्तुतः इस बातका प्रमाण है कि आजाद हिन्द फौजके जिन अफसरों और सिपाहियोंने बादमें आजाद हिन्द फौज को छोड़ दिया, वे पुनः युद्धबन्दी बना लिये गये।

अभियुक्तोंके वकीलका कहना है कि भारतीय दण्डविधानकी १२१ (अ) वीं धाराका अलग विचार होना चाहिये और देखना चाहिये कि अभियुक्तोंकी क्या स्थिति थी। यदि अस्थायी सरकारकी घोषणा हो गयी थी और ब्रिटेनके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी गयी थी तो सम्राटके विरुद्ध युद्ध करना अपराध नहीं है। किन्तु वस्तुतः अस्थायी सरकारकी घोषणा करना ही अपराध है और ऐसी कारवाईके लिए अपराधीको छोड़ा नहीं जा सकता। युद्ध किस उद्देश्यसे किया गया यह महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे उसका कुछ भी उद्देश्य रहा हो वह कारवाई ही आपत्तिजनक है।

आगे आपने यह सिद्ध करनेके लिए कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून वहीं तक इंग्लैण्डके कानूनका एक अङ्ग है जहाँतक वे कानून धारासभाओं, अदालती निर्णय या प्रथाके अन्तर्गत हो—इंग्लैण्डके कानूनोंका हवाला दिया। अदालत पर अन्तर्राष्ट्रीय नियम तभी लागू हो सकता है जब वह देशके कानूनका अङ्ग हो।

आगे आपने बताया कि जबतक 'शत्रु भाव'को स्वीकार न कर लिया गया हो तबतक उनलोगोंको युद्धरत राष्ट्रोंके बन्दियोंकी तरह सुविधाएँ नहीं दी जा सकतीं। अमेरिकाके कानून इंग्लैण्डके कानूनसे भिन्न हैं। अन्तराष्ट्रीय कानून अमेरीकाके कानूनको रद्द कर सकता है किन्तु इंग्लैण्डके कानूनको नहीं। अतः उन्होंने कहा कि अमेरीकन कानूनोंका हवाला देना इस मुकदमेके लिए महत्वहीन है। इस मुकदमेके सम्बन्धमें अन्तर्राष्ट्रीय कानूनका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इन अभियुक्तों पर मुकदमा चलानेवाली अदालत कानूनके आधार पर बनायी गयी है और वह भारतीय फौजी कानूनसे बँधी हुई है।

आगे आपने आजाद हिन्द सरकारको कुछ देशों द्वारा युद्धरत अस्थायी सरकार मान लेनेकी चर्चाकी और कहा कि इसे अन्य राष्ट्र भी स्वीकार करें आवश्यक नहीं है। ऐसा स्वीकार करना उन राष्ट्रोंकी नीति थी अतः उन्होंने स्वीकार किया। अन्य राष्ट्रोंपर इसका कोई असर नहीं होता। उन्होंने यह भी बताया कि स्पेनके विद्रोहियोंको (जिनके हाथ शासन है) इसलिए स्वीकार किया गया था उसमें ब्रिटेनका हित निहित था। स्वतन्त्र भारतकी अस्थायी सरकारको युद्धरत सरकार तभी माना जा सकता था जब ब्रिटिश सरकारने इसे स्वीकार किया होता।

लोकसभामें दिये गये वक्तव्य और भारत सरकारकी विज्ञप्तिमें आजाद हिन्द फौजके सम्बन्धमें जो नीति अपनायी गयी है उनकी चर्चा करते हुए आपने बताया कि उनमें उन लोगोंके आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित होने की कारवाईको कहीं भी न्यायसंगत नहीं बताया गया है। मेरा मत है कि अभियुक्तोंके वकीलने अन्तर्राष्ट्रीय कानूनका जो प्रश्न उठाया है वह प्रश्न यदि धारा सभामें उठाया गया होता तो अच्छा होता किन्तु ऐसी अदालतके सामने जो शासन व्यवस्थाके कानून तथा भारतीय अदालत फौजी कानूनसे बँधी हुई

है, पेश करना निरर्थक है। आपने भारत सरकारकी दूसरी विज्ञप्ति की ओर अदालतका ध्यान आकृष्ट किया जिसमें बताया गया है कि आजाद हिन्द फौजमें न भरती होनेवाले ४५ हजार युद्धबन्दियोंमेंसे ११ हजार युद्धबन्दी विभिन्न बीमारियोंसे मर गये और आजाद हिन्द फौजमें भरती हुए २० हजार सैनिकों मेंसे केवल १॥ हजार सैनिक मरे। आपने आजाद हिन्द फौजके प्रचार मन्त्री श्री एस० ए० अय्यरके वक्तव्यका विस्तृत हवाला देते हुए बताया कि यदि चावल भेजनेकी बात सच भी थी तो इससे अभियुक्तोंको इस मुकदमेमें कोई सहायता नहीं मिलती है।

आगे श्री इञ्जीनियरने कहा—अन्तर्राष्ट्रीय कानूनके अन्तर्गत जापानियोंको अपने जीते हुए प्रदेशको आजाद हिन्द फौजके हाथमें सौंपनेका अधिकार नहीं था। उन्होंने बताया कि जहाँ तक जापानियों द्वारा अधिकार किये गये मणिपुर और विशनपुरके क्षेत्रोंका सम्बन्ध है, उस क्षेत्रकी शासन-व्यवस्थाके लिए श्री सुभाषचन्द्र बसु द्वारा नियुक्त व्यक्तियोंमेंसे एक भी व्यक्ति जापानी सैनिक और आजाद हिन्द फौजके सैनिकोंके संयुक्त अधिकारवाले क्षेत्रोंमें नहीं था।

आगे सर नौशेरवाँने सबूत पक्षके इस कथनकी कि कप्तान सहगलने युद्धबन्दीके रूपमें आत्मसमर्पण किया था, कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रगामी दस्तेके कमाण्डरको, जिसको कि कप्तान सहगलने आत्मसमर्पण किया, 'शत्रु-भाव' स्वीकार करनेका अधिकार था या रख सकता था। अभियुक्तोंने कहा है कि भारतीय बन्दी सिंगापुरमें निःसहाय छोड़ दिये गये थे, गलत है। कर्नल हण्टने उस समय जो कुछ कहा वह जापानियोंके आदेशसे ही कहा। उस अवस्थामें कोई और कह भी क्या सकते थे। फिर कहते या न कहते बात एक ही होती।

आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित होनेके अभियुक्तोंके उद्देश्योंकी चर्चा करते हुए आपने कहा कि अभियुक्तोंने जो कुछ भी किया वह जापानियोंके भारतपर अधिकार करनेके लिए ही किया। हाँ, उन्होंने मोर्चे पर खुद लड़नेपर विशेष जोर दिया और जापानियोंके कोहिमा और इम्फलसे हट जानेपर भी लड़ते रहे।

जो कुछ भी अस्थायी सरकारके सम्बन्धमें कहा गया है और अभियुक्तोंके अधिकार मिलनेकी जो भी बात कही गयी है, वह सम्राट्के विरुद्ध शत्रुसे मिल जानेके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

आगे श्री नौशेरवाँने अभियुक्तोंपर लगाये गये हत्याके लिए भड़कानेके आरोपके समर्थनमें अपनी दलीलें पेश की और कहा कि अभियुक्तोंपर जो अभियोग लगाये गये हैं, वे सबके सब साबित हो गये हैं। साथही इस सम्बन्धमें भी काफी प्रमाण हैं कि अभियुक्तोंने जो कुछ किया, वह उन्होंने भाड़ेका टट्टू बनकर नहीं किया, बल्कि देशभक्ति अथवा भारतकी सेवाकी भावनासे ही किया, फिर चाहे यह भावना बुद्धिमत्ता पूर्ण हो अथवा पथभ्रष्ट हों। पर इससे कानूनकी दृष्टिसे अभियुक्तोंका बचाव नहीं हो सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि अदालतका फैसला अभियुक्तोंके खिलाफ हुआ और सजा देनेका प्रश्न उपस्थित हुआ तो यह बात ध्यानमें रखा जा सकता है।

जहाँ तक सजा देनेका सवाल है वहाँ तक अदालतके हाथ बँधे हुए हैं। यदि अदालतका फैसला अभियुक्तोंके खिलाफ हो तो वह अदालत कमसे कम सजा आजीन कारावासकी दे सकती है। परन्तु यदि अदालत शहादतोंके आधारपर यह महसूस करे कि सजा कम होनी चाहिये तो वह अपने फैसले और दी गयी सजाके साथ उसकी सिफारिश कर सकती है और इसपर सजा को पुष्ट करनेवाले अफसर उसपर विचार करेंगे।

पश्चात् अदालत २९ दिसम्बर तकके लिए स्थगित हो गयी।

२९ दिसम्बर १९४५

जज एडवोकेटद्वारा विश्लेषण

कर्नल एफ० सी० ए० केरिन

आप कुछ समयसे एक ऐसे मुकदमेको सुन रहे हैं जिससे स्वभावतः ही आपको बहुत चिन्ता और व्यग्रता होती रही है। यह जैसा मामला है वैसे मामले कभी-कभी ही फौजी अदालतके सामने आते हैं, जब उसको ऐसे कानूनी और वास्तविक प्रश्नोंका निर्णय करना पड़ता है। आपके सामने जो तीन अभियुक्त हैं, उन्हें दोषी या निर्दोष ठहरानेका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। मैं अपनी योग्यतानुसार बताऊँगा कि इन आरोपोंमें कानून कहाँतक लागू होता है। मैं सबूत और सफाई पक्ष द्वारा पेश किये तथ्य भी आपके सामने रखूँगा। इसमें मैं निष्पक्ष रहूँगा। मेरा काम कानूनी प्रश्नोंको आपके सामने स्पष्टरूपमें रखना है, निर्णय करना यह आपका काम है।

आपको यह याद दिलाना आवश्यक नहीं है कि आप इस मुकदमेंके बारे में अदालतकी चहार दीवारीके बाहरके विचारोंका खयाल नहीं करेंगे। इस मुकदमेने पत्रोंमें जनताका ध्यान बहुत अधिक आकर्षित किया है। आप अपना मत केवल गवाहीके आधारपर बनायें। आपने दोनों पक्षोंकी प्रभाव पूर्ण वक्तृतायें भी सुना हैं जिनमें अपने अपने अनुसार नतीजे निकालनेपर जोर दिया गया है। आपको इनसे विचार करनेमें सहायता मिलेगी, लेकिन आप अपना निर्णय गवाहीके आधारपर ही करेंगे।

जज एडवोकेटने आगे कहा—अभियुक्तके अपराधको सिद्ध करना सबूत

पक्षका काम है। जबतक अपराध सिद्ध न हो जाय तबतक अभियुक्त निर्दोष समझे जाने चाहिये।

सफाई पक्षकी इस दलीलका विश्लेषण करते हुए कि धारा १२१ के अनुसार मामलेको उचित अधिकारीसे स्वीकृति लिये बिना फौजी अदालत तय नहीं कर सकती, जज एडवोकेटने सम्मति दी कि फौजी अदालतको यह अधिकार है।

अभियुक्त पर फौजदारी कानूनकी धारा २३३ और २३४ के अनुसार सामूहिक मुकदमा चलाना गैरकानूनी है, इस दलीलके सम्बन्धमें आपने कहा कि मेरी सम्मतिमें फौजी अदालत इसके पालनके लिये बाध्य नहीं है।

स्वतन्त्र भारतकी अस्थायी सरकारकी स्थापनाके प्रमाणोंकी चर्चा करते हुए जज एडवोकेटने कहा—सफाई पक्षकी ओरसे अन्तर्राष्ट्रिय विधानके नियमोंपर विचार करनेको कहा गया है और यह तर्क किया गया है कि यह बातें निश्चित रूपसे प्रमाणित हो चुकी हैं कि अस्थायी सरकारकी स्थापना और उसकी घोषणा नियमित रूपसे हुई थी। यह सरकार वैध सरकार थी और धुरी राष्ट्रोंने इस सरकारको स्वीकार किया था तथा इस स्वीकृतिसे प्रमाणित है कि आजाद हिन्द सरकार राज्यसत्ताकी अवस्थाको प्राप्त हो चुकी थी। इस सरकारके पास संघटित सेना थी जो नियमित रूपसे नियुक्त भारतीय अफसरों द्वारा सञ्चालित होती थी। आजाद हिन्द फौजकी स्थापनाका मुख्य उद्देश्य भारतका उद्धार करना था तथा इस उद्देश्यके अतिरिक्त बर्मा तथा मलायाके निवासी भारतीयोंकी विशेषतः युद्धकालमें रक्षा करना था। इस सरकारके अधीन अपने प्रदेश थे तथा इस युद्धके लड़नेके लिये बड़े पैमानेपर प्रचुर साधन प्राप्त थे। आगे कर्नल केरिनने जजोंको सम्बोधन कर कहा कि आपका कर्तव्य है कि सबूत और सफाई दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत अन्तर्राष्ट्रीय विधानों

पर बिचार करें और जब आपको सन्तोष हो जाय कि जो बातें कही गयी हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय विधानद्वारा स्वीकृत हैं तभी कोई निर्णय करें।

सफाईपक्षकी ओरसे कहा गया कि अभियुक्त तथा उनके अन्य साथी जो सिंगापुरमें थे अंग्रेजोंद्वारा जापानियोंको समर्पित कर दिये गये और उनकी रक्षा नहीं की गयी। इस प्रकार आत्म-समर्पित होते और युद्धबन्दीकी हालतमें उनके सामने जापानियोंने उनके देश (भारत) के उद्धारकी बात रखी और उन्होंने देशोद्धारके लिए शस्त्र ग्रहण किया और अन्तर्राष्ट्री विधानके अनुसार उनका राजभक्तिकी शपथका अपने देशके लिऐ परित्याग करना न्यायोचित था। ऐसा करके उन्होंने कोई अपराध नहीं किया।

इसके बाद कर्नल केरिनने अभियुक्तोंपर लगाये गये अभियोगोंका संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि मैं अब अन्तर्राष्ट्रीय विधानका जिक्र न कर अभियोगोंपर विचार करता हू परन्तु मैं अदालतको इस बातका स्मरण दिलाता हूँ, कि यदि वह दोनों पक्षों (सबूत और सफाई) द्वारा कहे गये तथा मेरेद्वारा बताये गये अन्तर्राष्ट्रीय विधानपर आधारित अभियुक्तोंके पक्षमें निश्चयपर पहुँचे तो जो बातें मैं कह रहा हू उनपर अदालतको विचार करनेकी आवश्यकता नहीं होगी।

अभियुक्तोंपर लगाये गये अभियोगोंके प्रमाणोंका संक्षेपमें परिचय देते हुए जज एडवोकेटने कहा कि तीनों अभियुक्तोंपर सम्राटके विरुद्ध युद्ध करनेका प्रथम अभियोग है। मैं जजोंका ध्यान एक महत्त्वपूर्ण बातकी ओर आकृष्ट करनेको बाध्य हूँ। मैं नहीं जानता कि आपलोग सबूतके उन गवाहोंको क्या मानेंगे जो तीनों अभियुक्तोंके साथ आजाद हिन्द फौजमें भरती हुए और अभियोग पत्रमें वर्णित, अनेक कारवाइयोंमें शामिल थे। मैं इस सम्बन्धमें यही कह सकता हूँ कि यदि किसी समय आपके विचारमें उपर्युक्त गवाह सहअपराधी जान पड़ें तो मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं आपको एक सहअपराधीके अप्रमाणित सबूतपर दण्ड देनेके खतरेके प्रति चेतावनी दे देना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

आजाद हिन्द फौजके भरती होनेके लिए भारतीय युद्ध-बन्दियोंको कष्ट देने तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करनेके सम्बन्धमें कर्नल केरिनने कहा कि सबूत और सफाई दोनों पक्षोंके लिए मुकदमेपर इस बातसे चाहे जो असर हो, परन्तु कहीं भी यह कहा नहीं गया है कि इन तीनों अभियुक्तोंने कभी स्वयं भी किसीके प्रति दुर्व्यवहार किया या कभी किसी मनुष्यको कष्ट देते समय या किसी दुर्व्यवहारके समय उपस्थित थे। आपलोगोंके विचारार्थ वास्तविक बात यह है कि दुर्व्यवहारके ये उदाहरण सत्य हैं या झूठ और यदि वे सच हैं तो क्या वे इतने महत्वके थे कि अभियुक्त उनको जानते थे? सफाईपक्षने यह इनकार नहीं किया है कि अभियुक्त आजाद हिन्द फौजमें भरती हुए और मित्रराष्ट्रोंके विरुद्ध युद्ध किया। सभी अभियुक्तोंने इस बातपर जोर दिया है कि आजाद हिन्द फौज स्वयंसेवकोंकी सेना थी और लोग इसमें स्वेच्छासे भरती हुए थे तथा सदा वे उच्चकोटिकी देशभक्तिसे पूर्ण थे। निस्सन्देह उद्देश्योंके कारण यदि अपराध कोई किया जाय, तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता।

इसके बाद कर्नल केरिनने तीनों अभियुक्तोंपर लगाये गये अभियोगोंका विवरण देते हुए जजोंने कहा कि लेफ्टिनेण्ट ढिलोंपर ४ व्यक्तियोंकी हत्या करानेका अभियोग है। परन्तु सबूतपक्ष, सबूतके गवाहोंके बयान मात्रसे ही मारे गये व्यक्तियोंकी शिनाख्तके सबूतके भारसे बरी नहीं हो सकता। सबूतके गवाहोंने मारे गये चारों व्यक्तियोंमेंसे किसीकी शिनाख्त नहीं की है। लेफ्टिनेण्ट ढिलोंने अपनी सफाईमें कहा है कि यह सत्य है कि मैंने चार व्यक्तियोंपर अपने पक्षसे भागने तथा शत्रुसे मिलकर भेद देनेके अभियोगमें मुकदमा चलानेका आदेश दिया था, परन्तु यह सर्वथा असत्य है कि मेरे आदेशसे वे मारे गये।

यदि अदालत यह समझे कि वे चारो व्यक्ति जो मारे गये बताये जाते हैं वही थे जिनका नाम अभियोग पत्रमें है तो बात भिन्न है। किन्तु यदि अदालत

समझें कि हत्या पूर्णतः सिद्ध नहीं हुई है तो विचारणीय होगा, कि उनपर हत्याकी चेष्टाके प्रश्नपर विशेष विचार किया जा सकता है या नहीं।

कप्तान सहगलपर हत्याके लिए भड़कानेका जो आरोप है, वह बहुत कुछ लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंपर लगाये गये हत्याके आरोपके सबूतपर निर्भर करता है। उनपर फर्द जुर्मोंके आधारपर अभियोग लगाया गया है। उसके अतिरिक्त उनके ऊपर अभियोगका कोई आधार नहीं है।

शाहनवाजपर हत्याके लिए भड़कानेका जो आरोप है उसकी चर्चा करते हुए कहा कि यदि आप मृत्युके सबूतसे सन्तुष्ट न हों तो उन्हें आप भारतीय दण्ड विधान धारा १०९ के अनुसार दण्ड नहीं दे सकते।

पश्चात् अदालत ३१ दिसम्बरके लिए उठ गयी।

---

३१ दिसम्बर १९४५

अदालतमें आज मिलीटरी प्रासीक्युटर कर्नल वाल्शने अभियुक्तोंके चरित्र सम्बन्धी कागजात पेश किये।

कप्तान शाहनवाजके सम्बन्धमें आपने बताया कि उनकी उम्र ३१ वर्ष ११ मास है। वे ९ वर्ष ११ माससे सैनिक सेवामें थे और आरम्भसे ही कमीशन प्राप्त अफसर थे। वे ५ वर्ष १ मासतक कप्तान रहे हैं। मुकदमेकी बात छोड़कर उनका चरित्र सदा बड़ा अच्छा रहा। उन्हें कोई सैनिक पदक या बिल्ला नहीं मिला। इससे पहले उन्हें कोई सजा नहीं मिली है।

कप्तान सहगलके विषयमें आपने बताया कि उनकी उम्र २८ वर्ष ११ मासकी है। वे लगातार कमीशन प्राप्त अफसरकी हैसियतसे कार्य करते रहे हैं। वे ५ सालतक कप्तान रहे हैं। उन्हें कोई सैनिकपदक या बिल्ला नहीं

मिला। उन्हें इससे पहले कोई सजा नहीं मिली। उनका चरित्र बहुत अच्छा रहा है।

लेफ्टिनेण्ट ढिल्लों के सम्बन्धमें आपने बताया कि अभियुक्तकी उम्र ३० वर्ष ९ मास है। उनकी कुल सैनिक सेवा ५ वर्ष ९ मासकी है। वे ४ वर्ष ३ मासतक लेफ्टिनेण्टके पदपर रहे हैं। उन्हें इससे पूर्व कभी कोई सजा नहीं मिली। उन्हें कोई सैनिकपदक या बिल्ला नहीं मिला। उनका चरित्र बहुत अच्छा रहा है।

जज एडवोकेटने :(सफाई पक्षसे)—क्या आप कर्नल वाल्शसे जिरह करना चाहेंगे?

सफाई पक्षके वकील—नहीं।

इसके बाद जज एडवोकेटने सफाई पक्षके वकील और अभियुक्तोंसे पूछा कि क्या आप अदालतके सम्मुख कोई बयान देना चाहते हैं? जिसपर उन्होंने कहा—नहीं।

उपरान्त अध्यक्ष मेजर ब्लैक्सलैण्डने यह घोषणा की कि अभियुक्त कप्तान शाहनवाज, कप्तान सहगल और लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंपर जो जुर्म लगाये गये हैं, उनमेंसे वे एक या एकसे अधिक जुर्मोंके अपराधी प्रमाणित हुए हैं।

अभियुक्तोंको क्या सजा दी जाय इसपर विचार करनेके लिए अदालतकी काररवाई स्थगित की जा रही है। अदालतका निर्णय और दण्ड तभी वैध समझा जायगा जब उसपर स्वीकृति देनेवाले अन्तिम अधिकारी उसे स्वीकार कर लेंगे। अतः निर्णय और दण्डकी घोषणा कुछ दिन बाद की जायगी। आशा है कि इसमें एक सप्ताहसे अधिक न लगेगा। अब खुली अदालतमें मुकदमेकी कारवाई समाप्त की जाती है।

पश्चात् अदालतका कार्य समाप्त हो गया।

फैसला और रिहाई

४ जनवरी १९४५ को भारत सरकारकी ओरसे निम्नलिखित विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी :—

कप्तान शाहनवाजखाँ, कप्तान सहगल और लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंका विचार फौजी अदालतके सम्मुख हुआ। तीनों व्यक्तियोंके विरुद्ध सम्राटके विरुद्ध युद्ध छेड़नेका अभियोग था। लेफ्टिनेण्ट ढिल्लोंपर हत्याका और अन्य दोपर हत्याको प्रोत्साहित करनेका भी अभियोग था। अदालतका मत है कि तीनों व्यक्ति सम्राटके विरुद्ध युद्ध करनेके अपराधी हैं। साथ ही कप्तान शाहनवाजखाँपर हत्याको प्रोत्साहित करनेका अभियोग प्रमाणित है। लेफ्टिनेण्ट ढिल्लों और कप्तान सहगल हत्याके अभियोगसे बरी किये गये।

सम्राट्के विरुद्ध युद्ध करनेका अपराधी पाकर अदालत मृत्युदण्ड या आजीवन निर्वासनका दण्ड देनेके लिए बाध्य थी। कानून के अनुसार इससे कम दण्ड नहीं दिया जा सकता था। तीनों अभियुक्तोंको अदालतने आजीवन निर्वासन तथा जमा हुए रुपये और शेष वेतनकी जब्तीका दण्ड देनेका निश्चय किया है।

फौजी अदालतका कोई निर्णय दण्ड जबतक स्वीकृत न हो जाय पूर्ण नहीं होता। इस मामलेमें स्वीकृति देनेवाले अफसर, प्रधान सेनापति, प्रत्येक मामलेमें अदालतके निर्णयसे सन्तुष्ट हैं इसलिए उसे स्वीकार करते हैं।

साथ ही स्वीकृति देनेवाले अफसरको अधिकार है कि वह सजाको कम करे, रद्द कर दे या माफ कर दे। जैसा कि पत्रोंमें छपा है, भारत सरकारकी नीति भविष्यमें केवल उन्हींपर मुकदमा चलानेकी है जिन्होंने सम्राट्के विरुद्ध युद्ध करनेके अतिरिक्त पाशविकताके कार्य किये हैं; और यह भी कहा गया

है कि किसी मुकदमेपर विचार करते हुए अधिकारी इस बातपर भी ध्यान रखेंगे कि सभ्य व्यवहारके विधानपर उस कार्यका कितना प्रभाव पड़ता है।

लेफ्टिनेण्ट ढिल्लों और कप्तान सहगल क्रमशः हत्या और हत्याको प्रोत्साहित करनेके अभियोगसे बरी कर दिये गये हैं। और उनके विरुद्ध किसी अन्य पाशविक कार्यका अभियोग नहीं है। यद्यपि कप्तान शाहनवाज हत्याको प्रोत्साहित करनेके अपराधी पाये गये हैं और उनके कार्य कठोर साबित हुए हैं तथापि स्वीकृति देते समय अफसरने तत्कालीन अवस्थापर विचार किया है।

अस्तु, प्रधान सेनापतिने तीनोंके साथ सजाके सम्बन्धमें एक सा व्यवहार करने और तीनों अभियुक्तोंका आजीवन निर्वासनका दण्ड माफ करनेका निश्चय किया है। किन्तु जमा हुए रुपये और बाकी वेतन और अलाउन्सोंको जब्त करनेकी सजाको कायम रखनेका निश्चय किया है क्योंकि राजभक्ति छोड़कर राज्यके विरुद्ध युद्ध करना प्रत्येक अवस्थामें अफसर और सैनिकके लिए एक घोरतम अपराध है। यह ऐसा सिद्धान्त है जिसका पालन करना किसी भी वैध वर्तमान या भावी सरकारके लिए अपने स्थायित्वकी दृष्टिसे अत्यावश्यक है।

मुद्रक—महताबराय, ज्ञानमण्डल (यन्त्रालय) लिमिटेड, काशी।

